लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय–सूची

अंक 18, गुरुवार, 3 जुलाई, 1980/12 आषाढ़, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख :	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 366 से 368 और 370 से 374	2—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 369 और 375 से 384	19—25
अतारांकित प्रश्न संख्या 2756 से 2895 और 2897 से 2915	25—124
सभा पटल पर रखे गये पत्र	125
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	126, 171—189
धनबाद कोयला खान क्षेत्र में बहुत सी औद्योगिक इकाइयों के बन्द हो जाने का समाचार	
श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा	126
श्री चरणजीत चानना	171
श्री रामावतार शास्त्री	174
श्री राम विलास पासवान	178
विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक	127—135
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री ज्योतिर्मय बसु	127
श्री टी० आर० शमन्ना	130
श्री कमलापति त्रिपाठी	132
खंड 2 व 3, और 1	135
पास करने का प्रस्ताव	
श्री कमलापति त्रिपाठी	135

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	135—138
(एक) मध्यप्रदेश में उचित दर की दुकानों से मक्का और ज्वार के उन्नत बीजों की सप्लाई	
श्री दिलीप सिंह भूरिया	135
(दो) राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरों को मजूरी का भुगतान	
श्री भीखाभाई	135
(तीन) हथकरघा उद्योग की न्यायोचित मांगों को पूरा करने संबंधी कार्यवाही	
श्री के० कुन्हम्बु	136
(चार) दिल्ली में नार्थ एवेन्यू तथा अन्य भागों में उचित दर की दुकानों पर चीनी तथा राशन की अन्य वस्तुओं का उपलब्ध न होना	
श्री रामावतार शास्त्री	136
(पांच) कलकत्ता औद्योगिक न्यायाधिकरण में विचाराधीन मामलों को निपटाने के उपाय	
श्री सुशील भट्टाचार्य	137
(छः) बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में धान-रोपण के लिये आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के उपाय	
श्री डूमर लाल बैठा	137
नेशनल कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और नेशनल कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक	138—171
श्री टी० आर० शमन्ना	138
श्री प्रणब मुखर्जी	140
श्री निरेन घोष	142
श्री आनन्दगोपाल मुखोपाध्याय	147
श्रीमती गीता मुखर्जी	148
श्री मूलचन्द डागा	151
श्री जार्ज फर्नान्डीस	153
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	157
खंड 2 से 35 और 1 पास करने का प्रस्ताव	163
प्रो० एन० जी० रंगा	166
श्री दीनेन भट्टाचार्य	167
श्री प्रणव मुखर्जी	170

विषय	पृष्ठ
आवश्यक सेवाएं संधारण (असम) अध्यादेश को निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और आवश्यक सेवायें संधारण (असम) विधेयक और कुछ सेवाओं को आवश्यक सेवाए घोषित करने संबंधी आसाम सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	189—218
श्री जार्ज फर्नान्डीस	189
श्री योगेन्द्र मकवाना	198
श्री निरेन घोष	198
श्री संतोष मोहन देव	201
श्री आरिफ मोहम्मद खां	207
श्री नारायण चौबे	211
श्री पी० ए० संगमा	213
श्री सी० टी० दण्डपाणि	215
आधे-घन्टे की चर्चा	218—226
स्वतंत्रता सेनानियों को अतिरिक्त सुविधायें	
श्री रामावतार शास्त्री	218
श्री योगेन्द्र मकवाना	221
श्री मूलचन्द डागा	224
श्री निरेन घोष	224

लोक सभा

शुक्रवार, 3 जुलाई, 1980/12 आषाढ़, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को श्री उग्रसेन के दुखद निधन की जानकारी देता हूँ, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य थे। इससे पहले वह वर्ष 1957-69 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे ।

श्री उग्रसेन एक स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में उन्हें कारावास की सजा हुई थी और वर्ष 1944 में उन्हें उत्तर प्रदेश से निष्कासित कर दिया गया था । वर्ष 1945-49 के दौरान उन्होंने बम्बई के मजदूर आन्दोलन में भाग लिया और 1946 के 'नाविक विरोध' में उन्हें कारावास हुआ था। उन्होंने शोषित और दलित समुदायों के उत्थान के लिए कार्य किया ।

वह एक सक्रिय सांसद थे और वह संसद की कार्यवाही में गहरी रुचि लेते थे और लोक सभा की याचिका समिति के सदस्य थे । 1 जुलाई, 1980 को 60 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया ।

इस मित्र के निधन पर हमें गहरा दुःख है और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को संवेदनायें व्यक्त करने में सदन मेरा समर्थन करेगा।

सदस्यगण अपना दुःख व्यक्त करने के लिए कुछ देर मौन खड़े रहेंगे।

[तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न । सं० 366

ज्योतिर्मय बसु : अगर वह तैयार हों, तो प्रश्न सं० 365 को लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : हमने इसे स्थगित कर दिया है । हम इसे अगली बार लेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तारांकित सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में इसे रखने के लिए आपको नियम 53 के अधीन अधिकार प्राप्त है। अगर ऐसा किया जाय, तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नाविकों के लिए न्यूनतम वेतन की सिफारिशें

*366. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने नाविकों के लिए न्यूनतम वेतन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार नाविकों के वेतन और उनकी सेवा शर्तों के बारे में पुनर्विचार करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) भारतीय श्रमिकों की मजदूरी की दर और सेवा की शर्तें नेशनल मैरीटाइम बोर्ड (इंडिया) द्वारा निश्चित की जाती है। पहले, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मजदूरी दर 48 पौंड थी जो 1976 में संशोधित कर प्रति मास 78 पौंड प्रति नाविक की गई। भारतीय नाविकों की मजदूरी दर प्रति मास प्रति नाविक 57 पौंड थी जो नेशनल मैरीटाइम बोर्ड की पिछली बैठक में बढ़ाकर लगभग 61 पौंड की गई है। नेशनल मैरीटाइम बोर्ड नाविकों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की न्यूनतम दर की सिफारिशों की मूल भावना को ध्यान में रखता है। चूंकि नेशनल मैरीटाइम बोर्ड द्वारा हाल ही में मार्च, 1980 में नाविकों की मजदूरी की दर संशोधित की गई है इसलिए नाविकों के वेतन और सेवा की शर्तों पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : यह बड़े खेद की बात है कि हमारे देश के नाविकों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सिफारिश की गई न्यूनतम मजदूरी प्राप्त नहीं हो रही है। नाविक की सेवा का स्वरूप अन्य प्रकार की सेवाओं से पृथक है। उन्हें अपने परिवार से, मित्रों से और देश से दूर जाना पड़ता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि उन्हें ठेका आधार पर लिया जाता है। एक पंजीकृत मूल है और उसमें से उन्हें सेवा में खपाया जाता है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि (क) हमारे देश के नाविकों की औसत मासिक आय क्या है और (ख) क्या करार समाप्त होने से पुनः करार प्रारम्भ होने की अवधि के दौरान सरकार नाविकों को बेरोजगारी भत्ता देगी ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक नेशनल मैरीटाइम बोर्ड है, जो एक द्विपक्षीय संस्था है और यही वह बोर्ड है जो नाविकों की मजूरी का निर्धारण करता है। सरकार इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है और भारतीय नाविकों के लिए जितनी भी मंजूरी

निर्धारित की जाती है, यह नाविकों की उस यूनियन की सहमति से की जाती है, जिसका नेशनल मैरीटाइम बोर्ड में प्रतिनिधित्व है। इसलिए जहां तक नाविकों का सम्बन्ध है, वे नेशनल मैरीटाइम बोर्ड द्वारा जो भी मजूरी निर्धारित की जाती है, उससे पूरी तरह से सन्तुष्ट हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, भारतीय नाविकों की मजूरी 61 पौण्ड है, जो 1090 रुपये बैठती है। पत्तनों और गोपियों में समान प्रकार के कार्य बल के बराबर है। यह स्थिति है और मेरे माननीय मित्र को यह समझना चाहिए कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती।

श्री सुनील मैत्रा : मंत्री महोदय ने उनके पूरक प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है कि क्या सरकार करार समाप्त होने से पुनः करार आरम्भ होने की अवधि के दौरान नाविकों को बेरोजगारी भत्ता देगी।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जहां तक बेरोजगारी भत्ते का सम्बन्ध है, इस प्रश्न को नाविकों द्वारा उठाया गया है और अभी हाल ही में हमने एक योजना लागू की है, जिसके अनुसार बेरोजगारी की अवधि के दौरान नाविकों को ब्याज युक्त 1000 रु० के ऋण का भुगतान किया जाता है। इसका भुगतान सदैव के लिए नहीं किया जाता और जब उन्हें रोजगार मिल जाता है तो उसको वसली किस्तों में की जाती है। जहां तक बेरोजगारी भत्ता देने की ठोस योजना का सम्बन्ध है, नाविकों की यूनियन ने इस प्रश्न को उठाया है और सरकार ने उनसे यह कहा है कि वे अपने सुझाव पेश करें कि इसे किस प्रकार तैयार किया जा सकता है और सुझाव प्राप्त होने के बाद, हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : सरकार ने मजूरी के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति घोषित नहीं की है। उस समाधान के बारे में, जिसका मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है, मैं यह कहना चाहूंगा कि नाविक इससे असन्तुष्ट हैं और वे यह कह रहे हैं कि यह समाधान यूनियन के माध्यम से हुआ है। इस सन्दर्भ में, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार हमारे देश के नाविकों की राय जानने के लिए यह संग्रह करेगी कि क्या वे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सिफारिश की गई न्यूनतम मजूरी को स्वीकार करते हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर पहले दूंगा। जनमत लेने का कोई प्रश्न नहीं है। नाविकों की अपनी यूनियनें हैं। नेशनल सीमेन्स यूनियन एक ऐसी यूनियन है, जिसे मैरीटाइम बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यूनियन के प्रतिनिधि और जहाज-मालिकों के प्रतिनिधि आपस में बैठक करते हैं और वे मजूरी का निर्धारण करते हैं। यह कर्मचारियों को स्वीकार्य है, क्योंकि अभी तक इस समझौते के प्रति विरोध प्रकट करते हुए कर्मचारी पक्ष से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री छांगुर राम : क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशें क्या-क्या हैं? मेरा दूसरा प्रश्न भी इसी से सम्बन्धित है—पहले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बोर्ड की वेतन-दर 48 पौंड थी, उस समय भारतीय नाविकों की मजदूरी 57 पौंड थी, अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से ज्यादा थी, लेकिन जब बाद में संशोधन हुआ तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बोर्ड की दर 78 पौंड हो गई, परन्तु भारतीय नाविकों की मजदूरी तो बढ़ी, लेकिन पहले के मुकाबले में नहीं बढ़ी, केवल 61 पौंड हुई। ऐसी स्थिति में उन का मोरल डाउन न हो, उन के मोरल को ऊंचा रखने के लिये क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो वेतन निर्धारित किया जाता है, जैसा मैंने पहले बतलाया, वह उन के मैरिटाइम बोर्ड के जरिये किया जाता है और मैरिटाइम बोर्ड जो वेतन निर्धारित करता है, इस बात को ध्यान में रख कर करता है कि सीमेन्ज का जो वेतन निर्धारित हो, उसका वहां पर जो पोर्ट और डाक वर्कर्स काम करते हैं, उन के ऊपर क्या असर पड़ेगा।

मैं माननीय सदस्य को एक और सूचना देना चाहता हूं—अभी हाल में लन्दन में इन्टर-नेशनल ट्रांस्पोर्ट फैडरेशन की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी यह तय किया गया—

> "समिति ने एक नई प्रक्रिया तैयार करने का भी निर्णय किया है, जिसके अन्तर्गत नाविकों को स्थानीय तौर पर समझौते के अनुसार तय मजूरी का भुगतान किया जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि भारत में, मैरीटाइम बोर्ड द्वारा स्वीकृत मजूरी का भुगतान किया जाएगा और इस मजूरी तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित मजूरी के बीच अन्तर की राशि को नाविकों के देशों के बारे में पृथक निधि में रखा जाएगा।"

यह शर्त उन नाविकों पर लागू होगी, जो विदेशी जहाजों पर काम कर रहे हैं।

श्री छांगुर राम : उनकी सिफारिशें क्या-क्या हैं, यह तो बता दीजिए ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : सिफारिशें मैंने बतलाई है—उनकी सिफारिश 78 पौंड की है, लेकिन नेशनल मैरीटाइम बोर्ड ने यह तय किया है कि 61 पौंड दी जाय।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री महोदय ने इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की अभी हाल में हुई बैठक का जिक्र किया है, जिसने यह निर्णय किया है कि स्थानीय तौर पर भुगतान की जाने वाली मजूरी और इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन द्वारा मानक रूप में स्वीकृत मजूरी के बीच अन्तर की राशि को एक निधि में रखा गया। मैं सर्व प्रथम मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस निधि का उपयोग भारत में किया जाएगा, क्योंकि वह एक ऐसी समस्या है जो भारतीय नाविकों के लिए और भारत के नाविकों के कल्याण के लिए विचित्र है अथवा क्या यह निधि एक अन्तर्राष्ट्रीय निधि होगी, जिसका पैसा उन जहाज मालिकों को वापस चला जायेगा, जिनसे, पहले, भारतीय नाविकों के बारे में मजूरी का भुगतान किया जाना चाहिए और फिर उन्हें वापस भुगतान कर दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय नाविकों को वह मजूरी प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।

दूसरे, मुझे एक नाविक श्री सुकुमार मैथी से एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें यह कहा गया है :—

> "जैसे ही उन्हें आई०टी०एफ० मजूरी प्राप्त होती है, भारत सरकार ने भारतीय नाविकों की इस कार्यवाही को भारतीय करार अनुच्छेदों का घोर उल्लंघन मात्र है और इसलिए उनके सी०डी०सी० को उस समय तक निलम्बित कर दिया जाता है जब तक वे आई०टी०एफ० राशी का भुगतान सम्बद्ध कम्पनी को नहीं कर देते..... भारत सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस बात को गम्भीरता पूर्वक लिया है कि आई०टी०एफ० राशि प्राप्त करने वाले नाविकों ने भारतीय करार

अनुच्छेदों का जान बूझकर उल्लंघन किया है·····आई०टी०एफ० राशि के प्राप्तकर्ता भविष्य में सदैव के लिए रोजगार गँवा देने का अपने जीवन के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं।"

यह सब इस वजह से हैं, क्योंकि वे उस मजूरी को स्वीकार कर रहे हैं जिसकी सिफारिश इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन द्वारा विदेशी जहाजों के नाविकों के लिए किया जाता है, न कि भारतीय जहाजों के नाविकों के बारे में। इस सबका कुल सार यह है कि भारतीय नाविक, जो विदेशी जहाजों पर काम कर रहे हैं, उन नाविकों से कम मजूरी प्राप्त कर रहे हैं, जो अन्य देशों के हैं।

इसलिए क्या भारत सरकार सबसे पहले मजूरी के बारे में अपनी नीति की समीक्षा करेगी और दूसरे, भारतीय नाविकों की सेवा शर्तों के बारे में, क्या सरकार उनसे दूसरे दर्जे की नागरिकता का व्यवहार नहीं करेगी—नागरिकता एक गलत नाम है—दूसरे दर्जे की मजूरी नहीं देगी, जबकि अन्य देशों के अन्य कर्मचारियों को आई०टी०एफ० मंजूरी का भुगतान किया जाता है ?

अनन्त प्रसाद शर्मा : जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है कि जब मजूरी निश्चित की जाती है तो सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। अतः मजूरी के भुगतान के सम्बन्ध में सरकार का हस्तक्षेप करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जहां तक माननीय सदस्य की विशिष्ट शिकायत का सम्बन्ध है, मैं इस बात को निश्चित रूप से जांच करूंगा कि यह शिकायत कैसे उत्पन्न हुई।

उन्होंने यह भी पूछा है कि उस राशि का क्या होगा जो संचित की जाएगी। स्वभाविक रूप से हम आशा करते हैं कि इस राशि का उपयोग नाविकों के कल्याण हेतु किया जाएगा, किंतु ऐसा करने में यदि कोई कठिनाई है अथवा जैसा कि उन्होंने सुझाया है कि यह राशि पोतमालिकों को लौटा दी जाएगी और उसके बाद इसका भुगतान नाविकों को कर दिया जाएगा, मैं इस प्रश्न के बारे में स्थिति का पता लगाऊंगा, किन्तु स्वभावतया यह आशा की जाती है कि इस धन का उपयोग नाविकों के कल्याण के लिए किया जाएगा।

आंख का जबरदस्ती आपरेशन किया जाना

*367. श्री के० प्रधानी :

श्री चन्द्रभान आठेर पाटिल : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि त्रिवेन्द्रम (केरल) के 35 वर्षीय नैमित्तिक श्रमिक विश्वम्भरन को जो अस्पताल में अपनी पत्नी को देखने आया था, अचानक आपरेशन थियेटर ले जाया गया और उसके इन विरोधों के बावजूद कि उसकी आंख ठीक है और वह रोगी नहीं है, उसकी आंख का आपरेशन कर दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सरकार को 5 जून, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के दिल्ली संस्करण में छपे समाचार की जानकारी है ।

(ख) और (ग) केरल राज्य सरकार द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट से यह पता चला है कि आंख का आपरेशन गलत व्यक्ति का किया गया था । राज्य सरकार ने विस्तृत जांच के आदेश दे दिये हैं और जिस डाक्टर ने आंख का आपरेशन किया था उसे मुअत्तल कर दिया गया है । जिस व्यक्ति का आपरेशन किया गया था उसकी नजर को कोई क्षति अथवा नुकसान नहीं हुआ है ।

श्री के० प्रधानी : क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि उस डाक्टर ने, जिसने 2 जून, 1980 को विश्वम्भरन की आंख का आपरेशन किया था, आपरेशन करने से पूर्व उसके नाम की जांच की थी, क्या डाक्टर ने उसी दिन आपरेशन करने से पूर्व उसकी बांई आंख की जांच की थी, क्या आपरेशन करने से पूर्व विश्वम्भरन से कोई मंजूरी ली गई थी, यदि हां, तो इस सावधानी के क्या परिणाम निकले ?

श्री बी० शंकरानन्द : केरल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेरे पास इन मुद्दों के बारे में कोई जानकारी नहीं है । उन्होंने मुझे सिर्फ इतनी ही सूचना दी है कि जिस डाक्टर ने यह आपरेशन किया था, उसे मुअत्तल कर दिया गया है ।

श्री के० प्रधानी : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या विश्वम्भरन के भाई विजय कुमार ने केन्टोन्मेन्ट पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके भाई का अनावश्यक आपरेशन कर दिया गया है तथा उसकी भाभी कृष्णम्मा के द्वारा दर्ज कराए गए मामले के विवरण में हेर-फेर किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री चन्द्रभान आठेर पाटिल : उत्तर में यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति का आपरेशन किया गया है, उसको कोई क्षति नहीं हुई है । किन्तु वास्तविकता यह है कि शल्य-चिकित्सा में शरीर को क्षति होती है । क्या सरकार इस रिपोर्ट से संतुष्ट है कि श्री विश्वम्भरण को कोई क्षति नहीं पहुंची है, और यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उपरोक्त डाक्टर के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं ? दूसरे, क्या सरकार ने उपरोक्त पीड़ित व्यक्ति को वित्तिय मुआवजा दिया है, अथवा देने के निर्देश दिए हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, चोट तथा शारीरिक चोट में अन्तर होता है । माननीय सदस्य शारीरिक चोट के बारे में प्रश्न कर रहे हैं । (व्यवधान) इन्जेक्शन की सुई द्वारा होने वाला वेधन भी एक चोट है । अतः किसी भी आपरेशन में क्षति शामिल होती है ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : सरकारी अस्पतालों में डाक्टर किस प्रकार अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हैं, यह घटना उसका एक अनूठा उदाहरण है । मेरा विश्वास है कि यह घटना हमें इस बात के लिए आगाह करती है कि हम डाक्टरी चिकित्सा के लिए किसी सरकारी अस्पताल में न जायें । दि हिन्दू में इस पत्र-विशेष का उल्लेख किया गया है, अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे यह बात न कहें कि उन्होंने जो कुछ बताया है, उसके अतिरिक्त

उनके पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इस लेख में वह सारी जानकारी दी गई है, जिसका उल्लेख इस विशेष प्रश्न में किया गया है।

विश्वनाथ पिल्लै नामक एक व्यक्ति का आपरेशन किया जाना था, और उसके स्थान पर विश्वम्भरन नामक एक अन्य व्यक्ति को, जो अपनी पत्नी को, जिसकी आंख का आपरेशन हुआ था, देखने आया था, आपरेशन टेबिल पर ले जाया गया और उसके विरोध के बावजूद उसका आपरेशन कर दिया गया। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि उस दिन अर्थात 30 मई को वास्तव में जिस व्यक्ति का आपरेशन किया जाना था, उसका आपरेशन 26 मई को पहले ही किया जा चुका था। इस पृष्ठ भूमि में, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा तथा क्यों कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं अपने प्रश्न को चार भागों में विभाजित करना चाहूंगा।

क्या यह सच नहीं है कि विश्वनाथ पिल्लै नामक व्यक्ति, जिसका आपरेशन 30 मई को होना था, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, का आपरेशन 26 मई को पहले ही हो चुका था?

दूसरे, मैं मानना चाहताहूँ कि उस व्यक्ति को जिसका आपरेशन होना होता है, कोई चेतनाशून्य करने वाली औषधि दी जाती है, क्या उस व्यक्ति को चेतनाशून्य करने वाली औषधि दी गई थी तथा मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रयोजन के लिए पहले अस्पताल में भरती होना आवश्यक है और यदि हां, तो क्या अस्पताल में दाखिल करने से पूर्व इस आशय की रिपोर्ट कि क्या चेतनाशून्य करने वाली औषधि दी जानी है अथवा नहीं, डाक्टर अथवा चेतनाशून्य करने वाले व्यक्ति को दी गई थी।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या लापरवाही के ऐसे मामलों में, सरकार, इस व्यक्ति द्वारा किसी मुआवजे की मांग किए जाने की प्रतीक्षा किए बगैर, विश्वम्भरन को स्वेच्छा से मुआवजा देगी।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं किसी अस्पताल में नहीं जाऊंगा, न ही अपनी पत्नी को भेजूंगा··· ···(व्यवधान)

श्री वी० शंकरानन्द : माननीय सदस्यों के दिमाग में इस भय के बावजूद, उनका इलाज अभी भी सरकारी डाक्टरों द्वारा किया जाता है तथा वे दिल्ली के सरकारी डाक्टरों से इलाज कराना पसन्द करते हैं। हमें डाक्टरों के उस समुदाय की, जो सरकारी अस्पतालों में वास्तव में कार्य कर रहे हैं, निन्दा नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। फिर भी, वे हमारे स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं तथा यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाए तो संसद सदस्य काफी संतुष्ट हैं।

श्री विश्वनाथ पिल्लै के आपरेशन के सम्बन्ध में·····

एक माननीय सदस्य : विश्वम्भरन अथवा विश्वनाथ पिल्लै ?

श्री वी० शंकरानन्द : इस प्रकार से यह गलती हुई है।

अध्यक्ष महोदय : इसी नाम की वजह से यह गलती हुई है।

श्री वी० शंकरानन्द : यहां नाम के कारण गड़बड़ी हुई है। जब डाक्टर ने उस व्यक्ति को बुलाया जिसका आपरेशन होना था, मैं नहीं जानता कि यह गलत व्यक्ति आपरेशन कक्ष के पास क्यों खड़ा था, मैं नहीं जानता कि वह व्यक्ति आपरेशन कक्ष के पास किस लिए खड़ा था। मुझे बताया गया है कि यह एक छोटा आपरेशन था तथा यह आपरेशन उस अंग विशेष को चेतनाशून्य करके किया जाना था। अंग विशेष को चेतनाशून्य करने के बाद भी आपरेशन के लिए व्यक्ति को 15 मिनट तक प्रतीक्षा करनी होती है। मैं नहीं जानता कि आपरेशन कक्ष में उसे 15 मिनट तक क्यों रखा गया। और यह कहा जाता है कि यह आपरेशन जबरदस्ती किया गया था। मैं उस डाक्टर का बचाव नहीं कर रहा हूं, जिसने गलत आपरेशन किया था। किन्तु ये कुछ बातें हैं। यह जांच का विषय है, तथा केरल सरकार उस डाक्टर के विरुद्ध जांच करा रही है, जिसे पहले ही मुअत्तिल कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न.....।

श्री बापू साहिब परुलेकर : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। उस व्यक्ति, जिसका आपरेशन किया जाना था, का आपरेशन पहले ही किया जा चुका था। यह बात रिकार्ड में है। तब यह गलती कैसे हुई ? उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इस बात की जांच हो रही है।

कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड में पोत पर्यवेक्षकों का पंजीकरण

*368. श्री एम० एम० लारेंस : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत पहले से यह मांग की जा रही है कि कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड में (1) पोत पर्यवेक्षकों तथा सहायक पर्यवेक्षकों, (2) नौभरक फोरमैनों और सहायक फोरमैनों तथा गैर-गोदी श्रमिक बोर्ड नौभरक श्रमिकों का पंजीकरण किया जाए,

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार संबंधित यूनियन को पहले यह आश्वासन दे चुकी है कि इस प्रश्न पर जल्दी निर्णय लिया जाएगा ;

(ग) क्या कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड ने पहली दो श्रेणियों को समाप्त करने का निर्णय 1973 में ही कर लिया था,

(घ) क्या कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड ने दिसम्बर 1979 में पारित एक प्रस्ताव में पहले निर्णय को फिर दोहराया है और उपर्युक्त तीनों श्रेणियों को स्थायी बनाने की योजना तैयार की है ; और

(ङ) योजना लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) नवम्बर 1979 में जब दो यूनियनों ने इन कामगारों को स्थायी करने के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकार करने की मांग को लेकर हड़ताल करने की धमकी दी, तब पत्तन और गोदी

कर्मचारियों के फेडरेशनों को जिनके साथ उक्त दोनों यूनियनें संबद्ध थीं, यह सलाह दी गई कि वे इस मामले में अन्तिम फैसले का इंतजार करें।

(ग) कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड ने पहले कभी यह निर्णय नहीं लिया था कि कामगारों की पहली दो श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाए, बल्कि इसने तो कामगारों को स्थायी करने की सिफारिश की थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार ने सिद्धान्त रूप से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। परन्तु, गोदी कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) अधिनियम 1948 की धारा 4 के अंतर्गत, सरकार को आम जनता के विचार जानने के लिए योजना का मसौदा पहले प्रकाशित करना पड़ता है और इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।

श्री एम० एम० सारेस : यह एक ऐसा मामला है जिसके कारण कर्मचारी लम्बे समय से उत्तेजित हैं। क्या मंत्री महोदय इस प्रक्रिया के बारे में, बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जैसा कि मैंने पहले बताया है कि स्वीकृत योजना का अब हिन्दी में अनुवाद होता है तथा उसे जनता की टिप्पणियों के लिए प्रकाशित कराया जायेगा। अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए जनता को दो महीने का समय दिया जाएगा और उसके बाद, योजना के सम्बन्ध में एक अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति—नहीं है। अगला प्रश्न—श्री अर्जुन सेठी।

केन्द्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य योजना

*370. श्री अर्जुन सेठी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य योजना कठिनाई में पड़ गई है ;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारें इसे जारी रखने की अनिच्छुक है ;

(ग) इस योजना को लागू करने में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में और उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस योजना पर व्यय का अपना 50 प्रतिशत हिस्सा पूरा करने में राज्य सरकारों को कठिनाइयां महसूस हो रही है।

(घ) पंजाब सरकार ने यह योजना बंद कर दी है। राजस्थान राज्य इस योजना का और विस्तार करने के लिये सहमत नहीं हुआ है; इस योजना का विस्तार 2.10.1979 से करने का विचार किया गया था। बिहार और हरियाणा ने इस योजना का और विचार करने के बारे में, जो 2.10.1979 से किया जाना था, अपना औपचारिक निर्णय सूचित नहीं किया है।

(ङ) राज्यों पर यह जोर डाला गया है कि वे इस योजना के खर्च के अपने 50 प्रतिशत हिस्से की पूर्ति हेतु धन उपलब्ध करें और इस योजना को चरणबद्ध रूप से विस्तार की परिकल्पित योजना के अनुसार लागू करना मान लें।

श्री अर्जुन सेठी : मेरे प्रश्न के भाग (ग) तथा (घ) का उत्तर देते समय माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि कुछ राज्यों ने योजना पर व्यय के भार को वहन करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की है। अतः, इस सन्दर्भ में क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस योजना को शुरू करने से पूर्व क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए उनकी सहमति नहीं ली थी ? यदि हां, तो ये राज्य सरकारें व्यय के अपने हिस्से को वहन करने में अब क्यों इच्छुक नहीं है ?

श्री बी० शंकरानन्द : यह सहमति का प्रश्न नहीं है। वर्ष 1977 में जब यह योजना प्रारम्भ की गई थी, तब सभी राज्यों ने इसे लागू किया था। जब केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया कि इस योजना को पचास-पचास प्रतिशत के अनुपात में चलाया जायगा, तो इन राज्यों ने इसको स्वीकार करने से इंकार कर दिया है।

श्री अर्जुन सेठी : क्या मैं यह अनुमान लगा सकता हूं कि प्रारम्भ में यह निर्णय नहीं लिया गया था कि इस योजना के व्यय को केन्द्रीय सरकार वहन करेगी अथवा राज्य सरकार ?

चूंकि स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण संस्थान के अध्ययन के अनुसार कम-से-कम 80 प्रतिशत लोग इस योजना के पक्ष में हैं क्योंकि सुविधाएं उनके आवास-स्थल के समीप उपलब्ध हैं, इस सन्दर्भ में क्या मंत्री महोदय इस योजना को जारी रखने के लिए सभी प्रयास करेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, योजना को जारी रखने संबंधी लोगों की इच्छा तथा सरकार की इच्छा में अन्तर है। हम राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे इस योजना को स्वीकार कर लें।

नई गाड़ियां चलाया जाना

*371. श्री बी० आर० महाटा : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक रेलवे जोन में कितनी नई सवारी गाड़ियां चलाई गईं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे की मीटर गेज लाइन पर अजमेर-खंडवा सेक्शन पर कितनी गाड़ियां चलाई गयीं ; और

(ग) पश्चिम रेलवे के इस सेक्शन पर कितनी गाड़ियां रद्द कर दी गई अथवा दूसरी गाड़ियों के साथ मिला दी गईं ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलों पर 225 अनुपनगरीय सवारी गाड़ियां चलायी गयी थीं।

(ख) 1.10.77 से सप्ताह में दो बार चलने वाली एक जोड़ी गाड़ी नामतः 69/70 अजमेर-काछीगुडा एक्सप्रेस चलायी गयी थी।

(ग) इस अवधि में कोई नहीं।

श्री बी० आर० महाटा : महोदय, अपना पूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मेरे प्रश्न का उत्तर है अथवा प्रश्न को टाल दिया गया है। कृपया प्रश्न के भाग (क) को देखें, जिसमें गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक रेलवे जोन में चलाई गई नई सवारी गाड़ियों की संख्या के बारे में पूछा गया था।

प्रश्न के पहले भाग से बचने के लिए इन्होंने नई सवारी गाड़ियों की केवल कुल संख्या के बारे में सूचना दी है। रेलवे के विभिन्न सेक्शनों के बीच नई गाड़ियों को चलाए जाने में असंगति तथा असमानता है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया गया है। इस स्थिति में आप मंत्री महोदय को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें ताकि मुझे पूछे गए प्रश्नों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रत्येक जोन में चलाई गई नई गाड़ियों की संख्या के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री बी० आर० महाटा : जी हां।

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय सदस्य को यह जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए, जैसे कि के०के० एक्सप्रैस बंगलौर से शुरू होकर विभिन्न जोनों से होकर गुजरती है। सामान्यतः भारतीय रेलवे में यही प्रणाली अपनाई जाती है। (व्यवधान) हमारे यहां स्थानीय तथा शटल गाड़ियां हैं जो कि एक क्षेत्र से प्रारम्भ होकर 50 किलोमीटर तक जाती हैं। हमारे यहां अनुपनगरीय गाड़ियां भी हैं, जो हजारों किलोमीटर की दूरियां तय करती हैं। इन 225 अनुपनगरीय गाड़ियों में सवारी गाड़ियां, तेज रफ्तार वाली सवारी गाड़ियां, एक्सप्रैस तथा कई अन्य गाड़ियां शामिल हैं।

श्री बी० आर० महाटा : महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि कौन से सेक्शनों में नई गाडियां चलाई गई है। यदि इनके पास इसके सम्बन्ध में यह जानकारी भी नहीं है तो प्रश्न पूछने का क्या लाभ है। हमें पता है कि पश्चिम रेलवे में कितनी गाड़ियां चल रही हैं; हमें पता है कि मध्य रेलवे में कितनी गाड़ियां चल रही हैं तथा हम जानते हैं कि पूर्व रेलवे में कितनी गाड़ियां चल रही हैं। इन सबके बारे में हमें जानकारी है।

मेरा निवेदन यह है कि चूंकि एक विशेष गाड़ी एक विशेष स्टेशन से प्रारम्भ होती है अतः यह कहना कि माननीय मंत्री के लिए उसके सम्बन्ध में जानकारी दे पाना सम्भव नहीं है, यह कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ये प्रत्येक जोन में रेल सेवाओं की बात कर रहे हैं।

श्री बी० आर० नहाटा : यह केवल रेल सेवाओं का ही प्रश्न नहीं है, अपितु हमें देश के सभी भागों में सुविधाओं को भी उपलब्ध कराना है। फिर भी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय मुझे इन बातों की जानकारी दें ताकि मैं इस मामले को बाद में उठा सकूं। अब मैं पूरक प्रश्न पूछता हूं।

(क) विभिन्न मार्गों तथा विभिन्न स्टेशनों पर नई गाड़ियों को चलाने के आधारभूत सिद्धांत कौन से हैं ?

(ख) अजमेर-खंडवा सेक्शन के मामले में इन सिद्धांतों को किस प्रकार लागू किया गया है ? इस तथ्य के बावजूद कि पश्चिम रेलवे से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों का मुनाफा मिल रहा है तथा कुछ रेलवे बहुत अधिक घाटे में चल रही हैं, उन क्षेत्रों में कई नई गाड़ियां चलाई गई हैं तथा इस जोन में केवल एक ही गाड़ी चलाई गई है तथा वह भी दो गाड़ियों के एकीकरण से ? कोई नई गाड़ी शुरू ही नहीं की गई है।

(ग) अजमेर-खंडवा सेक्शन की गाड़ी द्वारा लगभग एक करोड़ लोगों को यात्रा सुविधा प्राप्त हो रही है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के नौ जिलों के लिए इस अवधि के दौरान केवल एक ही गाड़ी क्यों शुरू की गई। इसका क्या कारण है ?

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक नई गाड़ियों को चलाने के सिद्धांत का प्रश्न है, यह आम जानकारी की बात है कि इसमें धनराशि की मंजूरी तथा अन्य बातें सम्मिलित हैं। धनराशि इत्यादि के लिए योजना आयोग की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, 1.10.77 से सप्ताह में दो बार चलने वाली अजमेर-कचेगुड़ा गाड़ी शुरू की गई थी। 1.4.77 से अजमेर-मेघनगर शटल गाड़ी को चित्तोड़गढ़ तक बढ़ा दिया गया था। इस क्षेत्र में रेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अजमेर-खंडवा क्षेत्र में गाड़ियों को चलाने के मामले में सीमेंट की ढुलाई को प्राथमिकता दी जा रही है। इस कारण वर्तमान बजट में पहले से ही 3 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत की गई है ताकि अजमेर से रतलाम के रास्ते की अधिक उपयोगिता को देखते हुए और अधिक रेल लाइनें बिछाई जा सकें। पिछले तीन वर्षों के दौरान केवल एक नई गाड़ी शुरू की गई तथा एक गाड़ी का विस्तार किया गया।

श्री बी० आर० नहाटा : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि मेघनगर तथा चित्तौड़ के बीच एक शटल गाड़ी शुरू की गई है। मेघनगर में बड़ी लाईन है तथा चित्तौड़ में छोटी लाईन है, अतः इनके बीच कोई गाड़ी नहीं शुरू की जा सकती।

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि उदयपुर से दिल्ली के बीच चेतक एक्सप्रेस शुरू की गई है तथा उदयपुर से चेतक एक्सप्रेस को चलाने के लिए खंडवा से अजमेर को जाने वाली गाड़ी को चित्तौड़ पर ही रोक दिया गया है। क्या यह सच है कि चेतक एक्सप्रेस कोई अतिरिक्त गाड़ी नहीं है अपितु इसे दो गाड़ियों के एकीकरण से ही इसे शुरू किया गया है जिसके परिणामस्वरूप खंडवा से आने वाले तथा खंडवा को जाने वाले यात्रियों को अत्यधिक असुविधा हुई है।

श्री मल्लिकार्जुन : यह 1969 में किया गया था। अजमेर तथा खंडवा के बीच चलने वाली एक तेज रफ्तार वाली सवारी गाड़ी को रद्द करके इसके स्थान पर चेतक एक्सप्रेस को शुरू किया गया है तथा इससे इस सेक्शन के यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

शोर-गुल का स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क पर प्रभाव

*372. श्री मूलचन्द डागा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शहरों में शोरगुल का स्वास्थ्य तथा मस्तिसक पर बुरा प्रभाव पड़ता है और क्या सरकार द्वारा शोरगुल रोकने के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पाठशालाओं तथा चिकित्सालयों वाले क्षेत्रों में शांत वातावरण बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) निरन्तर तथा अत्यधिक शोरगुल का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है । इससे शरीर पर जो प्रभाव पड़ते हैं, वे जहां खीज, चिड़चिड़ेपन अथवा एकाग्रता की कमी आदि के रूप में प्रकट होते हैं वहां लगातार ऐसे शोरगुल में रहने से रक्तदाब में अस्थिरता, हृदय के कार्यों में अनियमितता और तंत्रिका तथा पाचक सम्बन्धी विकार हो सकते हैं ।

इस समय शोरगुल प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोई कानून बनाने का विचार नहीं है । इस समय जहां कहीं आवश्यक हो, शोरगुल प्रदूषण को निम्नलिखित उपायों द्वारा रोका जा सकता है :—

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा नगर पालिका कानूनों के संगत उपबन्धों को लागू करना ;

(2) सड़क यातायात से होने वाले शोरगुल प्रदूषण पर काबू पाने के लिए वाहनों को ठीक-ठाक रखने तथा मोटर-वाहन अधिनियमों के संगत उपबंधों को लागू करना ;

(3) कारखानों में शोरगुल कम करने के लिए फैक्टरी अधिनियम, 1948 में आवश्यक उपबंध बनाना ; और

(4) स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्कूलों और अस्पतालों के आसपास ध्वनि-रहित स्थान (साइलेंस जोन) बनाना ।

श्री मूलचन्द डागा : जो प्रश्न किया था उसमें आपने यह तो मेहरबानी की कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के अलावा शोरगुल प्रदूषण की बात आपने बताई कि इसका बड़ा असर होता है, यहां हाउस में शोरगुल होता है उधर की तरफ से·····(व्यवधान)·····देख लीजिए, यह प्रदूषण हो रहा है शोरगुल का । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज भी मन्दिरों में, गुरुद्वारों में और धार्मिक स्थानों में भगवान को जगाने के लिए आड-अवर्स में हाई-पावर लाउड स्पीकर्स लगाते हैं, उसकी रोक के लिए क्या कोई उपाय आपने किया है या कोई कानून बनाया है या नहीं ? कुछ भी कानून है या नहीं ? यदि नहीं, तो कोई कानून न बनाने का कारण क्या है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : फिलहाल अभी इस सम्बध में कोई कानून बनाने का विचार नहीं है ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : इस प्रकार के शोरगुल प्रदूषणों को रोकने के लिए नगरपालिका नियम तथा नगरपालिका कानून हैं । यह सम्बंधित स्थानीय प्राधिकारियों का काम है कि वे इस प्रकार के शोर को रोकें ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या आपने दिल्ली और दूसरे बड़े-बड़े शहरों में हास्पिटल्स, स्कूल्स और दूसरे इंस्टीट्यूशन्स के पास, जहां पर शांत वातावरण की आवश्यकता होती है, कानून के द्वारा साइलेन्स जोन्स बनाने की व्यवस्था की है या ऐसा करने का विचार है ? इसके अभाव में आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और इसकी वजह से आपका खर्चा भी बढ़ जायेगा ।

श्री निहार रंजन लास्कर : माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि यह 'प्रदूषण को रोकने ' सम्बंधी विषय निर्माण तथा आवास मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में है ।

उन्होंने एक समिति गठित की है तथा समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं । समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह भी है । वो इस प्रकार है :—

> "पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं की गहराई से जांच के बाद समिति का मत है कि देश में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में एकरूपता रखने और उनका कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक ऐसे व्यापक कानून बनाने की व्यवहार्यता पर विचार करे जिसमें सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण की व्यवस्था की गयी हो ।"

अतः इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री दिग्विजय सिंह : उनके इस उत्तर में विरोधाभास है कि इस प्रकार का कानून बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

महोदय, पर्यावरण सम्बंधी योजना और समन्वय के लिए भारत सरकार की एक राष्ट्रीय समिति है जिसका मैं सदस्य हूँ । ध्वनि-प्रदूषण को रोकने के लिए यह कानून पहले से ही विचाराधीन है । अतः, इससे यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी एजेंसियों में कोई तालमेल नहीं है । उन्होंने जो उत्तर दिया है वह सही नहीं है । क्योंकि पर्यावरण सम्बंधी योजना और समन्वय के लिए यह राष्ट्रीय समिति के विचाराधीन है ।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि यह मामला विचाराधीन है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि संसद यह कानून बना सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : आप यह पहले ही कह चुके हैं ।

डा० कर्णसिंह : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह ठीक ही कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को बड़ा संकट माना गया है । इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काफी अध्ययन किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि स्वास्थ्य सम्बधी यह संकट उससे कहीं अधिक गम्भीर है, जितना कि लोगों ने पहले सोचा था । वायु प्रदूषण-निवारण की जांच करने वाली संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत कर दी है । इसने एक विशेष प्रस्ताव यह किया है कि ध्वनी प्रदूषण के बारे में कानून बनाने का कार्य संसद द्वारा किया जाना चाहिए ।

क्या मंत्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि वायु प्रदूषण निवारण विधेयक संबंधी संयुक्त समिति की वह रिपोर्ट विचाराधीन है ; मैं उस समिति का सभापति था और

उसकी रिपोर्ट में हमने जो यह विशेष सिफारिश की थी कि ध्वनि प्रदूषण के लिए समुचित कानून बनाया जाना चाहिए, क्या उसकी ओर सरकार ध्यान दे रही है।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। इस बारे में हम व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने पर विचार कर रहे हैं।

दियासलाई कारखानों में बच्चों को काम पर लगाया जाना

*373. **श्री छीतूभाई गामित :**

श्री निरेन घोष : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दियासलाई कारखाने 5 वर्ष के बच्चों को काम पर लगाते हैं ;

(ख) क्या कुछ खानों में भी छोटे बच्चों को नौकरी पर रखा जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई कानून बनाने का है जिससे कारखाना अथवा खान मालिक ऐसे छोटे-छोटे बच्चों को नौकरी पर न रख सकें ?

श्रम मंत्री श्री टी० अंजय्या : (क) से (ग) बालक नियोजन अधिनियम, 1933 और कारखाना अधिनियम, 1943 में 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के नियोजन की अनुमति नहीं है। खान अधिनियम, 1952 में भूमिगत कार्य में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों और भूमि के ऊपर कार्य में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध की व्यवस्था है।

दियासलाई कारखानों में पांच वर्ष और उससे कम आयु के बच्चों के नियोजन का मामला अभी तक सरकार के ध्यान में नहीं आया है। श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षणों से पता चलता है कि खानों में किसी बच्चे को नौकरी पर नहीं रखा गया है। फिर भी अगर ऐसे मामले सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं, तो कानून के अंतर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री छीतूभाई गामित : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। आज भी हमारे देश में बहुत-सी फैक्ट्रीज़ और खानों में कम उम्र के लड़के मज़दूरी का काम कर रहे हैं। कई जगहों पर तो उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। आई० एल० ओ० ने तीन-चार महीने पहले उनके बारे में सर्वेक्षण किया था, उसकी रिपोर्ट भी आई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि हिन्दुस्तान में करीब 28 हज़ार कम उम्र वाले लड़के काम कर रहे हैं और मेघालय की कई खानों कम्पनियां, दियासलाई बनाने वाली कम्पनियों में कम उम्र वाले लड़के काम कर रहे हैं। चाइल्ड-लेबर-इन-इंडिया में भी यह बताया गया है, हिन्दुस्तान के करीब 11 हजार कम उम्र वाले लड़के काम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनकी इस रिपोर्ट के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। पिछले पांच साल में कम उम्र वाले लड़कों से काम कराने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री टी० अंजय्या : अध्यक्ष जी, मैंने यह नहीं कहा है कि पांच साल के ऊपर उम्र वाले जो बच्चे हैं, वे काम नहीं कर रहे हैं। मैंने यह कहा है कि यह तमाम हमारी रिपोर्टस में

हैं, मैं जानता हूं। स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने इस के बारे में लिखा है। इस सम्बन्ध में एक कमेटी भी बनाई गई है, इसकी रिपोर्ट भी आई है। इस रिपोर्ट पर हम एक्शन लेने के लिए भी तैयार है और बहुत जल्दी ही स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री छोटूभाई गामित : माननीय अध्यक्ष जी, हाल ही में गुजरात में कई होटलों में कम उम्र वाले लड़कों के बारे में सर्वेक्षण किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उन लड़कों में से ज्यादातर गरीब और 70 परसेंट ऐसे लड़के हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिताते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जो गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले जो कुटुम्ब हैं, उनके रोजगार के लिए क्या कोई प्रबंध किया गया है और इन कुटुम्ब के लड़कों को जो मजदूरी करनी पड़ती है, जिससे वे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कुटुम्ब के लड़कों के लिए क्या कोई शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किया जायेगा ?

श्री टी० अंजय्या : अध्यक्ष महोदय, यह कठिन मसला है, इसको हल करना मुश्किल है, क्योंकि चिल्ड्रन्स काम कर रहे हैं, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में भी लोग काम कर रहे हैं और जहां तक मैं समझता हूं कि इसके बारे में कई दिशाओं में आगे काम करना होगा। (व्यवधान)·····आपके जमाने में तो कुछ नहीं हुआ·····(व्यवधान)····· यह सब आप ही के जमाने का है·····(व्यवधान)·····मैं यह जानता हूँ आपने तीन साल तक क्या किया, इस झगड़े में मैं पड़ना नहीं चाहता हूं ·····(व्यवधान)·····आपके बंगाल में क्या काम हुआ, यह भी मैं जानता हूँ·····(व्यवधान)·····

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बात चीत न करें। मंत्री महोदय, आपको इस तरह उत्तर नहीं देना चाहिए। आपको, अध्यक्ष को संबोधित करना चाहिये। आप केवल सभी उत्तर दें जब वे सवाल करें·····कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री टी० अंजय्या : अध्यक्ष जी, पिछले तीन साल की जो रिपोर्ट हमें जनवरी में मिली है, उसके मुताबिक न कोई एक्शन लिया गया है, न उस पर कोई तवज्जह दी गई है। उसमें एजुकेशन फैसिलिटीज के बारे में, उनकी वेजेज के बारे में, न्यूट्रीशन-फूड के बारे मे रिकमेंडेशन्स हुई हैं, इन रिकमेंडेशन्स पर स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके, यदि इसके लॉ में कोई अमेंडमेंड करने की जरूरत पड़ी, वह करके, इसको इम्पलीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे।

·····(व्यवधान)·····

अध्यक्ष महोदय : श्री निरेन घोष।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें। श्री निरेन घोष खड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री निरेन घोष : महोदय, हम जानते हैं कि कुछ मजदूर संघ नेता नियोक्ता—उन्मुख हैं। मैं नहीं जानता कि श्री अंजय्या भी ऐसे ही नेता हैं या नहीं। वह उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? क्या उनके लिए ऐसा करना उचित था ? बाल-श्रमिकों के बारे में विश्व-श्रम संगठन ने कुछ

आंकड़े दिये हैं। उनके पास क्या सूचना है? वह चाहें तो इसका समर्थन कर सकते हैं अथवा विरोध कर सकते हैं। कितने राज्यों में बाल-श्रमिक कार्य कर रहे हैं। 5 महीने पहले सत्ता में आने से लेकर अब तक क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है? क्या वह कोई उपाय करेंगे। जब 70 प्रतिशत लोग गरीबी की सीमारेखा से नीचे होंगे, तो वे अपने बच्चों को उन लोगों के पास बन्धक रख सकते हैं। अतः उन्होंने कितने मामलों की जांच की, क्या किसी को जेल भेजा गया? इस बुराई को सदा-सदा के लिए समाप्त करने के लिये वह क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री टी० अंजय्या : मैं अब अगर कुछ कहूंगा तो अपोज़ीशन लीडर्स को गुस्सा आयेगा। इन लोगों ने जो एक्शन्ज़ लिए हैं या प्रासीक्यूशंज़ किये हैं, हमें मालूम है। एक दो स्टेट को छोड़ कर किसी स्टेट में कुछ नहीं हुआ है। मद्रास में कुछ काम हुआ है, वहां कुछ एक्शंज़ लिए गए हैं। मगर जैसा आई० एल० ओ० की रिपोर्ट के बारे में कहा गया है, वह आ गई है। जनवरी में हमारे आफीसर्स की जो कमेटी बनी थी उस की रिपोर्ट भी आ गई है और उस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसका इंम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स को करना है, हम सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ से एक सेल बना कर इस को इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। इस बारे में हम जरूरी स्टेप्स उठा रहे हैं।

श्री निरेन घोष : वह आश्वासन दे रहा है। उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। महोदय, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने इस का उत्तर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा कि यह राज्यों का मामला है। वे राज्यों से पूछ रहे हैं।

श्री निरेन घोष : यह समवती सूची में है।

श्री राम विलास पासवान : आप लाख कानून बना लेंगे, लेकिन जब तक जो बेसहारा लड़के हैं, जिनके मां-बाप को भी रोजगार नहीं मिलता है, उस के बेटे को कहां से रोज़गार मिल मिल जायेगा। ऐसी हालत में 5-10 साल के बच्चों को नौकरी करने से, फैक्ट्री में जाने से आप रोक नहीं सकते हैं। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि जो लड़के बेसहारा हैं, भीख मांगते हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, क्या केन्द्रीय सरकार उन के लिए कोई योजना बनायेगी? चाहे एक बार में यह काम न हो, फेस-वाइज़ हो, इस साल में हम इतने लड़कों को पढ़ायेंगे, उनको अच्छा नागरिक बनायेंगे—इस तरह की कोई योजना क्या सरकार के पास है?

श्री टी० अंजय्या : इस प्रश्न का फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले, माइन्ज़ में काम करने वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए जो प्रश्न आपने पूछा है, उसके लिए नोटिस देंगे, तो जवाब दूंगा।

श्री मलिक एम०एम० ए० खां : मंत्री महोदय ने कहा है कि जो मैन क्वेश्चन है उस से इस सवाल का ताल्लुक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जो बच्चे पांच साल से ऊपर की उम्र के हैं, अपने मां-बाप की गरीबी की वजह से गुज़र के लिए मिलों में या खेतों में या दूसरे तरीके से मेहनत मज़दूरी करते हैं, उनके बारे में कोई कानून पाबंदी लगाने के बजाय क्या गवर्नमेंट कोई

ऐसा इंतजाम करेगी जिससे कि उन्हें अपनी उम्र के ज्यादा काम न करना पड़े और उनका कोई दूसरा इंतजाम भी हो सके ?

श्री टी० अंजय्या : यह सजेशन है । इसके बारे में सोचा जायेगा ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं जानना चाहता हूं कि 1977 के पहले कितनी चाइल्ड लेबर थी और 1977 के बाद कितनी चाइल्ड लेबर बढ़ी ?

श्री टी० अंजय्या : यह मसला बड़ा कठिन मसला है । यह जो फैक्ट्री में चेकिंग करने के लिए जाते हैं तो ऐसा होता है कि बच्चे जो एम्प्लाइड होते हैं उनको छिपा दिया जाता है । यह मसला एक गरीबी का मसला है और इस मसले को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे । सिर्फ कानूनी एक्शन लेने से यह हल नहीं होगा बल्कि और दूसरे स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं आया ।

श्री एन के० शेजवलकर : अध्यक्ष महोदय आप सभा में व्यवस्था करें । पिछले तीन प्रश्नों का कोई संगत उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरी सभा की ओर ध्यान दे रहा हूं.....

श्री दिग्विजय सिंह : गुजरात राज्य में लगभग 15,000 बच्चे हीरों पर पालिस करते हैं । 15 वर्ष की आयु तक पहुंचते-पहुंचते वे अन्धे हो जाते हैं । क्या सरकार को इसकी जानकारी है और उसके विरुद्ध क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्री टी० अंजय्या : मैंने कहा कि यह स्टेट गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन करने का मसला है । मैंने यह नहीं कहा कि इसमें एक्सप्लाइटेशन नहीं है, इसमें एक्सप्लाइटेशन है । इसमें जितना एक्शन लिया जाना चाहिए वह हम लेंगे । जो रिपोर्ट आयी है उसकी स्टडी करके ही एक्शन लिया जा सकता है ।

करीमगंज तक नदी मार्ग सेवा के लिए बंगलादेश के साथ समझौता

*374. श्री संतोष मोहन देव : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करीमगंज (बंगलादेश) तक सीधी नदी मार्ग सेवा के लिए बंगला देश सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे पुनः कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) भारत और बंगलादेश की सरकारों द्वारा नवम्बर, 1972 में किए गए इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड करार के अधीन कलकत्ता—करीमगंज-कलकत्ता रास्ते पर नदी सेवाएं पहले से ही चल रही हैं ।

(ख) कलकत्ता-करीमगंज नदी सेवा 19-5-75 से फिर से शुरू की गई। यह सेवा वर्ष में लगभग पांच महीने चलती है जब निगम के मौजूदा जलयानों को इस रास्ते पर लाभकारी रीति से चलाने के लिए पानी पर्याप्त रूप से गहरा रहता है।

श्री संतोष मोहन देव : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने यह बताया कि बंगलादेश के साथ 1972 में समझौता किया गया था। 1972 से लेकर अब तक कलकत्ता से करीमगंज तक कितनी बार नदी मार्ग सेवा चलायी गयी है ? आसाम की वर्तमान स्थिति के कारण कछार, मिजोरम और त्रिपुरा की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि वहां आवश्यक वस्तुएं सारे देश से बहुत अधिक महंगे दामों पर मिलती हैं। इस सेवा को नियमित रूप से चलाने के लिए उनके मंत्रालय के सामने क्या प्रस्ताव हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि यह सेवा अब फिर शुरू की गयी है ; और मेरा विश्वास है कि यह सेवा नियमित सेवा होगी। लेकिन कठिनाई यह है कि बंगलादेश वाले हिस्से में पानी इतना गहरा नहीं है कि यह सेवा नियमित रूप से बनायी रखी जा सके। हम बंगलादेश सरकार के साथ एक बैठक करेंगे। भारत सरकार और बंगलादेश की एक स्थायी समिति है। उस बैठक में हम यह सवाल उठायेंगे कि इसमें वह कैसे सुधार करेंगे ताकि सेवा नियमित रूप से चलायी जा सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली के अस्पतालों में रोगियों के प्रति सुधार

*369. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली के सरकारी डाक्टरों को अपने कार्य में रोगियों के प्रति अधिक सहृदयी और उत्तरदायी होने की अनिवार्य आवश्यकता से अवगत है ;

(ख) दिल्ली के अस्पतालों में सरकार का किन अन्य बातों में तत्काल सुधार करने का विचार है ; और

(ग) अब तक क्या दोष निवारक उपाय किए गए हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकारी अस्पतालों के डाक्टर अपने कर्तव्य तथा उनसे उपचार करा रहे रोगियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व के बारे में पूर्ण रूप से जागरूक है। समय-समय पर अस्पताल के डाक्टरों सहित सभी कर्मचारियों को ये अनुदेश दिए जाते रहते हैं कि वे रोगियों तथा उनके साथ आए व्यक्तियों के प्रति नम्रतापूर्वक व्यवहार करें। सुपरवाइजरी अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण और जांच की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है उन सरकारी डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है जो अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाह पाये जाते हैं।

माल डिब्बों की कमी का लोह अयस्क के निर्यात पर बुरा प्रभाव

*375. श्री आनन्द पाठक :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि माल डिब्बों की कमी का जापान को लोह अयस्क के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जापान को निर्यात करने के लिए लोह अयस्क की ढुलाई के लिए माल-डिब्बों की कोई कमी नहीं थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खाली पड़े रैक का बर्दवान से आसनसोल तक '313-अप' के रूप में उपयोग

*376. श्री दीनेन भट्टाचार्य :

श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वी रेलवे ने खाली पड़े रैक का 313-अप के रूप में जिसका बर्दवान स्टेशन से 10.00 बजे सुबह चल कर 12.30 बजे दोपहर आसनसोल पहुंचने का समय है, उपयोग करने की इच्छा व्यक्त की थी,

(ख) यदि हां, तो पूर्व रेलवे ऐसा क्यों नहीं कर रही है, और

(ग) सरकार ने सामान्य शिफ्ट के कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : क्षेत्रीय रेल समय सारणी समिति के दो सदस्यों की मांग पर 313 अप बर्दवान-आसनसोल सवारी गाड़ी को बर्दवान से वर्तमान निर्धारित समय 10.10 बजे की बजाय 5.50 बजे चलाने के बारे में जांच की गयी थी । लेकिन परिचालनिक कठिनाई के कारण इस प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया जा सका ।

313 अप बर्दवान-आसनसोल सवारी गाड़ी के समय में परिवर्तन करने के लिए इस प्रकार का कोई वायदा नहीं दिया गया था ।

दुर्गापुर में सामान्य पारी आमतौर पर 7.00 बजे शुरू होती है और 16.00 बजे समाप्त होती है । इस पारी के कर्मचारी 6.39 बजे दुर्गापुर पहुंचने के लिए बर्दवान से आसानी से 339 अप बर्दवान-रांची/हटिया सवारी गाड़ी पकड़ सकते हैं और वहां से 314 डाउन आसनसोल-बर्दवान सवारी गाड़ी को पकड़ सकते हैं, जो दुर्गापुर से बर्दवान के लिए 16.51 बजे छुटती है । ये गाड़ियां सामान्य पारी के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर देती हैं । 313 अप सवारी गाड़ी की वर्तमान समय अनुसूची में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के विरोध में यात्रियों से अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए है ।

भारतीय रेलवे पर सामाजिक भार

*377. श्री नारायण चन्द पराशर । क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह बतायेगी कि भारतीय रेलों पर वित्तीय रूप से कितना सामाजिक भार है,

(ख) क्या ये भार सामान्य राजस्व को लाभांश की अदायगी से मुक्त हैं,

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) विदेशों में क्या व्यवस्था है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां, "सामाजिक दायित्वों" का कितना प्रभाव पड़ता है, इसका वित्तीय दृष्टि से निर्धारण पहले से किया जा रहा है और बजट प्रलेखों के साथ हर वर्ष परिपत्रित किये जाने वाले रेलवे बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन में इसका उल्लेख किया जाता है ।

(ख) सामाजिक दायित्वों के कारण होने वाली हानि के लेखे में सामान्य राजकोष को रेलों की लाभांश संबंधी दायिता में कोई विशेष छूट नहीं दी जा रही है । केवल अलाभप्रद शाखा लाइनों के पूंजी निवेश को तब तक सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान से मुक्त रखा जाता है, जब तक वे लाभप्रद नहीं हो जातीं ।

(ग) सामाजिक दायित्व की समस्या तब से पैदा हुई है जब से भारतीय रेलों में समूची रेल व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण हुआ है और रेल प्रणाली का स्वामित्व और प्रबंध सरकार को सौंपा गया है । इसके बावजूद 1965-66 तक रेलों में इस दायित्व को वहन करने की काफी क्षमता थी क्योंकि इसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम थी लेकिन कर्मचारियों और सामान की लागत बढ़ते जाने से सामाजिक दायित्व का मामला महत्वपूर्ण होता जा रहा है ।

सामाजिक दायित्वों को दो वर्गों में रखा गया है :–

(क) वह माल यातायात जिसे उन दरों पर दिया जाता है जिनसे लागत भी नहीं निकलती ।

कम दर वाली वस्तुओं से हानि सामान्यतया आम खपत वाली इन वस्तुओं की ढुलाई के कारण होती है जिनकी एक आम आदमी को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए आवश्यकता होती है और साथ ही जो वस्तुएं अधिक जगह घेरती हैं, जैसे चारा आदि । लेकिन जिनकी लदान क्षमता कम होती है ।

(ख) उपनगरीय यात्री यातायात में कोचिंग सेवाएं हानि उठा रही है जिन्हें दीर्घकालीन परम्परा के अनुसार रियायती दरों की अनुमति दी गयी है । साथ ही, अनुपनगरीय यातायात के लिए दी गयी अन्य रियायतों के कारण भी हानि होती है । 50 कि० मी० तक के कम दूरी वाले यातायात के लिए भी वर-सूची कृत्रिम रूप से कम है । इन सबकी वजह से यात्री सेवाओं को काफी हानि उठानी पड़ी है । उपर्युक्त दो

वर्गों के अंतर्गत सूचीबद्ध हानियों में शाखा लाइनों का अलाभप्रद परिचालन भी शामिल है।

सामाजिक दायित्वों के कारण रेलों को अपेक्षित राहत देने के प्रश्न पर विभिन्न समितियों ने विचार किया है जिन्होंने रेलों के वित्तीय संचालन की समीक्षा की है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) रेलवे अभिसमय समिति (1973) जिसने सिद्धांत रूप में यह स्वीकार किया था कि रेलों की वित्तीय स्थिति में लगातार गिरावट को देखते हुए उपनगरीय सेवाओं में हानि को सहन करना उनके लिए अब सम्भव नहीं रह गया है और इस प्रश्न का उच्च स्तरीय समिति द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए।

(2) परिवहन नीति और समन्वय समिति (1976) ने भी उन खंडों पर माल के परिवहन के लिए वैकल्पिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की ओर संकेत किया था जहां रेलें लागत से कम दर पर यातायात की ढुलाई करती हैं। जो वर्तमान शाखा लाइनें अलाभप्रद साबित हो रही हैं, उन्हें बन्द कर दिया जाना चाहिए।

(3) प्राक्कलन समिति (1967-68) और लोक लेखा समिति (1968-69) भी सिद्धांत रूप में इस बात से सहमत थीं कि रेलों से इस दायित्व को वहन करने के लिए न कहा जाये।

हाल ही में, सामाजिक दायित्वों पर उच्च स्तरीय समिति (1979) ने इस प्रश्न की गहराई से जांच की है और उसने निम्न दर वाले यातायात (माल) पर होने वाली हानि से रेलों को बचाने और उपनगरीय यातायात के लिए सीजन टिकटों के किराये में संशोधन करने के अनेक सुझाव दिये हैं। उसकी सिफारिशें रेल दर सूची जांच समिति को भेजी गयी थीं जिसने उन पर विचार किया है और अपनी रिपोर्ट में उपयुक्त सिफारिशें की हैं। रेल मंत्रालय में इन पर विचार किया जा रहा है।

बुनियादी लागत को पूरा करने के उद्देश्य से दर सूची को धीरे-धीरे पुनः समायोजित करने के विचार से अलाभप्रद शाखा लाइनों के कार्य-संचालन और अलाभप्रद यात्री और माल यातायात के संचलन की समीक्षा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) सामाजिक दायित्वों को वहन करने की विशिष्टता केवल भारतीय रेलों पर ही नहीं है। वास्तव में यह समूचे विश्व की रेल प्रणालियों की सुस्थापित विशिष्टता है। अधिकांश देशों में, रेलों को अब उनके लोक सेवा दायित्वों जैसे अलाभप्रद सेवाओं का परिचालन, मूल्य नियंत्रण आदेशों का अनुपालन और कतिपय यातायात को रियायती दरों पर ढुलाई आदि से होने वाली हानि, के लिए रेलों की क्षतिपूर्ति की जाती है। इस संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भिन्न-भिन्न देशों में अलग-अलग है परन्तु दी जाने वाली राहत मुख्यतः निम्नलिखित रूप में है :-

(क) घाटे को पूर्णतया पूरा करने के लिए अनुदान, (ख) संचित दायित्वों को पूरा करने के लिए आसान ऋण, और (ग) संचित ऋणों तथा अनुत्पादक पूंजी को बट्टेखाते डालने या घटा देने की सुविधा।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्रोहियों को हथियारों की सप्लाई

* 378. श्री के० पी० सिंह देव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जून, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्रोहियों को सप्लाई किए जाने के लिए चटगांव पत्तन के रास्ते से विदेशी हथियारों का आयात किया जा रहा है; और

(ख) क्या बंगला देश की सरकार को इस क्षेत्र के शस्त्रधारी, क्रांतिकारियों की सहायता करने से बाज आने के लिए कहा गया है। यदि हां, तो इस संबंध में इसकी प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां। लेकिन इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं की गई है और बंगला देश सरकार ने भी इनका खंडन किया है।

राशि लौटाने के अनिर्णीत मामले

* 379. कुमारी कमला कुमारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मुख्य वाणिज्यिक सुपरिंटेंडेंड उत्तर रेलवे के कार्यालय में प्रथम श्रेणी के बारे में राशि लौटाने के हजारों मामले अनिर्णीत पड़े हैं और उन मामलों को निपटाने के लिए अधिकारी परवाह नहीं करते;

(ख) यदि हां, तो अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) प्रथम श्रेणी के यात्रियों के राशि लौटाने के मामलों के पृथक रूप से आंकड़े तैयार करके नहीं रखे जाते हैं। यद्यपि 30-6-1980 को राशि लौटाने के 7,990 पुराने मामले अनिर्णीत पड़े थे, इस का कारण यह था कि 1-4-1979 से उत्तरी रेलवे के दिल्ली-तुगलकाबाद सैक्शन से संबंधित कार्य के हस्तांतरित किये जाने के पश्चात दावों में अत्यधिक वृद्धि हो गयी थी।

(ग) (एक) राशि लौटाने के दावों की क्रिया एवं इसकी जांच पड़ताल की सामान्य प्रक्रिया को सरल एवं उदार कर दिया गया है ताकि अनिर्णीत मामलों को निपटाया जा सके।

(दो) राशि लौटाने के अनिर्णीत मामलों को निपटाने के लिए उत्तरी रेल प्रशासन द्वारा राशि लौटाने वाले लिपिकों के अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं।

(तीन) वर्तमान कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन का आश्वासन देकर सामान्य कार्य घंटों के बाद अतिरिक्त कार्य करने के लिये राजी कर लिया गया है।

बम्बई में इजरायल का वाणिज्य दूतावास

*380. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामी देशों के सम्मेलन के नई दिल्ली स्थित मिशनों के अध्यक्षों ने

12 नवम्बर; 1979 को अथवा उसके बाद भारत सरकार से अनुरोध किया था कि वह बम्बई स्थित इजराइल के वाणिज्य दूतावास को बन्द करने का आदेश करें; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त वाणिज्यदूतावास को बन्द करने की मांग की है अथवा उसका ऐसी मांग करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) बम्बई स्थित इजरायली कौंसलावास 1951 से ही भारत में काम कर रहा है। इजरायली कौंसलावास को बन्द करने के इस्लामी सम्मेलन के मिशन-अध्यक्षों के अनुरोध पर गौर किया गया है।

गंगा नदी पर पुल

* 381. प्रो० सत्यदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी तथा दक्षिणी बिहार के बीच रेल सम्पर्क की व्यवस्था करने हेतु डीघा और सोनपुर के बीच गंगा नदी पर पुल बनाने तथा रेल की पटरी बिछाने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार का इस लाइन को कब तक चालू करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) डीघा के निकट गंगा नदी पर पुल के निर्माण से संबंधित तकनीकी पहलुओं के बारे में इस समय केन्द्रीय जल एवं बिजली अनुसंधान स्टेशन, पुणे अध्ययन कर रहा है। मामले पर आगे कार्रवाही केवल तब ही की जायेगी जब अध्ययन कार्य पूरा हो जायेगा और संसाधन उपलब्ध होंगे।

छोटी माता से पीड़ित व्यक्ति

* 382. श्री रामलाल राही : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में आजकल भी चेचक के बजाय असंख्य लोग छोटी माता से पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) छोटी माता और चेचक दो अलग-अलग बीमारियां हैं और इनका आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। चेचक का उन्मूलन हो चुका है। छोटी माता की बीमारी देश भर में होती है।

(ख) इस समय छोटी माता पर काबू पाने का कोई कारगर उपाय ज्ञात नहीं है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों के किराये में वृद्धि का प्रस्ताव

* 383. श्री पी० के० कोडियन :

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल और डीजल के मूल्य में हाल में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दिल्ली

परिवहन निगम बस-किरायों में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और
(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) राजधानी में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा सरकार के अनुमोदन से बसों का किराया तय किया जाता व उसमें संशोधन किया जाता है। सरकार को दिल्ली परिवहन निगम से बसों के किराये में संशोधन करने के बारे में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन बसों के परिचालन में खर्च में वृद्धि को पूरा करने के लिये बसों के किराये में संशोधन करने का प्रस्ताव निगम के विचाराधीन है।

चीन-भारत सम्बन्ध

*384. श्री तारीक अनवर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार लाने के लिए अभी तक कब-कब और किस-किस स्तर पर बातचीत की गई है; और

(ख) उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) बेलग्रेड में 8 मई, 1980 को चीन के प्रधान मंत्री के साथ तथा सालिसबरी में 24 अप्रैल, 1980 को चीन के विदेश मंत्री के साथ प्रधान मंत्री के संक्षिप्त विचार-विमर्श के अतिरिक्त राजनैतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है। इसी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में विदेश मंत्रालय में सचिव श्री एरिक गोन्साल्वेज ने 20 जून से 24 जून, 1980 तक चीन की राजधानी पीकिंग की अपनी यात्रा के दौरान चीन के विदेश उप मंत्री श्री वान नियान लांग से बातचीत की। मैंने चीन के विदेश मंत्री को इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में भारत की यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया है जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) उपर्युक्त विचार-विमर्शों के दौरान दोनों पक्षों ने भारत-चीन सम्बन्धों को सुधारने के लिए कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। दोनों पक्षों ने यह विचार प्रकट किया कि समानता और सद्भाव के आधार पर दोनों देशों के बीच के अनिर्णीत मसलों को सुलझाया जा सकता है।

यात्रियों का कोचीन पत्तन होकर न जाना

2756. श्री के० ए० राजन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1976-77 से 1979-80 तक की अवधि में (1) कोचीन पत्तन पर उतरने वाले और (2) कोचीन पत्तन से जहाज में सवार होने वाले यात्रियों की संख्या क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में ऐसे कितने यात्रियों ने भारतीय जहाजों का इस्तेमाल किया;

(ग) क्या यह भी सच है कि सीमाशुल्क पदाधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने के कारण यात्रीगण कोचीन पत्तन जाना पसन्द नहीं करते हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि कोचीन से गोवा होकर बम्बई के लिए नियमित रूप से चलने वाले "साबरमती" और "सरस्वती" नामक दो यात्री जहाजों का चलाया जाना बन्द कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) कोचीन में यात्रियों का यातायात इस समय तटवर्ती क्षेत्र तक सीमित है। भारतीय यात्री पोत कोचीन और लक्षद्वीप के बीच चलते हैं। इन जहाजों पर वर्ष 1976-77 से 1979-80 की अवधि में कोचीन पत्तन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या
1976-77	6,735
1977-78	7,660
1978-79	7,929
1979-80	6,501

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) 'साबरमती' और 'सरस्वती' यात्री पोत थे और ये जहाज बम्बई स्टीम नेवीगेशन कंपनी लिमिटेड के थे जो सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी थी और जो बाद में उक्त कंपनी में मिल गई थी। ये जहाज बम्बई, गोआ और कोचीन के बीच यात्रियों को लाने ले जाने के लिए नियत किए गए थे। कोंकण तट पर और बंबई बंदरगाह में यात्री पोत चलाने में निरन्तर घाटा होने के कारण उक्त कंपनी ने 1967 से अपने उक्त जहाज चलाने बंद कर दिए थे।

एसोसिएशन आफ इंजीनियरिंग वर्कर्स, बम्बई से ज्ञापन

2757. श्री आर० के० महालगी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माननीय प्रधान मंत्री को प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई के बारे में एसोसिएशन आफ इंजीनियरिंग वर्कर्स, बम्बई से दिनांक 31 मार्च, 1980 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में की गई मांगें क्या हैं; और

(ग) इनमें से प्रत्येक मांग के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : जी, हां

(ख) एसोसिएशन आफ इंजीनियरिंग वर्कर्स ने प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड में औद्योगिक विवाद में प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप के लिए अनुरोध किया है। ज्ञापन में निर्दिष्ट मुख्य मांगें कम्पनी के कार्य संचालन की अदालती जांच के आदेश देने, बोर्ड और उच्च प्रबंधतंत्र दोनों

स्तर पर वर्तमान प्रबंधतंत्र ढांचे को पुनः नया करने, प्रशासक की नियुक्ति करने आदि के बारे में हैं।

(ग) ज्ञापन में दिए गए प्वाइंटों को उद्योग मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने, जो उस राज्य में औद्योगिक संबंधों के लिए समुचित सरकार है, 7 जून, 1980 को एक जांच न्यायालय नियुक्त किया है जो प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई के तीन कारखानों में औद्योगिक विवादों से संबंधित या संगत प्रतीत होने वाले मामलों की जांच करेगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

रंगभेद तथा तत्सम्बन्धी समस्या पर लेख-प्रतियोगिता

2758. **श्री मनफूलसिंह चौधरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कई संस्थानों ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रंगभेद विरोधी वर्ष 1978-79 के उपलक्ष में, गत वर्ष केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से लेख-प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था;

(ख) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने भी रंग-विरोधी वर्ष के संबंध में एक लेख-प्रतियोगिता आयोजित की थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त केन्द्र ने अभी तक उसके परिणाम घोषित नहीं किए हैं और प्रतियोगियों को पुरस्कार-विजेताओं, निर्णायकों के नाम नहीं बताये हैं, और न लेखों को प्राप्त होने की पुष्टि की है न ही उन युवा प्रतियोगियों के पत्रों के उत्तर दिये हैं जिन्होंने काफी परिश्रम और अध्ययन के बाद अपनी प्रविष्टियां भेजी थीं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत में 1978-79 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जातीय-पृथग्वासन-विरोधी वर्ष मनाने के सिलसिले में कई शैक्षिक संस्थानों में जातीय पृथग्वासन के बारे में निबन्ध प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी थीं। जातीय पृथग्वासन-विरोधी वर्ष के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के अभिकरण के रूप में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने जातीय पृथग्वासन-विरोधी वर्ष के विभिन्न क्रियाकलापों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता दी थी।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार महाविद्यालय निबन्ध प्रतियोगिता के अन्तर्गत कुल मिलाकर ग्यारह प्रविष्टियां और विद्यालय निबंध प्रतियोगिता के अन्तर्गत पांच प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। न्यायमूर्ति बी०पी० सिंह और रीडर डा०आर०पी०भटनागर इन प्रतियोगिताओं के निर्णायक थे। निम्नलिखित प्रतियोगियों को पुरस्कार के लिए सफल घोषित किया गया :—

1: श्री राकेश बसन्त (प्रथम) महाविद्यालय से

2. कुमारी अर्चना शर्मा (द्वितीय)

3. श्री मनोज कुमार (द्वितीय) विद्यालय से

(विद्यालय की प्रविष्टियों के अन्तर्गत किसी भी प्रतियोगी को प्रथम पुरस्कार के उपयुक्त नहीं समझा गया) ।

विजेताओं के प्रतियोगिता के परिणाम की सूचना भेज दी गयी थी और राजस्थान विश्व-विद्यालय द्वारा आयोजित जातीय-पृथग्वासन-विरोधी संगोष्ठी के समापन समारोह पर उन्हें आमंत्रित भी किया गया था ।

रेवाड़ी के निकट हुई दुर्घटना

2759. श्री भगवान देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेवाड़ी के निकट 23 नवम्बर, 1977 को हुई रेल दुर्घटना के कारणों की जांच कर ली गई है जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ श्री प्रकाशवीर शास्त्री, संसद सदस्य, की भी असामयिक मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वह गाड़ी दुर्घटना षडयंत्र, तोड़-फोड़ अथवा लापरवाही के परिणामस्वरूप हुई थी;

(ग) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जो इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी थे।

(घ) क्या उन लोगों के परिवारों को अथवा उन लोगों को कोई मुआवजा दिया गया है जो इस दुर्घटना में मर गये थे अथवा घायल हो गये थे; और

(ङ) यदि हां, तो स्वर्गीय श्री प्रकाशवीर शास्त्री के परिवार को कितना मुआवजा दिया गया ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस दुर्घटना की जांच रेल संरक्षा आयुक्त, बम्बई द्वारा की गयी थी जो पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक स्वतंत्र प्राधिकारी हैं । उनके निष्कर्षों के अनुसार, दुर्घटना अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रेल-पथ के साथ अनधिकृत रूप से छेड़-छाड़ के कारण हुई थी । पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल की गयी थी परंतु संबंधित अपराधियों/व्यक्तियों का पता नहीं लगाया जा सका । परिणामस्वरूप, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी ।

(घ) इस दुर्घटना में मरे 20 व्यक्तियों के निकट संबंधियों को मुआवजे के रूप में 10,00,000 (दस लाख) रुपये का भुगतान किया गया था । इस दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त जिन 17 व्यक्तियों को चोटें आयीं थीं उन्हें 1,11,750.50 रुपये का भुगतान किया गया और जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति और सामान की क्षति हुई थी, उन्हें 1,350 रुपये का भुगतान किया गया था ।

(ङ) इस दुर्घटना में मृत स्व० श्री प्रकाशवीर शास्त्री के निकट संबंधी को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान किया गया था ।

पटना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

2760. श्री रामावतार शास्त्री : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विभिन्न औषधालयों में कार्ड-धारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या किसी विशेष औषधालय में चिकित्सा हेतु न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या में कोई कार्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या औषधालयों की संख्या आवश्यकता की तुलना में बहुत कम हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार औषधालयों की संख्या बढ़ाने का है और कब से ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पटना के अन्तर्गत चार औषधालय हैं । प्रत्येक औषधालय में कार्ड-धारियों की संख्या इस प्रकार है :—

बुद्ध मार्ग औषधालय	4156
कंकर बाग औषधालय	2930
राजेन्द्र नगर औषधालय	1776
ज्ञानगंज औषधालय	707
योग	9569

(ख) तीन किलोमीटर के घेरे के अन्दर कम-से-कम 2000 से तीन हजार कार्ड-धारियों के लिए एक औषधालय खोला जाता है । यदि किसी औषधालय में लाभार्थियों की संख्या बढ़ जाती है तो कर्मचारी निरीक्षण एकक के मानदण्डों के अनुसार कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी जाती है अथवा उसके दो औषधालय बना दिए जाते हैं ।

(ग) और (घ) 1980-81 के वित्तीय वर्ष के दौरान एक और एलोपैथिक औषधालय खोलने का विचार है ।

परादीप पत्तन को विकसित करने के प्रस्ताव

2761. श्री लक्ष्मण मल्लिक : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को परादीप पत्तन न्यास से परादीप पत्तन के विकास हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और प्रत्येक प्रस्ताव पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

जोवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) :. (क) जी, हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में परादीप पत्तन के लिए 48.24 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया जा रहा है। प्रस्तावित खास-खास स्कीमें इस प्रकार है :-

तीसरी जनरल कारगो बर्थ, कच्ची धातु चढ़ाने-उतारने के संयंत्र में अदल-बदल और सुधार, बकेट व्हील रिक्लेमर का बदला जाना, एक शिपिंग टग, माल चढ़ाने उतारने वाले उपकरण और लोको मोटिवों में वृद्धि, एक अतिरिक्त माल गोदाम का निर्माण आदि।

(ग) योजना आयोग द्वारा पत्तनों के संबंध में गठित कार्यदल द्वारा इस स्कीम की जांच की जा रही है। जब योजना आयोग द्वारा छठी योजना अन्तिम रूप से तैयार कर दी जायेगी तब आगे की कारंवाई की जायगी।

कोरापुट-पार्वतीपुरम रेल लाइन

2762. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट से पार्वतीयपुरम रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्यक्रम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उस रेल लाइन का निर्माण करने हेतु पूंजी लगाने का निर्णय कब लिया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी नहीं। सर्वेक्षण का काम अभी चल रहा है और मैसर्स रेल इंडिया टेकनीकल एंड इकानामिक सिविसेज द्वारा किया जा रहा है। सर्वेक्षण के सितम्बर, 1980 तक पूरा होने की आशा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वित्तीय सक्षमता, निधि की उपलब्धता और योजना आयोग द्वारा स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए इस बारे में कोई निर्णय लिया जायेगा।

आसनसोल में यात्रा यार्ड का विस्तार

2763. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसनसोल और दुर्गापुर में यात्री और कोचिंग यार्डों का विस्तार करने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : आसनसोल और दुर्गापुर यार्ड में कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण के काम को 1980-81 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

कार्डियोलाजी-विशेषज्ञों की भर्ती

2764. **श्री डी० एस० बैठा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने 1978 में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न रेल-प्रशासनों के लिए दस कार्डियोलाजी विशेषज्ञ भर्ती करने के लिए विज्ञापन दिया था,

(ख) यदि हां, तो इन विशेषज्ञों के किन-किन स्थानों के लिए भर्ती किए जाने का प्रस्ताव था और क्या उन्हें विज्ञापनानुसार कार्डियोलाजी-विशेषज्ञ के पदों पर तैनात किया गया था,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ विशेषज्ञों को 'रिलीविंग फीजिशयन' की हैसियत में रखा गया था, जिसके विरोध में इन विशेषज्ञों ने अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया था और साथ ही अनुरोध किया था कि उन्हें उनकी विशेषज्ञता के अनुसार ही पद दिये जायें,

(ङ) यदि हां, तो क्या रेलवे प्रशासन का विचार उन्हें उनकी विशेषता के अनुसार पदासीन करने का है, और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गये मांग-पत्र में कार्डियोलाजी में विशेषज्ञता सहित 10 पद सम्मिलित थे और इनमें से एक-एक पद मूलतः मध्य, पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमा, दक्षिण, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व और पश्चिम रेलवे तथा चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के लिए था। संघ लोक सेवा आयोग ने केवल 4 कार्डियोलाजी विशेषज्ञों का अनुमोदन किया था जिन्हें पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर तथा दक्षिण पूर्व रेलों पर नियुक्त कर दिया गया था जहां इन कार्डियोलाजी विशेषज्ञों की आवश्यकता थी।

(घ) से (च) रेलवे चिकित्सा सेवा में विशेषज्ञों का अलग संवर्ग नहीं है और जहां तक सम्भव होता है और प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक होता है, डाक्टरों की विशेषज्ञ सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इसलिए रेलों पर कार्यरत डाक्टरों को उनकी विशेषज्ञता का ध्यान रखे बिना यथा आवश्यकता उनके विशेषज्ञया के क्षेत्र के साथ साथ सामान्य ड्यूटियों पर तैनात किया जाता है।

डीजल के मूल्यों में वृद्धि का रेलवे पर प्रभाव

2765. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 7 जून, 1980 को डीजल के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा के परिणामस्वरूप रेलवे पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा,

(ख) क्या दो समितियों ने अर्थात् रेलवे यातायात संबंधी प्रांजपे समिति और राष्ट्रीय परिवहन नीति संबंधी पोंडे समिति ने सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं,

(ग) यदि हां, तो दोनों में से प्रत्येक समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं, और

(घ) दोनों समितियों की कौन-कौन सी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार की है तथा कौन-कौन सी स्वीकार नहीं की गई तथा इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 7 जून, 1980 को हाई स्पीड डीजल आयल की कीमतों में वृद्धि की घोषणा के परिणामस्वरूप रेलों को प्रतिवर्ष लगभग 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा।

(ख) से (घ) जी हां। रेल दर सूची पर परांजपे समिति की रिपोर्ट की जांच रेल मंत्रालय में की जा रही है। तथापि, राष्ट्रीय परिवहन नीति पर पांडे समिति की रिपोर्ट पर योजना मंत्रालय में कार्रवाई की जा रही है।

कुछ स्टेशनों पर निरन्तर कार्य कर रहे गुड्स क्लर्कों तथा आरक्षण क्लर्कों का काम करने का ढंग

2766. श्री रामविलास पासवान : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवेज में गत तीन वर्ष से अधिक समय से उसी अथवा निकटवर्ती स्टेशन पर कार्य कर रहे गुड्स क्लर्कों, आरक्षण क्लर्कों तथा स्टेशन क्लर्कों की जोन-वार तथा वर्ष-वार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार यह महसूस करती है कि भ्रष्टाचार रोकने के प्रयोजन से आम लोगों से तथा विशेषतया व्यापारियों से संबंधित काम करने वाले अपने कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के बाद स्थानान्तरित कर देना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों को स्थानांतरित करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जनता के सम्पर्क में आने वाले रेल कर्मचारी जैसे मासबाबू, स्टेशन मास्टर, वाणिज्य क्लर्क आदि जो पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से विशेष स्टेशन पर काम कर रहे थे, उनके आवधिक स्थानान्तरण की योजना, जो पहले रेलों पर चालू थी, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप 1972 में समाप्त कर दी गयी। लेकिन इस प्रकार के अनुदेश मौजूद है कि जिन कर्मचारियों की निष्ठा के बारे में जब कोई शिकायत मिलती है तो उन्हें छोटे-छोटे मामूली स्टेशनों पर महत्वहीन सीटों अथवा पदों पर स्थानान्तरित कर दिया जाय। ऐसे भी अनुदेश हैं कि ऐसे कर्मचारियों के बारे में रेल प्रशासन के रिकार्ड में दर्ज शिकायतों अथवा सामान्य ख्याति के आधार पर सहायक स्टेशन मास्टरों, वाणिज्यिक कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों का, चयनात्मक तौर पर, आवधिक स्थानान्तरण कर दिया जाय। इस प्रकार भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के सम्बन्ध में पहले से ही पर्याप्त आदेश मौजूद हैं।

चूंकि आवधिक स्थानान्तरण की योजना वापस ले ली गयी है, इसलिए भारतीय रेलों के अनेक स्टेशनों/कार्यालयों में ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं जो एक ही स्टेशन/निकटस्थ स्टेशन पर 3 साल से अधिक समय से काम कर रहे हों लेकिन प्रश्न के भाग (क) में मांगी गयी सूचना को सभी रेलों के सभी स्टेशनों/खंडों से एकत्रित करने में जो श्रम लगेगा वह उस लाभ से अधिक होगा जो इस प्रकार की सूचना से प्राप्त हो सकता है।

कर्नाटक के लिये रेल सेवा आयोग

2767. श्री जनार्दन पुजारी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के लिये रेल सेवा आयोग गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है ।

जम्मू-तवी मेल को भोपाल के रास्ते इन्दौर तक चलाना

2768. श्री माधव राव सिंधिया : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोग काफी समय से यह अभ्यावेदन करते रहे हैं कि जम्मू-तवी मेल को भोपाल के रास्ते इन्दौर तक चलाया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय यातायात औचित्य का अभाव होने के अलावा परिचालनिक दृष्टि से भी जम्मू तवी मेल को इन्दौर के रास्ते भोपाल तक बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में सेवा में अधिक्रमण

2769. श्री चन्द्र पाल शैलानी : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कुछ जूनियर डाक्टरों को पदोन्नत किया गया है और उनको अन्य अनेक वरिष्ठ डाक्टरों का अधिक्रमण करके केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में कार्यप्रभारी अधिकारी बना दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार कितने डाक्टरों को पदोन्नत किया गया है और कितने वरिष्ट डाक्टरों का अधिक्रमण किया गया है ;

(ग) क्या कुछ प्रभावित वरिष्ठ डाक्टरों ने इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों को अपने अभ्यावेदन भेजे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति सामान्यतः वरिष्ठता के आधार पर की जाती है । तथापि, कुछ मामलों में जहां वरिष्ठ महिला चिकित्सा अधिकारियों ने कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर काम करने में अपनी अनिच्छा प्रकट की है वहां इस पद पर उनसे कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति कर दी गई है । ऐसी 10 महिला चिकित्सा अधिकारी हैं जिन्होंने सीनियर होने पर भी कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकार नहीं किया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय राजपथों आदि के बारे में उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव

2770. श्री राम बिहारी बहेरा : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथों को सुधारने तथा राष्ट्रीय राजपथ घोषित किये जाने और सड़कों को चौड़ा करने के बारे में उड़ीसा सरकार को कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हैं, और उनका ब्योरा क्या है ; और

(ख) प्रस्तावों को स्वीकार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) इस समय मंत्रालय के पास उड़ीसा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य से संबंधित 22 अनुमान हैं जो सड़क के मोड़ का सुधार करने, सड़कों को दो लेनों में चौड़ा करने, पुलियों का पुनर्निर्माण करने, भूमि प्राप्त करने और बोनाईगढ़ के पास ब्राम्हणी नदी पर पुल का निर्माण करने के बारे में है। इस अनुमानों की जांच विभिन्न स्तरों पर हो रही है।

धन के उपलब्ध नहीं होने के कारण भारत सरकार इस समय किसी भी नई सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने में समर्थ नहीं है और यही बात उड़ीसा के बारे में भी लागू होती है।

चिकित्सा शिक्षा में स्तर की समानता

2771. श्री मौकू राम जैन : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा परिषद ने चिकित्सा शिक्षा के स्तर में समानता लाने के प्रयोजन से देश के सभी चिकित्सा कालेजों में आंखें, कान, नाक, गले की संयुक्त परीक्षा आरम्भ करने में आवश्यक निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इन निर्देशों को क्रियान्वित नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी हां। स्नातकपूर्व चिकित्सा शिक्षा के संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशें जिन्हें पहली नवम्बर, 1977 को भारत सरकार द्वारा विनियमों के रूप में अधिसूचित किया गया था उनमें यह व्यवस्था की गई है कि एक अलग पेपर जिसमें नेत्र तथा कान, नाक और गला पर दो भाग होंगे, एम०बी०बी०एस० की अन्तिम परीक्षा का एक भाग होना चाहिए।

(ख) और (ग) अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी ने इस विनियम के कार्यान्वयन के बारे में अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है।

प्रयुक्त रेलवे भूमि

2772. श्री बाल कृष्ण नायर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के कब्जे में क्विलोन रेलवे स्टेशन से असरामय तक एक किलोमीटर से

कम भूमि है जिसका रेलवे बोर्ड उपयोग नहीं कर रहा है और जो अब समाज विरोधी तत्वों द्वारा अनुचित कार्यों के लिये प्रयोग में लाई जा रही हैं,

(ख) क्या क्विलोन नगर पालिका की ओर से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उक्त भूमि, गन्दी बस्ती सफाई कार्यक्रम में शामिल करने हुतु उसे सौंप दी जाए ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जिस भूमि का जिक्र किया गया है, वह आश्रमम, कोल्लम में स्थित घाट साइडिंग (लगभग 870 मीटर लम्बी) का हिस्सा है जो इस समय इस्तेमाल में नहीं लायी जा रही है। राज्य सरकार के कहने पर फिलहाल इस भूमि पर अस्थायी रूप से उन लोगों को कब्जा करने की अनुमति दी गयी है जिन्होंने पहले कोल्लम रेलवे यार्ड की जमीन पर कब्जा कर रखा था और जिसे कि उन्हें खाली करना पड़ा था क्योंकि यार्ड के ढांचे में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में इस भूमि की जरूरत थी। सितम्बर, 1979 में टैक्सीस्टैंड के लिए कोल्लम नगर पालिका ने जमीन का यह हिस्सा मांगा था (न कि गन्दी बस्ती उन्मूलन कार्यक्रम के लिए)। इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि भविष्य में इस घाटसाइडिंग को फिर से काम में लाये जाने की संभावना है।

वीरमगांव, दिल्ली मीटर गेज का बदला जाना

2773. श्री दिग्विजय सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वीरमगांव-मेहसाना-दिल्ली रेल मार्ग को मीटर गेज से ब्राड गेज में बदलने की कोई परियोजना है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होगा, और

(ग) यह परियोजना किस चरण में पहुंच गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। रेलवे बजट में साबरमती-मेहसाना-दिल्ली रेल मार्ग को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना शामिल है। वीरमगांव-मेहसाना खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए वर्ष 1972-73 में सर्वेक्षण किया गया था और तत्कालीन मूल्यदरों के अनुसार उसकी अनुमानित लागत 2.24 करोड़ रुपये थी। वीरमगांव और अहमदाबाद के बीच पहले ही बड़ी लाइन सम्पर्क है, इसलिए मेहसाना-वीरमगांव खंड के आमान परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया।

(ख) वर्तमान मूल्यदरों के अनुसार साबरमती-मेहसाना-दिल्ली आमान-परिवर्तन की लागत लगभग 2.50 करोड़ रुपये है।

(ग) साबरमती-मेहसाना-दिल्ली की आमान परिवर्तन परियोजना अभी योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की जानी है।

अनुसचिवीय कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

2774. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूची भारतीय रेलवेज में रेलवे अनुसचिवीय कर्मचारियों ने दिनांक 27 मार्च, 1980 को डिविजनल वर्कशाप प्राधिकारियों के समक्ष प्रदर्शन किया और उन्हें कोई ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थी और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या अनुसचिवीय कर्मचारियों के कुछ भाग को 15% अपग्रेडेशन का और लाभ प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कार्यकारी सेक्शन के स्टाफ और अन्य सेक्शनों के स्टाफ में भेदभाव के क्या कारण हैं, जबकि कार्य की किस्म और उत्तरदायित्व समान है ;

(घ) क्या मुख्य अभियन्ता (निर्माण, पूर्वी रेलवे, कलकत्ता को उनके अधीन कार्य कर रहे मेटीरियल क्लर्कस और आफिस क्लर्कस ग्रेड—दो की मिली जुली वरीयता नियत करने जैसा कि विस्तृत नियमों के अनुसार 'ओपन लाईन' और 'वर्कशाप' के मामले में किया गया है, के सम्बन्ध में डिविजनल सचिव, अखिल भारतीय रेलवे, लिपिक-वर्गीय कर्मचारी एसोसिएशन, धनबाद की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) एसोसियेशन द्वारा रखी गयी मुख्य मांगें निम्न प्रकार हैं :—

(1) बढ़े हुए कार्यभार के अनुसार लिपिक वर्गीय पदों पर भर्ती, उनके सृजन और उनमें वृद्धि करने पर लगाये गये प्रतिबंध की पूर्ण वापसी ।

(2) लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के ग्रेडों की पुनःसंरचना ।

(3) प्रशासनिक कार्यालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों, शेडों, कारखानों और डिपुओं के कर्मचारियों के बीच कार्य घंटों में भिन्नता की समाप्ति ।

सरकार की नीति के अनुसार किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर अपेक्षित विचार किया जाता है और उन पर यथा-आवश्यक कार्रवाई की जाती है । रेलवे मिनिस्टीरियल एसोसियेशन द्वारा रखी गयी मांगों पर इस नीति के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी है ।

(ग) कार्मिक विभाग में वरिष्ठ लिपिकों (330-560 रु० वेतनमान) के ग्रेड में सीधी भर्ती किये जाने का प्रस्ताव है । चूंकि इस प्रकार की सीधी भर्ती से 260-400 रु० के वेतनमान में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति अवसरों पर प्रभाव पड़ेगा, इन कनिष्ठ लिपिकों के 15% पदों का वरिष्ठ लिपिकों के रूप में ग्रेड बढ़ाने का प्रश्न संवर्ग पुनःसंरचना समिति के समक्ष रखा था । परन्तु, इस संबंध में कोई फैसला नहीं हुआ है । इसे देखते हुए, इसी प्रकार का भेदभाव करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी हां ।

(ङ) मेटीरियल क्लर्कों की वरिष्ठता निश्चित करने का प्रश्न कलकत्ता उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है और न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय हो जाने पर ही इस बारे में कोई विनिश्चय किया जायेगा ।

बाल श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए सहायता योजना

2775. श्री हन्नान मौल्लाह :

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या देश में "बाल श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए सहायता योजना" नाम का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने देश में बाल श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए निराश्रित बच्चों की गैर-संस्थागत देख-रेख हेतु वित्तीय सहायता देने की एक योजना आरम्भ करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) जी, नहीं ।

(ख) बाल श्रमिक संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिशें सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त अधिकार प्राप्त समिति के विचाराधीन है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस योजना का अध्ययन किया जा रहा है ।

व्यापार उद्योग और तकनीकी क्षेत्रों में
भारतीय "एसियन" सहयोग

2776. श्री पी० एम० सईद :

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ,

(क) क्या भारत और उत्तर पूर्वी राष्ट्र एसोसिएशन व्यापार, उद्योग और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने संबंधी अनेक उपायों को करने के लिए सहमत हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मई, 1980 में कुआलालम्पुर में इस संबंध में बातचीत हुई थी ;

(ग) बैठक के दौरान भारतीय और "एसियन" (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन) अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के क्या परिणाम रहे और इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए ; और

(घ) इस संबंध में और क्या अन्य उपाय करने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) बैठक की समाप्ति पर जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(घ) विचाराधीन प्रस्तावों पर आगे क्रियान्वयन के संबंध में उपयुक्त "एसियन" प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 994/80]

बेरोजगार लोगों की राज्यवार-संख्या

2777. प्रो० रूप चन्द पाल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : उपलब्ध सूचना, जो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में 30.4.1980 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या (यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी बेरोजगार होने) से संबंधित है, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(लाखों में)

	राज्य	30.4.1980 को चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या
	1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.98
2.	असम	3.27
3.	बिहार	21.69
4.	गुजरात	4.36
5.	हरियाणा	3.29
6.	हिमाचल प्रदेश	1.26
7.	जम्मू एवं काश्मीर	0.54
8.	कर्नाटक	5.60
9.	केरल	12.75
10.	मध्य प्रदेश	77.71
11.	महाराष्ट्र	11.23
12.	मणीपुर	0.88
13.	मेघालय	0.10
14.	नागालैंड	0.04
15.	उड़ीसा	4.32

1		2
16.	पंजाब	4.14
17.	राजस्थान	3.32
18.	सिक्किम*	—
19.	तमिलनाडु	10.10
20.	त्रिपुरा	0.68
21.	उत्तर प्रदेश	13.76
22.	पश्चिम बंगाल	21.99
संघ शासित क्षेत्र		
1.	अण्डेमान-व-निकोबार द्वीप	0.08
2.	अरूणाचल प्रदेश*	
3.	चण्डीगढ़	0.56
4.	दादरा-व-नागर हवेली*	
5.	दिल्ली	2.92
6.	गोवा	0.27
7.	लक्षद्वीप	0.04
8.	मिजोरम	0.17
9.	पाण्डिचेरी	0.34
	अखिल भारतीय योग :	148.43

नोट :—1. * इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है ।

2. इन आंकड़ों में दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के संबंध में आंकडे शामिल नहीं हैं ।

3. राज्यवार आंकड़ों का योग पूर्णांक के कारण अखिल भारतीय योग से थोडे से भिन्न हैं ।

नौवहन विकास निधि समिति

2778. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1980 के 'इकनोमिक टाइम्स' (बंबई) में प्रकाशित स्टडी "रिवील्स एस० डी० एफ० सी० सिलप्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस रिपोर्ट में सही तथ्य नहीं दिए गए हैं और यह नौवहन विकास निधि समिति के बारे में स्पष्ट स्थिति को प्रस्तुत नहीं करती है । नौवहन विकास निधि समिति नौवहन कंपनियों को उनके प्रस्तावों के गुणों के आधार पर सहायता मंजूर करती है । नौवहन विकास निधि समिति के कार्यचालन में सुधार लाने के लिए समय-समय पर आवश्यक उपाय किये गये हैं ।

सेठ सुखलाल करमानी मेमोरियल हास्पिटल, कलकत्ता
में सेंट्रल मानिटरिंग यूनिट की स्थापना

2779. श्री सोमनाथ चटर्जी :

श्री के० प्रधानी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल हास्पिटल, कलकत्ता में हृदय रोगियों को इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम्स (ई० सी० जी०) देने के लिए सेंट्रल मानिटरिंग यूनिट की स्थापना की जायगी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए धन की मंजूरी दी है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) इस मंत्रालय ने इस अस्पताल को कोई अनुदान नहीं दिया है ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दो सीटों वाले आटो-वाहनों में सड़क-कर टोकन को
प्रदर्शित करने की व्यवस्था ।

2780. श्री के० लक्कप्पा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो सीटों वाले विभिन्न आटो वाहनों के निर्माण कर्ता सड़क-कर टोकन को प्रदर्शित करने की कोई सुस्पष्ट व्यवस्था नहीं करते और सड़क कर टोकन को प्रदर्शित न करना यातायात नियमों का उल्लंघन है,

(ख) यदि हां, तो क्या कभी किसी स्तर पर यातायात प्राधिकारियों ने स्कूटरों के विभिन्न निर्माणकर्ताओं को इस व्यवस्था के बारे में लिखा था और यदि हां, तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का यातायात पुलिस को इस आशय के आवश्यक निदेश जारी करने का विचार है कि वह तब तक इन मामलों में चालान न करें, जब तक कि इन वाहनों के निर्माण-कर्ता सड़क-कर टोकन के प्रदर्शन की कोई सुस्पष्ट व्यवस्था नहीं कर लेते; और

(घ) इस मामले में सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, दो सीटों वाली विभिन्न आटो गाड़ियों के निर्माता इन गाड़ियों में सड़क-कर-टोकन प्रदर्शित करने की कोई कारगर व्यवस्था नहीं करते और अभी तक किसी भी राज्य यातायात प्राधिकरण ने इस बारे में उन्हें नहीं लिखा है।

सड़क-कर-टोकन प्रदर्शित करना विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग राज्य मोटर गाड़ी कराधान अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार एक अनिवार्य आवश्यकता है। लेकिन, ऐसा न करना यातायात नियमों का उल्लंघन अथवा अपराध नहीं है। इसलिए, इस बारे में यातायात पुलिस को कोई निर्देश जारी करने का सवाल ही नहीं होता।

फिर भी, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड के निर्माताओं को लिखा है कि वे इस संबंध में समुचित व्यवस्था करने के प्रश्न का विचार करें।

विकास योजना के लिये भूटान को सहायता

2781. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत 1980-81 में विकास योजनाओं के लिये भूटान को सहायता दे रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सहायता के रूप में कितनी राशि और किस रूप में दी जायेगी तथा किन-किन विकास कार्यों के लिये इस राशि का उपयोग किया जाएगा ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए जो भूटान की चौथी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1976-81) का अन्तिम वर्ष है, भारत कुल 15.375 करोड़ रुपए की नकद राशि अनुदान, सहायता के रूप में देगा।

इसके अतिरिक्त 1980-81 के दौरान भारत चालू परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित बजट-सहायता भी देगा :—

		लाख रुपयों में
(1) चुखा पन बिजली.....	ऋण :	760.00
परियोजना	अनुदान :	1078.17
		1838.17

(2) पेनदेन सीमेंट परियोजना	:	70.00
(3) भारत-भूटान माइक्रोवेव सम्पर्क	:	86.68
(4) गेयलेगफग सिंचाई परियोजना	:	75.67
(5) अन्य विकास सहायता	:	375.50

जाम्बिया के राष्ट्रपति के साथ हुई वार्ता

2782. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में हाल ही में जाम्बिया के राष्ट्रपति कोंडा की यात्रा के दौरान उनके साथ हुई वार्ता का स्वरूप क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : 15 से 16 अप्रैल, 1980 तक जाम्बिया के राष्ट्रपति केनेथ कोंडा की भारत यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीका सहित अंतर्राष्ट्रीय मसलों तथा द्विपक्षीय सम्बन्धों पर विचार-विनिमय हुआ ।

मलेरिया और हैजा पर काबू पाने के लिए किये गये उपाय

2783. श्री राम लाल राही : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलेरिया और हैजा जैसी महामारी पर काबू पाने के लिए अब तक किये गये उपाय सफल नहीं हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) जो बीमारियां मच्छरों से नहीं फैलती हैं उन संक्रामक बीमारियों की रोकथाम करना कहां तक संभव हो सका है ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसे बहुत से संक्रामक रोग हैं जो मच्छरों द्वारा नहीं फैलते । इनमें से क्षयरोग तथा कुष्ठ रोग जैसे प्रमुख रोगों को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया हैं ताकि उपयुक्त नैदानिक, उपचारात्मक और रोग निवारक सुविधाएं उपलब्ध कराकर इन्हें फैलने से रोका जा सके । इसी भांति टीका लगाकर रोके जाने वाले रोगों अर्थात् डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियामिलीटिस, टाइफाइड को राष्ट्रीय विस्तारित टीका कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवाएं प्रदान की जा रही हैं । ऐसे कार्यक्रमों से इन रोगों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है ।

भारत में विदेशी कम्पनियों में हड़ताल और तालाबन्दी

2784. श्री तारिक अनवर : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियां और शाखायें अन्य भारतीय कम्पनियों की भांति अनेक केन्द्रीय फैक्टरी अधिनियमों और श्रमिक कानूनों के उपबन्धों के अन्तर्गत अपेक्षित जानकारी नियमित रूप से देती है , और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान वहां कितनी हड़तालें तथा तालाबन्दियां हुई तथा उसी अवधि में उनके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष हुई जन-घंटों की हानि के उद्योग-वार तथा राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) अन्य भारतीय कम्पनियों की तरह, भारत में विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों और शाखाएं भी सूचना नियमित रूप से भेजती है, जैसाकि अनेक केन्द्रीय फैक्टरी अधिनियमों और श्रम कानूनों के उपबन्धों के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

(ख) अपेक्षित सूचना, जो तत्काल उपलब्ध नहीं है, संकलित की जा रही है और तैयार होने पर इसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

कोलनगोड-त्रिचूर रेल लाइन

2785. श्री बी० एस० विजयराघवन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोलनगोड़-त्रिचूर रेल लाइन, जो अलतवर से होकर जायेगी, का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : कोलनगोड़ और त्रिचूर पहले ही से बड़ी लाइन/मीटर लाइन द्वारा जुड़े हैं । इन दोनों स्थानों को जोड़ने के लिए अपेक्षाकृत कम दूरी की रेल लाइन बनाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

विदेशों को जाने वाले भारतीय डाक्टर

2786. श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री गुलाम रसूल कोचक :

श्री इन्द्र जीत गुप्त :

श्री सुन्दर शर्मा : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि भारत विदेशों को सबसे अधिक डाक्टर देता है ,

(ख) यदि हां तो क्या यह सच है कि 13 प्रतिशत भारतीय डाक्टर विदेशों में कार्य कर रहे हैं ;

(ग) इसके क्या मुख्य कारण है ; और

(घ) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और डाक्टरों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि वे विदेश जाने के लिए आकर्षित न हों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में "चिकित्सकों तथा नर्सों का प्रवास" पर किये गये अध्ययन के अनुसार भारत एक ऐसा देश है जहां से सब से अधिक चिकित्सक बाहर जाते हैं । अनुमानतः भारत के 15,000 एम० डी० विदेशों में हैं । इस अध्ययन से

पता चलता है कि विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसमें भारतीय चिकित्सक न हों। इस अध्ययन के अनुसार देश के कुल डाक्टरों में से 13 प्रतिशत डाक्टर विदेश में हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये इसी अध्ययन के अनुसार विदेश जाने के मुख्य कारण जहां विदेश में अधिक आय है वहां अपने देश में रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होना है।

(घ) चिकित्सकों के प्रतिभा पलायन को विदेशों में जाने से रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) चिकित्सा स्नातकों को उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण पाने के लिए विदेश जाने पर पाबन्दी लगाना।

(2) विशेष रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर अग्रिम वेतन वृद्धियां देना।

(3) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाक्टरों की सेवा शर्तों में सुधार करना।

(4) चिकित्सा शिक्षा को समाज अनुकूल बनाना जिसमें स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के निवारक संवर्धक, उपचारी तथा पुनर्वास पहलुओं पर बल दिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए बहुत से डाक्टरों को तैयार किया जा सके ; और

(5) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी द्वारा प्रेस्टिजियस सदस्यता परीक्षायें लेना जो एफ० आर० सी० एस०, एम० आर० सी० पी० आदि जैसी विदेशी अर्हताओं के बराबर हैं।

श्रमजीवी पत्रकारों और गैर श्रमजीवी पत्रकारों के लिए नियुक्त न्यायाधिकरणों का प्रतिवेदन

2787. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री पीयूष तिरकी :

श्री पी० एम० सईद :

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रमजीवी पत्रकारों और गैर श्रमजीवी पत्रकारों के लिए नियुक्त न्यायाधिकरणों से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या इसकी सिफारशों पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनको क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अंजय्या) : (क) जी, नहीं । सरकार को अभी तक श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के न्यायाधिकरण से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली-अलीगढ़ यात्री गाड़ी में यात्रियों का लूटा जाना

2788. **श्री के० मालन्ना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 1980 के 'पेट्रियोट' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कुछ डाकुओं ने दिल्ली-अलीगढ़ यात्री गाड़ी के यात्रियों को पिस्तौल दिखाकर उनसे 6000 रुपये की सम्पत्ति लूट ली थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसी गाड़ी में पहले भी ऐसी घटनायें हो चुकी हैं, और

(घ) यदि हां, तो रेल प्राधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) राज्य पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 4-6-80 की रात को जब 2 ए बी एन अर्थात् अलीगढ़ गाजियाबाद-नई दिल्ली सवारी गाड़ी डांवर स्टेशन से रवाना हुई, तो देशी पिस्तौलों और चाकुओं से लैस 5 बदमाश दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बा नं० 9725 एस एल आर में घुस आये और उन्होंने डांवर और सोमना रेलवे स्टेशनों के बीच 4 व्यक्तियों से उनकी 3 कलाई घड़ियां और सोने की 2 जंजीरें लूट लीं । सोमना स्टेशन के पास पहुंचने पर जब गाड़ी धीमी हुई, तो बदमाश गाड़ी की दूसरी ओर से उतर गये और अन्धेरे में भाग निकले । सरकारी रेलवे पुलिस, अलीगढ़ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395/397 के अन्तर्गत अपराध सं० 130 दिनांक 4-6-80 दर्ज किया है और मामले की छानबीन की जा रही है ।

(ग) गाजियाबाद-अलीगढ़ खंड पर 1979 और 1980 के दौरान इस सवारी गाड़ी में डकैती या लूटपाट की किसी अन्य घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(घ)पुलिस की व्यवस्था राज्य का विषय है ; अतः यात्रियों और उनके सामान की संरक्षा सुनिश्चित करने का काम सरकारी रेलवे पुलिस का है जो राज्य सरकार के अधीन काम करती है ।

गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम और यात्रियों की संरक्षा की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाने के लिए उन सभी महत्वपूर्ण और यात्री गाड़ियों में पुलिस मार्गरक्षियों की व्यवस्था की गई है जिनमें ऐसी घटनाएं होने की सम्भावना रहती है ।

2. रेलें सभी स्तरों पर राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखती है और अपेक्षित होने पर आवश्यक सहायता प्रदान करती है ।

3. अपराधियों पर नज़र रखने तथा सवारी गाडियों में अपराध करने वालों के सम्बन्ध में अपराध आसूचना इकट्ठी करने के लिए सादे कपड़ों में सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं ।

4. अपराधियों को पकड़ने के लिए जिला पुलिस के साथ समन्वय करके सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा अभियान चलाये गये हैं ।

5. चलती गाडियों में तैनात सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र कर्मचारियों की कार्यकुशलता और सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए गाडियों में सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों द्वारा अचानक जांच की जाती है ।

इनके अतिरिक्त, रेलें अपनी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई भी करती है :—

1. 22.00 बजे और 06.00 बजे के बीच गलियारेदार सवारी डिब्बों के दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं ।

2. चल टिकट परीक्षकों/परिचरों/कण्डक्टरों को अनुदेश हैं कि वे आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने में सतर्क रहें ।

3. जब कभी किसी क्षेत्र विशेष में अपराध अधिक होने लगते हैं, तो रेल यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए राज्य सरकार का ध्यान उस ओर दिलाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपेक्षित सहायता दी जाती है ।

4. एक अन्य उपाय के रूप में, अपराधियों को पता लगाने और यात्रियों में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से सवारी गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा बल के लगभग 2,000 कर्मचारी मार्ग रक्षा की ड्यूटी पर तैनात किये गये हैं ।

बम्बई से गोआ तक चलने वाले मुगल लाइन्स के जहाज

2789. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई से गोआ तक चलने वाले मुगल लाइन्स के जहाजों के आकार को युक्तिसंगत बनाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ताकि वे अधिक पत्तनों तक पहुंच सके और उनमें और अधिक यात्री आ सकें ; और

(ख) क्या इन उपायों को समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) बम्बई और पणजी के बीच मुगल लाइन लिमिटेड के 'एम० वी० कोंकण सेवक' और 'एम० वी० कोंकण शक्ति' नामक जहाजों की मौजूदा सर्विस को जारी रखने का सुझाव है । ये जहाज कोंकण तट

के जय गढ़, मुसकाजी/जैतपुर, विजयदुर्ग और देवगढ़ नामक चार पत्तनों पर भी जाते रहेंगे। ये जहाज इससे अधिक पत्तनों पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इससे बम्बई और पणजी के बीच चलने वाले दैनिक जहाजों की सर्विस में रुकावट पड़ने लगेगी।

अरब देशों में भारतीय श्रमिकों की मजूरी में असमानता

2790. श्री दौलत राम सारण : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अरब देशों में भारतीय श्रमिकों को अन्य एशियाई देशों के श्रमिकों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है, तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) इस असमानता को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) विदेश में काम करने के लिए भारतीय श्रमिकों की भरती विदेशी नियोक्ताओं द्वारा खुले बाजार में उनके भरती एजेन्टों के माध्यम से की जाती है। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 20 मार्च, 1979 के एक आदेश के अनुसार सरकार ऐसे श्रमिकों के वेतन-स्तर का निर्धारण नहीं करती। इसलिए खुले बाजार में प्रतियोगिता के आधार पर श्रमिकों की उपलब्धता से ही उनका वेतन-स्तर निर्धारित होता है।

फिर भी इन देशों में अन्य दक्षिण एशियाई देशों के श्रमिकों को मिलने वाले वेतन की तुलना में भारतीय श्रमिकों को मिलने वाला वेतन अधिक ही है।

(ख) श्रमिकों को पश्चिमी एशियाई देशों में विद्यमान सेवा-शर्तों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे उन्हें यह मालूम हो जाए कि कम से कम किस वेतन-स्तर को स्वीकार करना चाहिए। उत्प्रवासन के बारे में एक नया कानून लागू करने का प्रस्ताव है जिससे विदेश में रोजगार की न्यूनतम शर्तों का निर्धारण किया जा सके। इस मामले पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

दुमन्जली रेल गाडियां

2791. श्री पीयूष तिरकी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने और किन मार्गों पर दुमंजिली रेलगाडियां चलाई जा रही हैं ;

(ख) बढ़ी हुई क्षमता के मुकाबले यात्री टैफिक में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार और अधिक दुमंजिली गाडियां चलाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो ये किन-किन मार्गों पर चलाई जायेंगी ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 309/310 बम्बई-पुरी सिंहगढ़ एक्सप्रेस, 21/22 बम्बई-सूरत फ्लाइंग रानी, 39/40 मद्रास-बंगलूर वृन्दावन एक्सप्रेस तथा बम्बई सेन्ट्रल और बलसाड के बीच 13/14 बलसाड एक्सप्रेस, 15/16 सौराष्ट्र एक्सप्रेस और 23/24

जनता एक्सप्रेस तथा बम्बई और पुणे के बीच चलने वाली 311 सह्याद्रि एक्सप्रेस गाड़ियों में दुमंजिली सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) साधारण दूसरे दर्जे के डिब्बों में सामान्यतः 80-90 यात्रियों के लिए स्थान के मुकाबले दुमंजिले सवारी डिब्बों में 148 यात्रियों के लिए स्थान होता है अर्थात् 65-85 प्रतिशत अधिक स्थान होता है ।

(ग) और (घ) केवल 4 दुमजिले सवारी डिब्बे उपबन्ध हैं और उन्हें बम्बई-मनमाड अथवा हवड़ा-आसनसोल मार्गों पर चलाने के बारे में जांच की जा रही है और क्या व्यावहारिक करंवाई की जायेगी ।

जारी किये गये पारपत्रों की संख्या

2792. श्री डी० पी० जडेजा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान कितने व्यक्तियों ने पारपत्र के लिए आवेदन भेजे ;

(ख) उस अवधि के दौरान कितने पार-पत्र जारी किये गये ; और

(ग) कितने आवेदन अस्वीकृत हुए और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 4,42,052

(ख) 4,38, 183

(ग) तैंतीस । एक आवेदन पत्र जनहित में अस्वीकृत कर दिया गया था तथा शेष 32 आवेदन पत्रों को इसलिए अस्वीकार किया गया कि इनके आवेदनों के खिलाफ न्यायालयों में मुकदमें चल रहे थे ।

औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा श्रमिक कानूनों का उल्लंघन किया जाना

2793. श्री समर मुखर्जी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की बहुत बड़ी संख्या द्वारा 1948 की न्यूनतम मजूरी अधिनियम सहित श्रमिक कानूनों का उल्लंघन जारी है ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) दोषी नियोजकों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) वर्ष 1979-80 में ऐसे दोषी नियोजकों के खिलाफ कितने मुकदमें चलाये गए हैं ; और

(ङ) इस अवधि के दौरान ऐसे कितने मुकदमों का निर्णय किया गया है और कितने मुकदमे अभी तक अनिर्णीत हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

2794. श्री छोटे सिंह यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के मिडिल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में गत दो वर्षों से अधिक की अवधि में तदर्थ आधार पर कितने वरिष्ठ और कनिष्ठ अध्यापक कार्य कर रहे हैं,

(ख) उनके स्थान पर चुने गए अध्यापकों को नियुक्त करने में विलम्ब के क्या कारण है, और

(ग) इन पदों के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मिडिल स्कूल में 2 कनिष्ठ अध्यापक तथा उच्चतर विद्यालयों में 12 कनिष्ठ और 5 वरिष्ठ अध्यापक।

(ख) चुने गये अध्यापकों की नियुक्ति में देरी का कारण संबंधित कर्मचारियों की ओर से वरिष्ठता आदि के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त होने के कारण चयन को अन्तिम रूप न दिया जाना है।

(ग) आशा है, 31-8-80 तक चयन के काम को अन्तिम रूप दे दिया जयेगा।

अंतर्राज्यीय प्रवजक श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए मशीनरी

2795. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राज्यीय प्रवजक श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कोई तंत्र बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रवजक श्रमिकों की रक्षा के लिए मई, 1980 से उठाए गए कदम क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) और (ख) अन्तर्राज्यीय प्रवजक श्रमिक (रोजगार का विनियमन तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 के नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के तुरन्त बाद लागू किया जायेगा। केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्रीय औद्योगिक संबंधतंत्र इस अधिनियम को लागू और कार्यान्वित करेगा।

कोयला तथा राख ढोने वाले कर्मचारियों का समावेशन

2796. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला और राख ढोने के कार्य में लगाए गए सभी कर्मचारियों को खपाने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) चूंकि लोको शेडों में कोयला यातायात की प्राप्ति सभी दिन एक समान नहीं होती है, इसलिए लोको शेडों में कोयला सम्हलाई, सिंडर बीनने और राख गर्त की सफाई का काम सामान्यतया प्राइवेट ठेकेदारों अथवा श्रमिक ठेका सहकारी सोसायटियों द्वारा किया जाता है। कर्षण की पद्धति में भी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और आमान परिवर्तन का काम भी प्रगति पर है, जिसके फलस्वरूप यानान्तरण स्थल/भाप इंजन शेडों के स्थान तथा कोयला और राख सम्हलाई की आवश्यकताओं का अन्तरण करना होगा और बिजली/डीजल कर्षण अन्ततः भाप कर्षण का स्थान ले लेगा। तदनुसार इस प्रकार के काम पर विभागीय श्रमिकों को लगाना उपयुक्त नहीं पाया गया है।

मध्य रेलवे कैशियर

2797. श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के कैशियरों को विभिन्न स्टेशनों पर रात्रि के समय रुकना पड़ता है जहां कोष-कक्ष नहीं होते हैं और न ही उन्हें विश्राम-गृह संबंधी पूरी सुविधाएं दी जाती है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं। बड़े स्टेशनों पर विश्राम गृहों का निर्माण किया है। कुछ महत्वपूर्ण छोटे स्टेशनों पर मानक के स्ट्रांग रूमों (माल खानों) की व्यवस्था की गई है जिनमें फोल्डिंग काउंटर-एवं-बिस्तर, मेज, कुर्सी और पानी के नलके जैसी सभी सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण छोटे स्टेशनों पर भी इसी प्रकार के प्रबंध किये जा रहे हैं। स्ट्रांग रूमों (माल खानों) में शौचालय की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं पाया गया क्योंकि ऐसा करना अस्वास्थ्यकर होगा। कर्मचारी स्टेशनों पर उपलब्ध स्नान गृहों तथा शौचालयों का उपयोग कर सकते हैं।

समस्तीपुर-दरभंगा लाइन

2798. श्रीमती कृष्णा साही : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में समस्तीपुर से दरभंगा तक एक बड़ी लाइन बिछाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) दरभंगा-जयनगर लाइन के आमान परिवर्तन से संबंधित सर्वेक्षण के परिणाम ज्ञात होने पर लक्ष्य तारीख निश्चित की जायेगी।

मैसर्स गोदरेज एण्ड वायर्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी इंडिया प्राइवेट (लिमिटेड) बम्बई द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना और भविष्य निधि की राशि का जमा कराया जाना

2799. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स गोदरेज एण्ड वायर्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जमा कराई गई कर्मचारी राज्य बीमा योजना और भविष्य निधि की राशि क्या है ; और

(ख) उन पर इसकी कितनी राशि बकाया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) और (ख) मैसर्स गोदरेज एण्ड वायर्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई से (मैसर्स गोदरेज एंड वायर्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई नाम का कोई प्रतिष्ठान नहीं है) देय राशियों की वसूली संबंधी स्थिति, जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सूचित किया गया है, इस प्रकार है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम : कम्पनी की दो यूनिटें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन आती है । एक यूनिट लाल बाग और दूसरी यूनिट घाटकोपुर में है । अप्रैल, 1977 से मार्च, 1980 की अवधि के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा की देय राशियों के लिए 1, 15, 28,469.30 रुपये जमा कराये गए हैं और हाल ही में पता लगाए गए कम भुगतान के सम्बन्ध में 9,674 रुपए की राशि बकाया है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन : मैसर्स गोदरेज एण्ड वायर्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई-79 एक छूट प्राप्त प्रतिष्ठान है । पिछले तीन वर्षों के दौरान भविष्य निधि के लिए प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड को 5, 23, 05, 433.57 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है और कोई भी राशि बकाया नहीं है ।

तुमसर-तिरोदी लाइन

2800. **श्री केशवराव पारधी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुमसर-तिरोदी लाइन को कटंगी तक बढ़ाने के लिए लम्बे अर्से से मांग की गई है और इस कार्य के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर काम कब से शुरू होगा और इस पर कितना खर्च आयेगा ; और

(ग) यदि काम शुरू नहीं किया जाना है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बालाघाट से कटंगी शाखा लाइन सहित गोंदिया-जबलपुर छोटी लाइन के बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन से संबंधित अनुमान तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट संकलित की जा रही है तथा शीघ्र ही मिल जायेंगी । सर्वेक्षण

रिपोर्ट की जांच करते समय प्रस्तावित बड़ी लाइन को कटंगी से तिरोदी तक बढ़ाने के प्रश्न पर उचित विचार किया जायेगा ।

पर्यटक बसों पर कर

2801. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार ने पर्यटक बसों पर कर लगा दिए है, और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस कार्यवाही के लिए मंजूरी दे दी थी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) मोटर गाड़ियों के बारे में टैक्स लगाना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है । उपलब्ध जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने कर में छूट देना बंद कर दिया है जो पहले उस राज्य में प्रवेश करने वाली और मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 63(6) के अधीन न दिए गए विशेष परमिट के आधार पर चलने वाली गाड़ियों को मिला करती थी ।

परादीप पत्तन के लिए कार्गो-बर्थ

2802. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परादीप पत्तन के लिए और अधिक कार्गो-बर्थ की मंजूरी दी है, और

(ख) यदि हां, तो कितनी बर्थों की मंजूरी दी गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) एक । दूसरी जनरल कार्गो-बर्थ जिस के निर्माण का काम जारी है ।

बल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में भ्रष्टाचार

2803. डा० सरदीश राय : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रमुख प्रोफेसरों, लैक्चरारों, रीडरों आदि द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 26-11-1979 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें बल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली में व्याप्त कुप्रशासन, वहां कर्मचारियों के कम होने, वित्तीय अनियमितताओं के होने तथा कर्मचारियों को पर्याप्त सुविधाएं न दिये जाने के बारे में आरोप लगाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्थान एक स्वशासी निकाय है जो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाता है। इस संस्थान के शासी निकाय ने एक समिति गठित की है जो इस संस्थान के शैक्षिक स्टाफ के कुछेक सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच करेगी। इस समिति की रिपोर्ट मिलने पर उपयुक्त उपचारी कार्यवाही की जायेगी।

केरल में रेल लाइनों का विकास

2804. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में निम्नलिखित रेल लाइनों का विकास आरम्भ करने तथा उसे पूरा करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं :—

(1) एर्णाकुलम-एलप्पी तटवर्ती रेलवे लाईन जो कायमकुलम: एर्णाकुलम, इदुक्की-मदुरै से जुड़ी है ;

(2) त्रिचुर-गुरुवायूर-कुट्टीपुरम्, तेल्लिचेरी–मैसूर ; और

(3) मंगलापुरम-बम्बई (कोंकण लाइन) ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (1) एर्णाकुलम-एलप्पी बड़ी लाइन के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य चालू है। इन लाइन के पूरा हो जाने के पश्चात्, यातायात में बढ़ोतरी धन की उपलब्धता और योजना आयोग द्वारा स्वीकृति के पश्चात् इस लाइन का कायमकूलम तक विस्तार उचित समय पर किया जाएगा। एर्णाकुलम-इदुक्की-मदुरै ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) त्रिचूर-गुरुवयूर-कुट्टीपुरम् के लिए पहले किये गये सर्वेक्षण के अद्यतनीकरण कार्य को 80-81 के बजट में सम्मिलित किया गया है। सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने और सर्वेक्षण की रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात् आगे कार्रवाई की जाएगी।
तेल्लिचेरी-मैसूर— कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) आप्टा से रोहा तक पहले 62 कि० मी० में कार्य आरम्भ करके कोंकण रेलवे के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस लाइन को दासगांव तक बढ़ाने के प्रश्न की जांच योजना आयोग के साथ परामर्श करके की जा रही है।

जिला स्तर पर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

2805. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जिला स्तर पर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में क्या उपाय किये गए हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) और (ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में, जो राज्य सरकारों द्वारा सामान्यतया जिलास्तर पर स्थापित किए जाते हैं,

53 व्यवसायों में दस्तकार स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस समय देश में 740 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं। नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। भारत सरकार राष्ट्रीय वृत्तिक व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद् के परामर्श से प्रशिक्षण नीति निर्धारित करती है, मानकों आदि के लिए माप-दण्ड और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए संस्थानों/केन्द्रों को संबंधन प्रदान करती है; इसके अतिरिक्त उनकी परीक्षाएं लेती है ताकि मानकों की एक रूपता सुनिश्चित की जा सके।

परादीप पत्तन पर लोह अयस्क उतारने-चढ़ाने वाले वर्तमान संयंत्र के स्थान पर नया संयंत्र लगाना

2806. श्री कृपा सिंधु भोई : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 के दौरान परादीप पत्तन पर लोह अयस्क उतारने चढ़ाने वाले वर्तमान संयंत्र के पुराने तथा टूटे फूटे उपकरणों के स्थान पर नये उपकरण लगाने का कोई कार्यक्रम है, और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से उपकरणों को बदला जायेगा तथा कब तक बदला जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) परादीप पत्तन पर कच्ची धातु चढ़ाने-उतारने के संयंत्र में आवश्यक सुधार और अदल-बदल करने का काम शुरू किया जा चुका है जिस पर कुल 808.00 लाख रुपये खर्च होंगे। सुधार के इन कामों में मुख्यतः डम्पर मशीन की स्थापना, वैगन डम्पर को रखने के लिए इमारत का निर्माण, कन्वेयर संयंत्र की स्थापना, बिजली के उपकरणों और केबुल आदि बिछाने का काम शामिल है। संयंत्र में अदल-बदल करने का काम स्टैकयार्ड, रेल की पटरी पर काम करने वाले रिक्लेमर ट्रांसफर प्वाइंट्स में अदल-बदल, फलुइड कपलिंग्स और सहायक उपकरण जैसी कुछ बुनियादी मशीनरी से संबंधित है। आशा है कि यह स्कीम 1981 के अन्त तक पूरी हो जाएगी। वर्ष 1980-81 की योजना में इस स्कीम के लिए 200.00 लाख रुपये रखे गये हैं।

तटीय सड़क का विकास

2807. श्री ए० ए० रहीम : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल की ढुलाई तथा विकास संबंधी अन्य प्रयोजनों के लिए सुलभ परिवहन को सुविधाजनक बनाने हेतु अधिक तटीय सड़कों के निर्माण के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है,

(ख) केरल में लम्बे तटों, जहां मछली पकड़ने-नारियल जटा और अन्य उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है, को ध्यान में रखते हुए वहां तटीय सड़कों के विकास के लिए क्या-क्या प्रस्ताव है, और

(ग) केरल क्षेत्र के लिए इस प्रयोजन हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) संविधान की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार उन सड़कों के लिए उत्तरदायी है जो राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होते है। गुजरात में काण्डला से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8-ए और पोरबन्दर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8-बी से शुरू होकर काण्ड बंगला देश की सीमा तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का एक जाल सा बिछा हुआ है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, 17, 17-ए, 47, 7 7-ए, 49, 45, 5, 5-ए, 6 और 35 बड़े-बड़े पत्तनों और औद्योगिक या पर्यटक केन्द्रों से गुजरते हैं। चूंकि विकास एक निरन्तर होने वाली प्रक्रिया है, किसी खास खण्ड पर सुधार का कार्य तभी किया जाता है जब कोई खराबी या यातायात की वास्तविक जरूरतों का पता चलता है और यह धनराशि के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 और 47 केरल तट के पास से होकर गुजरते हैं। 31-3-78 को सरकार के पास 1095 लाख रुपये की लागत का सड़क निर्माण कार्य था जिसे पूरा किया जाना था। इसके अलावा, पिछले बकाया बचे कार्यों के लिए व्यवस्था करके लगभग 1448 लाख रु० लागत के नए सड़क और पुल निर्माण-कार्य केरल के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य कार्यक्रम 1978-83 में शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कोष के अतिरिक्त, मार्च, 1972 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से पहले पश्चिमी तट पर बनने वाली सड़क के निर्माण के लिए लगभग 23 करोड़ रु० (जिसमें केरल सरकार को दिए गए 3.74 करोड़ रु० भी शामिल हैं) की केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गयी। यह सड़क महाराष्ट्र में पानवेल से शुरू होकर गोआ और कर्नाटक से होकर गुजरती हुई केरल में चल्लीसेरी पर खत्म होती है। तमिलनाडु में पूर्वी तट पर सड़क बनाने के लिए लगभग 3 करोड़ रु० की केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की गयी है और गुजरात में भी तटीय सड़कों का निर्माण करने के लिए 7.60 करोड़ रु० देना स्वीकार किया गया है।

उड़ीसा को आबंटित की हुई निधि का वितरण

2808. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के लिए राष्ट्रीय राजपथों के लिए छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान 69.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था और राज्य सरकार को वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान केवल 13.45 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं,

(ख) भारत सरकार प्रति वर्ष समान अनुपात में राशि देने में असफल क्यों रही है, और

(ग) क्या संचार साधनों की दृष्टि से पिछड़े उड़ीसा राज्य की केन्द्रीय सरकार योजना में निर्धारित की गई राशि को प्रदान करने में प्राथमिकता देगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना 1978-83 के मसौदे में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किसी राज्य के

लिए जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, कोई विशेष आबंटन नहीं किया गया था। वास्तव में, ऐसा कभी नहीं किया जाता। वस्तुतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उनकी मरम्मत इत्यादि के लिए व्यवस्था हर साल अलग-अलग की जाती है और इसके लिए अनेक बातों का ख्याल रखा जाता है, जैसे :—काम की प्रगति, राज्यों द्वारा मांगी गई धनराशि, उनकी पात्रता और संसाधनों की कुल ऊपलब्धि इत्यादि। इसी आधार पर, वर्ष 1978-79 और 1979-80 में उड़ीसा सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/मरम्मत इत्यादि के लिए 7.624 करोड़ रुपये दिए गए। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/मरम्मत के लिए धनराशि देते समय इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि स्थान विशेष में यातायात की मांग कितनी है और वहां विकास के अन्य पहलू किस प्रकार के हैं।

जयपुर से दिल्ली तक एक और 'पिंक सिटी एक्सप्रेस ट्रेन' का चलाया जाना

2809. **श्री राम सिंह यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी और घरेलू पर्यटकों तथा अन्य यात्रियों के लिए दिल्ली से जयपुर तक उपलब्ध एकमात्र लीव्रतम रेलवे गाड़ी 'पिंक सिटी एक्सप्रेस' है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रातः के समय दिल्ली से जयपुर तक 'पिंक सिटी ट्रेन' की केवल एक दैनिक सेवा है और इस समय प्रातः के समय जयपुर से दिल्ली तक कोई रेल सेवा उपलब्ध नहीं है; और

(ग) क्या घरेलू और विदेशी पर्यटकों तथा अन्य यात्रियों की मांग पूरी करने के लिए जयपुर से दिल्ली तक एक और पिंक सिटी एक्सप्रेस चलाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। लेकिन, अन्य तेज गाड़ियां अर्थात् 201/202 अहमदाबाद-दिल्ली मेल, 203/204 अहमदाबाद-दिल्ली एक्सप्रेस, 215/216 चेतक एक्सप्रेस भी उपलब्ध हैं।

(ख) जी हां। लेकिन 215/216 चेतक एक्सप्रेस से विपरीत दिशा में इसी प्रकार की सेवा उपलब्ध हो जाती है।

(ग) जी, फिलहाल नहीं।

बोनस का सेवा निवृत्तन लाभों और बेरोजगार राहत के रूप में परिवर्तन

2810. **श्री अरविंद नेताम :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार बोनस के एक भाग को अथवा सम्पूर्ण बोनस को सेवा निवृत्तन लाभों और बेरोजगार राहत के रूप में परिवर्तन करने संबंधी कुछ नए प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब ले लिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) और (ख) बोनस संदाय अधिनियम में संशोधन के लिए विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार इन प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

उक्त अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक शीघ्र पेश किए जाने की आशा है।

सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के लाभ हानि का हिसाब-किताब

2811. श्री नवीन रवाणी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 और 1979-80 में उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के लाभ-हानि का हिसाब-किताब क्या था,

(ख) उनके मंत्रालय के अधीन इस समय सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी नई परियोजनाएं चल रही हैं; और

(ग) घाटे में चल रही इकाइयों के सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अधीन काम कर रहे सरकारी उपक्रमों के लाभ हानि के विवरण 1978-79 के वित्तीय वर्ष तक ही उपलब्ध हैं। 1979-80 के वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। इन सरकारी उपक्रमों के वर्ष 1978-79 के लाभ हानि का विवरण इस प्रकार है :—

(1) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम	650 83 लाख रुपये (घाटा)
(2) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	275.09 लाख रुपये (घाटा)
(3) दिल्ली परिवहन निगम	1748.97 लाख रुपये (घाटा)
(4) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया	484.98 लाख रुपये (लाभ)
(5) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	306.32 लाख रुपये (कर से पहले-लाभ)
(6) इंडियन रोड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन	39.84 लाख रुपये (घाटा)
(7) मुगल लाइन लिमिटेड	740.28 लाख रुपये (घाटा)
(8) शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया	3700.76 लाख रुपये (घाटा)

(ख) इस समय कोई नया उपक्रम इस मंत्रालय के अधीन नहीं काम कर रहा है।

(ग) प्रत्येक उपक्रम के निष्पादन की लोक उद्यम ब्यूरो के निर्देशों के अनुसार समीक्षा की जाती है। निष्पादन की समीक्षा करने के लिए अक्सर बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसमें परिवहन सचिव, वित्तीय सलाहकार (परिवहन) सम्बन्धित पक्षों के अध्यक्ष, उपक्रम का मुख्य अधिकारी और लोक उद्यम ब्यूरो के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इन बैठकों का उद्देश्य उपक्रम के कार्यान्वयन में आने वाली रुकावटों और कमियों का पता लगाना, और इन्हें दूर करने के लिए उपायों के बारे में सुझाव देना है। अगर उपक्रम को घाटा हो रहा होता है तब घाटा होने के

कारणों का पता लगाने और खर्च कम करने तथा मितव्ययता अपनाने एवं कार्यचालन में दक्षता लाने के लिये विशेष उपाय किये जाते हैं।

67 अपतरंगा लोकल गाड़ी को पालुद्वारा पर रोकना

2812. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व पश्चिम रेलवे में मेहसाना-तरंगा लाइल पर फ्लैग स्टेशन बनाए जाने के बाद से 67 अपतरंगा लोकल गाड़ी को पालुद्वारा में रोकने की मांग की जा रही है;

(ख) क्या इस मांग को शीघ्र पूरा किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 141 अपतरंगा हिल-मेहसाना सवारी गाड़ी को पिलुद्रा में ठहराना बंद करके उसके बदले 67 अप अहमदाबाद-मेहसाना सवारी गाड़ी को वहां ठहराने का एक सुझाव प्राप्त हुआ है। 141 अप गाड़ी को वहां ठहराना बन्द करने के बारे में मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति, कार्य सारणी समिति और सिविल प्राधिकारियों के विचार जानने के बाद 67 अप को पिलुद्रा में ठहराने के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर बुक स्टालों का आबंटन

2813. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 1-19 के लिये बुक स्टालों के ठेके ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के पास हैं;

(ख) क्या तीन नये प्लेटफार्मों के लिये और ठेके इसी कम्पनी को देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और व्हीलर एण्ड कम्पनी को ठेका न देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"स्लेवरी इन डिस्गाइज़ी" सम्पादकीय

2814. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जून, 1980 को इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली में "स्लेवरी इन डिस्गाइज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित सम्पादकीय की ओर दिलवाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन मामलों को ठीक करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) से (ग) यह सम्पादकीय उस समाचार का परिणाम है जो हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था जिसमें महरौली, नई दिल्ली में स्थित पत्थर खानों में काम कर रहे श्रमिकों को पर्याप्त सुविधाएं न देने और उन खानों में काम कर रहे श्रमिकों को पर्याप्त सुविधाएं न देने और उन खानों में बंधित श्रम पद्धति विद्यमान होने का आरोप लगाया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन पत्थर खानों में काम करने वाले श्रमिक स्व-नियोजित ग्रुप हैं और वे न तो "ठेका श्रमिक" हैं और न ही "बंधुवा श्रमिक" हैं। फिर भी, इस मामले की जांच की जा रही हैं।

नकली दवाओं का पता लगाना

2815. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, राज्यवार, नकली दवाओं के कितने मामलों का पता लगा है; और

(ख) नकली दवाओं के निर्माण और सप्लाई के लिए दंड देने और उन्हें रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) नकली दवाओं के निर्माण तथा बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री करने पर दण्ड को जुर्माने सहित तीन वर्ष से 10 वर्ष तक बढ़ाने के लिए 1964 में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को संशोधित किया गया था। न्यायालयों से अनुरोध किया गया था कि यदि वे एक वर्ष से कम की सजा देना चाहते हैं तो उसके लिये विशेष कारण लिखित रूप में रिकार्ड करें।

(2) 1964 में एक नई धारा जोड़ी गई जिसमें प्रत्येक दुकानदार अथवा किसी निर्माता के एजेन्ट से यह अपेक्षा की गई कि वह औषध निरीक्षक को उस व्यक्ति का नाम, पता तथा अन्य ब्यौरा बताए जिससे उसने औषधियां अथवा प्रसाधन सामग्री खरीदी है।

(3) 1964 में एक ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसके तहत यदि नकली दवाइयों के निर्माण अथवा उनके वितरण के लिये जिम्मेदार व्यक्ति को दोषी सिद्ध कर दिया जाता है तो उन दवाओं के स्टाक को जब्त किया जा सकता है। ऐसी दवाओं के निर्माण, बिक्री अथवा वितरण में प्रयुक्त मशीनरी के साज-सामान और ऐसे पात्रों, बंडलों अथवा कवरों को जिनमें ये नकली दवाइयां रखी गई हों, और इन दवाइयों को ले जाने वाली गाड़ियों, पशुओं, यानों अथवा अन्य वाहनों को भी जब्त किया जा सकता है।

(4) बिना लाइसेंस प्राप्त किये औषधियों का निर्माण करने वालों को जो प्राय: नकली औषधियों का निर्माण व बिक्री करते हैं, इस व्यवसाय से हटाने के अभिप्राय से 'लाइसेंस प्राप्त औषधि निर्माताओं की एक अखिल भारतीय सूची" तैयार की गई है और इसे अद्यतन कर दिया गया है। इस सूची को सभी राज्य औषधि नियंत्रकों तथा औषधि निर्माताओं और विक्रेताओं की मुख्य एसोसिएशनों को भी परिपत्रित कर दिया गया है।

(5) राज्यों को सलाह दे दी गई है कि वे नकली दवाइयों के प्रति गहन अभियान चलाने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करें।

(6) जब भी केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन में नकली दवाओं के निर्माण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होती है और यह घोटाला अन्तर्राष्ट्रीय किस्म का होता है तो सम्बन्धित राज्यों को तुरन्त सचेत कर दिया जाता है और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे राज्य पुलिस की सहायता से आवश्यक कार्यवाही करें।

(7) दवा निर्माताओं और विक्रेताओं के हित को देखने वाले संघों का सहयोग प्राप्त किया गया है और प्राप्त किया जा रहा है ताकि निर्माण और बिक्री की अच्छी प्रणाली का पालन सुनिश्चित किया जा सके। नकली दवाओं के विरुद्ध अभियान में भी उनका सहयोग मांगा जा रहा है।

(8) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा औषध परामर्शदात्री समिति की बैठकें, जोनल राज्य औषधि नियंत्रकों की बैठकें आयोजित करके तथा जोनल अधिकारी राज्य औषध नियंत्रकों से विचार के विमर्श द्वारा तथा पत्राचार माध्यम से राज्य के औषध नियंत्रण संगठन के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

(9) राज्यों से औषध सलाहकार बोर्डों का गठन करने का अनुरोध किया जा चुका है जिनमें निर्माताओं, विक्रेताओं, चिकित्सा व्यवसाय तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए जो राज्य सरकारों औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम को कारगर ढंग से लागू करने के लिए उपाय सुझायें।

(10) केन्द्रीय सरकार की केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता, केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद, और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में उपलब्ध जांच सुविधाएं राज्यों को सौंप दी गई हैं। अब 21 राज्य और संघ शासित क्षेत्र इन जांच सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

(11) केन्द्र और राज्य संगठनों के बीच निकट सम्पर्क बनाए रखने के लिए तथा सारे देश में इस अधिनियम को एकरूपता से लागू करने के लिए केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के जोनल कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, गाजियाबाद में खोल दिए गए हैं। इन जोनल कार्यालयों के साथ औषधि निरीक्षक भी सम्बद्ध हैं और ये निरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए कि औषधियां औषध अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार ही तैयार की जा रही है, राज्य प्राधिकारियों के साथ मिल कर औषधि निर्माताओं के अहातों में संयुक्त निरीक्षण करते हैं।

(12) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त औषध निरीक्षकों की तकनीकी क्षमता को केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन द्वारा आधुनिकतम बनाया जाता है और जिसके लिए वह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। यह एक क्रमिक कार्यक्रम है और राज्य सरकारें इस सुविधा का लाभ उठा रही है।

सी० 1 टर्मिनस जनकपुरी से केन्द्रीय सचिवालय के लिए सीधी बस सेवा

2816. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनकपुरी, नई दिल्ली के मुख्य टर्मिनस सी-1 टर्मिनस को बरास्ता उद्योग भवन केन्द्रीय सचिवालय के साथ जोड़ने के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं है,

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त सेवा के न होने के कारण क्षेत्र के दैनिक यात्रियों को ठेके पर चलने वाली बसों पर निर्भर रहना पड़ता है जो दिल्ली परिवहन निगम के स्थान पर लाभ कमा रही है,

(ग) क्या यह भी सच है कि क्षेत्र के निवासियों ने सीधी बस सेवा आरम्भ करने के लिए अधिकारियों के अनेक अभ्यावेदन भेजे हैं, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं। रूट नं० 720 पर प्रातः 9.25 बजे एक विशेष ट्रिप चलाने की व्यवस्था की गई है। इस ट्रिप की गाड़ी सीधे सी-1, जनकपुरी से बरास्ता उद्योग भवन के केन्द्रीय सचिवालय तक पहुंचती है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) जी, हां।

(घ) यात्रियों के अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, सी-1 जनकपुरी से केन्द्रीय सचिवालय के लिए रूट नं० 720 और 740 पर प्रातः कुछ विशेष ट्रिप चलाए जाते हैं।

नांगल राया दिल्ली, छावनी के रेल फाटक के निकट ऊपरी पुल

2817. **श्री मनफूल सिंह :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली छावनी में नांगल राया के रेल फाटक के निकट एक ऊपरी पुल के निर्माण योजना को स्वीकृति दे दी है,

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कार्य-रूप देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, और

(ग) योजना पर कितना खर्च होगा तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह परियोजना इसलिए कार्यान्वित नहीं की जा सकी क्योंकि पुल तक पहुंचने वाली सुरक्षा सड़क कैंटोनमेंट क्षेत्र में पड़ती है जिसके लिए अधिकारियों की अनुमति लेनी आवश्यक थी। सुरक्षा अधिकारियों ने परियोजना को कार्यान्वित करने की अनुमति दे दी है जो कुछ वित्तीय और अन्य शर्तों पर आधारित हैं। ये शर्तें दिल्ली नगर निगम ने स्वीकार कर ली है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस निर्माण कार्य के 1980-81 में किए जाने की सम्भावना है।

(ग) स्वीकृत लागत 181.90 लाख रुपये। शुरू होने के बाद लगभग 3 वर्ष।

बोनस

2818. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बोनस की 8.33 प्रतिशत की वर्तमान दर को स्थायी बनाने हेतु राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन-सी बातें सरकार के समक्ष महत्वपूर्ण रही है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) और (ख) विभिन्न संगठनों, संसद सदस्यों और अन्य पक्षों के साथ विभिन्न स्तरों पर इस विषय के सम्बंध में अनौपचारिक परामर्श किया गया है। सरकार चाहती है कि आगामी त्यौहारों के मौसम से पहले अधिनियम में उपयुक्त संशोधनों को पास किया जाये। अतः इस स्टेट पर राज्य सरकारों से औपचारिक परामर्श करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशों में आयुर्वेद का प्रचार

2819. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जून, 1980 के 'टाइम्स आफ इंडिया', नई दिल्ली में 'वेस्ट जर्मन टेक स्टेप्स टू प्रोपैगेट आयुर्वेद' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार इस दिशा में क्या सहायता दे रही है ;

(ग) क्या अन्य देशों में आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए इसी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किन देशों में और उनका क्या प्रभाव पड़ा है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां,।

(ख), (ग) और (घ) विदेशों में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार की कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, विदेशी प्रतिनिधि मंडलों को

भारत में आयुर्वेदिक संस्थाओं को देखने की सुविधायें प्रदान की जाती है । जो देश भारत में आयुर्वेद कालेजों में पढ़ने के लिए छात्रों को भेजते हैं, आयुर्वेदिक कालेजों में दाखिला देने में उनकी मदद भी की जाती है ।

एसिस्टेन्ट पर्सोनेल आफिसर के स्थान पर रुके रहने की निर्धारित अवधि

2820. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वच्छ प्रशासन को सुनिश्चित कराने के लिए उत्तर रेलवे में एक डिविजन में एक एसिस्टेंट पर्सोनेल आफिसर/डिवीजनल पर्सोनेल आफिसर के एक स्थान पर रुके रहने की कोई अवधि निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) एसिस्टेंट पर्सोनेल आफिसर्स के रूप में सेवावधि को शामिल करके वर्तमान एसिटेंस्ट पर्सोनेल आफिसर्स और डिवीजनल पर्सोनेल आफिसर्स के उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन में रुके रहने की कुल अवधि कितनी है ?

रेल उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अधिकारियों के एक स्थान पर तैनात रहने की कोई अवधि निश्चित नहीं की गयी है और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार जब भी आवश्यक होता है; स्थानांतरण किया जाता है ।

(ग) मुरादाबाद मंडल में कार्यरत वर्तमान सहायक कार्मिक अधिकारियों/मंडल कार्मिक अधिकारियों की मुरादाबाद में तैनाती की अवधि नीचे दी गयी है :—

नाम	किस तिथि से कार्य कर रहे हैं
सर्वश्री	
1. एल० सी० गुरु, म०का०अ०	अक्तूबर, 63 से अप्रैल, 70 तक सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में तथा 29-7-76 के बाद से मंडल कार्मिक अधिकारी के रूप में ।
2. एस० एस० लाल, स० का० अ०	6-9-75 अपराह्न
3. बी० के० सिन्हा, स० का० अ०	15-10-77 अपराह्न
4. एम० एन० खरे, स० का० अ०	7-5-1977
5. जी०एस०पी० वर्मा, स०का०अ०	6-8-1979

रेलवे में वैगनों का उपयोगीकरण

2821. **श्री आनन्द पाठक :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में चल रहे, जोनवार, कुल कितने वैगन हैं ; और

(ख) विभिन्न शेडों में माल उतारने के लिए एक महीने में औसतन कितने वैगन निष्क्रिय/अवरुद्ध पड़े रहते हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1-6-80 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलों पर (क्षेत्र-वार) माल डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :—

रेलवे	चौपहियों के हिसाब से	
	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
मध्य रेलवे	69712.5	1447
पूर्व रेलवे	91832.0	—
उत्तर रेलवे	63835.5	10116
पूर्वोत्तर रेलवे	1750.5	25917
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5442.5	20197
दक्षिण रेलवे	17082.5	12998
दक्षिण मध्य	31681.5	12504
दक्षिण पूर्व	100559.5	—
पश्चिम रेलवे	33122.0	27169
सभी रेलें	415018.5	110348

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तपेदिक और कोढ़ से ग्रस्त रोगी

2822. श्री छोटूभाई गामित : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1977 से मार्च, 1980 के बीच तपेदिक तथा कोढ़ से ग्रस्त रोगियों की संख्या कितनी थी ,

(ख) क्या इस संख्या की दृष्टि से, गुजरात में इन रोगों के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, और यदि हां, तो इसके कारणों का ब्योरा क्या है ;

(ग) इन बीमारियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ; और

(घ) वर्ष 1977 से 1980 के बीच, इन रोगियों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का अनुदान दिया गया और इन लोगों में वृद्धि को देखते हुए क्या गुजरात सरकार को कोई विशेष अनुदान देने का विचार है ; और यदि हां, तो कितनी राशि का और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1977 से 1980 के वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार जिन व्यक्तियों ने 1977-80 वर्षों के दौरान क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग का इलाज कराया है उनकी संख्या इस प्रकार है :—

क्षय रोग	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने 19 जिला क्षयरोग केन्द्रों में इलाज कराया।
31-3-1977	41,319
31-3-1978	43,329
31-3-1979	67,246
31-3-1980	41,104 (19 क्षयरोग केन्द्रों में से 15 क्षय रोग केन्द्रों से सूचना प्राप्त हुई है)

कुष्ठ रोग	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने इलाज कराया (लगभग)
31-3-1977	30,500
31-3-1978	38,200
31-3-1979	46,400
31-3-1980	53,700

(ख) इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि राज्य में क्षयरोग और कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य में निदान किए गए क्षयरोग/कुष्ठरोग से पीड़ित रोगियों की वर्ष-प्रति-वर्ष वृद्धि का कारण यह है कि जिला क्षयरोग केन्द्रों तथा कुष्ठरोग नियंत्रण यूनिटों और जनरल और मेडिकल संस्थाओं में क्षयरोग तथा कुष्ठरोग से पीड़ित रोगियों का पता लगाने की सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है और उनका विस्तार कर दिया गया है।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 995/80]

उड़ीसा में वंशधारा पुल

2823. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कोरापुट में गुनुपुर के निकट वंशधारा पुल के लिए एक परियोजना प्रतिवेदन मंजूरी के लिए उनके मंत्रालय के पास भेजा था,

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ था और इसे शीघ्र ही मंजूरी देने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं,

(ग) उक्त पुल के लिए "अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व" योजना के अधीन चालू वित्त वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय ने कितनी राशि दी है, और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त पुल के लिए मंजूरी कब दी जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) और (घ) इस पुल के लिए जो मुख्य रूप से राज्य की परियोजना है, केन्द्र द्वारा ऋण के रूप में 108 लाख रुपये की सहायता देना स्वीकार किया गया है। इसमें से अभी कुछ भी धनराशि नहीं दी गई है। यह पुल के बारे में ब्यौरेवार अनुमान की केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बाद हो सकता है। ये अनुमान उड़ीसा सरकार सर्वेक्षण कार्य, धरातल के नीचे की सतह की जांच और डिजाइन के काम के पूरा होने पर जो वह अभी भी कर रही है, भेज सकेगी।

कोरापुट-रायगडा रेल लाइन

2824. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने कोरापुट से रायगडा (दक्षिण-पूर्व रेलवे) तक नई रेल लाइन का सर्वेक्षण कराने के लिए अब तक कितना धन उपलब्ध किया है ;

(ख) यह सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ; और

(ग) उनके मंत्रालय ने सर्वेक्षण शीघ्र पूरा कराने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 6 लाख रुपये।

(ख) और (ग) मै० रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकानॉमिक सर्विसेज़ द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण के सितम्बर, 1980 तक पूरा हो जाने की आशा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वित्तीय सक्षमता तथा निधि की उपलब्धता और योजना आयोग द्वारा स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए इस बारे में कोई निर्णय लिया जायेगा।

दैनिक यात्रियों द्वारा रेलवे यात्रियों को परेशान किया जाना

2825. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को दैनिक यात्रियों द्वारा रेलवे यात्रियों को परेशान किए जाने और दिल्ली के आस-पास तथा अन्य नगरों में उपनगरीय रेलगाड़ियों को जंजीर खींचने तथा विलम्ब करने के अन्य तरीकों की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या का कोई प्रभावी हल ढूंढा जायेगा और यह किस संभावित तारीख तक ढूंढा जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ ।

(ख) दैनिक यात्रियों के लिए गाड़ियों की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे दैनिक यात्री लम्बी दूरी की गाड़ियों में यात्रा न करें । इस समस्या से निपटने के लिए बड़ी संख्या में टिकट परीक्षकों, रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस के कार्मिकों तथा मजिस्ट्रेटों को तैनात करके नियमित रूप से टिकटों की व्यापक और अचानक जांच की जाती है तथा दोषी व्यक्तियों और अनधिकृत यात्रियों के विरुद्ध नियमों के अधीन उचित कार्रवाई की जाती है । खतरे की जंजीर खींचने की बुराई और अन्य अनधिकृत गतिविधियां मूलत: कानून और व्यवस्था की समस्यायें हैं जिनसे निपटने के लिए लगातार कार्रवाई आवश्यक है और इसलिए इन अनधिकृत गतिविधियों को रोक पाने की कोई निश्चित तारीख बताना सम्भव नहीं है ।

माल टैरिफ सूची

2826 प्रो० नारायण चन्द पराशर: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा ढोई जा रही विभिन्न मदों के वर्गीकरण से सम्बन्धित टैरिफ सूची अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो वह किन-किन भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और उसकी प्रतिवर्ष अथवा सावधिक रूप से अंग्रेजी तथा अन्य प्रत्येक भारतीय भाषा में उपयोग हेतु कितनी प्रतियां प्रकाशित की जाती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर उपयोग के लिए उक्त प्रतियां कब तक उपलब्ध हो जायेंगी ?

रेल मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल द्वारा ढोये जाने वाले विभिन्न पण्यों के वर्गीकरण से सम्बन्धित भारतीय रेल सम्मेलन माल दर सूची भाग I (वाल्यूम II) फिलहाल केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है । पिछली बार यह 1-9-1976 को अंग्रेजी में जारी की गयी थी तथा प्रत्याशित प्रतियों की संख्या 27,840 थी ।

(ग) राजभाषा नियम, 1976 के अन्तर्गत, सभी सरकारी नियम पुस्तकों, नियमावलियों को अंग्रेजी हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है । तदनुसार, अब यह दर सूची द्विभाषी रूप (अंग्रेजी और हिन्दी) में छप रही है तथा इसकी प्रतियां शीघ्र ही सभी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध हो जायेंगी ।

दिल्ली तथा फिरोजपुर डिवीजनों में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक

2827. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के दिल्ली और फिरोजपुर डिवीजनों में कौन-कौन से और कहां-कहां पर बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक हैं ; और

(ख) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम उठाये जायेंगे कि इन रेलवे फाटकों पर, विशेष रूप से जिन पर प्रायः दुर्घटनाएं होती रहती हैं ; चौकीदार नियुक्त किए जाएं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर रेलवे के दिल्ली मण्डल में बिना चौकीदार वाले 477 समपार हैं तथा फिरोजपुर मण्डल में बिना चौकीदार वाले 908 समपार हैं । जिनकी संख्या नीचे दी गयी है :—

राज्य	दिल्ली मण्डल	फिरोजपुर मण्डल
उत्तर प्रदेश	12	—
हरियाणा	243	46
पंजाब	212	805
संघ शासित प्रदेश दिल्ली	3	—
संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़	7	—
राजस्थान	—	23
हिमाचल प्रदेश	—	11
जम्मू और कश्मीर	—	23
	477	908

(ख) रेलें बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार रखने के लिए उनकी आवश्यकताओं की समीक्षा हेतु सड़क और रेल यातायात की आवधिक गणना करती हैं जिसमें बहुत से तथ्य शामिल हैं जैसे यातायात का घनत्व, दृश्यता, दुर्घटना-स्थान आदि । ऐसी समीक्षाओं के आधार पर राज्य सरकारों के परामर्श से हर वर्ष कुछ समपारों पर चौकीदार रखने की व्यवस्था की जाती है ।

बम्बई उपनगरीय रेलगाड़ियों के संचालन के लिए प्रयुक्त रेक

2828. श्री आर० के० महानती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई उपनगरीय रेलगाड़ियों में मध्य और पश्चिम रेलवे में किस प्रकार के रेक प्रयोग में हैं ;

(ख) प्रत्येक प्रकार के 9 कार रेक को ले जाने की अंकित क्षमता क्या है ;

(ग) इसकी तुलना में भीड़-भाड़ के समय एक रेलगाड़ी द्वारा कितने यात्री यात्रा करते हैं ;

(घ) व्यक्तियों का प्रति वर्गमीटर अनुपात कितना निकलता है ; और

(ङ) उपनगरीय रेलगाड़ियों में प्रति वर्गमीटर यात्रियों के अनुपात के बारे में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तथा विश्व के कुछ महानगरों के तुलनात्मक आंकडे क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मध्य और पश्चिम रेलों पर उपयोग में लाये जा रहे बिजली गाड़ी के अधिकांश एक सवारी डिब्बा कारखाना मद्रास और मैसर्स जैसप्स कं० लि० कलकत्ता द्वारा बनाये गये हैं, लेकिन इसमें से कुछ रैंक इटली, जापान और ब्रिटेन से आयात किये गये थे ।

(ख) इन रैकों पर अंकित वहन क्षमता के अनुसार इसमें 1737 से 1788 यात्री ले जाये जा सकते हैं । परन्तु इनकी सघन भार क्षमता लगभग 2650 यात्री है ।

(ग) व्यस्त समय में एक में लगभग 3000 दैनिक यात्री यात्रा करते हैं ।

(घ) व्यस्त समय के दौरान यात्रियों का प्रति वर्गमीटर घनत्व 5.3 व्यक्ति है ।

(ङ) कलकत्ता और मद्रास की उपनगरीय गाड़ियों में प्रति वर्ग मीटर स्थान का उपयोग बम्बई से अधिक नहीं है । पता चला है कि जापान की राष्ट्रीय रेलें प्रति वर्ग मीटर 10.8 खडे हुए यात्री ले जाती रही है ।

600 नये ई० एम० यू० सवारी डिब्बे

2829. श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल प्रशासन ने 600 नए ई० एम० यू० सवारी डिब्बों के लिए आर्डर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) रेल प्रशासन को यह सवारी डिब्बे कब प्राप्त होंगे ; और

(घ) रेलवे जोनवार इनके आबंटन का अनुमानत: ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, बिजली गाड़ी के 648 सवारी डिब्बों के उत्पादन की योजना बनायी गयी है ,

(ख) और (ग) इन सवारी डिब्बों का उत्पादन और उनकी सप्लाई 1980-83 की अवधि में निम्न प्रकार होगी :—

वर्ष	सवारी डिब्बों की संख्या
1980-81	192
1981-82	228
1982-83	228

(घ) इनको विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के बीच सम्भावित आबंटन का ब्योरा इस प्रकार है :

रेलवे	सवारी डिब्बों की संख्या
मध्य	207
पूर्व	171
दक्षिण पूर्व	49
दक्षिण	140
पश्चिम	81

उत्तर कोंकण रेलवे प्रवासी संघ की ओर से अभ्यावेदन

2830. श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को 'द उत्तर कोंकण रेलवे प्रवासी संघ' पालघाट जिला थाना, महाराष्ट्र) के दिनांक 25 अप्रैल, 1980 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन में क्या मांगें की गई हैं ;

(ग) उपरोक्त प्रत्येक मांग पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो कब की जायेगी और उसके क्या परिणाम होंगे ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम, बम्बई और कलकत्ता पत्तनों में माल का चढ़ाया और उतारा जाना

2831. श्री के० ए० राजन : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 से 1979-80 के वर्षों के लिए कोचीन, मद्रास, विशाखा पत्तनम, बम्बई और कलकत्ता बंदरगाहों में जहाजों पर कुल कितना टनभार माल चढ़ाया गया और कितना उतारा गया, और

(ख) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में उपरोक्त प्रत्येक बंदरगाह में माल चढ़ाने व उतारने के कार्य में लगे श्रमिकों को कुल कितनी रकम के मजूरी बिलों का भुगतान किया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जहाजों में लादे गए माल (निर्यात) और उनसे उतारे गए माल (आयात) के संबंध में एक विवरण विवरण-1 पर संलग्न है।

(ख) मजदूरों की दी गयी मजदूरी की कुल धनराशि के बारे में एक विवरण विवरण-2 पर संलग्न है।

विवरण–1

(1) जहाजों पर चढ़ाया गया और उनसे उतारा गया माल

(लाख टन)

पत्तन	1977-78			1978-79			1979-80		
	निर्यात	आयात	कुल	निर्यात	आयात	कुल	निर्यात	आयात	कुल
कोचीन	12.49	39.25	51.74	12.41	42.29	54.70	11·00	43.48	54.48
मद्रास	35.14	45.54	80.68	42.95	52.77	95·72	44.44	59.28	103.72
विशाखा-पत्तनम	71.00	25.92	96.92	68.87	32.00	100.87	61.62	40.67	102.29
बम्बई	41.35	127.68	169.03	43.20	112.76	155.96	50.37	115.82	166·19
कलकत्ता (इसमें हल्दिया भी शामिल है)	35.84	39.65	75.49	27.13	52.66	79.79	25·54	60.01	85.55

*अनंतिम

विवरण-2

(क) माल लादने-उतारने के लिए नियुक्त कर्मीदलों को भुगतान की गयी कुल मजदूरी।

(लाख रु०)

पत्तन	1977-78	1978-79	1979-80
कोचीन	372.02	327.24	*367.37
मद्रास	433.41	443.94	472.37
विजाग	836.74	762.26	910.93
बम्बई	475.30	519.70	669.23
कलकत्ता (इसमें हल्दिया भी शामिल है)	1050.46	1179.74	1349.05

*अनन्तिम

आसनसोल एक्सप्रेस और ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस का देरी से चलना

2832. श्री बीनेन भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आसनसोल एक्सप्रेस और ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस गाड़ियां पिछले छः मास से देरी से चल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार ने उनकी समयबद्धता में सुधार करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं और उनका क्या परिणाम निकला ;

(घ) क्या आसनसोल एक्सप्रेस को अन्दल स्टेशन पर ठहराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विभिन्न विपरीत कारकों के बावजूद 305/306 आसनसोल एक्सप्रेस और 307/308 ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस का समय पालन, कुल मिलाकर संतोषजनक रहा। दिसम्बर, 1979 से मई, 1980 तक की अवधि के दौरान अप और डाउन दिशा में इन गाड़ियों का समय पालन 90% से अधिक था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन गाड़ियों तथा साथ ही अन्य महत्वपूर्ण गाड़ियों के चालन पर प्रतिदिन निगाह रखी जा रही है और परिहार्य विलम्ब के मामलों में यथा अपेक्षित उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) प्रस्ताव की जांच की जा रही है और गुण-दोष के आधार पर विनिश्चय किया जायेगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य पत्तनों पर भीड़भाड़ कम करना

2833. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य पत्तनों पर भीड़भाड़ कम हो गयी ; और

(ख) यदि हां, तो गत 15 महीनों के दौरान प्रत्येक माह की तुलनात्मक स्थिति के संदर्भ में बम्बई, काण्डला, कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम् तथा कलकत्ता पत्तनों पर जहाजों की 'टर्न-राउंड' की वर्तमान औसत अवधि क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जहाजों की 'वापसी' के बारे में एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

महीना	निम्नलिखित पत्तनों पर जहाजों की 'वापसी' में लगने वाली औसत अवधि					
	बम्बई	काण्डला	कोचीन	मद्रास	विशाखा-पत्तनम	कलकत्ता
मार्च, 1979	19.64	11.72	3.96	9.40	4.20	23.40
अप्रैल, 1979	19.65	11.77	4.29	9.40	7.70	23.90
मई, 1979	14.95	12.69	5.00	11.40	9.90	22.20
जून, 1979	15.35	6.52	5.75	10.95	10.60	25.20
जुलाई, 1979	15.65	16.41	6.08	13.80	8.10	23.70
अगस्त, 1979	14.55	13.60	6.67	15.70	8.00	27.40
सितम्बर, 1979	13.11	16.70	5.71	17.70	8.90	24.50
अक्तूबर, 1979	16.76	9.51	3.67	17.50	10.50	24.40
नवम्बर, 1979	11.52	11.89	7.21	15.10	9.20	27.00
दिसम्बर, 1979	11.98	15.64	5.50	20.70	16.10	29.70
जनवरी, 1980	10.71	10.03	4.54	16.30	12.00	21.90
फरवरी, 1980	9.62	9.22	5.79	12.50	10.20	16.50
मार्च, 1980	9.57	9.95	5.83	16.50	7.50	19.00
अप्रैल, 1980	8.96	8.04	6.46	10.50	4 49	15.00
मई, 1980	8.40	8.77	7.04	6.60	5.70	14.00

(अनन्तिम)

गत तीन वर्षों के दौरान कार्मिक संघों की मान्यता वापस लेना मान्यता देना

2834. **श्री राम विलास पासवान** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन कार्मिक संघों की मान्यता रद्द की गई है और किन्हें मान्यता दी गई है ;

(ख) प्रत्येक मामले में मान्यता रद्द करने अथवा मान्यता देने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) मान्यता रद्द करने/मान्यता देने के कितने मामले सरकार के विचाराधीन है और वे कब से विचाराधीन हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र में यूनियनों को मान्यता देने/उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही स्वैच्छिक अनुशासन संहिता के अन्तर्गत की जाती है। केन्द्रीय क्षेत्र में अनुशासन संहिता खानों, तेल क्षेत्रों, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा, वायु परिवहन तथा रेलवे, रक्षा डाक और तार तथा गाड़ियों एवं पत्तनों को छोड़कर केन्द्रीय मंत्रालयों के विभागीय उपक्रमों में लागू होती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में अनुशासन संहिता के अन्तर्गत यूनियनों को मान्यता देने/उनकी मान्यता को समाप्त करने के संबंध में उपलब्ध सूचना, संहिता के अन्तर्गत यूनियनों को मान्यता देने/उनकी मान्यता को समाप्त करने के मुख्य कारण तथा विचाराधीन मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) यूनियनों के नाम, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुशासन संहिता के अधीन मान्यता दी गई।

यूनियनों के नाम, जिनकी मान्यता को पिछले 3 वर्ष के दौरान रद्द किया गया.

1977

1. हिन्दुस्तान कॉपर इम्पलाइज एसोसिएशन (अग्निगुंडाला कॉपर लीड प्रोजेक्ट. वंडालामोतु (आंध्र प्रदेश).
2. रिजर्व बैंक आफ् इंडिया इम्पलाइज एसोसिएशन. त्रिवेन्द्रम (भारतीय रिजर्व बैंक, त्रिवेन्द्रम)
3. रिजर्व बैंक श्रेणी-4 कर्मचारी यूनियन, त्रिवेन्द्रम (भारतीय रिजर्व बैंक, त्रिवेन्द्रम)
4. पत्थर एवं चूना मजदूर कांग्रेस, सतना (सतना स्टोन तथा चूना पत्थर क्वारी, सतना).

अनुशासन संहिता का अनुपालन न किए जाने पर यूनियन की मान्यता को समाप्त किया जा सकता है। केन्द्रीय कार्यान्वयन और मूल्यांकन समिति (अगस्त, 1966) की बारहवीं बैठक में यह स्वीकार किया गया कि अनुशासन संहिता के उल्लंघन के कारण यूनियन की मान्यता समाप्त करने हेतु संबंधित कार्यान्वयन और मूल्यांकन समिति द्वारा उल्लंघन सिद्ध किया जाना चाहिए, न कि कार्यान्वयन तंत्र द्वारा। पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रक्रिया के

5. कोल वाशरीज वर्कर्स यूनियन, धनबाद. सेन्ट्रल कोल वाशरीज आर्गेनाइजेशन (एच.एस. एल.) धनबाद का केन्द्रीय कार्यालय).

6. भारी पानी कामगार संघ, बड़ौदा (हैवी वाटर प्रोजेक्ट, बड़ौदा).

7. हैवी वाटर इम्पलाइज यूनियन, टूटीकोरिन (हैवी वाटर प्रोजेक्ट, टूटीकोरिन)

8. कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी यूनियन (पश्चिम बंगाल क्षेत्र) (क० रा० बी० निगम पश्चिम बंगाल क्षेत्र).

9. डी० वी० सी० वर्कर्स यूनियन, बेरमो (डी० वी० सी० माइन्स, बेरमो).

10. ए० ओ० सी० लेबर यूनियन, डिगबोई (असम ऑयल कम्पनी, डिगबोई)

11. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी एसोसिएशन, अंकलेश्वर (तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, अंकलेश्वर).

अनुसार किसी ने भी यूनियन की मान्यता समाप्त करने के लिए मंत्रालय को नहीं लिखा है।

1978

12. मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन रामनगर कोलियरी ब्रांच (जामूल सीमेन्ट वर्कर्स लाइमस्टोन क्वारीज़ तथा पत्थरिया लाइमस्टोन क्वारी आफ ए० सी० सी० लिमिटेड).

13. खेतड़ी कॉपर मजदूर संघ (खेतड़ी कॉपर कम्पलेक्स).

1979

14. कोमोरोह लाइम स्टोन माइनिंग कम्पनी वर्कर्स यूनियन (मेघालय) (कोमोरोह लाइम स्टोन माइनिंग कम्पनी).

15. दायत्री आयरन ओर माइन्स लेबर यूनियन, दायत्री (दायत्री आयरन ओर माइन्स आफ मैसर्स उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड).

16. मिनरल एक्सपलोरेशन इम्पलाइज यूनियन, नागपुर (मिनरल एक्सपलोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर).

17. बलासीनोर क्वारी सेवलिया सीमेन्ट वर्कर्स इम्पलाइज यूनियन, बलासीनोर (गुजरात). (बलासीनोर क्वारी सेवलिया सीमेन्ट वर्कर्स आफ ए० सी० सी० लिमिटेड), बलासीनोर (गुजरात).

18. खेतड़ी ताम्र श्रमिक संघ
(चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट).

19. गवर्नमेन्ट आफ इंडिया टैक्सट् बुक्स प्रैस वर्कर्स यूनियन, भुवनेश्वर (गवर्नमेन्ट आफ इंडिया टैक्सट् बुक्स प्रेस, भुवनेश्वर).

20. गवर्नमेन्ट आफ इंडिया फोटो लिथो प्रेस कर्मचारी संघ, फरीदाबाद (गवर्नमेन्ट आफ इंडिया फोटो लिथो प्रेस, फरीदाबाद).

21. अग्निगुंडाला प्रोजेक्ट इम्पलाइज यूनियन, बंडालमोत (आन्ध्र प्रदेश) (अग्निगुंडाला कॉपर प्रोजेक्ट, बंडालमोत)

22. गवर्नमेन्ट आफ इंडिया टेक्सट् बुक्स वर्कर्स यूनियन, चंडीगढ़, (गवर्नमेन्ट आफ इंडिया टेक्सट् बुक्स प्रेस, चंडीगढ़).

(ख) मान्यता प्रदान करने के मुख्य कारण

सत्यापन प्रक्रिया के अंतर्गत यूनियन से मान्यता के लिए दावे या यूनियन को मान्यता देने के लिए प्रबन्धतंत्र से अनुरोध प्राप्त होने पर यह मंत्रालय संबंधित प्रतिष्ठान की सभी यूनियनों के प्रारंभिक ब्यौरे एकत्र करता है, ताकि उनकी पात्रता सुनिश्चित की जा सके। उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के पश्चात् केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार सभी पात्र यूनियनों की सदस्य संख्या के संबंध में सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के आधार पर यूनियन की, जो श्रमिकों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाली पाई जाती है, अनुशासन संहिता के अंतर्गत मान्यता के लिए सिफारिश की जाती है। उक्त उद (क) के सामने क्रमांक 1-18 और 21 पर निर्दिष्ट यूनियनों को इस कारण से मान्यता दी गई, क्योंकि इनकी सदस्य संख्या का सत्यापन किए जाने पर ये सबसे अधिक श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों के रूप में पाई गई। क्रमांक 19, 20 और 22 में निर्दिष्ट यूनियनों को इसलिए मान्यता

मान्यता को रद्द करने के मुख्य कारण

जैसाकि उपयुक्त मद (क) के सामने बताया गया है, ऐसा कोई मामला नहीं है, जिसमें अनुशासन संहिता की प्रक्रिया के अनुसार यूनियन की मान्यता समाप्त करने के लिए इस मंत्रालय को कहा गया हो। अतः यूनियनों की मान्यता को रद्द करने के कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता है।

दी गई, क्योंकि संबंधित प्रतिष्ठानों में केवल ये यूनियनें ही कार्य कर रही थी।

(ग)	मान्यता के लिए विचाराधीन मामलों की संख्या	मान्यता को रद्द करने के लिए विचाराधीन मामलों की संख्या
1-3 मास के बीच	8	शून्य
3-6 मास के बीच	3	—यथोक्त—
6 मास से अधिक अवधि के लिए	27	—यथोक्त—

कर्नाटक में बिछाई गई लाइनें

2835. श्री जनार्दन पुजारी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान कर्नाटक में कितनी रेल लाइनें बिछाई गईं ; और

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान कितनी नई रेल गाड़ियां चलाई जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) हसन-मैंगलोर लाइन का घाट खंड दिसम्बर, 1979 में खोला गया था।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान कर्नाटक क्षेत्र में अभी 5 जोड़ी गाड़ियां चलायी गयी हैं। कर्नाटक क्षेत्र में 4 जोड़ी अतिरिक्त रेल सेवाएं चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यथा व्यावहारिक कार्रवाई की जायेगी।

दिल्ली प्रशासन में होम्योपैथिक चिकित्सकों तथा औषध-कारकों के लिए छुट्टी-रिजर्व का प्रावधान

2836. श्री आनन्द पाठक : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के अधीन औषधालयों में नियुक्त होम्योपैथिक चिकित्सकों तथा औषध-कारकों के लिए छुट्टी रिजर्व का कोई प्रावधान नहीं है और इसके फलस्वरूप, उनमें से किसी एक के भी छुट्टी पर चले जाने से, एक औषध-कारक को चिकित्सक के रूप में तथा एक चिकित्सक को औषध-कारक के रूप में कार्य करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दिल्ली प्रशासन के होम्योपैथिक औषधालयों में डाक्टरों और फार्मेसिस्टों के लिये छुट्टी-रिजर्व में कोई पद नहीं हैं, तथापि फार्मेसिस्ट का डाक्टर के रूप में तथा डाक्टर का फार्मेसिस्ट के रूप में कार्य करने का कोई मामला उक्त प्रशासन के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) इस प्रस्ताव पर कार्यवाही की गई थी परन्तु बाद में वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसे छोड़ दिया गया था।

दिल्ली प्रशासन में कार्य कर रहे होम्योपैथिक डाक्टरों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की अदायगी

2837. श्री आनन्द पाठक : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के विभिन्न चिकित्सालयों तथा अस्पतालों में नियुक्त होम्योपैथिक डाक्टरों को, इन संगठनों में कार्यरत अन्य एलोपैथिक डाक्टरों पर लागू वर्तमान नियमों के अनुसार प्रैक्टिस-बंदी भत्ता दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन के अधीन विभिन्न चिकित्सालयों में नियुक्त होम्योपैथिक डाक्टरों को उक्त प्रैक्टिस-बंदी भत्ता नहीं दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत नियुक्त होम्योपैथिक डाक्टरों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देने के विषय पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

अलाभप्रद ब्रांच लाइनें

2838. श्री माधवराव सिन्धिया : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 में रेलवे द्वारा नियुक्त की गई समिति ने 77 ब्रांच लाइनों को अलाभप्रद के रूप में पाया था जिसके परिणामस्वरूप रेलवे की आय में भारी हानि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब इन रेलवे लाइनों की संख्या बढ़कर 111 से अधिक हो गई है जिसके परिणामस्वरूप और हानि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वार्षिक लेखों के सन्दर्भ में प्रत्येक वर्ष विभिन्न शाखा लाइनों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है और इस प्रकार, अलाभप्रद शाखा लाइनों की संख्या वर्ष प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न होती है। तदनुसार, वर्ष 1978-79 में अलाभप्रद पायी गयी शाखा लाइनों की संख्या 131 (25 म०ला०, 73 मी०ला०, 33 छो०ला०) है। लाभांश को छोड़कर इन लाइनों से लगभग 27 करोड़ रुपये की हानि हुई थी।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 15

2839. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 15 के बीकानेर-गंगानगर भाग में भारी यातायात को देखते हुए सरकार का विचार इस सड़क की चौड़ाई दुगनी करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) गंगानगर से सूरतगढ़ तक लगभग 140 किलोमीटर लम्बी सड़क के किनारे बिटुमन की पक्की पटरी बिछाई गई है ताकि 5.5 मीटर चौड़ी सड़क और मिल जाए। इस प्रकार तैयार सड़क यातायात के लिए पर्याप्त रहेगी। सूरतगढ़ के दक्षिण की ओर लगभग 60 किलोमीटर लम्बी सड़क को 5.5 मीटर चौड़ा करने के लिए अनुमानित खर्च की मंजूरी दे दी गई है तथा 30 किलोमीटर और सड़क को चौड़ा करने के लिए मंजूरी देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इस तरह, बीकानेर तक का लगभग 50 किलोमीटर लम्बा रास्ता शेष रह जाता है। इस शेष रास्ते को भी चौड़ा करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव की स्वीकृति साधनों की उपलब्धता और राष्ट्रीय राजमार्गों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करती है।

ब्यावर बिलाड़ा रेल लाइन

2840. श्री भगवान देव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान नई रेल लाइनों सम्बन्धी कार्यक्रम में ब्यावर से बिलाड़ा तक रेल लाइन को भी शामिल किया गया है क्योंकि इससे अजमेर से जोधपुर तक की दूरी कम हो जायेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो नई लाइन बिछाने के बारे में क्या मापदंड अपनाये जा रहे हैं ?

रेल उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : ब्यावर को बिलाड़ा से जोड़ने के लिए नयी रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में लाइनों सहित नयी लाइनों के निर्माण के बारे में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए अप्रैल 1978 में नियुक्त राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने हाल ही में योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। योजना आयोग इस रिपोर्ट की जांच कर रहा है और इस समिति की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर इस लाइन पर यथोचित ध्यान दिया जायेगा।

अनुसंधान कार्मिकों को प्रैक्टिस-बन्दी भत्ता दिया जाना

2841. श्री भगवान देव : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुर्वेदिक तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद् में अनुसंधान कार्मिकों को, जो कि औषधियों की देनी पद्धति के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, दिये जाने वाला प्रैक्टिस-बंदी भत्ता बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय आयुर्वेदिक तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय तथा उनके मंत्रालय की वित्तीय समिति ने उन्हें पिछली तारीखों से प्रैक्टिस बंदी भत्ता दिये जाने की सिफारिश की है , और

(घ) यदि हां, तो उन्हें प्रैक्टिस-बंदी भत्ता भूतलक्षी प्रभाव से कब से दिया जायेगा क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि पद्धति स्वयं एक नैदानिक पद्धति है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) तृतीय वेतन आयोग ने भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के डाक्टरों को प्रैक्टिस-बंदी भत्ता देने की सिफारिश नहीं की थी। उनकी सिफारिश यह थी कि जहां कहीं भी पहले से प्रैक्टिसबंदी भत्ता दिया जा रहा है वहां इसे बंद कर दिया जाये और संबंधित कार्मिकों को इस शर्त पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी जाये कि कार्यालय समय में न तो ऐसी निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति होगी और न ही इससे उनके सरकारी कर्तव्यों को निभाने में अन्य किसी प्रकार की बाधा पड़ेगी तथापि, बाद में यह समझा गया कि यदि इन डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी जायेगी तो इससे उनके सरकारी कर्तव्यों को निभाने में बाधा पड़ेगी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद तथा अन्य स्वायत शासी निकायों के अनुसंधान कार्मिकों को प्रैक्टिस बंदी भत्ता देने के बारे में भारत सरकार का स्वायत्त और परिवार कल्याण मंत्रालय विचार कर रहा है।

ब्रिटिश पार-पत्र धारियों की संख्या

2842. श्री दिग्विजय सिंह : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में ऐसे लगभग 38,000 ब्रिटिश पारपत्र धारी हैं जो ब्रिटेन में बसने का अधिकार चाहते हैं ;

(ख) भारत में ऐसे बड़े संगठन कौन से हैं जिन्होंने सहायता के लिए भारत सरकार को अर्जी दी है ; और

(ग) भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को राजी करने के लिए क्या कार्यवाही की है और उसमें कहां तक सफलता मिली है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार के पास ब्रिटेन जाने के लिए भारत में प्रतीक्षा कर रहे यू० के० के पासपोर्ट धारकों की संख्या के सम्बन्ध में कोई आंकड़े अथवा आंकलन उपलब्ध नहीं हैं।

13 मार्च, 1978 को प्रकाशित जातीय सम्बन्धों एवं आप्रवासन विषयक ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स की चयन समिति की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार, 24 फरवरी, 1977 को इस समिति को दिए गए ज्ञापन में ब्रिटिश होम आफिस ने बताया है कि, "ऐसा समझा जाता है

कि पूर्व एवं मध्य अफ्रीका में 38,000 से अधिक ऐसे पासपोर्टधारी नहीं हैं (जिनमें आश्रित भी शामिल हैं) जो इस योजना के अंतर्गत ब्रिटेन आने की पात्रता रखते हैं।" (यू० के० के पासपोर्ट-धारियों के प्रवेश के लिए वाउचर की योजना)।

लेकिन इसी समिति द्वारा उद्धृत ब्रिटिश होम आफिस के एक दूसरे ज्ञापन के अनुसार, "ऐसा समझा जाता है कि लगभग 38,000 यू० के० के पासपोर्टधारी, जिनमें उनके आश्रित भी शामिल हैं (जो किसी भी देश के राष्ट्रिक हो सकते हैं) अब भी विशेष वाउचर योजना के अन्तर्गत भारत से यूनाइटेड किंगडम में आने की पात्रता रखते हैं परन्तु इन आंकड़ों के बारे में काफी अनिश्चितता है। जो व्यक्ति यहां आना चाहते हैं उनकी संख्या के बारे के उपयुक्त आँकड़े देना सम्भव नहीं है।"

(ख) भारतीय ब्रिटिश पासपोर्टधारी संघ, जामनगर और भारत-अफ्रीकी एकजुटता लीग, राजकोट,

(ग) यद्यपि सरकार इस मसले को इस आधार पर ब्रिटिश सरकार के साथ अभी नहीं उठाना चाहती है कि इसकी जिम्मेदारी पूर्णत: ब्रिटिश सरकार पर है; लेकिन आशा है कि पासपोर्टधारियों के प्रति अपने दायित्वों को ब्रिटेन शीघ्र पूरा करेगा।

भारतीय नाविकों का वेतन और सेवा शर्तें

2843. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारवर्ड सीमैंस यूनियन आफ इंडिया ने भारतीय नाविकों के वेतन और सेवा शर्तों से संबंधित दस मांगों का एक मांग पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो वे मांगें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई उपाय किए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) फारवर्ड सीमैंस यूनियन आफ इंडिया, कलकत्ता ने नेशनल मैरीटाइम बोर्ड (इंडिया) बम्बई में पोतस्वामियों के पक्ष के सचिव के नो-सूत्री मांगें पेश की हैं।

(ख) (1) दिहाड़ी के आधार पर मजदूर रखने वाली प्रथा का उन्मूलन और भारतीय नाविकों को वर्ष भर रोजगार सुनिश्चित करना।

(2) 'काम से हटने' और 'काम पर रहने' की अवधि में 700/- रुपये प्रतिमास की दर से बेरोजगारी भत्ता।

(3) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विहित प्रतिमास न्यूनतम मजदूरी 78 (अठहत्तर) स्टर्लिंग पौंड।

(4) (1) मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1958 (1958 का 44) (2) इन्डियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट (सीमैंस इम्प्लायमेंट आफिस, कलकत्ता/बम्बई) रूल्स, 1954 (3) इंडियन मर्चेंट शिपिंग (सीमैंस मेडिकल इक्जामिनेशन) रूल्स, 1951, (4) दि सीमैंस प्राविडेंट फंड एक्ट, 1966

(1966 का 4) (5) इंडियन मर्चेंट शिपिंग (कंटीनुएस डिसचार्ज सर्टीफिकेट) रुल्स, 1960 और (6) रुल्स फार, 'अनइम्प्लायमेंट रिलीफ' टु फारेन गोइंग इन्डियन सीमेन में नाविक-विरोधी उपबन्धों को समाप्त करना।

(5) दोहरी मेडिकल जांच को समाप्त करना और परिवार चिकित्सा सहायता को फिर से शुरू करना।

(6) टनेज के आधार पर कर्मीदल की व्यवस्था।

(7) 'गुप्त मतदान' द्वारा यूनियन को मान्यता प्रदान करना।

(8) 'वार्षिक मजदूरी वृद्धि' देना शुरू करना और सभी को 20% बोनस देना और

(9) नौवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण, भारतीय और ब्रिटिश पोत स्वामियों और उनके सहायकों के एकाधिकार जन्य अन्य जघन्य, नाविक-विरोधी कार्यकलापों को पूरी तरह बन्द करना और भारतीय नाविकों की सभी आर्थिक समस्याओं/झगड़ों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों को अधिक अधिकारों का दिया जाना।

(ग) मांगों का यह ज्ञापन फार्वर्ड सीमैंस यूनियन आफ इन्डिया द्वारा नेशनल मैरीटाइम बोर्ड (इण्डिया) के कार्यालय को संबंधित है। नेशनल मैरीटाइम बोर्ड नाविकों की मान्यता प्राप्त यूनियनों की एक द्विपक्षीय संस्था है। फार्वर्ड सीमेन्स यूनियन मान्यताप्राप्त यूनियन नहीं है। इसलिए यह नेशनल मैरीटाइम बोर्ड की संघाटक सस्था नहीं है। इसलिए नेशनल मैरीटाइम बोर्ड ने एफ० यू० एस० आई० बम्बई/कलकत्ता द्वारा रखी गई मांगों पर विचार किया और 3 मार्च, 1980 को अन्तिम रूप से एक करार हुआ। पता चला है कि नेशनल मैरीटाइम बोर्ड ने एफ० एस० यू० आई० द्वारा भेजी गई मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया था।

आंध्र प्रदेश में सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए निधि

2844. **श्री कुसुम कृष्णमूर्ति** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से उस राज्य में सड़कों की स्थिति में सुधार हेतु और अधिक निधि के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार से अभी हाल ही में अपने राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कुछ कार्यों और इन कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक धन नियत करने के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसे नोट कर लिया गया है और इसे पूरा करने का हर संभव प्रयत्न किया जाएगा जो स्वीकार होने और धन के उपलब्ध होने पर निर्भर है।

अहमदाबाद और मारवाड़ के बीच एक अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाया जाना

2845. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गर्मी के दिनों में भारी भीड़-भाड़ को देखते हुए अहमदाबाद और मारवाड़ जंक्शन के बीच एक अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पिछले वर्ष अहमदाबाद-मारवाड़ स्पेशल गाड़ियों में अपेक्षाकृत कम यात्रियों द्वारा यात्रा किये जाने तथा अनिवार्य यातायात को बेहतर संचलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से यद्यपि इन गर्मियों के दौरान अहमदाबाद और मारवाड़ के बीच अलग से कोई ग्रीष्म कालीन स्पेशल गाड़ी नहीं चलायी जा रही है, फिर भी अहमदाबाद-आबूरोड और अहमदाबाद-दिल्ली के बीच स्पेशल गाड़ियां चलायी गयी थीं जिनसे अहमदाबाद-मारवाड़ के यात्रियों की भी सेवा हुई थी ।

दिल्ली-पलवल-दिल्ली शटल गाड़ी के चलने के समय की स्थिति सुधारना

2846. श्री मूलचंद डागा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 365 डाउन, 367 डाउन, 379 डाउन, 368 अप, 374 अप दिल्ली-पलवल-दिल्ली शटल गाड़ियों के समय पर चलने की स्थिति की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) इन गाड़ियों के समय पर चलने की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कार्यालयों में जाने वाले उपनगरीय क्षेत्रों के बहुत से यात्रियों पर इन गाड़ियों के देरी से चलने का कुप्रभाव पड़ता है ;

(घ) इस वर्ष इन गाड़ियों के देरी से चलने के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्रवाई की गई ; और

(ङ) निकट भविष्य में इनको समय पर चलाये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) मई, 1980 के दौरान 365 डाउन, 367 डाउन, 379 डाउन, 368 अप और 374 अप गाड़ियों के समय पालन का प्रतिशत क्रमशः 93.5, 100, 100, 45.1 और 48.7 था । सिवाय 368 अप और 374 अप गाड़ियों के जो दोनों नई दिल्ली/दिल्ली और पलवल के बीच वापसी शटल हैं और जिनके असंतोषजनक समय पालन ने दैनिक यात्रियों को प्रभावित किया है, अन्य गाड़ियों का समय पालन काफी अच्छा रहा । चालू वर्ष के दौरान उत्तर रेलवे को केवल छः शिकायतें प्राप्त हुई हैं । प्रत्येक शिकायत की जांच की गयी और उपयुक्त कार्रवाई की गयी । इन गाड़ियों को राजधानी और सर्वोदय एक्सप्रेस सहित डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों पर आमतौर से अग्रता दी जा रही है । अन्य गाड़ियों के साथ-साथ इन शटल गाड़ियों के समय से चलने पर क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर नजर रखी जा रही है ।

पलवल-दिल्ली तथा दिल्ली-पलवल गाड़ी के दैनिक यात्री

2847. श्री मूलचन्द डागा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलवल (मध्य रेलवे) से दिल्ली तथा दिल्ली से पलवल तक की उपनगरीय रेल गाड़ियों में औसतन कुल कितने यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं ;

(ख) इन यात्रियों को लाने ले जाने के लिए प्रत्येक लाइन पर कितनी गाड़ियां हैं और प्रत्येक गाड़ी में औसतन कितने डिब्बे लगाये जाते हैं ;

(ग) प्रत्येक डिब्बे में कितनी सीट होती है ; और

(घ) इन दैनिक यात्रियों से रेलवे को कुल कितना राजस्व प्राप्त होता है ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पलवल रेलवे स्टेशन पर शेड

2848. श्री मूल चन्द डागा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्रियों को धूप और वर्षा से बचाने के लिए पलवल रेलवे स्टेशन के मेन लाइन पर कोई शेड नहीं बनाए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार यात्रियों की इस असुविधा से बचाने के लिए इन प्लेटफार्मों पर शेड बनाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इनको कब तक बनाया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इन स्टेशन के चार प्लेटफार्मों में से एक प्लेटफार्म पर पहले ही छतदार शेड की व्यवस्था की जा चुकी है जिसका क्षेत्रफल 215 वर्गमीटर है। दूसरे प्लेटफार्म पर (जिस पर स्टेशन की इमारत स्थित है) तीसरे दर्जे का प्रतीक्षालय और ऊंचे दर्जे का प्रतीक्षालय (जिसका क्षेत्रफल लगभग 250 वर्गमीटर है) जो छतदार हैं और यात्रियों के लिए सायबान का काम करते हैं। तीसरे प्लेटफार्म पर एक छतदार शेड का निर्माण करने का प्रस्ताव है और इस काम को इस वित्तीय वर्ष में शुरू किये जाने की सम्भावना है। इस स्टेशन के यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए और अधिक शेडों के निर्माण के प्रस्तावों पर भविष्य में विचार किया जायेगा।

स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जाना

2849. श्री छीतूभाई गामित : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी जनता को इस समय भोजन में औसतन कितनी कैलोरी प्राप्त होती है और पड़ोसी देशों में यह कितनी है ; और

(ख) सरकार हमारी जनता को भोजन के आदतों के मामले में उन्हें पोषाहार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् 1972 से दस राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, प० बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आहार संबंधी सर्वेक्षण

कर रही है और यह देखा गया कि 1978 में इन राज्यों के लोगों को आहार में औसतन 2,340 कैलोरी मिलती थी ।

1977 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित चतुर्थ विश्व खाद्य सर्वेक्षण के अनुसार 1972-74 के वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति को आहार में निम्नलिखित कैलोरी मिली थी :—

अफगानिस्तान	— 2000
बर्मा	— 2131
बंगलादेश	— 1949
नेपाल	— 2015
पाकिस्तान	— 2132
श्रीलंका	— बताई नहीं गई
भारत	— 1970

(ख) लोगों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों तथा जन स्वास्थ्य रक्षकों के जरिये पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है । राष्ट्रीय पोषण संस्थान और केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालय इन विषयों पर पैम्फलेट, फोल्डर और पोस्टर छापते हैं । आकाशवाणी और दूरदर्शन पर वार्तालाप तथा चर्चायें की जाती हैं ।

खेतिहर श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी के बारे में श्रम ब्यूरों द्वारा किया गया अध्ययन

2850. श्री छीतूभाई गामित : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम ब्यूरो ने हाल में खेतिहर श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी के बारे में कोई अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) और (ख) जी, नहीं । श्रम ब्यूरो ने हाल में खेतिहर श्रमिकों की प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है ।

साकेत सरकारी कालोनी के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवाएं

2851. श्री दयाराम शाक्य : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवाएं साकेत (एम० बी० रोड) सरकारी कालोनी, नई दिल्ली के दैनिक यात्रियों के लिए पर्याप्त है,

(ख) इस कालोनी के लिए जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, दिल्ली परिवहन निगम के कितने रूट हैं, और

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने डी० डी० ए० फ्लैट्स कालकाजी के लिए नए रूट आरम्भ किये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 10

(ग) हाल में कोई नया रूट चालू नहीं किया है । इस कालोनी के लिए पिछला रूट 13-8-1979 को चालू किया गया था ।

माल डिब्बों की कमी का चाय के निर्यात पर बुरा प्रभाव

2852. श्री आनन्द पाठक :
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेल माल डिब्बों की कमी का चाय के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी नहीं ।

(ख) चाय के निर्यात के लिए माल डिब्बों की मांगें सब की सब पुरी कर दी गयी हैं ।

झींगरी महल्ला की तरफ जाने वाली सुरंग

2853. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि झींगरी महल्ला कसाईंग-हल्ला की ओर जाने वाली सुरंग की दशा बहुत खराब है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने रेलवे लाइन की सुरक्षा करने तथा स्थानीय लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिए वहां पर दो रास्ते वाली सुरंग बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सड़क के नीचे बहने वाले भूमिगत नाले में गाद इकट्ठी हो जाने के कारण आसनसोल टाउन की पश्चिम दिशा में निचला सड़क पुल भारी वर्षा में जलमग्न हो जाता है । नाले को साफ करने की जिम्मेदारी स्थानीय नगरपालिका की है ।

(ख) दोहरे मार्ग वाली सुरंग के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन एक ऊपरी पैदल पुल के निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी गई है जिसका पैदल यात्रियों द्वारा सुविधा वर्क इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है । जून, 81 तक इस कार्य के पूरा हो जाने की संभावना है ।

पश्चिम बंगाल में वैगन का उत्पादन करने वाले एकक

2854. श्री दीनेन भट्टाचार्य :

श्री सुशील भट्टाचार्य :

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में वैगन का उत्पादन करने वाले एककों के नाम क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एककवार और वर्षवार, इन एककों की क्षमता और निर्माण कितना है ,

(ग) रेलवे प्राधिकारियों द्वारा, वर्षवार, कितने वैगनों का क्रयादेश दिया गया था ;

(घ) क्या यह सच है कि रेलवे इन एककों को न तो क्रयादेश देता है और न ही वास्तविक मूल्य देता है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(च) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने रेलवे विभाग की सप्लाई आर्डर में वृद्धि करने के लिए कहा है ; और

(छ] यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 996/80]

(घ) जी नहीं। पश्चिम बंगाल में माल डिब्बे बनाने वालों को माल डिब्बों के आर्डर दिये जा रहे हैं जिन माल डिब्बों का आर्डर दिया जाता है, उनका मूल्य वैगन इंडिया लि० के साथ बात-चीत करके रेल मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है, जो कि माल डिब्बा उद्योग की ओर से बात-चीत के लिए एक प्राधिकृत विकास है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी हां।

(छ) रेल मंत्रालय पहले ही 1980-81 में अधिक संख्या में अर्थात् चौपहियों के हिसाब 13000 माल डिब्बों के उत्पादन के लिए निधि के आवंटन हेतु कार्रवाई कर चुका है। इनमें से चौपहियों के हिसाब से 11400 माल डिब्बे उद्योग से और 1600 माल डिब्बे रेल कारखानों में तैयार किये जायेंगे।

बिहार कोयला क्षेत्रों को वैगनों का आना जाना

2855. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिमी बंगाल और बिहार कोयला क्षेत्रों को इस समय जो वैगन आते जाते हैं उनका दैनिक औसत 5,400 वैगनों का है जबकि उनकी न्यूनतम आवश्यकता 6.600 वैगन है, और

(ख) यदि हां, तो बिहार और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों के लिए वैगनों की सप्लाई सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जनवरी, 80 से जून, 80 के दौरान पश्चिम बंगाल-बिहार कोयला खानों से कोयले के प्रतिदिन औसतन 5300 माल डिब्बे से 5800 माल डिब्बे तक का लादान हुआ जबकि कोयला विभाग ने प्रतिदिन लगभग 5900 माल डिब्बों की आवश्यकता बतायी थी।

(ख) भारी सूखे की स्थिति के कारण बड़ी संख्या में माल डिब्बों को अनाज के लादान के काम में लाना पड़ा जिसकी वजह से कोयले के माल डिब्बों के लादान और संचलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। साथ ही, बिजली में भारी कटौती के कारण यार्डों और कोयला पाएलट के परिचालन तथा रेल इंजनों और चल स्टाक के अनुरक्षण पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। बिजली सप्लाई की स्थिति में प्रत्याशित सुधार हो जाने पर लादाग की दर में सुधार होने की संभावना है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं का विकास

2856. श्री के० पी० सिंह देव :
श्री मनफूल सिंह चौधरी :
श्री भीकू राम जैन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं का विकास करने के लिए एक दस वर्षीय योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस विशेष उल्लेख सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, मील दूरी कितनी होगी, कितना क्षेत्र उसके अंतर्गत आयेगा और कितना परिव्यय मंजूर किया जायेगा, और

(ग) उक्त योजना कब से लागू होगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ख) कोई विशिष्ट योजना नहीं तैयार की गई है। लेकिन भारत सरकार द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए गठित मंत्रियों की समिति में इस पर कुछ विचार विमर्श किया गया है। इस मामले पर यह समिति अभी आगे भी विचार करेगी।

ढेंकानल जिले में हाल्ट

2857. श्री के० पी० सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री हाल्ट बनाने का मानदण्ड क्या है,

(ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे में राजनाथगढ़ और तालचेर के बीच ढेंकानल, जिला उड़ीसा में कितने गाड़ी हाल्ट हैं ; और

(ग) यात्री हाल्ट बनाने के लिए सरकार के पास कितने प्रस्ताव अनिर्णीत पड़े है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आम तौर पर यात्री हाल्ट तब खोला जाता है जब दो निकटवर्ती स्टेशनों के बीच काफी दूरी हो, वहां काफी मात्रा में यातायात होता हो और यात्री हाल्ट खोलना वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण हो। हाल्ट स्टेशन यात्री सुविधा के आधार पर भी खोला जाता है, चाहे ऐसा करने से मामूली आवर्ती घाटा ही क्यों न हो। बशर्ते कि वह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो और वहां परिवहन का कोई अन्य उपयुक्त साधन न हो। इसके अलावा यात्री हाल्ट का खोलना परिचालन तथा इंजीनियरी दृष्टि से भी व्यावहारिक होना चाहिए।

(ख) पांच

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में पुलिया बनाना

2858. श्री के० पी० सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के पुलियों का निर्माण करने के संबंध में क्या मानदण्ड है जिससे कि वर्षा के जल को सिंचाई के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सके,

(ख) क्या उड़ीसा में पुलियों के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन है,

(ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे के राजपीठगढ़-तालचेर सेक्शन के पास विचाराधीन उक्त प्रस्तावों की संख्या एवं ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कार्य को आरम्भ करने तथा पूरा करने की प्रस्तावित तिथियां क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सिंचाई के प्रयोजन के लिए रेल लाइनों पर पुलियों के निर्माण का प्रस्ताव उन पर आने वाली लागत (प्रारम्भिक तथा आवर्ती दोनों) को वहन करने की सहमति सहित राज्य सिंचाई विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजित किया जाना अपेक्षित होता है।

(ख) से (घ) राजपीठगढ़-तालचेर खंड पर पुलियों के निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। लेकिन उड़ीसा राज्य में भद्रक-खुर्दारोड खंड के मंजूरी रोड और बैतरणी रोड स्टेशनों के बीच कि० मी० 371/651 पर एक पुलिया के लिए एक प्रस्ताव किया गया है इस निर्माण कार्य से संबंधित अनुमान को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस अनुमान को स्वीकार कर लिये जाने और उनके द्वारा इस के लिए धन जमा करा देने के पश्चात् ही काम प्रारम्भ किया जायेगा।

सम्भलपुर-टिटलागढ़ खंड पर खालियापाली और लोलसिंघा के बीच लाइन के आरपार एक नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और दिसम्बर, 1980 तक इस काम के पूरा हो जाने की संभावना है।

बनारस-छपरा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2859. प्रो० सत्यदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस से छपरा तक की रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा और कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ; और

(ग) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है तो क्या सरकार का बनारस छपरा रेल लाइन को यथाशीघ्र बड़ी लाइन में बदले जाने के संबंध में एक योजना बनाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 206 कि०मी० लम्बी वाराणसी-छपरा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के संबंध में परिचालनिक आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण का काम जारी है। आशा है रिपोर्ट शीघ्र ही तैयार हो जायेगी और उसके बाद निर्णय लिया जायेगा।

"ओलम्पिक-विरोधी गतिविधियों में सी० आई ए० सक्रिय" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

2860. श्री भगवान देव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जून, 1980 के "हिन्दुस्तान" में "ओलम्पिक-विरोधी गतिविधियों में सी० आई० ए० सक्रिय" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार ने 19 जून, 1980 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित यह खबर देखी है।

(ख) और (ग) चूंकि खेलों का आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा किया जाता है, जो कि सरकारों से स्वतंत्र निकाय है, इसलिए सिद्धान्ततः यह उक्त समिति का ही कर्तव्य है कि वह इस प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान रखे। सरकार यह उम्मीद करती है कि खेलों को राजनीति से अलग रखा जायेगा।

विदेश सचिव की चीन यात्रा

2861. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री पी० एम० सईद :

श्री चिरंजी लाल शर्मा :

श्री शान्ताराम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के विदेश मंत्री को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने भारत यात्रा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है ;

(ग) क्या हमारे मंत्रालय के सचिव उन विषयों पर चीनी नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए पीकिंग गये थे जिन पर यहां बातचीत की जानी है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) क्या भारत में चीन के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान उनके साथ जिन ठोस विषयों पर बातचीत की जायेगी, उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां। फरवरी, 1979 में हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री की चीन की यात्रा के बदले में चीन के विदेश मन्त्री हमारे निमन्त्रण पर भारत की यात्रा करेंगे।

(ग) विदेश मंत्रालय के सचिव ने चीनी प्राधिकारियों के साथ आपसी हितों के मामलों पर बातचीत करने के लिए चीन की यात्रा की।

(घ) इस यात्रा से दोनों पक्षों को अन्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय मामलों पर एक-दूसरे के विचारों को बेहतरर ढंग से समझने में मदद मिली।

(ङ) चीन के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान होने वाली बातचीत की कार्य सूची को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन आशा है कि आपसी हितों के सभी मामलों पर उनके साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

खाद्यान्नों को लाने ले जाने के लिए वैगन

2862. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री पी० एम० सईद : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने खाद्यान्नों के परिवहन के लिए वैगनों के आवंटन में भारतीय खाद्य निगम और उच्च सरकारी एजेंसियों को उच्च प्राथमिकता दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आरोप लगाया है कि खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए वैगन निजी व्यापारियों को मुक्त रूप से दिये जा रहे थे जबकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किया गया खाद्यान्न खुले में रखा गया है ;

(ग) क्या जांच से यह पता चला है कि इसके परिणामस्वरूप वैगनों के आवंटन में असंतुलन पैदा हो गया है और इससे एक ओर अधिक खरीद करने के लिए निजी व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया है तो दूसरी ओर राज्य एजेंसियों द्वारा की जाने वाली खरीद पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) क्या निजी और सरकारी एजेंसियों को वैगनों के आवंटन के लिए कोई फार्मूला निकाला गया है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) समय-समय पर लागू परिचालनिक प्रतिबन्धों का पालन करते हुए मांग-पत्रों को प्राथमिकता और वरिष्ठता के आधार पर माल-डिब्बों का आवंटन किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम की मांग को प्राथमिकता 'बी' के अन्तर्गत रखा जाता है जबकि व्यापारियों की मांग को प्राथमिकता 'डी' के अन्तर्गत रखा जाता है।

नई तथा पुरानी परियोजनाओं को नया रूप देना

2863. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे नई तथा पुरानी परियोजनाओं को नया रूप देने पर विचार कर रहा है जिस पर 900 करोड़ रुपये खर्च होंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं में 30 नई रेल लाइनें और 45 गेज बदलने की योजनायें भी शामिल हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 1980–81 में (31-3-80 से पहले अनुमोदित) नयी लाइनों की 26 परियोजनाओं और आमान परिवर्तन की 15 योजनाओं पर काम चल रहा है जिनकी कुल लम्बाई 5640 किलोमीटर है। ये लाइन पूरे भारत में फैली है। सूरतगढ़-भटिंडा मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव, हसन-मंगलूर के बीच मीटर आमान का नया रेल सम्पर्क, शाहदरा से शामली तक नयी बड़ी लाइन, तिरुवनन्तपुरम-नागरकोइल-कन्याकुमारी नयी बड़ी लाइन, रोहतक-भिवानी नयी बड़ी लाइन पहले ही पूरी की जा चुकी है और यातायात के लिए खोल दी गई है। इन लाइनों पर अवशिष्ट कार्य पूरा किया जा रहा है। वीरमगाम-ओखा-पोरबन्दर आमान परिवर्तन योजना के पहले चरण, अर्थात् वीरमगाम से हापा तक की लाइन भी इस महीने बड़ी लाइन यातायात के लिए खोल दी गयी है। 1980-81 के बाद शेष परियोजनाओं को उत्तरोत्तर एक-एक करके पूरा कर दिया जाएगा।

इन सभी परियोजनाओं पर 900 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान लगाया गया है और इसमें से 31 मार्च, 1980 तक 317 करोड़, रुपये खर्च किये जा चुके हैं। 1980-81 के लिए 87,43 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गयी है।

कुल मिलाकर 285 कि० मी० लम्बी नयी लाइनों की चार परियोजनाएं जिन पर लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत आयेगी, 1980-81 के बजट में शामिल की गई है और 1980-81 में इनके लिए 2.40 करोड़ रुपये का परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। इन्हें भी लगभग 5-6 वर्षों में पूरा कर दिया जाएगा।

हिन्दुस्तान लेटक्स फैक्टरी के अस्थायी/नैमित्तिक कर्मचारी

2864. **श्री वी० के० नायर :** क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लेटेक्स फैक्ट्री में बहुत से अस्थायी/नैमित्तिक कर्मचारी काम पर लगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें किस-किस अवधि के लिए नियोजित किया गया ;

(ग) इन कर्मचारियों को क्या मजूरी दी गई और स्थायी कर्मचारियों की निम्नतम श्रेणी के कर्मचारी को कितनी मजूरी दी गयी ;

(घ) अस्थायी/नैमित्तिक कर्मचारियों को कितना बोनस दिया गया और बोनस किस आधार पर दिया जाता है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों को नियमित उपस्थिति रजिस्टर में शामिल करने और उनकी सेवा की शर्तों को एकीकृत करने का है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) हिन्दुस्तान लेटेक्स फ़ैक्ट्री में गैर-सूचीबद्ध कार्यों के लिए, जो नियतकालिक किस्म के होते हैं, समय-समय पर नैमित्तिक मजदूर लगाये जाते हैं ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भिन्न भिन्न समय के लिए ऐसे 200 मजदूर नियुक्त किये गये थे ।

(ग) अकुशल नैमित्तिक मजदूर को प्रतिदिन 6/- रुपये मजदूरी तथा सस्ता खाना मिलता है । स्थायी कर्मचारियों के निम्नतम वर्ग का मूल वेतन 195/- रुपये प्रति मास तथा सामान्य भत्तों से शुरू होता है ।

(घ) नियमों के अनुसार जिन नैमित्तक कर्मचारियों की सेवा में बीच-बीच में भंग होती रहती हैं उनको बोनस नहीं दिया जाता है ।

(ङ) और (च) नैमित्तक कर्मचारियों को हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड में नियमित रूप से खपाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

निरोध के उत्पादन में कमी

2865. श्री जी० के० नायर : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हिन्दुस्तान लेटेक्स फैक्ट्री में निरोध और अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले मौसम सम्बन्धी गुब्बारों का उत्पादन कम होने लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन उत्पादों के प्राइवेट निर्माताओं ने इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा दिया है ;

(घ) क्या सरकार ने इस अवधि में प्राइवेट फर्मों से अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले मौसम सम्बन्धी गुब्बारों की खरीद की है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ,

(च) राष्ट्रीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान लेटेक्स में पर्याप्त संख्या में गुब्बारों का उत्पादन करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जैसा कि निम्नलिखित उत्पादन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकारी उपक्रम मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड़ में निरोध के उत्पादन में कोई खास कमी नहीं हुई है :–

(उत्पादन आंकड़े दस लाख में)

1978-79	182.53
1979-80	181.04

तथापि दिसम्बर, 1978 से हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड फैक्ट्री में अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले मौसम सम्बन्धी गुब्बारों का उत्पादन बन्द कर दिया गया था क्योंकि इसके एकमात्र खरीददार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से इन गुब्बारों की क्वालिटी के सम्बन्ध में मतभेद हो गये थे।

(ग) जी नहीं। इस अवधि से सम्बन्धित इस आशय का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

(घ) और (ङ) जी हां, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मैसर्स पवन रबड़ प्रोडक्ट्स, पुणे (निजी क्षेत्र की एक फर्म) और विदेश से अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले मौसम सम्बन्धी गुब्बारे निम्नलिखित मात्रा में खरीदे हैं :—

	स्वदेशी गुब्बारे	आयातित गुब्बारे
1978-79	16,624	12,500
1979-80	16,000	12,500

(च) फिलहाल हिन्दुस्तान लेटेक्स फैक्ट्री, त्रिवेन्द्रम में इन गुब्बारों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से इन गुब्बारों की बिक्री सम्बन्धी मतभेदों को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि वर्तमान संयंत्र में इनका उत्पादन फिर से शुरू किया जा सके।

काजू उद्योग में मजूरी

2866. श्री वी० के० नायर :

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में काजू उद्योग में दी जाने वाली मजूरी की तुलनात्मक दरें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि मजूरी की दरों में बहुत अधिक अन्तर होने की वजह से यह उद्योग केरल से उठकर पड़ोसी राज्यों में पहुंच रहा है जिसके परिणामस्वरूप इस राज्य में एक लाख बीस हजार मजदूर दस माह से भी अधिक समय तक बेरोजगार रहते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मजूरी की दरों में व्याप्त असमानता को कम करने का है अथवा इस बारे में कई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) कर्नाटक और केरल में काजू उद्योग में महत्वपूर्ण वर्गों के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। तमिलनाडु सरकार ने काजू उद्योग में विनियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजदूरी-दरें अभी तक निर्धारित नहीं की हैं।

(ख) से (घ) काजू उद्योग में न्यूनतम मजदूरी-दरों में असमानता की समस्या को केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाया गया है। इस समस्या पर पिछली बार 27 जनवरी, 1978 को त्रिवेन्द्रम में हुई दक्षिणी क्षेत्रीय श्रम मंत्री सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था जब यह माना गया कि समिति द्वारा इस प्रश्न की जांच की जाए। तदनुसार, एक समिति गठित की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें कीं ताकि केरल और

समीपवर्ती राज्यों में काजू उद्योग में मजदूरी की न्यूनतम दरों में असमानता को कम किया जा सके। केन्द्रीय सरकार काजू समिति की सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मामले की पैरवी कर रही है।

विवरण

क्रमांक	श्रमिकों का वर्ग	केरल मूल मजदूरी (1-9-1975 से लागू)	महंगाई भत्ता	*कर्नाटक मूल मजदूरी (महंगाई भत्ते को छोड़कर) 2-10-1975 से लागू
1.	शेलर	38 पैसा प्रति 500 ग्राम छिलका उतारी हुई गिरी, जो वजन करने की मशीन पर भेजी गई।	800 प्वाइंटों से अधिक प्रति पांच पूरे प्वाइंट के लिये 2 पैसा प्रतिदिन	हाथ द्वारा छिलका उतारना 25 पैसा प्रति 500 ग्राम छिलका उतारी हुई पूरी गिरी। मशीन द्वारा छिलका उतारना 25 पैसा प्रति 500 ग्राम छिलका उतारी हुई पूरी गिरी, जो वजन करने की मशीन पर भेजी गई।
2.	पीलर्स	47 पैसा प्रति 500 ग्राम छिलका उतारी हुई पूरी गिरी, जो वजन करने की मशीन पर भेजी गई।	उपर्युक्त महंगाई भत्ते की अतिरिक्त पहली जनवरी और पहली जुलाई को प्रत्येक छः माह महंगाई भत्ते का समायोजन	25 पैसा प्रति 500 ग्राम छिलका उतारी हुई पूरी गिरी, जो वजन करने की मशीन पर भेजी गई। 13 पैसे प्रति 500 ग्राम छिलका उतारे हुए टुकड़े, जिन्हें वजन करने की मशीन पर पहुंचाया गया
3.	ग्रेडर (प्रतिदिन समय दर पर)	4.75 रुपये	-यथोक्त-	3.75 रुपये

नोट :—तमिलनाडु में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजदूरी दरें अभी तक निर्धारित नहीं की गई हैं।

* —कर्नाटक श्रमिकों के लिए बेसिक मजदूरी 2.50 रुपये होगी। जहां महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, वहां इसे वर्तमान दर पर जारी रखा जायेगा। कर्नाटक सरकार ने मजदूर-दरों में संशोधन के लिए 26-2-1979 को एक समिति नियुक्त की है।

केरल जाने वाली गाड़ियों में अपराध

2867. श्री बी० के नायर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पूर्वी रेलवे कोल्लम और दक्षिण रेलवे पर त्रिवेन्द्रम मेल तथा केरल जाने वाली अन्य गाड़ियों में यातायात अवरोध, यात्रियों को तंग करने, स्त्रियों के साथ छेड़खानी करने, हमला करने और डकैती की कई घटनाएं हो चुकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इन घटनाओं की रोकथाम करने और पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। बहरहाल 1979 में आरक्षित और ऊंचे दर्जे के डिब्बों में अन्य यात्रियों के घुस जाने के कारण गाड़ियों के रोके जाने के दो मामलों की रिपोर्ट मिली थी। 1980 में अभी तक ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है। नवम्बर, 1978 में ओलवक्कोड़ और वालभार स्टेशनों के बीच डकैती के एक मामले की रिपोर्ट मिली थी। 1979 में डकैती के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली और 1980 में भी अभी तक ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) ऐसी घटनाओं से बचने के लिए महत्वपूर्ण गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाये जा रहे हैं। आरक्षित डिब्बों में दैनिक यात्रियों के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए कुछ चुनी हुई गाड़ियों में मार्ग रक्षा के लिए सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के जवान गाड़ी के साथ चलते हैं। ऐसे मामलों में रेलें कोई क्षतिपूर्ति नहीं देती।

उद्योगों में कोयले की वैगनों का आबंटन

2868. श्री गुलाम रसूल कोचक :

श्री पी० एम० सईद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार जुलाई, 1980 से उद्योगों को कोयले की वैगनों का आबंटन बढ़ाने की स्थिति में होगी,

(ख) यदि हां, तो जुलाई तक स्थिति में सुधार न हो पाने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि बरसात में स्थिति सामान्यतः बिगड़ जाती है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) कोयला लदान क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई में बार-बार रुकावट आने, भीषण और ताप बिजली घरों को अधिक कोयले की सप्लाई किये जाने कारण, खासकर बंगाल-बिहार क्षेत्रों से उद्योगों के लिए कोयले के लदान की दैनिक औसत दर, विशेषकर विगत कुछ महीनों के दौरान कम रही थी। आशा है, मानसून प्रारंभ होने पर, ताप बिजलीघरों की कोयले की आवश्यकता में कमी आयेगी और बिजली सप्लाई की स्थिति में सुधार होगा जिससे वर्षाकालीन ऐसी दिक्कतों के बावजूद जिनका बरसाती मौसम में कोयले के लदान पर कुछ क्षेत्रों मे सामान्यतः प्रभाव पड़ता है, उद्योगों को कोयले का और अधिक संचलन हो सकेगा।

आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में सड़क संचार की सुविधाएं

2869. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में सड़क संचार की सुविधाएं देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम हैं ;

(ख) यदि हां, तो आदिवासी क्षेत्रों में अब तक राज्यवार उपलब्ध कराई गई सड़क संचार की सुविधाएं क्या हैं ; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं में आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) नौवहन और परिवहन मन्त्रालय केन्द्रीय क्षेत्र के सड़क कार्यक्रम की देखभाल करता है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, केन्द्र आयोजित स्कीमें जैसे आर्थिक और अंतर्राज्यीय महत्व की राज्य सड़कें और सीमावर्ती इलाकों में सामरिक सड़कें आदि आती हैं। सभी सड़कें राज्य के कार्यक्रम में उक्त स्कीमों में नहीं आती है। केन्द्रीय क्षेत्र सड़क कार्यक्रम में अनेक सड़कें जनजाति और पिछड़े इलाकों में से होकर जाती है। इस तरह की सड़कों पर 1-4-1969 से 31-3-1980 तक 38.00 करोड़ रुपये खर्च हुए।

इसके अलावा, पांचवीं पंचवर्षीय योजना से जनजाति क्षेत्रों के विकास के बारे में नया दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके अनुसार सभी क्षेत्रों में जहां 50% से अधिक जनजाति के लोग है, सम्बन्धित राज्य की जनजाति योजना में शामिल कर लिए गए हैं। ये योजनाएं आंध्र-प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल राज्यों, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह और गोआ, दमन, और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में तैयार की गई हैं। इन योजनाओं में विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं जिनमें सड़क यातायात भी शामिल हैं। वर्ष 1979-80 में राज्य योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत जनजाति वाले इलाकों में परिवहन और संचार कार्यक्रम के लिए 43.87 करोड़ रुपये नियमित किये गये थे।

केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला,कलकत्ता में जांच के लिए प्राप्त नमूने

2870. श्री पीयूष तिरकी : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 के दौरान केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता द्वारा जांच किये जाने के लिए कितने नमूने प्राप्त हुए ;

(ख) कितने नमूनों को घटिया स्तर के घोषित किया गया था ; और

(ग) घटिया औषधियों के निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 5468

(ख) 740

(ग) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा घटिया पाये जाने वाले नमूनों के निर्माताओं/विक्रेताओं के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही

2871. श्री ए० के० राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता शासन के दौरान पूर्व रेलवे के धनबाद डिविजन में सामान्यतः कर्मचारियों के विरुद्ध और विशेषकर ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के विरुद्ध स्थानान्तरण, निलम्बन, सेवा से निकाले जाने आदि के रूप में दण्डात्मक कार्यवाही के विशिष्ट मामलों का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन सभी मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार करने का है ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) रेल कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक हित और सेवा की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

चूक तथा त्रुटियों के विशेष कामों की वजह से निलम्बित करने और सेवा से निकालने के लिए रेलों को निर्धारित अनुशासन और अपील नियमों का अनुपालन करना होता है।

अनुशासन और अपील नियमों के अधीन दण्डित किये जाने वाले कर्मचारी को, उनको दिये गये दण्ड के विरुद्ध दण्ड निर्धारित करने वाले प्राधिकारी से अगले उच्च प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार प्राप्त है। विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा स्वविवेक के आधार पर अथवा गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की समीक्षा करने की भी नियमों में व्यवस्था मौजूद है।

इन परिस्थितियों में, अलग से समीक्षा करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि अनुशासन एवं अपील नियमों के मौजूदा उपबन्धों में सभी मामलों को गुण-दोष के आधार पर निपटाने की व्यवस्था है।

वर्ष 1980-81 में खरीदी जाने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या

2872. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम का वर्ष 1980-81 में कितनी बसें खरीदने का विचार है ; और

(ख) ये बसें कब तक खरीदी जायेंगी और उन पर दिल्ली परिवहन निगम द्वारा कितना व्यय किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 630 बसें ।

(ख) आशा है कि दिल्ली परिवहन निगम 31 मार्च, 1981 के अन्त तक 13.57 करोड़ रुपये की लागत से ये बसें खरीद लेगा ।

दिल्ली परिवहन निगम में अतिरिक्त पुर्जों की चोरी

2873. कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली परिवहन निगम में पुर्जों की चोरियों की ओर दिलाया गया है और चालू वर्ष में कितने मूल्य के पुर्जों की चोरी हुई ; और

(ख) क्या पुर्जों की चोरी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यदि हां तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई और यदि कोई कार्रवाई नहीं की गयी है तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम ने बताया है कि चालू वर्ष में पुर्जे चुराने के आठ मामले जानकारी में आये हैं । चुराए गये तथाकथित पुर्जों की कीमत 6000/- रुपये आंकी गई है । कोई व्यक्ति रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया और इसीलिए, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका । परन्तु, दिल्ली परिवहन निगम ने ऐसे तीन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की है, जो चालू वर्ष के दौरान माल की देखभाल करने के बारे में अपनी ड्यूटी ठीक रूप से नहीं निभा रहे थे ।

डिपुओं में खड़ी दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या

2874. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली परिवहन निगम की बसें इसके डिपुओं में खड़ी हैं तथा इसके क्या कारण हैं, और

(ख) उनमें से कितनी बसें मरम्मत के काबिल हैं और उनकी मरम्मत पर कितना खर्च आयेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 275 बसें । इनमें से 35 बसों को स्क्रैप करने और शेष बसों की मरम्मत करने की सिफारिश की गई है ।

(ख) 240 बसें मरम्मत करने के लायक हैं जिनपर लगभग 45 लाख रुपये खर्च होगा ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

2875. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सम्बन्धी एक मसौदा मार्च, 1979 में सभी राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित संस्थाओं को सर्कुलेट कर दिया गया था। राज्य सरकारों, चिकित्सा संस्थानों तथा व्यावसायिक संघों से कई उत्तर मिल चुके हैं। जो टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं उनकी आगामी कार्यवाही के लिए जांच की जा रही है।

जहाज निर्माण के लिए राष्ट्रीय योजना

2876. एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जहाज निर्माण के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सरकार देश में जहाजों की दीर्घकालीन आवश्यकता को पूरी करने के लिए धन के उपलब्ध होने आदि बातों को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव मौजूदा शिपयार्डों का विस्तार और अधिक शिपयार्डों की स्थापना करने पर विचार कर रही है।

नई हट्टी से बजबज के लिए यात्री गाड़ी चलाना

2877. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों तथा पश्चिम बंगाल सरकार से पूर्वोत्तर रेलवे में नई हट्टी से बजबज के लिए बरास्ता काकुरगाच्छी कोर्ड लाइन दस्ती गाड़ियां चलाने के बारे में कोई अभ्यावेदन ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में पहले ही एक तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण किया जा चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

जहाजों का निर्माण कम होना

2878. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में जहाजों का निर्माण बहुत कम हुआ है ;

(ख) गत प्रत्येक तीन वर्षों में भारतीय शिपयार्डों को जहाजों के कितने टनभार के आदेश प्राप्त हुए थे ; और

(ग) जहाज निर्माण की क्षमता बढ़ाने और विदेशों से आदेश प्राप्त करने के लिए सरकार क्या विशेष प्रयास कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड के उत्पादन में अभी हाल में कुछ कमी आ गयी थी लेकिन इसमें अब सुधार हो रहा है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में भी उत्पादन बढ़ रहा है।

(ख) कोचीन शिपयार्ड को 75,000 डी० डब्ल्यू० टी० वाले तीन पनामाक्स जहाजों के आर्डर मिले हुए थे जिनका कुल डी० डब्ल्यू० टी० 2,25,000 था। हिन्दुस्तान शिपयार्ड को जहाजों के जो आर्डर मिले उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	लाख डी० डब्ल्यू० टी०
1.4.78 को	1.07
1.4.79 को	1.36
1.4.80 को	0.93

(ग) हिन्दुस्तान शिपयार्ड और कोचीन शिपयार्ड का विस्तार करने और देश में जहाज निर्माण की क्षमता में वृद्धि करने के लिए अधिक शिपयार्ड बनाने के बारे में सुझाव सरकार के विचाराधीन है। विदेशों को जहाज सप्लाई करने के लिए आर्डर प्राप्त करने की भी कोशिश की जा रही है।

भारत में बीम थरेपी और मेगा वोलटेज उपकरणों का उपयोग

2879. डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एसोसिएशन आफ मेडिकल फिजिशियन्स आफ इन्डिया के मार्च, 1980 में हुए सम्मेलन के कार्य-विवरण की ओर दिलवाया गया है ;

(ख) कैन्सर का उपचार करने के लिए देश में कुल कितने बीम थरेपी और मेगा वोल्टेज उपकरण उपयोग में लाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि जनसंख्या के आधार पर, रोगियों को उपचार करने के लिए देश को 800 बीम थरेपी एककों और 50 मेगा वोल्टेज उपकरणों की आवश्कयता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या बी० ई० ए० आर० सी० ने इस समस्या के हल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुरोध किया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गंगा को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाना

2880. श्री रामावतार शास्त्री : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि वह सड़क और रेल परिवहन की पूरक बन सके और उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल राज्यों से होकर बहने वाली गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों की सामान्य अर्थ-व्यवस्था में सुधार किया जा सके,

(ख) क्या पहले गठित किए गए विभिन्न आयोगों द्वारा भी इस प्रकार की सिफारिश की गयी है, और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की अब तक स्वीकृति प्रदान न किए जाने के क्या कारण है और उसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गंगा, गंगा भागीरथी हुगली नदी जल मार्ग ऐसे है जो राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के लिए विचाराधीन हैं। प्रारम्भ मे हल्दिया और फरक्का के बीच के जलमार्ग को जिसकी सम्भावना के बारे में ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार की गई है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का विचार किया जा रहा है। इसके बाद इस जल मार्ग के बाकी भाग के बारे में जो इलाहाबाद और फरक्का के बीच पड़ता है निचार किया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) किसी भी जलमार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने के पूर्व यह जरूरी होता है कि संबंधित भाग का जलीय अध्ययन किया जाये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वर्षा के मौसम के अलावा अन्य मौसम में भी मशीन से चलने वाले जलयानों के लिए नदी में पर्याप्त मात्रा में माल मिल सकेगा और इस माल को नदी के रास्ते से जाना लाभकर होगा।

इलाहाबाद तक गंगा नदी के बारे में उक्त प्रकार के अध्ययन करने पर विचार किया जा रहा है। इन अध्ययनों के उपरांत जो परिणाम प्राप्त होंगे उनके आधार पर इलाहाबाद और फरक्का के बीच समूचे जलमार्ग को भी राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किए जाने पर विचार किया जायेगा।

पटना तथा गाजीपुर बीच कार्गो सेवा

2881. श्री रामावतार शास्त्री : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 में पटना तथा गाजीपुर के बीच मामूली अस्थाई स्थगन को छोड़ नियमित रूप से कार्गो सेवा जारी थी,

(ख) क्या यह सच है कि छोटे व्यापारियों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही इस सेवा को वर्ष 1977 से बिना जनता को सूचना दिए महीनों तक बार-बार बन्द कर दिया जाता है,

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सेवा के लिए प्रयुक्त जहाज को जनता तथा व्यापारियों के हितों की अवहेलना करते हुए चुनार तथा बल्लिया के बीच स्टोन बोल्डर ढोने के काम पर लगाया गया था, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अब से पटना तथा गाजीपुर के बीच कार्गो सेवा बिना किसी रुकावट अथवा स्थगन के भविष्य में नियमित रूप से जारी रहे।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) पटना और गाजीपुर के बीच नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय की एक सर्विस नवम्बर, 1971 से चल रही है। जब कभी अन्तर्देशीय जल परिवहन के निदेशालय के जहाजों के लिए नदी में पर्याप्त गहरा पानी होता है तब ये जहाज चुनार तक चलाये जाते हैं। वर्षा के मौसम में पटना-गाजीपुर रास्ते पर यातायात के लिए माल अधिक मात्रा में नहीं मिलता है। इस अवधि में बाढ़ से बचाव कार्य के लिए चुनार से बलिया तक बड़े-बड़े पत्थर ले जाने जरूरी हो जाते हैं और चूंकि पर्याप्त मात्रा में अन्य माल नहीं मिल रहा है, इसलिए वर्षा के मौसम में पटना और गाजीपुर के बीच नियमित रूप से कार्गो-सर्विस चलाना संभव नहीं होगा।

कोलगंग और करहा गोला के बीच एल० सी० टी० सेवा

2882. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1976 के दौरान कोलगंग (भागलपुर) और करहागोला (कठियार) के बीच नियमित एल० सी० टी० सेवा का उद्घाटन किया गया था,

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1976-77, 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान कथित एल० सी० टी० सेवा से लगभग 7 लाख रुपये की राशि अर्जित की गयी थी,

(ग) क्या यह सच है कि समय पर पहुंच-मार्ग का निर्माण न होने तथा जलपोतों के परिचालन कार्यक्रम की समयानुसार देख-रेख न करने के कारण वर्ष 1980 के दौरान कथित सेवा में बाधा पड़ गयी है, और

(घ) यदि हां, तो सम्भवी हानि से बचने के लिए तथा प्रयोगकर्ताओं और जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अंतराल के अनुसार एल० सी० टी० सेवा के नियमित परिचालन को सुनिश्चित करने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख)

	वर्ष	आय (लाख रुपये)
(1)	1976-77 (5.76 से 3.77)	6.10
(2)	1977-78 (4.77 से 3.78)	5.39
(3)	1978-79 (4.78 से 3.79)	4.80
(4)	1979-80 (4.79 से 3.80)	5.50

(ग) और (घ) बिहार सरकार के साथ जो समझौता हुआ था उसके तहत इस सेवा के लिए सड़क के निर्माण और अनुरक्षण की जिम्मेदारी उक्त राज्य सरकार की है। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि वर्षा के मौसम में करागोला के पास सड़क बह गई थी और उसका फिर से निर्माण किया जाना था। बिहार सरकार ने यह भी सूचित किया है कि नदी की धारा में मिट्टी जमा होने और बहाव में परिवर्तन होने के कारण पुराने रास्ते पर सड़क का निर्माण करना सम्भव नहीं हो सका था। राज्य सरकार और नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के बीच विचार-विमर्श होने के बाद यह सड़क अप्रैल, 1980 में बन सकी। अब इस रास्ते पर नदी सेवा नियत अवधि के अनुसार चल रही है।

सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण

2883. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में माल और यात्री, दोनों प्रकार के सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण की प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : यात्री परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में एक चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है। चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र और गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और सिक्किम के चार राज्य ऐसे हैं जहां यात्री परिवहन का शत प्रतिशत राष्ट्रीयकरण हो चुका है। दिल्ली में अधिकांश यात्री परिवहन, दिल्ली परिवहन निगम के पास है जो केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है। अन्य राज्यों में राष्ट्रीयकरण की स्थिति अलग-अलग है। राष्ट्रीयकरण की अखिल भारतीय औसतन स्थिति लगभग 52% है।

ट्रकों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी ट्रकों के राष्ट्रीयकरण करने में राज्यों पर कोई रोक या प्रतिबंध नहीं है। माल परिवहन इस समय सम्पूर्ण रूप से प्राइवेट आपरेटरों के हाथ में है। फिलहाल, कई राज्यों में जैसे असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, सिक्किम त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यात्री सेवाओं के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र में बहुत कम माल परिवहन सेवाएं चलाई जा रही हैं। परन्तु इन सेवाओं से माल के कुल यातायात की बहुत थोड़ी आवश्यकता की ही पूर्ति होती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का चौड़ा किया जाना

2884. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को दिल्ली और अम्बाला के बीच चौड़ी करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है, और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली से अम्बाला तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को अलग-अलग यातायात के लिए चार लेनों की सड़क के रूप में विभिन्न चरणों में चौड़ा करने का सुझाव है जो धनराशि के उपलब्ध होने पर

निर्भर है। दिल्ली में मुरथल तक के खंड में काम शुरू हो चुका है और इसे मार्च, 19: पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़-भाड़

2885. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़-भाड़ को कम करने के लि योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली में भीड़-भाड़ कम करने के निम्नलिखित कार्य किए गये :—

(1) फल, खनिज और सीमेंट की साइडिंग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन न्यू आजादपुर, तुगलकाबाद और शकूरबस्ती स्थानान्तरित कर दी ग

(2) उपर्युक्त एक के साथ-साथ, एक अतिरिक्त द्वीप प्लेटफार्म और धुलाई और डिब्बे खड़े करने की लाइनों की व्यवस्था की गई है।

(3) थाम्पसन रोड की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिये एक-दूस द्वार की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(4) उपर्युक्त मद 3 के साथ-साथ, नई दिल्ली स्टेशन के थाम्पसन और के हिस्से में एक और द्वीप प्लेटफार्म, एक ऊपरी सड़क पार्सल पु डिब्बे खड़े करने और धुलाई के लिये अधिक लाइनों, बुकिंग की सु सहित स्टेशन की इमारत, यात्री यातायात के लिये परिचालन क्षेत्र, ऊपरी पैदल पुलों का विस्तार और अन्य सम्बद्ध सुविधाओं की की जायेगी।

(5) कनाटप्लेस की ओर से आने वाली चेम्सफोर्ड रोड के दोनों ओर 2 रेलवे भूमि नई दिल्ली नगर पालिका को सड़क चौड़ी करने के लिए दे है।

(6) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने वाले परिचलन क्षेत्र का सुधार प्रस्ताव है। प्लेटफार्मों पर यात्रियों के आने-जाने के उपाय किए जिससे कि भीड़-भाड़ कम हो।

(7) गाड़ियों के आदान और प्रस्थान में शीघ्रता लाने के उद्देश्य से समूचे दिल्ली यार्ड स्थल के लिए, नई दिल्ली स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार की के दूसरे और अंतिम चरण के रूप में, रूट रिले अन्तर्पाश की प्रणाली की भी स्वीकृति दी गई है।

वरिष्ठ कैशियर

2886. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976 के बाद 425-640 रुपये के ग्रेड में पदोन्नति के लिए रुके हुए भारतीय रेलवे में कुल कितने वरिष्ठ कैशियर है ;

(ख) क्या उनके इस अवरोध को रोकने के लिए उन्हें उच्च ग्रेड में आगे पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 86

(ख) कार्य भार तथा अन्य कारकों के अनुसार अपेक्षित संख्या में पदोन्नति सारणियां मौजूद है।

(ग) प्रश्न नहीं हैं।

डिवीजनल कैशियर

2887. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य और उत्तर रेलवे में डिवीजनल कैशियर एसिस्टेंट डिवीजनल कैशियर्स और इंसपेक्टर आफ कैशियर्स के कार्य और उत्तरदायित्व समान है ;

(ख) यदि नहीं, तो विद्यमान अन्तर क्या हैं ;

(ग) क्या इन दोनों रेलवे जोनों में इन वर्गों को मानदेय के भुगतान की पद्धति समान है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) जहां तक कार्य के अनिवार्य पहलुओं का संबंध है, मंडल रोकड़ियों/सहायक मंडल रोकड़ियों और रोकड़ निरीक्षकों की ड्यूटी और जिम्मेदारियां भारतीय रेलों पर सर्वत्र एक समान हैं। लेकिन, स्थानीय अपेक्षाओं और परिस्थितियों के अनुसार महाप्रबंधक अपने वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से थोड़ा-बहुत परिवर्तन करने में सक्षम हैं। रेलों पर इस संबन्ध में कहां-कहां और क्या-क्या अन्तर है, इसकी अभी तक तुलना नहीं की गयी है।

जहां तक मानदेय के भुगतान का सम्बन्ध है, स्थानीय अपेक्षाओं और कार्य की मात्रा में मामूली कमी-बेशियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे ने मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं। इसीलिए मानदेय के निर्धारण के आधार में भिन्नता पायी जाती है।

बहरहाल, इन मामलों में विभिन्न रेलों पर लगभग एक समान मानक लागू करने की दृष्टि से एक अध्ययन किया जा रहा है।

माल परिवहन में रियायत

2888. श्रीमती कृष्णा साही : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग द्वारा औद्योगिक घरानों को माल के यातायात में अधिक रियायतें देने के कारण इसे 250 करोड़ रुपये का वार्षिक घाटा हो रहा है, और

(ख) यदि हां, तो घाटे पर रोक लगाने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली का असंतोषजनक कार्यकरण

2889. श्री के० ए० राजन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में कथित कुप्रबन्ध और कदाचार के बारे में दिनांक 29 मार्च, 1980 के 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें लगाये गये आरोपों की कोई जांच कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और उक्त इंस्टीट्यूट के कार्यकरण को ठीक करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान एक स्वशासी निकाय है जो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाता है। इस संस्थान के शासी निकाय ने एक समिति गठित की है जो क्लिनिकल अनुसंधान केन्द्र के कार्य की जांच करेगी। इस संस्थान के शैक्षिक स्टाफ के कुछेक सदस्यों द्वारा लगाए गये आरोपों की जांच करने के लिए शासी निकाय ने एक और समिति गठित की है।

(ग) उपर्युक्त समितियों की रिपोर्ट मिलने पर इस संबंध में उपयुक्त उपचारी कार्यवाही की जाएगी।

कृषि श्रमिकों को मजूरी देने संबंधी अधिनियम की क्रियान्विति के बारे में चर्चा के लिए त्रिपक्षी सम्मेलन

2890. श्री के० ए० राजन : क्या श्रम मंत्री कृषि श्रमिकों तथा खान-श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी बढ़ाने के बारे में 20 मार्च, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 152 के उत्तर के संबंधों में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी देने संबंधी अधिनियम की क्रियान्विति न होने के प्रश्न पर एक त्रिपक्षी सम्मेलन में विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसमें क्या निर्णय लिये गये ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री टी० अंजय्या) : (क) और (ख) त्रिपक्षीय सम्मेलन शीघ्र ही बुलाया जाएगा।

लेखा लिपिकों को अग्रिम वेतन वृद्धियों का बंद किया जाना

2891. श्री के० ए० राजन :

श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री लेखा लिपिकों की अग्रिम वेतन वृद्धियों के बंद किये जाने के बारे में 31मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्नसंख्या 420 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इस बीच इसके बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं,

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मामले में वित्त मंत्रालय के परामर्श से विस्तृत जांच की जा रही है।

बी० सी० जी० का संरक्षात्मक प्रभाव

2892. श्री आर० के० महालगी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से 1968 से 1971 तक तमिलनाडु में चिंगलपुर जिला में बी० सी० जी० के संरक्षात्मक प्रभाव के बारे में एक अध्ययन किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रयोग से प्रमाणित हुआ है कि फेफड़े के क्षय रोग में बी० सी० जी० का संरक्षात्मक प्रभाव शून्य है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही बी० सी० जी० की बजाए एक बेहतर 'वेक्सीन' विकसित करने का है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) बी० सी० जी० परीक्षण से जो आंकड़े निकले हैं उनसे यह पता चलता है कि बेसिलरी किस्म के क्षय रोग से बचाने में बी० सी० जी० ने कोई काम नहीं किया।

(ग) जी नहीं।

दिल्ली में चलते फिरते चिकित्सालयों से लाभान्वित हुए क्षेत्र

2893. श्री निहाल सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा कितने चलते-फिरते चिकित्सालय चलाये जा रहे हैं ;

(ख) उनसे प्रतिमास किन-किन क्षेत्रों को लाभ होता है ;

(ग) क्या यह सच है कि चलते-फिरते चिकित्सालय केवल उन्हीं क्षेत्रों में सेवा करते हैं जहां सरकारी चिकित्सालय तथा स्वास्थ्य केन्द्र हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में उन्हें भेजने की बजाय उन स्थानों पर भेजने का है जहा कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) इस समय नई दिल्ली नगर पालिका तीन तथा दिल्ली नगर निगम आठ चलती-फिरती डिस्पेंसरियां चला रहा है।

(ख) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(1) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाई जा रही चलती-फिरती डिस्पेंसरियां जिन इलाकों में सेवाएं प्रदान कर रही हैं उनकी सूची।

1. पूर्वी किदवई नगर
   पश्चिमी किदवई नगर
   कर्बला

2. खान मार्किट
   जयपुर हाउस

3. साउथ एवेन्यु
   पालिका विहार

4. लाल बहादुर सदन क्वार्टर्स
   तालकटोरा बाग क्वार्टर्स
   मानसिंह रोड धोबी घाट

(2) दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित चलती-फिरती डिस्पेंसरियां जिन इलाकों में सेवाएं प्रदान कर रही हैं उनकी सूची।

1. टिकरी कलां
2. निलवार
3. हरनकुदान
4. बकरवाला
5. दिचुआकलां
6. झडेकलां
7. कैर
8. चांदपुर
9. माजरा (दबास)
10. निजामपुर
11. गढ़ी रंघाले
12. सावदा
13. पंजाब खोड
14. जब खोड
15. डूरेवली
16. मुर्गुसपुर
17. श्रोचन्दी
18. पहलादपुर
19. शाहबाद
20. खेड़ा खुर्द
21. मण्डी
22. सुल्तानपुर
23. आया नगर
24. घिटोरनी
25. मंगलापुर
26. लाडो सराय
27. कटवारिया सराय
28. त्रिया सराय
29. मुर्नीका
30. नानागल देवात
31. रजोकड़ी
32. देवली
33. टिगरी
34. तुगलकाबाद
35. लाल कुआं
36. लेखण्ड
37. ईस्ट ग्रेटर कैलाश
38. सन्वाल
39. निगम बोध स्वीपर कालोनी
40. गुप्ता कालोनी
41. मलिकपुर
42. मुबारकबाद
43. भालुसवा
44. नाथूपुर
45. राजघाट स्वीपर कालोनी
46. सदाब बोध विहार
47. चन्दगी राम एक्सरसाइज हाउस
48. ओल्ड चन्द्रावल स्वीपर कालोनी
49. गोपाल पुर
50. बजीराबाद
51. जगतपुर
52. घाट मस्जिद फायर स्टेशन
53. बुलवर्ड रोड स्वीपर कालोनी
54. रोशनारा रोड स्वीपर कालोनी
55. संगम पार्क स्वीपर कालोनी
56. शालीमार पार्क

57. झिलमिल कालोनी
58. रामनगर
59. जनता क्वार्टर्स
60. कुर्कुर्दुमा
61. घोंडा
62. पर्वाना रोड
63. कैलाश नगर
64. ब्रह्मपुरी
65. शाहदरा फायर स्टेशन
66. मौजपुर
67. जमुनापुरी
68. भजनपुरा
69. दयालपुर
70. बिहारीपुर
71. घोंडा "ए" ब्लाक
72. गौतम विहार
73. जगीत नगर
74. विजय कालोनी
75. उस्मान नगर
76. शास्त्री नगर
77. यमुना पुरी
78. बुद्ध पुर
79. मांगलीपूना
80. मुखमिलपुर
81. कुशक
82. हिरंकी
83. होहनमादपुर
84. रामआनपुर
85. अलीपुर ब्लाक
86. बकोली
87. तालपुर कलां
88. हमीदपुर
89. खानपुर
90. टिकरी खुर्द
91. तिगिपुर
92. जिगोल
93. पल्ला
94. कालकापुर
95. महानाद विद्यालय
96. हरि नगर
97. रंजीन नगर
98. तिलक नगर स्कीपर कालोनी
99. विष्णु गार्डन
100. कनाट प्लेस फायर स्टेशन
101. गोला डेरी कालोनी
102. उत्तम नगर
103. डी० टी० सी० कालोनी प्रताप नगर
104. भारत नगर
105. सिंगलेपुर गांव
106. शास्त्री नगर
107. स्कीपर कालोनी न्यू रोहतक रोड
108. मोती नगर फायर स्टेशन
109. टोडापुर
110. हरि नगर 9 ब्लाक
111. दसगाशा
112. तुलसी नगर
113. न्यू मुलतान नगर
114. बुर्नपुर
115. जगतपुरी
116. सिद्धोला

117. सिन्धु
118. सिनोठ
119. घोघा
120. मोरगढ़
121. शाहपुर गर्दी
122. स्टोर बैंक
123. विवेक विहार
124. कस्तूरबा नगर
125. बर्वाला
126. मगेश पुर
127. भगवानपुर खेड़ा
128. अरविन्द नगर
129. गौतम नगर

1 अप्रैल, 1980 से अब तक हुई रेल दुर्घटनाएं

2894. श्री निहाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1980 आज तक कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं और वे कहां-कहां हुई तथा उन में जान व माल की कितनी हानि हुई, और

(ख) जांच के फलस्वरूप अन्य दुर्घटनाओं के क्या कारण मालूम हुए और ऐसे सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध इस संबंध में कार्यवाही की गई तथा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय सरकारी रेलों पर 1-4-80 से 15-6-1980 तक टक्कर, पटरी से उतर जाने, समपार दुर्घटना और गाड़ियों में आग लग जाने की श्रेणियों की 212 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं। प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर हुई दुर्घटनाओं की संख्या और उनमें हुई जन हानि तथा रेल सम्पत्ति की क्षति की लागत नीचे दी गयी है :—

रेलवे	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गये व्यक्तियों की संख्या	रेल सम्पत्ति की हुई क्षति की अनुमानित लागत
मध्य	26	—	13,82,800
पूर्व	16	3	11,30,900
उत्तर	33	11	5,30,700
पूर्वोत्तर	20	1	88,400
पूर्वोत्तर सीमा	11	—	1,00,300
दक्षिण	25	15	15,71,500
दक्षिण मध्य	23	5	4,94,800
दक्षिण पूर्व	28	3	69,21,900
पश्चिम	30	3	9,45,200

(ख) अब तक 89 दुर्घटनाओं की जांच पूरी हो चुकी है। इन दुर्घटनाओं में से दो के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका। शेष दुर्घटनाओं के कारण नीचे दिये गये हैं :—

रेल कर्मचारियों की गलती से	40
रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की गलती से	22
यांत्रिक उपस्करों की खराबी से	19
आकस्मिक	6

दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही उपयुक्त कारंवाई शुरू की जा चुकी है और की जा रही है।

रेलवे द्वारा जारी किए गए पास

2895. श्री निहाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा गैर सरकारी लोगों को कितने पास जारी किए गए हैं, उन लोगों के नाम क्या हैं तथा उन्हें पास देने के आधार क्या है, और

(ख) ये पास किस-किस श्रेणी के लिए जारी किए गए हैं और इन व्यक्तियों का संबंध किन राजनैतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों से हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मानार्थ पास जारी करने के सम्बन्ध में सरकार ने निम्नलिखित मार्ग निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित किये हैं :-

1, वे संस्थान और संगठन जिनकी गतिविधियां सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यक, खेलकूद और शिक्षा सम्बन्धी हों और जिनका कार्य अखिल भारतीय स्तर का हो।

2. वे संगठन जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और उपेक्षित वर्ग स्त्रियों, अंधे और विकलांग व्यक्तियों आदि के कल्याण सम्बन्धी कार्यों में लगे हैं।

3. प्रतिष्ठित व्यक्ति जो राष्ट्रीय महत्व के ऐसे काम में लगे हैं और जिसके लिए उन्हें बार-बार यात्रा करना अपेक्षित होता है।

इन मानदण्डों के आधार पर मानार्थ कार्ड पास सामान्यतः उन व्यक्तियों/संगठनों को गुणावगुण के आधार पर जारी किये जाते हैं जो इन मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत आते हैं

एक विस्तृत सूची संलग्न है जिसमें व्यक्तियों/संगठनों को जारी किये गये मानार्थ कार्ड पासों के ब्यौरे दिये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 997 80]

सैप्टिक गर्भपात के कारण महिलाओं की मृत्यु

2897. श्री के० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में सैप्टिक गर्भपात के कारण हर दस मिनट में एक महिला मृत्यु का शिकार होती है और वर्ष में अनुमान के तौर पर 75000 महिलाओं की मृत्यु सैप्टिक गर्भपात से होती है ;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य गठबंधन ने गर्भपात करने की कुछ आसान तकनीक सुझाई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार उस तकनीक को भारत में अपनाने के बारे में विचार करेगी ; और

(घ) सैप्टिक गर्भपात के कारण होने वाली मृत्यु से महिलाओं की रक्षा करने के लिए सरकार और क्या कदम उठायेगी ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं। यद्यपि कोई विश्वसनीय आंकडे उपलब्ध नहीं हैं फिर भी मोटे अनुमानों के अनुसार गर्भपात के कारण लगभग 18000 महिलाओं की मृत्यु हुई हैं, जिसमें सैप्टिक गर्भपात के मामले भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य गठबंधन के अध्यक्ष ने प्रारम्भिक अवस्था में गर्भ को समाप्त करने के लिए एक ऐसी तकनीक का सुझाव दिया बतलाया है जो सामान्यतया "मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन" के नाम से जानी जाती है परन्तु वह मेंस्ट्रुअल एक्सटेक्शन" "मेंस्टुअल इनडक्शन" "एडोमेटीरियन एस्पायरेशन" आदि जैसे विभिन्न नामों से भी जानी जाती हैं। इस तकनीक केवल 6 में, जो सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने के लिये अपनाई जा सकती है, गर्भाशयमें नर्म प्लास्टिक का कैनूला लगा दिया जाता है और एक सिरिंज द्वारा गर्भाशय के अंश (कन्टन्ट्स) को बाहर निकाल लिया जाता है। यह तकनीक न तो इस देश के लिये नई है और न ही यह अज्ञात है और रोगी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये इस तकनीक का अर्हता प्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा पूरे देश में प्रयोग किया जाता है।

(घ) अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करके और डाक्टरों को प्रशिक्षण देकर तथा सब-डिवीजनल अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरण सप्लाई करके सैप्टिक गर्भपात से होने वाली मौतों को रोकने के लिये सरकार पहले ही कदम उठा रही है ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में गर्भपात की उपलब्ध सेवाओं को बढ़ाया जा सके और उनकी क्वालिटी में सुधार किया जा सके जिससे गर्भपात करवाने वाली महिलाओं को कानूनन योग्य और अर्हता प्राप्त डाक्टरों की सेवायें उपलब्ध हो सकें।

खानों के मुहानों पर कोयले का जमा हो जाना

2898. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या रेलमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि हाल के वर्षों में विभिन्न आयामों के रेल के वैगन की कमी होना एक नियमित बात हो गई है,

(ख) क्या सरकार को इन तथ्यों के बारे में भी पता है कि खान मुहानों को कोयले के ढेर जमा होने के परिणाम स्वरूप भारी बिजली संकट पैदा होने पर अतिरिक्त खाद्यान्नों, मिट्टी के तेल, डीजल आदि जैसे आवश्यक पदार्थों के मूल्य में तेजी से वृद्धि होने से उनकी अचानक कमी जो स्पष्टतः आदमी की खुद की बनाई होती है, के लिए भी वैगन की अनुपलब्धता का बहाना बनाने का प्रयास किया जाता है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार को उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) माल डिब्बों के अपेक्षाकृत अधिक फेरों के कारण माल डिब्बों की कमी के बारे में कुछ शिकायतें हैं। ऐसी स्थिति विभिन्न कमियों के कारण हैं जिनमें से अधिकांशतः रेलवे के नियंत्रण से बाहर हैं।

(ख) और (ग) जनवरी से मई तक की अवधि के दौरान कोयला खदानों के मुहानों पर कोयले का स्टाक सामान्यतः उसी स्तर का अथवा उससे कुछ कम था जितना पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों में था। रेल परिवहन में कमी के सम्भावित प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए रेलों को बिजलीघरों को कोयला, खाद्यान्नों और पेट्रोल पदार्थों की चयनात्मक तौर पर अधिकाधिक ढुलाई कर रही है।

बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से उड़ीसा को दी गई राशि

2899. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1977-78, और 1979-80 में बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए केन्द्रीय बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से कोई राशि दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्रमशः कितनी राशि आवंटित की गई थी और उड़ीसा में किस स्थान पर यह राशि उपयोग में लाई गई थी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) जी, हां। इन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में कुछ कल्याण कार्यकलापों के संबंध में बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से वित्तीय सहायता दी गई है।

(ख) इन वर्षों के दौरान खर्च की गई वास्तविक राशि इस प्रकार है :-

1977-78	26,710 रुपये
1978-79	2,24,476 रुपये
1979-80	3,38,869 रुपये

बीड़ी श्रमिकों के लिए चिकित्सा औषधालय भुवनेश्वर, सम्बलपुर, बालासोर, ब्रमाहवरदा, अंगुल, धोलपुर, बंदेश्वर और बालझारी में स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों के आश्रितों को शैक्षपिक छात्रवृत्तियों के रूप में 76,800 रुपये वितरित किए गए और श्रमिकों को उनके अपने मकानों की सुधार/निर्माण के लिए ऋण/आर्थिक सहायता के रूप में 1,15,560 रुपये वितरित किए गए।

आवासीय सुविधायें प्रदान किए बिना रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण

2900. श्री दिग्विजय सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुरेन्द्रनगर के लगभग 1000 रेलवे कर्मचारी, आवासीय सुविधायें प्रदान किए बिना उनका हापा को स्थानान्तरण करने के विरुद्ध हड़ताल पर थे,

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों की शिकायतों को दूर कर दिया गया है, और

(ग) क्या सरकार का स्थानान्तरण से पूर्व आवश्यक सुविधायें प्रदान करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सुरेन्द्रनगर में रेल कर्मचारियों द्वारा काम रोको हड़ताल नहीं की गयी थी लेकिन कर्मचारियों के एक वर्ग ने वीरमगाम हापा खंड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के सिलसिले में कर्मचारियों को सुरेन्द्रनगर से हापा स्थानान्तरित किये जाने के विरोध में 15-5-80 से 9-6-80 तक क्रमिक भूख हड़ताल की थी। रेल कर्मचारियों ने अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालय से स्थगनादेश भी प्राप्त कर लिया था किन्तु 10-6-80 को उसे वापस ले लिया गया।

रेल प्रशासन, कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने और उनके स्थानान्तरण से पहले उनके लिए शयनशाला के रूप में आवास की व्यवस्था सुरेन्द्रनगर में अपने आवास को बनाये रखने और रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार उनकी इच्छा के स्टेशनों पर उनके स्थानान्तरण जैसी अनिवार्य सुविधाएं देने के सभी संभव प्रयास कर रहा है।

पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाया जाना

2901. श्री आर० पी० गायकवाड : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने का निर्णय किया है और इसका पहला परीक्षण 1980 के अन्त में अथवा 1981 के प्रारम्भ में हो सकता है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि परियोजना कोड नामक "प्रोजेक्ट 706" के अन्तर्गत इस्लामाबाद से 40 किलोमीटर स्थित कहूटा में वाणिज्यक समृद्ध सुविधा और राजधानी से 3 किलोमीटर स्थित सिंहल में एक पायलट समृद्ध संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ग) सरकार ने पाकिस्तान द्वारा न्यूक्लीय हथियारों की क्षमता प्राप्त करने की दिशा में काम करने के संबंध में रिपोर्ट मिलने पर पाकिस्तान सरकार से अपनी चिंता व्यक्त की थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आश्वासन यह दिया था कि पाकिस्तान का न्यूक्लीय कार्यक्रम पूर्णतया शांतिपूर्वक कार्यों के लिए चलाया जा रहा है। सरकार को आशा है कि पाकिस्तान सरकार इस आश्वासन का पालन करेगी।

हजीरा में शिपयार्ड ।

2902. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में सूरत के निकट हजीरा में शिपयार्ड स्थापित करने का नीति-निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है और समूची परियोजना के पूरा होने के लिए इस पर कुल कितना परिव्यय होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

मेचेडा स्टेशन

2903. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मेचेडा स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर यात्रियों को एक अच्छे प्रतीक्षालय (दूसरा दर्जा) और पीने के पानी आदि के अभाव के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि भीड़-भाड़ के समय यात्रियों की सुविधा के लिये अधिक बुकिंग खिड़कियों की आवश्यकता है ;

(ग) यदि हां, तो मेचेडा स्टेशन में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। दूसरे दर्जे का प्रतीक्षालय और पीने के पानी की सप्लाई आदि पर्याप्त हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) ठीक-ठीक कितनी अतिरिक्त बुकिंग सुविधाओं की जरूरत है, इस बारे में दक्षिण-पूर्व रेल प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अलवर में उपरि पुल

2904. श्री राम सिंह यादव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय अलवर की नगर सीमाओं के भीतर एक उपरि रेल पुल का निर्माण करने को सहमत हो गया है ;

(ख) क्या उपरि पुल के निर्माण हेतु सरकार ने प्रशासकीय एवं वित्तीय मंजूरी जारी कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपरि रेल पुल का निर्माण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में आरम्भ किया जाना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों के आवागमन के लिए फरवरी से मई, 1980 के दौरान चलाई गई विशेष गाड़ियां

2905. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्यान्नों के आवागमन के लिये फरवरी से मई, 1980 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा कुल कितनी विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थी ; और

(ख) खाद्यान्नों की कुल मात्रा क्या है जो इस अवधि के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा विभिन्न राज्यों को लाया ले जाया गया था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फरवरी से मई, 1980 तक की अवधि के दौरान सभी क्षेत्रीय रेलों पर खाद्यान्न की ढुलाई के लिए कुल मिलाकर बड़ी लाइन की 1859 और मीटर लाइन की 228 विशेष गाड़ियां चलायी गयी थी।

(ख) इस अवधि के दौरान बड़ी लाइन के अनुमानतः 1,92,542 और मीटर लाइन के 63,223 माल डिब्बों में खाद्यान्न लादा गया था।

त्रिवेन्द्रम एर्णाकुलम लाइन के स्टेशनों पर सुविधायें

2906. श्री ए० ए० रहीम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम एर्णाकुलम ब्राडगेज लाइन के अधिकांश महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के आवागमन के लिये पर्याप्त प्लेटफार्म नहीं है ; और

(ख) व्यापक प्लेटफार्म का निर्माण करने और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अधिक प्रतीक्षालय, विश्रामगृह जैसी और सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस खंड पर उन स्टेशनों के मुख्य प्लेटफार्म, जहां इस समय महत्वपूर्ण डाक/एक्सप्रेस गाड़ियां ठहरती हैं, पर्याप्त लम्बाई के हैं। अन्य प्लेटफार्मों के विस्तार का काम आवश्यकतानुसार उत्तरोत्तर रूप से किया जा रहा है। बहुत से स्टेशनों पर सुविधाओं की व्यवस्था करने या उनमें वृद्धि करने के बहुत से काम जैसे प्लेट फार्म, सायवान, शेड, प्रसाधन कक्ष, स्टेशन भवनों के ढांचे में परिवर्तन/सुधार जिसमें बुकिंग/आरक्षण काउंटर, जलपान स्टाल, प्रतीक्षा कक्ष, विश्राम कक्ष शामिल है, पहले से ही प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। भविष्य में ऐसी और सुविधाओं की व्यवस्था रेल उपयोगकर्ता समिति (जिसमें जनता के प्रतिनिधि भी है) के परामर्श से की जायेगी जो विभिन्न स्टेशनों आवश्यकताओं और धन राशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

नमक परिवहन के लिए वैगन

2907. श्री दिग्विजय सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाघोडा, पाटडी, बाजनो हलवद के रेलवे स्टेशनों पर परिवहन के लिये कितने मीट्रिक टन नमक पड़ा हुआ है ; और

(ख) क्या इसके लिये पर्याप्त वैगन उपलब्ध कराये जायेंगे ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस मन्त्रालय को इसकी जानकारी नहीं है। बहरहाल, 20-6-1979 की स्थिति की तुलना में 20-6-1980 को इन स्टेशनों पर माल डिब्बों की मांग के पंजीकरण की स्थिति इस प्रकार थी :—

(माल डिब्बों की संख्या)

स्टेशन	बाकी मांग 20-6-1980 को	20-6-1979 को
मलिया बड़ी लाइन	798	206
मलिया मीटर लाइन	—	881
खारा घोड़ा	1614	5484
पाटरी	1528	305
हलवाद	850	1259
बजाणो	इस स्टेशन से नमक का यातायात नहीं होता।	

(ख) इन स्टेशनों पर पंजीकृत मांग-पत्रों पर उनकी बारी के अनुसार माल डिब्बे आवंटित किये जायेंगे।

सार्वजनिक वाहनों के लिए गति नियंत्रक

2908. श्री के० मालन्ना : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में निर्णय किया है कि अन्तः-नगरीय एवं अन्तर्राज्यीय रूटों पर चलने वाले सार्वजनिक वाहनों में गति नियंत्रक लगाये जाने चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय के किये जाने के उपरान्त से दुर्घटनाओं में कोई कमी हुई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने गाड़ियों में गति नियंत्रक अनिवार्य रूप से लगवाने के बारे में निर्णय 4-6-1980 को अधिसूचित किया। इसलिए, इतने थोड़े समय में यह अनुमान लगाना

कठिन है कि गाड़ियों को तेज गति से चलाने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में उक्त नियम के पालन से कितनी कमी आई है ।

वैगनों का उत्पादन करने वाले सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के एकक

2909. श्रीमती कृष्णा साही : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की वैगन आवश्यकतायें सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये गये उद्योग द्वारा पूरी होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में 30,625 वैगन की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता वाले 13 एकक हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा प्रोत्साहन न दिये जाने के कारण सरकारी क्षेत्र में केवल 4 एकक कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र को रेलवे के लिये अधिक वैगनों का उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन देने और धीरे-धीरे गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों की संख्या कम करने का है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, इसके अलावा, समिति संख्या में माल डिब्बों के निर्माण के लिए तीन रेलवे कारखानों की क्षमता का भी उपयोग किया जाता है ।

(ख) इस समय निजी क्षेत्र में माल डिब्बा बनाने वाले केवल चार सक्रिय यूनिट हैं जिनकी वार्षिक संस्थापित क्षमता चौपहियों के हिसाब से 8,600 माल डिब्बे है ।

(ग) जी नहीं, इस समय सार्वजनिक क्षेत्र में माल डिब्बा बनाने के पांच सक्रिय यूनिट हैं । अभी हाल ही में, सार्वजनिक क्षेत्र के एक अतिरिक्त यूनिट को माल डिब्बा बनाने के आर्डर दिये गये हैं और इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय यूनिटों की संख्या बढ़कर छः हो गयी है, और

(घ) माल डिब्बों के लिए आर्डर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के यूनिटों के बीच उनके कार्य निष्पादन, क्षमता और अवशिष्ट भार को दृष्टिगत रखते हुए साम्यिक रूप से बांट दिये जाते हैं, निजी क्षेत्र की यूनिटों की संख्या कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गांधीधाम–भुज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2910. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गांधीधाम से भुज तक की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गांधीधाम से भुज तक वर्तमान मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और माण्डवी के रास्ते बड़ी लाइन को लखपत

तक बढ़ाने के लिए प्राथमिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण के अद्यतनीकरण कार्य को 1980-81 के बजटमें सम्मिलित कर लिया गया है जिन पर 3 लाख रुपये लागत आएगी। रिपोर्ट के प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

भारत को अमरीकी शस्त्रों की सप्लाई

2911. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका का इरादा भारत को 320 लाख डालर मूल्य के शस्त्रास्त्र बेचने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने भारत को 2.5 करोड़ डालर से अधिक मूल्य के टी० ओ० डब्ल्यू टैंक प्रतिरोधी प्रक्षेपणास्त्र, लांचर और आनुषंगिक उपस्कर बेचने के लिए संयुक्त राज्य कांग्रेस को विक्रय प्रस्ताव एवं स्वीकृति-पत्र का एक प्रारूप प्रस्तुत किया है। विक्रय-प्रस्ताव एवं स्वीकृति-पत्र का प्रारूप प्रस्तुत करने के बाद संयुक्त राज्य कांग्रेस इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए इसे 30 दिन तक अपने पास रख सकती है। यदि दोनों सदनों में प्रस्तावित विक्री के विरुद्ध कोई संकल्प पेश कर उसे पारित नहीं कर दिया जाता, तो इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

अमरीका से प्रतिजैविक (ऐन्टी बायोटिक्स) औषधियों का आयात

2912. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात की गई प्रतिजैविक (ऐन्टी बायोटिक्स) औषधियों का मूल्य कितना था ;

(ख) क्या यह आरोप लगाया गया है कि इस प्रकार से आयात की गई इन जीवन रक्षक औषधियों की बड़ी मात्रा में मिलावट की हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात की गई एन्टी बायोटिक्स औषधियों की लागत, बीमा और भाड़े का मूल्य इस प्रकार है :

1977-78	72.1 लाख रु०
1978-79	10.3 लाख रुपये
1979-80	48.8 लाख रुपये

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

अमरीकी विनिर्माताओं द्वारा जीवन रक्षक औषधियों का विक्रय

2913. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जीवन रक्षक औषधियों के नाम पर कुछ अमरीकी विनिर्माता संगठन लाखों डालर मूल्य की हानिकारक तथा खतरनाक दवाइयां बेच रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार की दृष्टि एक प्रसिद्ध समाज कल्याण संगठन, हेल्सल मयार ग्रुप··· द्वारा प्रकाशित तथा दूसरी मदर जोन्स सैन फ्रांसिसको में छपे समाचार पर पड़ी है ;

(ग) यदि हां, तो अपने देशवासियों के स्वास्थ्य तथा जीवन को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।

(घ) क्या सरकार को निम्न औषधियों के गम्भीर कुप्रभावों की जानकारी है :—

(एक) मैट्रोनीडाजोल (दो) लिक्विड टेट्रासाइक्लीन (तीन) थिस्जिटा जोन (चार) इथाम्यूटोटन/अथवा वायोफाम (पांच) हाईट्रोक्सी क्वीनोलीजीन (छः) आक्सीफेन ब्यूटाजोन फोसवेटन (सात) हेक्टोक्लोरी क्लोरीडेन आदि (वेलसीकेल कम्पनी के उत्पादन) ;

(ङ) क्या यह सच है कि अधिकांश औषधियों को अमरीका तथा अधिकांश यूरोपीय देशों में बेचे जाने पर रोक लगी हुई है ; और

(च) इनमें से कितनी औषधियों का संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा आयात किया गया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथापि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन औषध नियंत्रक (भारत) की अनुमति के बिना देश में न तो कोई नई औषधि आयात की जा सकती है। नई औषधियों के आयात की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब तथ्यों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि बताई गई स्थितियों में वह औषधि सुरक्षित तथा प्रभावकारी है। नई औषधियों का आयात करने की तब तक अनुमति नहीं दी जाती जब तक उन्हें अपने देश में मान्यता नहीं मिल जाती और कई एक देशों में बिकने नहीं लग जाती।

(घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेट्रोनीडाजोल, टेट्रासाइक्लीन, थिस्जिटा-जोन, इथाम्बूटोल, हेलोजिनेटिड हाइड्राक्सीक्विनोलाइन्स तथा आक्सीफिन-बूटाजोन के गौण प्रभाव होते हैं। प्रश्न में बताई गई अन्तिम औषधि अर्थात् हेक्टोक्लोरी सही मालूम नहीं देती। इस विशेष औषधि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) जहां तक केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की जानकारी है, हेलोजिनेटिड हाइड्रोक्सीक्विनोलाइन्स के इस्तेमाल पर कुछेक यूरोपीय देशों में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(च) जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी है संयुक्त राष्ट्र अन्तराष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा औषधियां आयात नहीं की जा रही है।

टैक्सियों तथा बसों के किराये में वृद्धि

2914: श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टैक्सियों, मिनी बसों तथा बसों के किराए में वृद्धि की मात्रा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस अनुचित विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार ने इस पर तत्काल उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की जिस समय उनके मंत्रालय ने मूल्य-वृद्धि का निर्णय किया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 43(1) (i) के अधीन राज्य सरकारों को राज्य परिवहन प्राधिकारियों को किराया और भाड़े की दरें निश्चित करने के बारे में निर्देश देने के लिए अधिकार मिले हुए हैं। जिनमें स्टेज कैरिजों, कंट्रैक्ट कैरिजों और पब्लिक कैरिजों के लिए अधिकतम और न्यूनतम दरें निश्चित करना भी शामिल है। इस बारे में भारत सरकार के अन्य किसी निर्देश की जरूरत नहीं है। इस तरह सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य परिवहन प्राधिकरण ही ऐसी संस्थाए हैं जो किराया और भाड़े की दर निश्चित करने पर विचार किया करती हैं। ये प्राधिकरण संबंधित पक्षों से जो भी अभ्यावेदन मिलते हैं उन पर विचार किया करते हैं।

2. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार स्कूटर रिक्शाओं, बसों, टैक्सियों के किराये में वृद्धि करने का प्रश्न पहले से उसके विचाराधीन है और ये मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 43 के तहत दी हुई प्रक्रिया का पालन करेंगी। गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि इस बारे में अन्तिम निर्णय होने तक स्कूटर रिक्शाओं के किराये में तदर्थ आधार पर वृद्धि करने की अनुमति दे दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों ने टैक्सियों और स्कूटर रिक्शाओं के किराये संशोधित कर दिये हैं। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि हालांकि कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है लेकिन स्कूटर रिक्शाओं और टैक्सियों के किराये में 16.6.1980 से वृद्धि कर दी गई है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्होंने अधिभार के रूप में टैक्सियों और स्कूटर रिक्शाओं के किराये के वृद्धि कर दी है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने बसों, टैक्सियों और ट्रकों के किराये और भाड़े में वृद्धि कर दी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कीमतों की वृद्धि करने का निर्णय नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया था।

अन्तर्देशीय जलमार्ग का पटना में प्रधान कार्यालय।

2915. श्रीमती कृष्णा साही : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी नदियों में लगभग 5200 किलोमीटर लम्बाई तक यंत्रोकृत जलयान चलाये जा सकते हैं किन्तु वास्तव में केवल 1700 किलोमीटर तक ही ऐसे जलयान चलाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्तर्देशीय जलमार्ग से संबंधित प्रधान कार्यालय पटना में न होने के कारण इस कार्य पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्तर्देशीय जल परिवहन को विकसित करने तथा पटना में प्रधान कार्यालय खोलने का है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह कहना ठीक नहीं है कि नौवहन और परिवहन के अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के मुख्यालय के पटना में स्थित नहीं होने के कारण अन्तर्देशीय जलपरिवहन का विकास नहीं हो रहा है। देश में अन्तर्देशीय जलपरिवहन का विकास करने के लिए उपाय किये गये। किये जा रहे हैं और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय और केन्द्र आयोजित स्कीमों के लिए धन की व्यवस्था की जा रही है। परिवहन के इस साधन के लिए राज्य योजनाओं की स्कीमों के लिए राज्यों की पंचवर्षीय योजनाओं में भी व्यवस्था की जाती है। अन्तर्देशीय जलपरिवहन निदेशालय के मुख्यालय को पटना में खोलना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इस निदेशालय को सारे देश में अन्तर्देशीय जलपरिवहन के विकास के उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री बी० शंकरानन्द के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव है.....।

अध्यक्ष महोदय : कल।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा निवेदन है कि यदि मंत्रीजी ने समाचार-पत्र नहीं देखा है, तो यह एक आन्तरिक बन्दोबस्त है। सभा का इससे कोई वास्ता नहीं है। यदि आप एक बार इसकी अनुमति देंगे तो ऐसा सदैव होगा और सभा एक मजाक बन कर रह जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : कल।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, पूरी दिल्ली में टेलीफोन खराब मिलता है, पड़े हुए हैं। दो हजार से अधिक टेलीफोन खराब पड़े हुए हैं। आपके यहां लगाते हैं तब नहीं मिनिस्टर के यहां लागते हैं तब नहीं मिलता है। खराब केवल लगा करके पूरा पैसा ले लिया गया है.....

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को कल नियम 377 के अधीन उठायें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष 1980-81 के लिये विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं वर्ष 1980-81 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-988/80)

प्रकाश स्तम्भों के लिये केन्द्रीय सलाहकार समिति (प्रक्रिया सम्बन्धी) संशोधन नियम, 1979

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : मैं प्रकाशस्तम्भ अधिनियम, 1927 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रकाशस्तम्भों के लिये केन्द्रीय सलाहकार समिति (प्रक्रिया संबंधी) संशोधन नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ, जो दिनांक 23 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 867 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-989/80)

वर्ष 1980-81 के लिये वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

वाणिज्य और इस्पात मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं वर्ष 1980-81 के लिये वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-990/80)

शिक्षुता संशोधन नियम, 1979 की एक प्रति

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : मैं शिक्षुअधिनियम 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ, जो दिनांक 28 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1012 में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी०-991/80)

ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके लेखापरीक्षित लेखे

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)। मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी *संस्करण) की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूँ। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-992/80)

---

* वार्षिक प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण, उस पर समीक्षा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में—28 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखे गये थे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

धनबाद कोयला खान क्षेत्र में बहुत सी औद्योगिक इकाइयों के बन्द हो जाने का समाचार

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

"धनबाद कोयला खान क्षेत्र में बहुत सी औद्योगिक इकाइयों के बन्द हो जाने, जिसके कारण लगभग 10,000 कर्मकार बेरोजगार हो गए, के समाचार"

डा० बसंत कुमार पंडित : विशेषाधिकार का एक प्रस्ताव भी है । हमें बोलने का भी अवसर नहीं दिया जाता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने उस पर एक प्रश्न स्वीकार किया है ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : स्टेटमेंट की कापी हम को मिलनी चाहिये थी । मिली नहीं है । यह बहुत गम्भीर मामला है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वक्तव्य बांटा जाये ।

श्री रामावतार शास्त्री : रूल्ज के मुताबिक आप कीजिये । हम कैसे पढ़ेंगे और सवाल करेंगे :

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इसे 4 बजे तक स्थगित कर सकते हैं । जब तक आधा घंटा पहले वक्तव्य नहीं दिया जाता, तब तक हम मामले में आगे कार्यवाही नहीं कर सकते । इस सम्बन्ध में सभा की इतनी अधिक अवमानना क्यों की जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसे पढ़ेंगे । यह एक छोटा सा वक्तव्य है ।
(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपनी बात कहने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की भावनाओं को जानता हूं । यदि सभा का समय बर्बाद होता है, तो आपको क्या मिलेगा ? मैं जानता हूं कि इसका वितरण पहले किया जाना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इसे 4 बजे तक स्थगित कर दें ।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? यह एक छोटा सा वक्तव्य है । वह इसे पढ़ देंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब तक वह वक्तव्य को पहले नहीं पढ़ते, तब तक वह प्रश्न कैसे बना पायेंगे । हर बार नियम बताया जाता है । आप प्रश्न पूछें—किस नियम के अन्तर्गत ? वह कैसे प्रश्न बतायेगा ? वह कोई जादूगर नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम इस पर मद 11 के बाद चर्चा करेंगे ।

विनियोग रेल (संख्या-3) विधेयक

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : भारतीय रेलें, जो देश की आर्थिक गतिविधियों में लगा हुआ सबसे बड़ा आर्थिक एकक है, इस समय किसी तरह काम चला रही हैं। उदाहरण के तौर पर वहां कोई अकेडैमिक एक्सरसाइज़ नहीं है।

अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (आर० डी० एस० ओ०) रेलवे विभाग के अनचाहे और अवांछित अधिकारियों के गोदाम की तरह है। मैं एक पूरे दिन अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (आर० डी० एस० ओ०) में रहा और मैंने देख लिया कि अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (आर० डी० एस० ओ०) एक गोदाम से अधिक कुछ नहीं है। वहां शायद ही कुछ अनुसंधान होता होगा। वहां की कार्य प्रणाली देख कर अंग्रेजों की औपनिवेशिक कार्य पद्धति की याद आती है। रेलवे विभाग के उच्चाधिकारी अभी भी अपने को जिला समाहर्ता के बराबर समझते हैं और उसी तरह व्यवहार करते हैं। इनका कहना है कि उन्हें यात्री यातायात पर 150 करोड़ रुपये की हानि होती है। ऐसा क्यों है ? इन्होंने खाली गाड़ी के वज़न और आयभार के अनुपात को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। दुमंजिले डिब्बों का उत्पादन, जिनके लिए मैं दस वर्ष पहले से अनुरोध कर रहा हूं, धीमा है क्योंकि उत्पादन की इस धीमी गति से सड़क यातायात के विशेष वर्ग का हित होता है। यदि दुमंजिले डिब्बे आ जाते हैं तो सड़क यातायात व्यापार को भारी हानि होगी इसलिए इसका उत्पादन कार्य धीमा किया गया।

एल्यूमिनियम के डिब्बों को ही लीजिए। आज आयभार और खाली गाड़ी के वज़न का क्या अनुपात है। आपके 'शेल' की तरह के डिब्बों के साथ जिनका भार 45 से 55 टन के लगभग होता है, आपका आयभार, यदि प्रथम श्रेणी का डिब्बा है तो कुलभार का 10% ही बैठता है। आप एक एकक के कर्षण के लिए बहुत महंगा ऊर्जा इंधन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका आयभार उस एकक का दसवां भाग भी नहीं है। पिछले 30 वर्षों में भारतीय रेलवे का यह कार्य निष्पादन रहा है।

अब भाड़े को लीजिए। अगर मुझे ठीक याद है तो 1974 में हमने लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से औद्योगिक कच्चे माल के से 54 मदों की ओर ध्यान दिलाया था जिनका परिवहन रेलवे ढुलाई की लागत से बहुत कम लाभ पर कर रहा है। क्यों ? वे बड़े उद्योगपतियों को राज सहायता देना चाहते हैं। श्री त्रिपाठी, क्या आप सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के आधार पर क्या किया है जिसमें यह कहा गया था कि माल भाड़ा देकर रेलवे को, कुछ आवश्यक मदों को छोड़कर, ऐसा कोई भी माल नहीं ढोना चाहिए जिसमें परिवहन लागत के अतिरिक्त लाभ न हो। मेरे ख्याल में इन्होंने एक समिति गठित की है। सात वर्ष हो चुके हैं, मगर सत्ताधारी दल के आश्रयदाताओं को नाराज नहीं किया जा सकता। कागज की मिलों के लिए बांस की ढुलाई बहुत कम लागत पर करनी पड़ेगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सात में से तीन बरस तुम्हारे थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तुम्हारे माइनं वेकरी का मदद किया था, तुम मत चिल्लाओ। इसके बाद माल की गलत घोषणा का गम्भीर मामला आता है। उच्च मालभाड़े के माल की ढुलाई करते हुए ये लदान-पत्र में अर्थात रेलवे रसीद में इसे कम माल भाड़े वाला माल घोषित करते हैं। अगर नजर रखने के लिए कोई सतर्कता दल होता है तो वे माल-डिब्बों में तीन चौथाई उच्च माल-भाड़े वाला माल भर देते हैं और ऊपर से एक चौथाई कम माल-भाड़े वाला माल भर देते हैं। अगर निरीक्षण करने वाले अधिकारी ईमानदार भी हो, तो भी वे चकरा जाते हैं।

अब इसका भार वाला पक्ष लीजिए। माल-भाड़ा आपकी आय का प्रमुख साधन है और त्रिपाठी जी, माल और मार की घोषणा में लूट मची हुई है। आपकी तुलनचौकियां तो बिलकुल बेकार हैं। आप लदान-पत्र में कुछ भी भार दिखा सकते हैं बशर्ते कि आप उसकी कीमत चुका सकते हों और उसके लिए बंदोबस्त पूरा हो।

33 वर्षों के लम्बे अर्से के बाद, जिसमें से वे 30 वर्षों से सत्ता में है, अब उन्हें सहसा होश आया है। अब इन्होंने एक राष्ट्रीय यातायात नीति सम्मुख रखी है जबकि पूरा देश सड़क यातायात के एक विशेष वर्ग की गिरफ्त में है जो कि विदेशी पूंजी निवेश प्रधान हैं और जो यातायात का बहुत महंगा साधन है। एक अभूतपूर्व बात हुई है। बी०डी० पांडे ने अद्भुत काम किया है और प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रतिवेदन को सभापटल पर रख देने दीजिए और हम दिखा देंगे कि घोटाला कहां है। महोदय, मैंने देखा है कि आप कुछ बातों में बहुत रुचि लेते हैं। जहां प्रमुख चालन ऊर्जा की आवश्यकता है वहां रेलवे का स्थान, कम ऊर्जा की खपत करने वालों में दूसरा है। एक अश्व शक्ति की रेलगाड़ी 500 कि० ग्रा० को धक्का दे सकती है या खेंच सकती है। यद्यपि, सब से कम अंतर्देशीय जल यातायात में है जहां एक अश्व शक्ति की वाहन क्षमता 4000 कि० ग्रा० ही हो सकती है। बस द्वारा 150 कि० ग्रा० वजन ढोया जा सकता है।

बात यह है कि प्रत्येक धातु के मूल्य ढांचे में यातायात की लागत महत्वपूर्ण माना है। श्री त्रिपाठी, अगर आप यातायात के लागत ढांचे पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो आपके ये सारे राजनैतिक भाषण कि मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जाएगा केवल राजनैतिक चाल है और देश इसके जाल में नहीं फंसेगा।

हमने अपने प्रतिवेदन में अंतर्देशीय जल यातायात के बारे में कुछ प्रयत्न किया था और समिति का प्रतिवेदन अक्तूबर, 1970 में प्रकाशित हुआ था। रेलगाड़ी के द्वारा प्रति टन किलो मीटर लागत इस प्रकार है—पूर्वी रेलवे 4.4 पैसे पूर्वोत्तर रेलवे 5.74 पैसे और सड़क परिवहन 10 पैसे।

यातायात के विभिन्न साधनों से अर्थ-व्यवस्था पर 12 प्रतिशत लागत आती है जो इस प्रकार है :—

पूर्वी रेलवे 5.32 पैसे और सड़क यायायात 10 पैसे।

अतः आप उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए दुगना मूल्य देने के लिए विवश कर रहे हैं।

अब मैं श्री त्रिपाठी से पूछना चाहूँगा कि रेलवे बोर्ड, योजना आयोग और सरकार के प्रतिभाशील अधिकारियों द्वारा खान के मुहाने पर ही आरक्षण बिजली संयंत्र स्थापित क्यों नहीं किया गया ? यह ठीक है कि पारेषण के दौरान बिजली की हानि होती है परन्तु रेलवे को इससे कोई हानि नहीं होगी क्योंकि उनकी खपत तो पारेषण लाइन के साथ होती चलती है। क्या कारण है कि इन 32 वर्षों में सरकार ने खान के मुहाने पर एक ऐसा आरक्षण बिजली संयंत्र क्यों स्थापित नहीं किया ?

मैं आशा करता हूँ कि त्रिपाठी जी को याद होगा कि मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि आप ऐसी विचार-गोष्ठियां आयोजित करें जिसमें यातायात अर्थ-शास्त्री और ऐसे लोग आ सकें, जो इस बारे में पढ़ते लिखते रहते हैं ताकि वे इन विचार गोष्ठियों में आकर वे बता सकें कि भारतीय रेलवे की अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी मूलभूत बातों में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि रेलवे बोर्ड इस बारे में कार्यवाही क्यों नहीं करता है।

अब ये लोग डीजल से गाड़ी चलाने लगे हैं। सब के सब डीजल से गाड़ी चलाने के पक्ष में है। मगर इनमें से कितने लोगों ने इसके बारे में गहराई से अध्ययन किया है ? अगर मैं भूल नहीं रहा तो आरम्भिक निवेश 500 करोड़ रुपये का था और प्रतिदिन टन किलोमीटर चालन के रूप में कितना लाभ हुआ ? वास्तव में वह नहीं के बराबर था। आज डीजल इंजन की लागत 45 लाख रुपये है और अन्तिम भाप के इंजन के लिए चित्तरंजन पर 9 लाख रुपये खर्च करने पड़े थे। अगर आपको लगता है कि भाप का इंजन खींच नहीं पाता तो आप दोहरा कर्षण प्रयोग कीजिए। मगर इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अमेरिका में वे लोग भाप टरबाइन का पता लगाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। यहां ऐसे अनुसंधान कार्य कहां होता है ? अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (आर० डी० एस० ओ०) निष्क्रिय अधिकारियों की आरामगाह है। वे ऐसा अनुसंधान कर ही नहीं सकते।

संसदीय समितियों ने रेलवे के विस्तार के बारे में बार बार कहा था कि पिछड़े हुए, पहाड़ी और जनजातियों वाले क्षेत्रों के लिए व्यवहार्यता का सिद्धान्त छोड़ दिया जाना चाहिए। त्रिपाठी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज के संदर्भ में यह व्यवहार्यता का सिद्धान्त सिर्फ एक ढकोसला है। राजनैतिक आधार और रसूख से लोग रेल लाइन बिछवा लेते हैं। मैं पिछले दस वर्षों का इतिहास बता सकता हूं कि कहां रेल की लाइनें बिछाई गईं और उन्हें कितना लाभ हुआ।

राजधानी एक्सप्रैस के बारे में यह हुआ कि सरकार ने वायुयान विक्रेताओं के एक विशेष वर्ग से समझौता कर लिया है क्योंकि 17 घंटों के बजाए ये लोग 15 घंटे कर सकते थे और इस तरह उसे राजधानी से जोड़ सकते थे। ऐसा क्यों है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच कोई राजधानी एक्सप्रैस नहीं है। ऐसा क्योंकि त्रिवेंद्रम और मद्रास से दिल्ली के लिए कोई राजधानी एक्सप्रैस नहीं है ? ऐसा क्यों है कि यह एक्सप्रैस केवल बम्बई और कलकत्ता से चलती है। एक दशक पहले इस दिशा में कुछ काम हुआ था और तब से अब तक कुछ नहीं हो रहा। विमान-भाड़े में वृद्धि होने से राजधानी में पहले से बहुत अधिक भीड़ होने लगी है। मगर मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि रेलवे बोर्ड के लोग यूरोप जाते हैं और वापस आकर उनकी नकल करते हैं और चेयर कार की व्यवस्था करते हैं। यूरोप के लिए चेयर कार ठीक है क्योंकि वहां

शायद ही रात भर की यात्रा होती होगी। मगर इस देश में त्रिपाठी जी, आप किसी मंत्री को भेज कर पता लगाएं कि लोगों को किस तरह कलकत्ता से बम्बई, दिल्ली से कलकत्ता और दिल्ली से बम्बई तक जाने के लिए अठारह घंटे तक बकेट सीट में बैठना पड़ता है।

मैं केवल यह कह रहा हूँ कि राजधानी के प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे में 18 बर्थ हैं। इसमें से चार रेलवे बोर्ड के लिए आरक्षित हैं जिनके लिए टिकट नहीं खरीदना पड़ता, केवल धातु के प्रवेश-पत्र अथवा सोने के प्रवेश-पत्र की आवश्यकता होती है। हमने हिसाब लगाया था। त्रिपाठी जी ने मेरा पत्र-व्यवहार देखा होगा। 14 टिकट खरीदने वाले यात्रियों से उन्हें अधिक से अधिक 7000 रुपये की कुल आमदनी होगी। इसमें जमादार, परिचारक, बिस्तरबन्द और खाना शामिल है। इसके बजाए अगर राजधानी में दो-टियर शयन-यान लगाएं तो उसमें 46 यात्री सफ़र कर सकते हैं और प्रति यात्री 4000 रुपये के राजस्व की वृद्धि होगी। वे इससे सहमत नहीं होते, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस प्रथम श्रेणी "होली डे होम" के समान है। आप गुप्त रूप से जाएं और खुद देख लें। मेरे मन में उनके लिए वैमनस्य-भाव नहीं है क्योंकि मैं सता कर प्रसन्न होने वालों में से नहीं हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित चेयर कोचों को एकदम बन्द कर दिया जाए। राजधानी में प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित चेयर कोच चालू रहें। (व्यवधान) देश में लम्बी दूरी की यात्राओं के लिए टू-टीयर या थ्री टीयर शायिकाएं ही पर्याप्त नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि राजधानी चेयर कारों में कितनी ही बार वातानुकूलन मशीन काम नहीं करती हैं, और वातानुकूलन मशीन के काम न करने के कारण कितनी ही बार यात्रियों को पैसे वापस करने पड़े हैं।

मैं केवल एक और प्रश्न पूछ कर बैठ जाऊंगा। राजधानी एक्सप्रेस का दुर्घटना ग्रस्त कोच 7 या 8 महीने पूर्व मरम्मत के लिए भेजा गया था। आपने वह कोच राजधानी एक्सप्रेस को कब लौटाया? और राजधानी एक्सप्रेस में यदि आप तुरन्त टिकट चाहते हों, तो अपना नाम नहीं बताए, काउंटर के नीचे से 100/— रुपये दे दें, तो आप को टिकट मिलेगा, अन्यथा नहीं।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक राज्य का सौभाग्य रहा है कि यहां से बहुत लोग रेल मंत्री बने हैं, जैसे श्री एच० सी० दासप्पा, श्री के० हनुमंतय्या और श्री सी० एम० पुनाचा, और वर्तमान राज्य मंत्री भी कर्नाटक से ही हैं। किन्तु मुझे खेद है कि ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, जो अभी तक हल नहीं की गई हैं, और मैं माननीय रेल मंत्री जो बहुत अनुभवी हैं, से निवेदन करूंगा कि वे मेरी बातों पर ध्यान दें और उन पर विचार करने की कृपा करें।

महोदय, ऐसे बहुत से रेलवे फाटक हैं जिन्हें सामान्यतः रेलवे फाटक कहा जाता है किन्तु वस्तुतः वे मौत के फाटक हैं। मेरा निवेदन है कि जिन रेलवे फाटकों का मैं यहां उल्लेख कर रहा हूं वहां रेल लाईन के नीचे पुल बनाए जाएं। एक रेलवे फाटक बंगलौर शहर में है जो रेलवे स्टेशन से बहुत दूर नहीं है वह रेलवे फाटक बिन्नी पेट और मैसूर रोड को जोड़ता है तथा बिन्नी मिल में काम करने वाले और स्कूल-कॉलिज जाने वाले छात्र इस सड़क से ही आते-जाते हैं। निवेदन है कि बंगलौर शहर में बिन्नी पेट के निकट इस फाटक के स्थान पर शीघ्रातिशीघ्र रेल लाइन के नीचे पुल बनाया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि मंडी चीनी फैक्टरी और बंगलौर-मैसूर मार्ग के बीच एक फाटक है जिसमें से भी अधिकांश मजदूर और दूसरे लोग एक ओर से दूसरी ओर (एक्सटेंशन) आते-जाते रहते हैं। वहां भी रेल लाईन के नीचे एक पुल बनाया जाए। बंगलौर और पूना को जोड़ने वाले टुमकुर- बंगलौर मार्ग पर भी बहुत से रेलवे फाटक हैं, जहां कई घंटों तक वाहनों का रास्ता अवरुद्ध पड़ता है, और बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई है। इसलिए माननीय मन्त्री से मेरा निवेदन है कि वे इन सभी रेल फाटकों पर शीघ्रातिशीघ्र रेल लाईन के नीचे पुल बनाए जाएं ताकि सड़क पर चलने वाले वाहनों को असुविधा न हो और रेलवे लाईन पार करने में होने वाले खतरे से बचा जा सके।

अनेक माननीय सदस्यों ने रेलगाड़ियों के देर से चलने और आने-जाने की ओर रेल मन्त्री जी का ध्यान दिलाया है। मैं खास तौर से कर्नाटक-केरल एक्सप्रेस और महालक्ष्मी एक्सप्रेस का उल्लेख करना चाहता हूं जो क्रमशः पूना और बंगलौर तथा दिल्ली और बंगलौर को जोड़ती हैं। ये रेलगाड़ियां हमेशा देर से पहुंचती हैं। कुछ दिन पहले मेरी पुत्री बंगलौर से दिल्ली आने वाली थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो गाड़ी दुपहर 1.00 बजे पहुंचने वाली थी वह रात को 2.00 बजे पहुँची। परिणामस्वरूप मुझे दिल्ली के प्लेटफर्म पर कई घण्टे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, और आप सोच सकेते हैं कि यात्रियों को कितनी परेशानी हुई होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि कर्नाटक-केरल एक्सप्रेस को समय सारणी के अनुसार चलाया जाए। महालक्ष्मी एक्सप्रेस भी प्रति-दिन देर से पहुंचती है। इसे सुबह के लगभग 10.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, किन्तु यह 11 या 12 बजे पहुँचती है अथवा रात को 2.00 बजे पहुंचती है जबकि आटो रिक्शा और टैक्सी आदि मिलना बहुत कठिन होता है। किराया भी बहुत अधिक देना पड़ता है। इसीलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अपील करता हूं कि इन रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलाया जाए।

बंगलौर से दिल्ली और बंगलौर से बम्बई के लिए आरक्षण टिकट खरीदना बहुत कठिन हो गया है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मन्त्री इस बात पर ध्यान दें कि आरक्षण की ओर अधिक सुविधा के लिए अधिक डिब्बे लगाये जायें।

बहुत दिनों से जिस मामले पर निर्णय नहीं लिया जा सका है, वह है मैसूर और बंगलौर तथा बंगलौर और गुंतकल के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना। भूतपूर्व रेल मन्त्री, श्री दण्डवते ने जब बड़ी लाइन का उद्घाटन किया था तो उन्होंने उसके 1981 से पहले पूरा हो जाने का वायदा किया था, किन्तु वर्तमान गति से यह कार्य 8 या 10 वर्षों में भी पूरा नहीं हो पायेगा। अतः इन्हें यह कार्य अविलम्ब पूरा करने के लिए शीघ्र ही उपाय किये जाएं।

बंगलौर और मैसूर के बीच प्रति दस मिनट पर बसें चलती हैं, और 8 या 10 रेल गाड़ियां भी चलती हैं, फिर भी हमेशा भीड़भाड़ बनी रहती है। इसीलिये माननीय मन्त्री से मेरा निवेदन है कि बंगलौर-मैसूर लाइन पर बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी की व्यवस्था करने के लिये वे शीघ्र उपाय करें, बाद में बंगलौर-मैसूर लाइन विद्युत रेल गाड़ी की व्यवस्था की जा सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कोयले और डीजल की भी बचत होगी। कुछ ही समय बाद कोनी परियोजना के पूरा होते ही काफी बिजली उपलब्ध होती रहेगी। अतः इन परियोजनाओं को हाथ में लिया जाए।

वैगनों के आबंटन के बारे में यह कहना है कि हमेशा मुश्किल होती रहती है और हमें खाद्यान्न और सीमेंट की पूर्ति नहीं हो पाती। इसीलिए खाद्यान्न और सीमेंट की ढुलाई के लिए माल डिब्बों का आबंटन करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। मैं और भी बहुत सी बातें माननीय मन्त्री के ध्यान में लाना चाहता था। किन्तु इस समय मैं अपने भाषण को और लम्बा नहीं करना चाहता। मैंने सूची संख्या 7 और 4 में काफी संख्या में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, और माननीय मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि आवश्यक उपाय शीघ्र किये जाएं और इसे पूरा किया जाये।

रेल मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मान्यवर, यहां पर रेल बजट पर जनरल डिस्कशन तीन दिन तक होता रहा है। कल सारा दिन डिमांड्स पर बहस हुई और कल शाम साढ़े छः बजे खत्म हुई। ज्योतिर्मय बसु जी का मैं बड़ा आदर करता हूं, वे बड़े भारी महारथी हैं, कोई मामूली आदमी तो हैं नहीं। जब इनको कोई काम होता है, तो ये बड़े प्रेम से बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : पंडित जी, दिग्गज हैं या महारथी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : धीरे से कान में बात करते हैं। इस रेलवे बोर्ड की यहां इतनी फजीहत कर रहे हैं, उसके मैम्बरों से बड़े प्यार से बात करते हैं कि हमारा यह कर दो, हमारा वह कर दो। मान्यवर, हाउस में बोलते हैं, लेकिन बजट के डिस्कशन पर तीन दिन तक कहीं दिखाई नहीं पड़े। यदि उन्होंने बोला होता तो मैंने उनका जवाब दे दिया होता। कल सारा दिन आपकी कृपा से यहां विवाद हुआ और इस विवाद में सात बज गये। जब ये कल भी दिखाई नहीं पड़े, तो अब बेचारे क्या करें, अखबारों में तो नाम आना ही चाहिए, इसीलिए ये एप्रोप्रिएशन बिल पर बोले और बहुत देर तक टाइम लिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी बातें उन्होंने कहीं, उन सब का उत्तर देना इस वक्त तो सम्भव नहीं है। आपने अगर इसके बारे में मुझ से बात कर ली होती या लिख कर दे दिया होता, तो मुझे उससे बहुत रोशनी मिलती। त्रिपाठी जी यह बतलाइए, त्रिपाठी जी वह बतलाइए, तो त्रिपाठी जी कहां से बतलाते। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई वाइवा-वोसी इम्तिहान हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : दरअसल यह गाड़ी निकलने के बाद स्टेशन पर पहुंचे।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं बड़े अदब और सम्मान से कह रहा हूं कि इनमें एक और भी गुण हैं, इनकी निष्ठा में मैं विश्वास करता हूं, देशभक्त हैं और बहुत दृढ़ता के साथ देश को आगे ले जाने की चेष्टा करते हैं। यह सब मानते हुए, मैं कहता हूं कि इनमें एक और विशेषता है कि ये सूघते हैं, बीसियों लाबियां इनको दिखाई पड़ती हैं, राष्ट्रीय परिवहन समिति में लॉबी है। इनके अनुसार पाण्डे कमेटी के ऊपर लाबी चली। वह जो कमेटी बनी थी, वह प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी, रेलवे बोर्ड ने नहीं बनाई थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला है।

श्री कमलापति त्रिपाठी : हमारे पास उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, शायद प्लानिंग कमीशन को दी होगी या प्राइम मिनिस्टर को दी होगी, जोकि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हैं। हमारे पास वह कमेटी आई थी, हमने उन से बातचीत की थी और पूछा था कि आप क्या रिकमेण्ड करने जा रहे हैं। उस से थोड़ी झिलमिल आभा मिली कि कमेटी क्या करने जा रही है। उस में

इन को रोड़ की लाबी और न जाने क्या-क्या लाबियां दिखाई देने लगीं, मालूम नहीं कहां-कहां सूंघते रहते हैं। सारी दुनिया बेईमान है, सिवाय ज्योतिर्मय बसु के, इन के ऊपर कोई लाबी नहीं चलती है। इनकी तमाम बातों का जवाब अगर ये लिख कर भेज देंगे तो मैं भेज दूंगा या आप के दफ्तर में हाजिर हो जाऊंगा और सब आपके सामने रख दूंगा.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप जब भी बुलायेंगे, दो बजे रात को भी बुलायेंगे, तो मैं फौरन आ जाऊंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी : आर० डी० एस० ओ० में जितने आदमी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरे देशों के लोग यहां आते हैं, उन से मिलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। उनमें साइन्टिस्ट्स हैं, टैकनालाजिस्ट्स हैं, कुछ रेलवे के आफिसर्स हैं, लेकिन उन में भी इनको लाबी दिखाई देती है। कह दिया - मोस्ट-इनकाम्पीटेंन्ट और न जाने क्या-क्या कह दिया मैं कहना चाहता हूं — खाली निन्दा करने से कोई काम नहीं चलेगा।.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने ऐसा कहां कहा है, आपके पास गलत ट्रांस्लेशन आया है, आप पढ़ कर बोलिए।

श्री कमलापति त्रिपाठी : आप यदि पहले आये होते, तो मैं आपका इन्तजाम करता, लेकिन आप आज आये हैं।

कई सवाल शर्मा जी ने भी उठाये हैं, मैं थोड़ा उनको भी उत्तर देना चाहता हूं। रेलवे की नीति है कि रेल-फाटकों के स्थान पर ऊपरि पुल बनाने की लागत में राज्य सरकारों से साझेदारी के आधार पर काम किया जाए, इस प्रयोजन के प्रस्ताव 'राज्य सरकार सड़क प्राधिकरणों' की ओर से प्रायोजित किये जाते हैं। जहां तक हमारा संबंध है, हम राज्य प्राधिकरणों को लिखेंगे और स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करेंगे।

इन निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकार के प्राधिकरणों को अधिकार देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मुझे इसकी जांच करनी होगी।

पिछले कुछ दिनों से 125 और 126 के० के० एक्सप्रेस तथा 303 और 304 महालक्ष्मी एक्सप्रेस देर से चल रही हैं। उनकी इस दशा में सुधार के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि वे देर से चलती हैं। राज्य सभा में भी यह सवाल उठा था—महालक्ष्मी एक्सप्रेस के बारे में। वहां माननीय कुलकर्णी जी कह रहे थे कि वह कल्याण में खड़ी हो जाती है। महालक्ष्मी तो कल्याण में खड़ी ही होगी, और कहां खड़ी होगी ? उन्होंने कहा— जरा जल्दी पहुंच जाय। बम्बई में भी महालक्ष्मी है जल्दी पहुंच जायगी। ठीक है हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं।

एक बात वैगन्ज की एलाटमेंट के बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि यह सवाल यहां पर बार-बार उठा है।

माल डिब्बों का आवंटन प्राथमिकता की अनुसूची के अनुसार किया जाता है जो कि प्रत्येक छः माह बाद जारी किये गए तरजीही यातायात अनुसूची के माध्यम से जनता को अधिसूचित किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं को 5 प्राथमिकता शीर्षों-क, ख, ग, घ और ङ के अंतर्गत

रखा जाता है। जिनकी आवा-जाही प्रत्यावश्यक है उन्हें प्राथमिकता 'क' के अंतर्गत रखा जाताहै। उदाहरण के लिए, रक्षा सम्बन्धी वस्तुओं को प्राथमिकता 'क' में रखा जाता है; खाद्यान्न विभाग द्वारा खाद्यान्न, उर्वरकों आदि की आवा-जाही को प्राथमिकता 'ख' ; इस्पात, सीमेंट आदि के जैसे प्रमुख उद्योगों का कच्चा माल और तैयार माल प्राथमिकता 'ग' प्राथमिकता 'घ' में निर्यात का माल, निजी व्यापार के खाद्यान्न आदि तथा प्राथमिकता 'क' से 'घ' तक में जो वस्तुएं शामिल नहीं हैं उन्हें प्राथमिकता 'ङ' में शामिल कर दिया जाता है।

वैगन तरजीह में उच्चतर प्राथमिकता के आधार पर दिये जाते हैं। सप्ताह में एक दिन निम्नतर प्राथमिकता वाले माल को भी वैगन दिये जाते हैं; किस्तों में मांग के बजाय एक मुश्त मांग को ही तरजीह दी जाती है। इस तरह से होता है। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था कि आजकल प्रायोरिटी सेक्टर में काम करने की वजह से कहीं कहीं वैगनों की कमी मालूम होती है यद्यपि हमने उत्तर में कहा है कि हमारे पास चार लाख वैगन हैं, और बहुत से कामों में हमारे वैगनों की मांग है जिससे कहीं कहीं कमी दिखायी देती है। उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जो प्रायोरिटी सेक्टर बने हुए हैं उसके हिसाब से हम काम करते हैं। अगर प्रायोरिटी सेक्टर में 'ए' या 'बी' में कहीं ज्यादा डिमाण्ड हुई तो उसमें थोड़ा प्रिफरेंस हमें देना पड़ता है। उसमें हमारे लिये कोई रास्ता नहीं है। वैसे हम चेष्टा कर रहे हैं कि वैगन की कमी न रहे। (व्यवधान)

रेलवे के मामले में हमारे माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि रेलवे न जोनवाइज सोचती है और न प्रवेशवाइज सोचती है। हमारे लिए आल इंडिया एक यूनिट है। अभी एक क्वेश्चन हुआ था। लोग पूछ रहे थे कि जोरवाइज कितनी ट्रेंस चलीं। मैं पूछता हूं कि जो ट्रेन चण्डीगढ़ से रांची जाती है वह किस एक जोंस से जाती है ? फिर हम कैसे कह दें कि कितने जोंस से गयी। एक ट्रेन दिल्ली से कलकत्ता जाती है उसके लिए भी हम कैसे कह दें कि वह कितने जोंस से पास हुई। इसी तरह से के० के० एक्सप्रेस है वह कन्याकुमारी से जम्मू जाती है। वह मद्रास टच करती है, बैंगलोर टच करती है और दिल्ली भी आती है और जम्मू तक जाती है। आप इसे कैसे जोनवाइज बता सकते हैं। ऐसी बड़ी-बड़ी रेल चली हैं। अगर कोई बांच लाइन हो तो उसके बारे में कहा जा सकता है लेकिन जो ट्रेन कन्याकुमारी से जम्मू तक जाती है उसके बारे में कैसे कहें। कन्याकुमारी से जम्मू को जोड़ना था, जोड़ दिया। रेलवे नेशनल प्वाएंट आफ व्यू से सोचती है।

मैं यह मानता हूं नेशनल इम्बेलेंसिज दूर होने चाहिएं। बजट के उत्तर में मैंने कहा है कि उसके लिए एक कमेटी की रिपोर्ट आयी है। उस पर कार्यवाही हम कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि रीजनल इम्बेलेंसिज बड़ी गलत चीज है और उसको मिटाने की कोशिश होनी चाहिए। उसके लिए एक नेशनल प्वाएंट आफ व्यू रखना होगा जो हम रखते हैं।

अगर मान्यवर, कोई और शिकायत हो जिसका जवाब देना छूट गया हो··· (व्यवधान) आप मेरे यहां आइये और चाय पीजिए। मैं आपकी बात सुनूंगा और सुन कर के जो मानने लायक होगी वह मान लूंगा। इसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मानने लायक नहीं होगी उसके बारे में आपको समझाऊंगा।

इस तरह आप सभी का बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न यह है :

"कि रेल सेवाओं के लिए, भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए, कतिपय राशि के भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए

अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश में उचित दर की दुकानों से मक्का और ज्वार के उन्नत बीजों की सप्लाई

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा हो जाने से बुवाई का कार्य प्रारम्भ हो गया है किन्तु मक्का तथा ज्वार के उन्नत बीजों का वहां अभाव है तथा भारतीय बीज निगम के भावों पर बीज उपलब्ध नहीं है । खुले बाजार में बीज कम मात्रा में और बहुत ऊंची कीमत में बिक रहा है । ऐसी स्थिति में किसान परेशान हैं और उसका प्रभाव खरीफ की उपज पर भी पड़ने वाला है । साथ ही कीटाणु नाशक दवाएं तथा रासायनिक खाद भी उपलब्ध नहीं है । अतः शासन भारतीय खाद्य निगम व रासायनिक खाद निगम के माध्यम से राज्य शासन को बीज कीटाणुनाशक दवाएं उपलब्ध करवाने तथा राज्य शासन से उचित मूल्य पर वितरण कराने की व्यवस्था करे ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(दो) डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान

श्री मोहा माई (बांसवाडा) : राजस्थान के डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा को राष्ट्रपति जी द्वारा अनुसूचित जन जाति क्षेत्र घोषित किया गया है । अकाल निवारण एवं अन्य प्रशासनिक

मामले केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन आते हैं। वहां के जिलों के अकाल कार्यों में लगे हुए सैकड़ों मजदूरों को मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। मजदूरों को भुगतान करने के क्रम में अभी तक अपर्याप्त प्रयत्न किये गये हैं। मजदूर पेमेंट नहीं मिलने से परेशान हो गये हैं। इससे हमारे प्रधान मन्त्री जी के बारह सूत्री अकाल कार्यक्रम की अवहेलना हो रही है। अतः राज्य सरकार को निदेश दिया जाये कि वह चढ़ा हुआ मजदूरों का भुगतान अविलम्ब कराए।

(तीन) हथकरघा उद्योग की न्यायोचित मांगों को पूरा करने के उपाय

श्री के० कुन्हम्बु (कन्नानोर) : महोदय, केरल के हथकरघा श्रमिकों ने हथकरघा उद्योग को संरक्षण दिए जाने, श्रमिकों को बढ़ी हुई दर पर वेतन दिए जाने और अन्य लाभ दिए जाने की मांग करते हुए हड़ताल की है।

हथकरघा उद्योग से सम्बन्धित कई संगठनों ने केन्द्रीय सरकार को बार-बार यह मांग करते हुए अभ्यावेदन दिये हैं कि सूत का मूल्य कम किया जाए। केरल सरकार ने भी इस बारे में कुछ करने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया है। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि केन्द्रीय सरकार सूत के मूल्यों में वृद्धि करती रही। पिछले वर्ष मार्च में, प्रधान मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। लेकिन सरकार ने उस आश्वासन को कार्य रूप दिये जाने की ओर ध्यान नहीं दिया। सूत के मूल्य 45 से 47 प्रतिशत के बीच बढ़ गये हैं। इस स्थिति में, यह आवश्यक हो जाता है कि मूल्यों को घटाकर 1978 के स्तर पर लाया जाये, और ये मूल्य कुछ और समय तक बनाए रखे जाएं जिससे कि हथकरघा उद्योग को नष्ट होने से बचाया जा सके।

हथकरघा उद्योग अनेक क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत है। इसके परिणाम स्वरूप श्रमिक न्यूनतम मजदूरी और अन्य लाभों से वंचित रह जाते हैं। केन्द्रीय सरकार को, इस उद्योग को, फैक्ट्री लाइन पर फिर से संगठित करने और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए पहल करनी चाहिए। अतः मैं, सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करे जिससे कि हथकरघा उद्योग के श्रमिकों की न्यायसंगत मांगों को पूरा किया जा सके।

(चार) दिल्ली में नार्थ एवेन्यू तथा अन्य भागों में उचित दर की दुकानों पर चीनी तथा राशन की अन्य वस्तुएं उपलब्ध न होना

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, राशन की दूकानों में चीनी नहीं। नई दिल्ली के प्रैसिडेन्ट एस्टेट स्थित मार्केट में राशन की दो दुकानें हैं। उनसे अन्य नागरिकों के अतिरिक्त नार्थ एवेन्यू में रहने वाले संसद् सदस्यों को भी राशन, चीनी आदि वस्तुएं मिलती हैं। परन्तु आश्चर्य है कि जून माह में उक्त दुकानों के कार्डधारी उपभोक्ताओं को एक दाना भी चीनी नसीब नहीं हुई। अधिकांश उपभोक्ताओं को खुले बाजार से सात रुपये किलो के भाव से चीनी खरीद कर काम चलाना पड़ रहा है। अतः उनकी कठिनाइयों का अनुमान आसानी के साथ लगाया जा सकता है।

उपभोक्ताओं को माह में दो बार चीनी मिलती है, पर जून माह में एक बार भी नहीं मिली। दुकानदार बराबर यही जवाब देते हैं कि स्टाकिस्ट ने उन्हें चीनी की सप्लाई नहीं की है, ग्राहक चाहें तो अन्यत्र जा सकते हैं। ग्राहकों को इस माह में यानी जुलाई में भी अब तक चीनी

का दर्शन नहीं हुआ है। राशन की भी यही स्थिति है, कभी चावल मिलता है तो गेहूं नहीं और गेहूं मिलता है तो चावल नहीं।

चीनी नहीं मिलने की शिकायत एक संसद् ने लोक सभा के अध्यक्ष से चार बार की, संसद ने आपूर्ति मन्त्री से भी कहा। लोक सभा अध्यक्ष ने आपूर्ति मंत्री को इस बारे में पत्र भी लिखा, पर जवाब नदारद। 27 जून को कुछ सांसदों ने दिल्ली में चीनी के अभाव तथा मूल्य वृद्धि का महत्वपूर्ण सवाल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया, उक्त दुकानों की भी चर्चा की गई, जवाब में कृषि मंत्री ने चीनी की कठिनाई दूर करने का आश्वासन भी दिया, परन्तु दुःख है कि उनका आश्वासन कोरा आश्वासन बनकर रह गया।

दिल्ली प्रशासन के लिए यह विचार करने योग्य बात है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी संसद्-सदस्यों समेत आम उपभोक्ताओं को राशन की दुकानों से चीनी नहीं मिल रही है। दुकानदार भागा फिर रहा है। इस सम्बन्ध में आपूर्ति मन्त्री को सदन में वक्तव्य देकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए।

(पांच) कलकत्ता औद्योगिक न्यायाधिकरण में विचाराधीन मामलों को निपटाने के उपाय

श्री सुशील भट्टाचार्य (बर्दवान) : कलकत्ता औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय तथा एस्टेबलिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल में, 1977 से, बड़ी संख्या में मामले विचाराधीन पड़े हैं। बर्खास्त किए गए और बेरोजगारी के बहुत से मामलों के बारे में शीघ्र निर्णय किया जाना है ताकि पीड़ित श्रमिकों को राहत मिल सके। कलकत्ता न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी 31 दिसम्बर, 1979 को सेवा निवृत हुए थे और तब से वह पद रिक्त पड़ा है। वर्ष 1979 में कोयला खान कर्मचारी संघ ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया था कि आसनसोल क्षेत्र में एक केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय की स्थापना की जाए और सरकार ने इस बात को उचित महत्व दिया था। कलकत्ता न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय में कार्य की अधिकता के कारण बहुत से मामले विचाराधीन पडे हैं तथा मामलों पर शीघ्र निर्णय नहीं दिया जा रहा है जिससे श्रमिकों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है।

इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कलकत्ता में पीठासीन अधिकारी के पद पर तुरन्त ही नियुक्ति की जाए तथा कुछ मामलों को धनबाद न्यायाधिकरण के पास भेज दिया जाए जो कि पूर्वी कोयला-क्षेत्रों के पास है तथा आसनसोल स्थित कलकत्ता कार्यालय और सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय की तुलना में व्यय साध्य भी कम है।

(छः) बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में धान रोपण के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उपाय

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उपस्थित करते हुए मुझे निवेदन करना है कि बिहार के काफ़ी हिस्सों में, खासकर पूर्णिया जिले के नेपाल सीमा स्थित भाग में, सूखे के कारण धान

को रोपने का कार्य एकदम ठप्प हो गया है। किसानों की स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय हो गम है। उन्हें पटवन के लिए न तो बिजली की आपूर्ति की जाती है और न नहरों के द्वारा ह पटवन का प्रबन्ध है। जहां भी नहर द्वारा पटवन हो सकता है, वहां भी नहर को बन्द कर पटवन रोक दिया गया है। नहर अधिकारियों से नहर का पानी पटवन हेतु देने का अनुरोध करने पर उनका कहना है कि चूंकि अभी पानी में प्रति-क्यूसेक लगभग 35 प्रतिशत सिल्ट है अतः जब तक यह सिल्ट बैठ नहीं जाता, नहर द्वारा पटवन नहीं दिया जा सकता। सिल्ट छंट कर स्वच्छ पानी देने का कोई निर्धारित समय वे नहीं बताते। बल्कि उनका कहना है कि यदि कोसी नदी के उद्गम एवं ऊपर के भागों में पुनः बाढ़ आई, तो पटवन आरम्भ करने की अवधि में और भी विलम्ब होगा। लोगों के धान के बिचड़े खेतों में सूख रहे हैं। अधिक उत्पादन देने वाले किस्मों के धान एवं अन्य फ़सलों के लिए बिचड़े उगाहने, उखाड़ने एवं खेतों में पुनः रोपनी को निर्धारित अवधि के भीतर ही होना चाहिए, अन्यथा फ़सल का उत्पादन लाभप्रद नहीं रहता है। अतः ऐसी परिस्थिति में किसानों को, खासकर छोटे एवं मध्य वर्ग के किसानों को, भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ेगा एवं राष्ट्रीय पैमाने पर उत्पादन को व्यापक क्षति होगी।

अतः सरकार से अनुरोध है कि सरकार (1) कोसी एवं अन्य नहरों द्वारा, जहां अभी भी पटवन आरम्भ नहीं किया गया है, तुरन्त पटवन आरम्भ करने का आदेश दे, (2) उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर कृषि कार्य में लगे नलकूपों में बिजली की आपूर्ति का अविलम्ब प्रबन्ध करे, (3) डीजल इंजिनों की यथा शीघ्र व्यवस्था कर किसानों को मुहैया कराये एवं उस के लिये डीज़ल, मोबिल आयल आदि की आपूर्ति की भी व्यवस्था करे और (4) सरकारी विभागों द्वारा भी छोटे एवं सीमांत किसानों के खेतों में डीज़ल इंजिनों द्वारा पटवन का प्रबन्ध किया जाये, ताकि उत्पादन की व्यापक राष्ट्रीय क्षति से देश को बचाया जा सके।

इसमें अविलम्ब व्यवस्था की आवश्यकता है। अतः सिंचाई विभाग स्वयं एवं राज्य सरकार को आदेश दे कर इसकी शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करे।

नेशनल कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और नेशनल कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री टी० आर० शमन्ना द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सांविधिक संकल्प को लेते हैं। हम मद संख्या 10 और 11 पर एक साथ विचार करेंगे।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 27 अप्रैल, 1980 को प्राख्यापित नेशनल कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1980 (1980 की अध्यादेश संख्या 4) का निरनुमोदन करती है।"

नेशनल कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संबंधी इस अध्यादेश का निरनुमोदन निम्न कारणों से किया जाना चाहिए हैं :

I) जब संसद का सत्र चल रहा हो अथवा शीघ्र सत्र आरंभ होने वाला हो, तो जब तक तत्काल अध्यादेश लागू करने का कोई असाधारण कारण न हो, अध्यादेश जारी करना न्यायोचित नहीं है। पिछले चार वर्षों से यह कंपनी सरकार के नियंत्रणाधीन थी और यदि संसद से अधिनियम पास कराने के लिए हमें कुछ दिन और रुकना पड़ता है तो आसमान तो नहीं गिर जाता।

मैसर्स नेशनल कम्पनी लिमिटेड, जूट का सामान बनाने वाली सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कपनियों में से है। इस की अधिष्ठापित क्षमता 22000 मीटरी टन कालीन का अस्तर बनाने की है, जिससे बहुत अधिक और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तथा इस में लगभग 12,000 मजदूरों को रोजगार मिला हुआ है। राष्ट्रीय महत्व के इस प्रकार के संस्थान को, जल्दबाजी में अध्यादेश प्रख्यापित करके अपने अधिकार में लेना वांछनीय नहीं है।

यदि विधेयक संसद के समक्ष पहले प्रस्तुत किया गया होता, तो संसद-सदस्यों द्वारा दिये गये विवेकपूर्ण सुझाव काफी उपयोगी सिद्ध होते और यदि आवश्यक होता, तो विधेयक को, विचारार्थ प्रवर संयुक्त को सौंपा जा सकता था। दूसरी ओर यदि अध्यादेश पारित किया जाना है, तो सरकार इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए, संसद सदस्यों द्वारा दिए गए अच्छे सुझावों पर ध्यान नहीं देगी तथा इस तरह, अध्यादेश का निरनुमोदन किया जाना चाहिए। महोदय साथ ही, यह भी कहा गया है कि पिछले प्रबन्धकों द्वारा कम्पनी का प्रबन्ध बहुत ही खराब तरीके से चलाया जा रहा था। कम्पनी के कार्यकरण में गंभीर आर्थिक अनियमितताएं थीं। यह भी कहा गया है कि प्रबन्धकों द्वारा काफी लापरवाही और धोखा-धड़ी की जा रही थी। यहां यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कम्पनी कार्यों के कुप्रबन्ध के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई या नहीं। इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, अतः इस अध्यादेश का निरनुमोदन किया जाना चाहिए। महोदय, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा चार वर्ष पहले इसका प्रबन्ध अपने अधिकार में लिए जाने के बाद क्या सुधार किए गए, जबकि यह जानकारी देना बहुत ही आवश्यक था। क्योंकि चार वर्ष की अवधि में इसने कैसा कार्य किया इसके आधार पर ही कोई यह कह सकता है कि कम्पनी को अपने अधिकार में लेना उपयोगी होगा या नहीं। महोदय, सरकार ने सभी देयताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी ली है। यह नहीं बताया गया है कि कुल देयता कितनी होगी। जिस कम्पनी का प्रबन्ध ठीक ढंग से नहीं चल रहा हो, उसमें ऐसी भी कई देयताएं होंगी जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई गई होंगी। उनके बारे में यहां जानकारी दी जानी चाहिए थी।

महोदय, नेशनल कम्पनी लिमिटेड काफी पुरानी है तथा जब कभी किसी कम्पनी का परिसमापन किया जाना हो, तो शेयर धारियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, चाहे वह स्वैच्छिक परिसीमन हो या अनिवार्य परिसीमन। क्या इस मामले में शेयर धारियों की राय ली गई? यह भी यहां नहीं बताया गया है।

इस कम्पनी में बहुत अधिक संख्या में,—लगभग 12 हजार श्रमिक है। कम्पनी का पुनःनिर्माण करने और उसे लाभ में चलाने के लिए श्रमिकों का योगदान बहुत आवश्यक है।

कम्पनी को अपने नियंत्रण में लेने संबंधी इस मामले में क्या मजदूर संघों से परामर्श किया गया है ? इस का भी विवरण यहां नहीं दिया गया है। कम्पनी के समुचित कार्यकरण के लिए श्रमिकों का सहयोग बहुत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो यह बहुत बडी भूल होगी। सरकार 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पूंजी निवेश कर रही है। इस बात की क्या गारन्टी है कि नई कम्पनी, विशेषतया सरकार के नियंत्रण में, सफल होगी ? नई कम्पनी के नवीकरण का कोई विवरण नहीं दिया गया है। इस स्थिति में, मेरा सभा से यही अनुरोध है कि वह 1980 के अध्यादेश संख्या 4 का निरनुमोदन करें, जिस पर अब विचार किया जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय :—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"यह सभा नेशनल कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1980 (1980 का अध्यादेश संख्या 4) जो राष्ट्रपति द्वारा 27 अप्रैल, 1980 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए पटसन की महत्वपूर्ण वस्तुओं का विनिर्माण, उत्पादन और वितरण जारी रखना सुनिश्चित करके जनसाधारण के हितसाधन के लिए मैसर्स नेशनल कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण का और उससे संबंधित तथा उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, अध्यादेश के निरनुमोदन का सांविधिक सकल्प प्रस्तुत करते हुए माननीय सदस्य, श्री शमन्ना ने कहा है कि इस कार्यवाही को अध्यादेश द्वारा जारी किए जाने की क्या जल्दी है और उन्होंने सभा का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि ऐसा संसद के सत्र के एक दिन पहले किया गया है। तथ्य की दृष्टि से यह कथन सही नहीं है क्योंकि अध्यादेश अप्रैल में जारी किया गया था, और संसद का सत्र जून में शुरू हुआ है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि अध्यादेश संसद के सत्र आरम्भ होने से एक दिन पहले जारी किया गया।

एक अन्य मुद्दा उन्होंने यह उठाया है कि इतनी जल्दी क्या है ? उन्हें यह मालूम होगा कि इस मुद्दे पर उस समय भी विचार किया गया था, जब जनता पार्टी की सरकार थी। यहां तक कि मंत्रिमंडल ने भी इस पर विचार किया था और विधान द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना था। पर जो कुछ हुआ वह इस प्रकार था। लोक सभा भंग कर दी गई थी। इसलिए इस मामले पर आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी।

अब, मैं आपको कम्पनी की स्थिति बताता हूं। कम्पनी को वस्तुतः एक लाख रुपये प्रति दिन का घाटा हो रहा था। नये सिरे से पूंजी लगाने और इस एकक के पुनः निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने की एक योजना की परिकल्पना की गयी। यह महसूस किया गया कि इस संबंध में कुछ

आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। यही कारण है कि कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने के लिए अध्यादेश जारी करना पड़ा।

इस एकक के विषय में, माननीय सदस्यों को सब कुछ मालूम है। यह मामला प्रश्नों के रूप में अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में सामने आ चुका है। इस प्रकार, इस एकक के संबंध में पहले भी विचार करने का मौका मिल चुका है। जहां तक पटसन का संबंध है, यह सबसे बड़ा एकक है। इसमें नियुक्त लोगों की संख्या 12,000 से अधिक है। यह एकक, अनेक वर्षों से चलते आ रहे कुप्रबंध और धन के निर्धारित प्रयोजनों से प्रयोजनों के लिये उपयोग के इतर कारण रुग्ण हो गया। इस कारण 1971 के पश्चात् इस एकक में लगातार भारी हानि होती चली गई। औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम के अनुसार 1975, में इसकी जांच की गई। वर्ष 1976 में का प्रबंध अपने अधिकार में लेने का निर्णय लिया गया। परन्तु कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने से भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इससे निस्संदेह कभी-कभी थोड़ा सुधार दिखायी दिया जिससे थोड़ा बहुत लाभ भी इस एकक को हुआ। परन्तु इस एकक में सरकार की काफी पूंजी लगी हुई थी। वित्तीय संस्थाओं और राष्ट्रयकृत बैंकों आदि विभिन्न ऐजेंसियों से धन लेकर इस एकक में 13 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई थी।

इस कारण सरकार को इस मामले में आगे कार्यवाही के लिए निर्णय लेना पड़ा। इसे फिर से सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए नये सिरे से पूंजी लगाने की आवश्यकता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को यह कार्य सौंपा गया। उसने एक 'पैकेज' कार्यक्रम सामने रखा। उनमें से एक 'पैकेज' उपाय था, इसे 2 करोड़ रुपये का ब्याज रहित ऋण दिया जाये। महोदय, यह स्वाभाविक ही है कि जब सरकार इतनी पूंजी लगा रही है, तो सरकार को यह देखना पड़ेगा कि क्या इसे निजी क्षेत्र के नियंत्रण में रहने दिया जाए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) इतने घाटे के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मुख्यतया, तो गैर-सरकारी प्रबंध ही जिम्मेवार है।

जैसा कि मैं कह रहा था, यह निर्णय लिया गया। महोदय, जिस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति मैंने आपसे मांगी, और जिस पर इस सभा में विचार हो रहा है, उसमें वही व्यवस्था है जो कि अध्यादेश में है। इस विधेयक के एक-दो ऐसे पहलू हैं, जिनका उल्लेख मैं यहां करना चाहूंगा। हमने श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की है। मुआवजे के भुगतान के समय यह पहला कार्य होगा। मुआवजे के लिए निर्धारित धन में से पहले श्रमिकों को देय राशि का भुगतान किया जायेगा।

अन्य प्रकार की देयताओं के लिये विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। हमने औद्योगिक एककों को राष्ट्रीयकृत करने की एक पद्धति विकसित की है और वही पद्धति यहां भी अपनायी गई है। एकक का राष्ट्रीयकरण करने के उपरान्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुनःनिर्माण का कार्य आरम्भ किया गया है। मुझे आशा है कि पूंजी लगाने और प्रबंध संबंधी व अन्य विशेषता प्रदान करने से यह एकक फिर से कार्य सुचारु रूप से कर सकेगा, और पटसन की अर्थव्यवस्था में यह अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यह सबसे बड़े एककों में से है, और कालीन के अस्तर का दस प्रतिशत उत्पादन इस एकक द्वारा किया जाता है। कालीन अस्तर निर्यात-प्रधान मद भी है। इस प्रक्रम पर मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दे उठाए जाएंगे। सांविधिक संकल्प के प्रस्तुत कर्त्ता महोदय ने भी कुछ मुद्दे उठाए हैं; इन सब मुद्दों का उत्तर मैं वाद-विवाद का उत्तर देते समय दूंगा। अब मेरा यह निवेदन है कि विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिये पटसन की महत्वपूर्ण वस्तुओं का विनिर्माण, उत्पादन और वितरण जारी रखना सुनिश्चित करके जनसाधारण के हित साधन के लिए मैसर्स नेशनल कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण का और उससे संबंधित तथा उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री निरेन घोष (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तथा इंटक सहित सभी श्रमिक संघों तथा पटसन उद्योग के सभी 2.5 लाख श्रमिकों ने, समस्त पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए संघर्ष किया है। इस मुद्दे पर पटसन उद्योग के श्रमिक संघों में कोई मतभेद नहीं है। परन्तु राजनैतिक स्तर पर, ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने इस मुद्दे को कभी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। इसके कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं।

पटसन उद्योग का केन्द्रीय सरकार पर जबरदस्त प्रभाव है तथा यह कहा जाता है और सही कहा जाता है कि भारत सरकार इस उद्योग के इशारों पर नाचती है एवं निर्णय लेती है। इसलिए मुझे इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है कि श्रमिकों और मजदूर संघों की संयुक्त मांग के बावजूद पटसन उद्योग का अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, वाणिज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय का एक विशेष गैरशासकीय कार्य सत्तारूढ़ पार्टी के लिए धन इकट्ठा करना भी है। इस मंत्रालय के द्वारा ही करोड़ों रुपये सत्तारूढ़ पार्टी, मेरा तात्पर्य कांग्रेस (आई) पार्टी से है, के कोष में आते हैं। उनके पूर्ववर्ती मंत्री श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय ने भी यही किया, माननीय स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्रा ने भी यही किया। इस प्रकार, जब भी .....

उपाध्यक्ष महोदय : शीशे के महलों में रहते हुए, आपको दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।

श्री निरेन घोष : यदि आप चाहते हैं कि मैं उनका नाम न लूं तो, उसे हटा दीजिए। ठीक है, प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय के पूर्ववर्ती मंत्री, कोष का 80 प्रतिशत प्रधानमंत्री को देते थे, और शायद, 20 प्रतिशत वह अपने पास रखते थे। यह बहुत अच्छा रिकार्ड है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मेरी बात आपकी समझ में आई ? इसलिए हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। हम राष्ट्रीयकरण के विरोधी नहीं हैं। वस्तुतः जो कुछ किया गया है हम उसका स्वागत करते हैं। सरकार के प्रबंधाधीन 6 एकक है। उनमें से केवल एक एकक का ही

राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, शेष सरकार के प्रबंध में हैं। इनमें से एक एकक में राज्य सरकार भी इसके प्रबंध में हिस्सेदार है। अन्यथा प्रबंध भारत सरकार का ही है।

बात यह है कि हमें कारणों का पता है। मंत्री महोदय ने अभी-अभी इस पर परदा डाला। यह उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है। श्री राम नाथ गोयनका इस कम्पनी के मालिक थे। हम यह भी जानते है कि एक सीमा तक "इंडियन एक्सप्रेस" ने स्वतंत्र नीति अपनायी—और कहा जाता है कि अब भी ऐसा ही है। यह तो मुझे मालूम नहीं कि वह अखबार अब भी स्वतंत्र नीति का पालन कर रहा है लेकिन वह हमारी राजधानी की तथाकथित "फ्लीट स्ट्रीट" में अपने भवन के प्रति चिंतित है। इस प्रकार प्रधान मंत्री महोदया के नेतृत्व वाली कांग्रेस और इस ग्रुप के मध्य तनातनी है।

यह बता दूं कि मैं श्री गोयनका के पक्ष में तर्क नहीं दे सकता हूं क्योंकि उन्होंने इस कंपनी का प्रयोग स्वयं को भारत के बीस प्रमुख व्यापारिक घरानों में गिने जाने के लिए किया था। उन्होंने इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के संपूर्ण शेयरों को हड़पने की कोशिश की थी। उन्हें इनमें सफलता नहीं मिली। उन्होंने जो कुछ भी रुपया इधर-उधर किया, इसी काम के लिए किया। केन्द्रीय सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया तथा इससे वे हतोत्साहित हो गये। संपूर्ण काम चौपट हो गया।

जब विवाद अपनी चरम सीमा पर था तो एक्सप्रेस ग्रुप के अखबार और श्री गोयनका, श्री जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व वाले 1976 के आंदोलन में हर संभव सहायता दे रहे थे। जब इसके प्रबंध को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया तो कम्पनी को खतरा हो गया। प्रबंध को सरकार द्वारा लेना अच्छा था। लेकिन मामले की पृष्ठभूमि यह है।

मैं यह क्यों कहता हूं ? क्या सरकार बिरला की किसी मिल को भी अपने हाथ में लेगी। सरकार ऐसा नहीं करेगी, इसलिए मैं इस मुद्दे को ले रहा हूं। यह बात नहीं है कि उन्हें इन कम्पनियों के प्रबंध को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। सरकार को इसे लेना चाहिए था और ले भी लिया गया। वास्तव में इसे सरकार को बहुत पहले ले लेना चाहिए था और हर बात गड़बड़ घोटाले में थी। लेकिन इस सारी बात की पृष्ठभूमि भी हमें जाननी चाहिए।

अभी छः में से केवल एक एकक का ही राष्ट्रीयकरण सरकार क्यों कर रही है। और शेष पांच एककों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती है। यही मुद्दा है जिसके संबंध में मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय स्पष्टीकरण देने का कष्ट करेंगे।

मिल के प्रबंध को ले लेने के पश्चात ले० जनरल श्री जगजीत सिंह अरोड़ा को कंपनी का प्रभारी बनाया गया था। उन्हें पटसन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। परिणामस्वरूप मिल बेकार हो गयी। पटसन उद्योग के ऋषिकेश घोष और हृषीकेश बोस जैसे पुराने धाघ, जिन्होंने पटसन उद्योग के मजदूरों का शोषण किया था, तथा अन्य सभी कुख्यात धाघ कम्पनी में डेरा जमाए हुए हैं; जो स्वाभाविक ही है। ये सभी ऐसे लोग हैं जो मिल मालिकों, जूट व्यापार के चौधरियों की, कम मूल्य के बीजक बनाकर और अधिक मूल्य के बीजक बनाकर, उत्पादन कम दिखाकर आई अवैध तरीके से अवैध सहायता करते हैं। इसके अंतर की धनराशि काले धन में बदल जाती है और यह

काला धन उनकी जेबों में चला जाता है। कपास उत्पादकों को कुछ हद तक उचित मूल्य मिलता है, लेकिन पटसन उत्पादकों को पिछले 100 वर्षों से कभी उचित मूल्य नहीं दिया गया जबकि सरकार इन वर्षों में समाज के गरीब वर्ग की दुहाई देती रही है, वे लोग बेकार बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। पटसन के थोक व्यापारियों को 30-40 करोड़ रुपये का अवैध लाभ हुआ है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा गया है। यह रकम उन्होंने केवल कच्चे पटसन के व्यापार से कमाई है, हमने भी सभी यूनियनों के साथ एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी, ताकि सरकार सभी कच्चे पटसन के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करे और सरकार का सरकारी एजेंसियां पटसन उत्पादकों से सीधे पटसन ले सकें। लेकिन इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया क्योंकि यह सरकार के एक बहुत बड़ी बोजुंआ है, क्योंकि सरकार मजदूरों की खून पसीने की कमाई का एक भाग अपनी पार्टी को चलाने के लिए लेती है और उनके काम में सहायक होती है। सरकार अपने मालिकों को कैसे अप्रसन्न कर सकती है, वह उनसे रुपया लेती है इसलिए सरकार ने देश के 30-40 बड़े घरानों में गिने जाने वाले मालिकों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है। सरकार मुद्रा छाप रही है। उसने पटसन पर 1000 रुपये शुल्क लगाया है। सरकार लाभ कमा रही थी। अब भी सरकार को प्रति टन 3000 रुपये लाभ मिल रहा है। सरकार को पहले कभी इतना लाभ नहीं हुआ था। उसे कम से कम 2500 रुपये का उत्पादन शुल्क लगाना चाहिए था। उन लोगों के साथ सौदेबाजी की गयी तथा यह मानने का पूरा कारण है कि उनके द्वारा अवैध रूप से कमाया गया धन सत्ताधारी दल के खजाने में गया। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है।

उन सभी पुराने धाघों, कुख्यात कार्यकारी अधिकारियों ने इसे लगभग नष्ट ही कर डाला। तत्पश्चात् प्रबन्ध में परिवर्तन किया गया। श्री बजोरिया ने श्री के० पी० त्रिपाठी को नियुक्त किया। और तब उन्हें चेयरमैन बनाया गया। तथापि कुछ सलाहकारों की भी नियुक्ति की गई। मुझे इस बात की जानकारी है कि जिस समय मिल खोली गई थी उस समय एक लाख रुपये प्रतिदिन का लाभ था। इसमें पहले एक वर्ष तक लाभ हुआ। तब अचानक ही अप्रैल में सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। भारतीय पटसन निगम के चेयरमैन तथा अवैध निदेशक को इसका प्रभारी बनाया गया। उन्हें व्यापार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारतीय पटसन निगम के अधिकारियों, वित्त निदेशक तथा अन्य अधिकारियों की पटसन के थोक व्यापरियों के साथ सांठ-गांठ थी। भूतपूर्व चेयरमैन कुख्यात नार्थ बेरुक ग्रुप के भूतपूर्व महा प्रबन्धक थे। उन्होंने भारतीय पटसन निगम को बदनाम होने पर ही छोड़ा।

श्री बी सी मुकर्जी बेकार व्यक्ति हैं। वे पटसन उद्योग के एकाधिकारियों की इच्छानुसार कार्य करते हैं। वह अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं करते हैं। तीन महीनों के भीतर प्रत्येक चीज अस्त-व्यस्त हो गयी है, इसलिए मेरा कहना है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात इस बदनाम प्रबंध को बदला जाये और मजदूरों के विश्वास वाले नये व्यक्तियों की नियुक्ति की जाये। अन्यथा उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती है। कंपनी में प्रत्येक कदम पर बेईमानी है और करोड़ों रुपए उनकी जेबों में जा रहा है। यदि यह आवश्यक था तो जब मिल का प्रबंध सरकार के पास था तब रुपया क्यों नहीं दिया जा सके, शायद इसका उत्तर यह दिया जायेगा 'यदि यह आर्थिक रूप से सक्षम बन जाये तो इसे पिछले मालिक को हस्तांतरित किया जा सकता है"। मेरे विचार से इसी

आवश्यकता नहीं है। मेरा विचार है कि यदि सरकार के प्रबन्धाधीन कम्पनी में लाभ होता है तो अन्य कंपनियां भी सरकारी देख रेख के अंतर्गत लायी जायें और पहले मालिक को एक पैसा भी नहीं दिया जाये। इन्हें पिछले मालिक को हस्तांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सर्वश्री ऋषिकेश घोष और बोस के खिलाफ बहुत से अभियोग है। क्या आप उन्हें पूरी तरह से बरी करने के लिए तैयार हैं। उचित व्यक्तियों को ही प्रबन्ध का प्रभारी बनाने की कृपा करें। मजदूरों की एक चुनी हुई परिषद के रूप में एक संरक्षण संस्था की व्यवस्था की जाये जो कम्पनी के प्रबंध तथा इसके निदेशकों के बोर्ड में अपनी बात कह सकें। इस प्रकार की व्यवस्था सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में होनी चाहिए। कम्पनी को पूरी तरह नष्ट होने से बचाने तथा उन व्यक्तियों को जो पानी की तरह रुपया बहाकर कम्पनी का गर्त में ड़ाल रहे है, रोकने का एक यही रास्ता है।

मजदूरों को कंपनी में रख लेने के संबंध में विधेयक में इस्तेमाल किये गये शब्दों से किसी स्पष्ट तस्वीर का मुझे पता नहीं लगता। मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। कम्पनी में कुछ स्थायी मजदूर हैं; विशेष बदली मजदूर हैं कुछ अर्ध बदली मजदूर हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मजदूरों की ऐसी भी श्रेणियां है जिनकी आपको जानकारी नहीं है जो कुछ भी नाम दिया गया है उसका नाम कम्पनी के रजिस्टर में अवश्य होना चाहिए। इन सभी मजदूरों को कम्पनी में लिया जाये। मैं मंत्री महोदय से इस बारे में गारंटी चाहता हूं अन्यथा तीन चार हजार मजदूरों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है।

श्री समर मुखर्जी : पहले 14000 कर्मचारी थे।

श्री निरेन घोष : अब यह कह रहे हैं कि 12000 कर्मचारी हैं। मुझे नहीं मालूम कि शेष कर्मचारियों का क्या हुआ।

खण्ड 13(2) में यह कहा गया है कि :

> "औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कम्पनी के किसी उपक्रम में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की सेवाओं का केन्द्रीय सरकार या विद्यमान अथवा नई सरकारी कम्पनी को अन्तरण ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा....."

इस उपबन्ध को क्यों रखा गया है ? यदि कोई अधिकारी बदनाम है तो आप उसे लें ही नहीं। अन्य व्यक्तियों को ही लें। यदि वे प्रतिकर के हकदार हैं, तो उन्हें प्रतिकर दीजिए। मुझे यह नहीं मालूम कि यह खण्ड कर्मचारियों के बारे में हैं या किसी अन्य कर्मचारियों—पर्यवेक्षी कार्मिकों या कि किसी क्लर्क या फिर किसी अन्य कर्मचारी के बारे में है। ये तो प्रतिकर के हकदार होंगे। उन्हें किस आधार पर प्रतिकर की मनाही की जा सकती है ?

जहां तक वर्ग एक, वर्ग दो और वर्ग तीन में दावे का सम्बन्ध है, उस पर हमने एक संशोधन दिया है। मैं इस बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं हूं कि वर्ग एक में कर्मचारी जिन

दावों और देय राशियों के हकदार हैं वे उन्हें दी जायेंगी या नहीं। यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अतः भाषा, आश्वासन तथा अन्य सभी बातें उसमें स्पष्ट कर दी जानी चाहिए। कुछ भी अस्पष्ट नहीं रहना चाहिए।

जहां तक वर्ग तीन, चार या पांच का सम्बन्ध है, जब दावे किये जायें और वे उचित हों तो पर्याप्त राशि न होने पर भुगतान आनुपातिक रूप से किया जायेगा। यह भी व्यवस्था है कि यदि दावों की पूर्ति नहीं की जाती है तो उन्हें केन्द्र सरकार के पास भेजा जायेगा। केन्द्र सरकार नई कम्पनी को निदेश देगी और नई कम्पनी को उसे वहन करना होगा। मैं बड़ी कंपनियों या इस कम्पनी से सम्बद्ध एकाधिकार वाली कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं किन्तु, बीच में हजारों-लाखों ऐसे छोटे लोग होंगे जो निश्चय ही ऐसे बड़े कारखानों से जुड़े होंगे। क्या उनकी देय राशि से उन्हें वंचित किया जायेगा? मैं नहीं जानता कि सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है। खण्ड 19 में यह व्यवस्था कुछ स्पष्ट नहीं है। इसमें कहा गया है कि :

> "प्रत्येक वर्ग में विनिर्दिष्ट दावे, समान पंक्ति के होंगे और उनका पूर्णतः संदाय किया जायेगा किन्तु यदि रकम ऐसे दावों को पूर्णतः चुकाने के लिए अपर्याप्त है तो वे समान अनुपात में कम कर दिये जायेंगे और तदनुसार उनका संदाय किया जायेगा।"

आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा, फिर भी एक कमी यह रह गई है कि उसके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकेगी किन्तु यदि कर्मचारियों को अनावश्यक दण्ड दिया जाता है, तो उसके विरुद्ध क्या किया जा सकता है? क्या उनके पास इतना पैसा है कि वे उच्च न्यायालय में जा सकें? क्या दावे मान्यता प्राप्त मजदूर संघों, जिसे कर्मचारियों के बहुमत का विश्वास प्राप्त है—जिसका गुप्त मतपत्र से पता लगाया जा सकता है—के साथ सीधे निपटाये जायेंगे? कर्मचारियों की इतनी क्षमता नहीं है कि यदि उन्हें उनकी देय राशि नहीं दी जाती तो वे उच्च न्यायालय की सहायता से उन्हें वसूल कर लें।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार श्री रामनाथ गोयनका के साथ कटघरे में खड़ी है। सरकार गोयनका परिवार और डंकन बन्धुओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती है। वे किसी भी कानून का पालन नहीं करते हैं। 15 दिन की हड़ताल के बाद जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, वे उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। उन्हें नई दिल्ली में बैठे हुए नेताओं से सभी प्रकार का प्रोत्साहन मिलता है। एक गोयनका महाशय हैं—मैं उनका नाम नहीं लूंगा—जो आई० जी० एम० ए० के चेयरमैन थे, वर्तमान शासक दल के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए विख्यात है। इस बारे में कुछ छिपा नहीं है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए। पूरे पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। निर्वाचित कर्मचारी परिषद् का प्रतिवर्ष नवीकरण किया जाना चाहिए। पूरे कच्चे पटसन व्यापार का अर्जन किया जाना चाहिए। यदि सरकार तत्काल ऐसा नहीं कर सकती है, तो उसे वचन देना चाहिए कि वह एक-दो वर्ष में ऐसा कर लेगी।

इस वर्ष सरकार को चाहिए कि वह कच्चे पटसन के कुल उत्पादन की आधी मात्रा 300 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदे ताकि गरीब किसान और पटसन उत्पादक को निस्सहाय ही न

छोड़ दिया जाए क्योंकि इस वर्ष पटसन की भारी फसल होने वाली है। यदि इसके परिणाम-स्वरूप राष्ट्रीयकरण करना पड़ता है तो अच्छा ही है किन्तु वर्तमान उपाय हमें किसी सुनिश्चित दिशा में नहीं ले जायेंगे।

इन शब्दों और चेतावनी के साथ हम राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं किन्तु, साथ ही इस अवसर पर मैं उनके उद्देश्यों का भी पर्दाफाश करता हूं, क्योंकि उन्होंने सम्पूर्ण उद्योग को हाथ में नहीं लिया है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री शमन्ना और श्री निरेन घोष ने जो कहा उससे मुझे बहुत हैरानी हुई। निस्संदेह, अन्त में उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं। उन्होंने पूरे भाषण के दौरान, विधेयक के खण्डों के अलावा, उन्होंने श्रीमती गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस दल पर आक्षेप किया है। उन्होंने यह दिखाने के लिए आंकडे भी प्रस्तुत किये हैं कि यही विभाग है, जिससे आय होती है।

मुझे एक बडी घटना याद आ रही है। सभा को जानकारी नहीं होगी कि 1969 में इंजीनियरी और पटसन मजदूरी पंचाट करार को मार्क्सवादी सरकार और श्रम मन्त्री श्री केश्टोपाद घोष के नेतृत्व में अन्तिम रूप दिया गया था। पटसन कर्मचारियों का पंचाट करार 1976 में समाप्त हो गया था और 1979 में एक नया करार किया गया। श्री निरेन घोष करार को अन्तिम रूप देने में शामिल थे। पश्चिम बंगाल में 2.5 लाख पटसन कर्मचारियों को 52 रुपये प्रतिमाह प्रति कर्मचारी के हिसाब से 36 महीने की बकाया मजदूरी से वंचित कर दिया गया है। यह राशि 120 करोड रु० बैठती है। मैं श्री निरेन घोष से अनुरोध करता हूं कि वह इस सभा को बतायें कि पटसन कर्मचारियों की 120 करोड़ रुपये की बकाया राशि कहां गई? केवल पटसन कर्मचारी ही नहीं 2 लाख इंजीनियरी कर्मचारियों को भी 52/- रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दो वर्ष की बकाया राशि से वंचित होना पड़ा है। क्या यह सच नहीं है कि 120 करोड़ रुपये की यह बकाया राशि पश्चिम बंगाल के अधिकारियों, पटसन कर्मचारियों, पटसन उद्योगपतियों तथा मार्क्सवादी सरकार और मार्क्सवादी दल में बंट गयी है? श्री निरेन घोष चाहें तो इससे इनकार कर सकते हैं। क्या यह सच नहीं है कि इंजीनियरी कर्मचारियों की 2 वर्ष की और पटसन कर्मचारियों की 3 वर्ष की बकाया मजदूरी का कहीं कोई हिसाब नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि यह राशि प्रति कर्मचारी प्रति माह 52 रुपये बैठती है? क्या यह सच नहीं है कि ढ़ाई लाख पटसन कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें 3 वर्ष के लिए 120 करोड़ रुपये की बकाया राशि से वंचित होना पड़ा है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आप बिलकुल सफेद झूठ बोल रहे हैं और आपको पटसन उद्योग और पटसन उत्पादकों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आपको कुछ भी पता नहीं है कि इस नेशनल कम्पनी की इतनी बुरी हालत क्यों हुई।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भट्टाचार्य जी, जब श्री निरेन घोष बोल रहे थे तो उन्हें किसी ने नहीं टोका था। अतः आप बाद में इन्हें उत्तर दीजिएगा।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : क्या यह सच नहीं है कि पटसन कर्मचारियों की 120 करोड़ रु० की बकाया राशि आपके दल के पास पहुंच गई है ? दो वर्षों की इंजीनियरी कर्मचारियों की 60 करोड़ रुपये की बकाया राशि और 3 वर्षों की पटसन कर्मचारियों की 120 करोड़ रुपये की बकाया राशि अर्थात् 180 करोड़ रुपये की कुल राशि मार्क्सवादी दल के कोष में पहुंच गई हैं और इस धन से यह दल पश्चिम बंगाल और देश के अन्य राज्यों में चुनाव लड़ रहा हैं।

महोदय, मुझे 1977 के चुनावों में श्री रामनाथ गोयनका की भूमिका की समझ आती है। श्री रामनाथ गोयनका के दल और अन्य राजनीतिक दलों ने पूंजीपतियों के समर्थन से श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़ा। उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने के लिए पैसा लगाया और इसके फलस्वरूप पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी सरकार ने और केन्द्र में जनता सरकार ने रामनाथ गोयनका जैसे व्यक्तियों को देश को ठगने और उसका खून चूसने की अनुमति दे दी। पटसन सहित सभी वस्तुओं के दामों में वृद्धि हुई। वह पश्चिम बंगाल में पटसन उत्पादकों के लिए मगरमच्छी आंसू बहा रहे थे। पूंजीवादियों द्वारा पटसन उत्पादकों को ठगने से रोकने के लिए उन्होंने क्या कार्यवाही की ? क्या उन्होंने इस बारे में कुछ किया ? क्या उन्होंने देश के कानून को लागू किया ? क्या उन्होंने लोगों द्वारा पटसन उत्पादकों को ठगने से रोका ? नहीं। तीन वर्ष बीत गये क्योंकि उनकी कार्यविधि उतनी थी। इस आधार पर उन्होंने न केवल इस दल के लिए 100 करोड़ रुपये जमा कर लिए हैं बल्कि लोगों को करोड़ों रुपये का धोखा दिया है और ऐसा वे तीन वर्षों तक करते रहे। वे अब भी ऐसा ही कर रहे हैं। मैं श्री निरेन घोष से जानना चाहता हूं कि काला बाजारियों, जमाखोरों और पूंजीपतियों, जो न केवल पटसन उत्पादकों को बल्कि अन्य लोगों को भी तीन वर्ष से ठगते आ रहे हैं, के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? इसके लिए क्या उपाय किये गए हैं ? कोई उपाय नहीं किये गये हैं। पूंजीपतियों का पूरा समर्थन किया गया है। आज श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कदम उठाया है और बेहतर प्रबंध के लिए कड़े उपाय किये हैं क्योंकि यह एक ऐसा एकक है जो कालीन के पीछे लगने वाली सामग्री के कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत पैदा करता है जो विदेशी मुद्रा के प्रयोजन, राष्ट्रीय जीवन तथा 10,000 कर्मचारियों के जीवन यापन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि श्री निरेन घोष को कोई सुझाव देना है तो वे दे सकते हैं। परन्तु उन्हें तो श्री राम नाथ गोयनका, जो अन्धाधुंध पैसा खर्च करके इन पार्टियों का समर्थन करते हैं और देश की राजनीति में भाग लेते हैं, का समर्थन करना हैं। कम्पनी का नाम तो है नेशनल कम्पनी परन्तु इसके सारे काम राष्ट्र विरोधी हैं। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में बहुत से असंगत विषय आ गये हैं। चूंकि समय कम है अतः मैं सर्वप्रथम मन्त्री महोदय द्वारा पेश किये गये विधेयक से सम्बन्धित कुछ ठोस प्रश्नों का उल्लेख करना चाहता हूं।

महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय जानते हैं, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की वहां स्थानीय संगठना है। इस मिल के राष्ट्रीयकरण के लिए संघर्ष में राजगंज छतकल मजदूर संघ और

नेशनल जूट मिल्स एम्पलाईज यूनियन अग्रणी रही है । वे पहले तो इसमें अधिग्रहण और फिर इसके राष्ट्रीयकरण के लिए संघर्ष करती रही है । उन्होंने सम्बन्धित मंत्रालयों को कई ज्ञापन भेजे हैं कि इस मिल का कार्य किस प्रकार सुचारू ढंग से चलाया जा सकता है । इस मिल के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हुए मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ संगत तथ्यों की ओर दिलाती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूं कि वे उन तथ्यों पर गौर करें जिससे कि राष्ट्रीयकरण का वास्तविक प्रयोजन पूरा हो सके ।

जैसा कि मुझ से पहले कई वक्ताओं ने कहा है राष्ट्रीयकरण से पहले गोयनकाओं ने इस भारी जूट मिल को खूब लूटा है । यह सही है कि प्रबंध अधिग्रहण के बाद इसको मुनाफा होने लगा था और इसमें मजदूरों, जो इस सम्बन्ध में काफी उत्साहशील थे, ने काफी सहयोग दिया परन्तु प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन नहीं किया गया, जिन कारणों से मिल इतने भारी घाटे में जा रही थी उसका पता लगाने की कोई चेष्टा नहीं की गई और अधमने ढंग से प्रशासनिक उपाय किये गये थे, मिल के हालत फिर से गम्भीर रूप से बिगड़ते चले गये । मन्त्री महोदय को सूचना मिल ही गई होगी कि पिछले दो सप्ताह में ही लगभग एक करोड़ रुपये की हानी हुई, जो बहुत गम्भीर बात है ।

जो लोग यह कहते हैं कि ऐसा केवल राष्ट्रीयकरण के कारण हुआ है, उन्हें बता दिया जाना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि मिल को फायदा होना शुरू हुआ था—नवम्बर, 79 में 24 लाख रु०, जनवरी, 1980 में 33 लाख रु० और फरवरी 1980 में 12 लाख रु० का लाभ हुआ था परन्तु, मार्च के बाद स्थिति खराब होती गई और अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गये हैं ।

मंत्री महोदय को कर्मचारियों और मजदूरों की यूनियनों से ज्ञापन मिले होंगे कि गोयनका लोगों के कई आदमी अभी भी प्रशासन में घुसे हुए हैं और अभी भी वे वही अनुचित हथकंडे अपना रहे हैं जो वे पहले अपनाते थे । वित्तीय नियंत्रक, बिक्री प्रबन्धक, लेखाभार और कई अन्य लोगों के विरुद्ध बहुत से आरोप हैं और इन्हें अभी भी नहीं हटाया गया है । एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है परन्तु यह अंश मंतव्य है और उसे और भी अनेक संस्था देखने होते हैं । वह तकनीकी विशेषज्ञ भी नहीं है । यह स्वाभाविक है कि वह इस कार्य को सही तरीके से नहीं चला सकते । परन्तु यह एक बहुत गम्भीर बात है कि जब से यह नए अध्यक्ष आए हैं, बजाय इसके कि वह गोयनका के लोगों, जिनके खिलाफ बहुत से आरोप हैं, को निकालें वह उन अधिकारियों को डराते धमकाते हैं जो मिल के राष्ट्रीयकरण के लिए लड़ते रहे हैं और जिनका मिल द्वारा पहले लाभ अर्जित करने में काफी सहयोग रहा है । इस स्थिति में मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वह मिल के कार्यों की बारीकी से जांच कराए और यह जांच मंत्रालय के तंत्र और उच्च अधिकारियों से न कराई जाए क्यों कि उनके विरुद्ध मिली भगत की शिकायतें हैं । इस बारे में मंत्री महोदय को मालूम ही है । मंत्री महोदय को ऐसा तंत्र चुनना चाहिए जो इन कारणों का वास्तविक रूप से पता लगाए और एक ऐसा साफ प्रशासन स्थापित करने का सुझाव दे जिस पर कोई आरोप न हो । मंत्री महोदय भी स्वीकार करेंगे कि ऐसा नहीं किया गया । लाभ में हुई कमी के कई कारण हैं । ऐसा कैसा हो गया कि इस अवधि में स्टाक में भारी

वृद्धि हुई है। हमें ऐसा भी सुनने को मिला है कि कई खरीदारों के साथ हुए करार टूट गए हैं। ऐसा क्यों हो ? मुझे ऐसा भी मालूम हुआ है कि इस वक्त 430 बड़े करघों में से केवल 160 ही काम कर रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है कि सैकड़ों कामगार बेरोजगार हैं। इन बातों से प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीयकृत क्षेत्र को किस प्रकार सुव्यवस्थित किया जाये। राज्य सभा के सदस्य श्री कल्याण राय के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय, डा० चानना ने कहा कि स्थानीय प्रशासन वहां की ट्रेड यूनियनों के साथ अच्छे संबंध बनाया रखता है। यह सही नहीं है। तथ्य यह है कि राजागंज छतकल मजदूर संघ और नेशनल जूट मिल्स एम्लाईज यूनियन को, जो शक्तिशाली मजदूर संघ है, तथा अन्य मजदूर संघों को इन बातों में बिल्कुल विश्वास में नहीं लिया गया है। इसके विपरीत जब लाभ होने लगा, तो कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों को कुछ सुविधाएं दी गई थी परन्तु उन मजदूरों को जिनकी गोनयका के दिनों में बहुत सी सुविधाएं समाप्त कर दी गई थी और जिन्हें यह वचन दिया गया था कि प्रबन्ध अधिग्रहण के बाद उन्हें ये सुविधाएं फिर से दे दी जाएंगी, कोई सुविधा नहीं दी गई। वर्तमान प्रबन्धकों और शक्तिशाली स्थानीय मजदूर संघों में कोई सम्पर्क नहीं है। यह आपभी अच्छी तरह समझते हैं कि जिन लोगों ने राष्ट्रीयकरण के लिये संघर्ष किया है उन्हें विश्वास में लेकर एक ऐसे नए बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें गोयनका से संबंध रखने वाले लोग न हो, जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो और इसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो जो बिल्कुल निष्पक्ष हो। केवल इतना ही नहीं मुख्यालय से लेकर नीचे तक, हर स्तर पर पुनर्गठन होना चाहिए। अन्यथा राष्ट्रीयकरण की गई इतनी बड़ी मिल हमारे देश के जूट उद्योग का मुकाबला नहीं कर सकेगी। मैं मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओं की बात पुनः उठाना चाहती हूं जो सुविधाएं पहले बन्द कर दी गई थी और राष्ट्रीयकरण के तुरन्त बाद जो अपने आप ही मिलनी आरम्भ हो जानी चाहिये थी, मजदूरों को उत्साहित करने के लिए ये सुविधाएं दी जानी चाहिए। श्रमिक संबंध उन कारणों से जो मैं पहले बता चुकी हूं और सुविधाओं में कटौती के कारण बिगड़ते जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वह इस मामले पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि श्रमिक संबंधों में सुधार हो। यह सम्भव है क्योंकि मजदूर पूरा सहयोग देकर चाहते हैं कि राष्ट्रीयकृत मिल लाभ अर्जित करें।

जहां तक नेशनल जूट मिल्स राष्ट्रीयकरण विधेयक का संबंध है, मैं एक-दो बातें कहना चाहूंगी जो मुझ से पूर्व भी कई वक्ता कह चुके हैं। मेरे मित्र और साथी श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय ने जो कुछ कहा है उसके उत्तर में मैं यह पूछना चाहूंगी कि : आप सभी जूट मिलों का राष्ट्रीयकरण करके किसी भी पार्टी द्वारा मचाई हुई लूट को समाप्त क्यों नहीं करते अब तक आपको ऐसा करने से किसने रोका था और अब कौन रोक रहा है। आप बड़े पटसन मिल मालिकों को बाहर क्यों नहीं निकाल फेंकते ? यही एकमात्र उत्तर है। यहां वहां सभी तरह के आक्षेप लगाने का कोई फायदा नहीं है। यह मूल बात है।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, वह पटसन उत्पादकों के बारे में है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस बारे में श्री निरेन घोष द्वारा व्यक्त विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। हमारी सभी किसान सभाओं ने यह मांग की है कि कच्चे पटसन का मूल्य 300 रु०

निर्धारित किया जाय। यह बहुत गंभीर मामला है। उन प्रश्नों के बारे में, जो हमने इस सदन में मन्त्री महोदय से पूछे थे और उन उत्तरों के बारे में, जो मन्त्री महोदय ने भारतीय पटसन निगम द्वारा की गई खरीद के बारे में दिये हैं, हमें काफी बुरा महसूस हुआ है। मैं इस अवसर पर मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जब तक इस वर्ष इस नीति में परिवर्तन नहीं कर दिया जाता, तब तक पश्चिम बंगाल के पटसन उत्पादकों को बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा।

भारतीय पटसन निगम के माध्यम से समस्त पटसन व्यापार का सरणीकरण करने के बारे में मन्त्री महोदय का क्या उत्तर है? अगर भारतीय पटसन निगम यह कार्य नहीं कर सकता, तो आप हमारी राज्य सरकार को पटसन की एकाधिकार खरीद करने के लिए पूरा पैसा और पूरा अधिकार दें। जब तक किसी सरकारी मशीनरी के माध्यम से पटसन की एकाधिकार खरीद नहीं की जाती और किसी सरकारी तथ्य के माध्यम से पटसन व्यापार का पूर्ण सरणीकरण नहीं किया जाता, तब तक न तो पटसन उत्पादकों को संरक्षण ही दिया जा सकता है और न ही पटसन मिलों द्वारा की जाने वाली लूट को ही रोका जा सकता है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में और अन्यथा पटसन की खरीद के बारे में समग्र दृष्टिकोण पर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। मुझे आशा है कि वह यह कार्य करेंगे।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, तो केवल इसी आशा के साथ समर्थन कर रहे हैं कि समस्त पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। अगर समग्र पटसन उद्योग को उनके हाथों में छोड़ दिया जाय, तो एक कम्पनी वस्तुतः वह कार्य नहीं कर सकती, जो उसे वस्तुतः करना चाहिए, क्योंकि उसे सभी प्रकार से भ्रष्ट कर दिया जाएगा, उसमें प्राइवेट पटसन व्यापार और उद्योग में कार्यरत सभी स्वार्थों के बीच अन्तर्संघर्ष होगा।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय पटसन व्यापार और पटसन उद्योग से वर्तमान ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले जो बोलने वाले वक्ता थे, उनकी कुछ बातों पर सहमति प्रकट न करते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। एक बात मैं कह देना चाहता हूं—हिन्दुस्तान में आज 300 बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं जो बीमार हैं, इसी तरह से छोटी इण्डस्ट्रीज 1 लाख 40 हजार हैं जो बीमार हैं। हिन्दुस्तान में हम आप की नीति को लागू नहीं करना चाहते हैं। हमारी नीति साफ है—मिश्रित अर्थ व्यवस्था, जिसमें हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों काम करें और दोनों एक दूसरे के साथ चलें, इससे दोनों में कम्पीटीशन रहेगा। हम इस नीति को फोलो करना चाहते हैं।

आपने जो बात कही—मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं—सिक इण्डस्ट्री कैसे बनती है? उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल होता है या नहीं होता है? 1971 में, जैसा आपने बतलाया, यह इंडस्ट्री सिक बनने लगी थी। मैंने इस बारे में पढ़ा था और उससे मुझे

मालूम हुआ कि करोड़ों रुपया सिक इण्डस्ट्रीज में हमारे बैंकों का चला गया। मेरे पास यह 30 जून, 1980 का हिन्दुस्तान टाइम्ज का एडिटोरियल नोट है —इसमें लिखा है—

"ऐसा अनुमान है कि वाणिज्यिक बैंक क्षेत्र ने, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने दिसम्बर, 1978 के अन्त तक आर्थिक संकट-ग्रस्त उद्योगों को संकट से उबारने के लिए ऋणों के रूप में देकर लगभग 1000 करोड़ या इससे अधिक की राशि गंवा दी है।"

उसमें उन्होंने एक और बात बतलायी है कि उन्हें करोड़ों रुपये देने हैं। इसका क्या कारण है ? मैं मंत्री महोदय से एक बात और कहना चाहता हूं कि 1977 के बाद जब श्री जार्ज फर्नान्डीस उद्योग मन्त्री थे जिन्होंने कि एक आर्डिनेंस निकाला था इसको लेने के लिए तो क्या उनको मालूम नहीं था कि इस जूट इंडस्ट्रीज की हालत बिगड़ रही है। उस हालत में उसको क्यों नहीं लिया गया ? इसको उस समय नहीं लेने के क्या कारण थे ? आज 1971 से 9 साल बाद इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होने के बाद कितना बैंक्स का लोन है और कौन-कौन से बैंक्स का लोन है। उनमें कितने पब्लिक सेक्टर के, नेशनेलाइज्ड बैंक्स का लोन है और कितने कमर्शियल बैंक्स का लोन है ? इसमें कितना सिक्योर्ड लोन लगा है और कितना अनसिक्योर्ड लोन है ?

इसमें जो 12 हजार मजदूर लगे हुए हैं जिनको आपने काम में लगा दिया है, जो कि अच्छा काम किया है, उनको इसको कितना रुपया देना है, उनका कितना प्रोविडेंट फण्ड का रुपया जमा है ? वह रुपया जमा है या नहीं जमा है ?

ये सारी सिक इन्डस्ट्रीज कमी-कमी अपने को इसलिए भी सिक इंडस्ट्रीज बना लेती हैं कि रुपया न देना पड़े। इसके कई उदाहरण देश में हैं। कई पूंजीपति जो होशियार होते हैं, वे इसलिए इंडस्ट्री लगाते हैं और लगाने के बाद सिक करते हैं। फिर गवर्नमेंट से मिल कर के रुपया हड़प लेते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। इस समय उदाहरण देने का मौका नहीं है। ये लोग जान कर सिक इंडस्ट्रीज पैदा करते हैं और गवर्नमेंट की ब्योरोक्रेसी से मिल कर मुनाफा कमाते हैं। लेकिन इस समय वह विषय नहीं है।

(श्री शिवराज पाटिल पीठासीन हुए)

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कानपुर की बहुत सी मीडियम और मेजर इंडस्ट्रीज बीमार और सिक हैं। उनकी संख्या करीब तीन सौ है। उनमें लाखों मजदूर शिकार हैं। क्या सरकार उन सारी इन्डस्ट्रीज को ले यह प्रश्न है ? सरकार को ऐसी एक नीति बनानी चाहिए कि उन इन्डस्ट्रीज में जो आउटपुट है, उसके मेनेजमेंट की जो व्यवस्था है, उसकी लोनिंग की, उसके रामेटेरियल की बराबर जांच होनी चाहिए। गवर्नमेंट की मशीनरी में एक ऐसी मशीनरी होनी चाहिए जो इन बातों की जांच समय-समय पर करती रहे और देखे कि जो बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं जो देश में महत्वपूर्ण उत्पादन करती हैं, जो देश के लिए लाभप्रद हैं, वे घाटे में न चलायी जाएं।

आप इसके रुपये की किस तरह से जांच करेंगे ? इसकी 1971 के बाद से जांच करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया है ? इसके पास कितना लोन सिक्योर्ड है, कितना कम्पनी को देना है ? इससे गवर्नमेंट क्या आशा करती है ?

मेरे पास आंकड़े हैं कि पब्लिक सेक्टर में चलने वाली कम्पनियां भी आज हिन्दुस्तान में उस नजर से नहीं चल रही हैं जिस ढंग से उन्हें चलना चाहिए। वे संतोषजनक ढंग से नहीं चल रही हैं। मैंने खेतड़ी प्रोजेक्ट के बारे में देखा है। उसमें 128 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और उसमें आज 60 करोड़ का घाटा है। इसके लिए वे कहते हैं कि हमें मालूम हुआ है कि लोहा लो ग्रेड का था। पहले उन्होंने उसकी जांच नहीं की। इंजीनियर्स की पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद काम कराया जाता है। इसको भी आपको देखना है।

अब आप इसको तेजी से कर रहे हैं। यह जनता पार्टी का दोष है कि वह गवर्नमेंट इसको नहीं कर सकी। अब आप यहां आ कर के कर रहे हैं। आप मानें या न मानें लेकिन आपको अपनी गर्दन नीची करनी चाहिये। तीन साल तक आपने जो काम नहीं किया उसको कांग्रेस ने शासन में आते ही आर्डिनेन्स के द्वारा कर दिया और कम्पनी को अपने हाथ में ले लिया। इसके लिए आपने सरकार को धन्यवाद भी दिया है और बिल का समर्थन भी किया है। मैं भी इस बिल का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय जब इस बहस का उत्तर दें तो अवश्य बताएं कि टोटल इनवेस्टमेंट कितनी है, सिक्योर्ड लोंज कितने हैं, अनसिक्योर्ड डेट्स कितने हैं और साथ ही साथ यह भी बताएं कि मजदूरों का प्राविडेंट फंड का पैसा कितना जमा है ? मैं चाहता हूं कि वह यह भी बताएं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ वह क्या कार्रवाई करने का विचार रखते हैं ? जिन आदमियों ने मिसमैनेजमेंट किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है क्या ? मिलें सिक न हों भविष्य में इसके लिए पहले से ही कदम उठा लिए जाने चाहियें। हर यूनिट पर आपकी नजर होनी चाहिये और इस काम को बराबर करते रहने के लिए एक एजंसी का निर्माण किया जाना चाहिये। वह एजन्सी यह देखें कि विभिन्न यूनिट्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और न कर रहे हों तो उनको ठीक रास्ते पर लाए। एक बार कोई इंडस्ट्री सिक हो जाती है तो बड़ा घाटा होता है, बड़ा नुकसान होता है। यहां भी भगवान जाने आप जो तेरह करोड़ या उससे भी ज्यादा रुपया लगाएंगे उसको लगाने के बाद भी यह यूनिट आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर हो भी सकेगा या नहीं ? यह आत्म निर्भर होता है या नहीं, यह तो समय ही बताएगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, मुझे निसंदिग्ध रूप से प्रसन्नता है कि यह विधेयक सदन के समक्ष पेश किया गया है, क्योंकि इस विधेयक को तैयार किये जाने से मैं उस समय सम्बद्ध था, जब मैं सरकार में था। इसलिए यह एक अन्य आर्थिक संकटग्रस्त एकक है, जिसका सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है.....

एक माननीय सदस्य : अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किये जाने के अर्थ में अधिग्रहण.....

जैसा कि मेरे माननीय मित्र, श्री निरेन घोष ने उल्लेख किया है कि इस समय अन्य अनेक पटसन मिलें हैं, जो इस समय आर्थिक रूप से संकटग्रस्त मिलों की सूची में हैं, जिनका सरकार द्वारा संचालन किया जाता है, जिन्हें सरकार द्वारा धन उपलब्ध किया जाता है और सभी प्रयोजनों के लिए, वे ऐसे एकक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किये जाने के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना चाहिए।

मन्त्री महोदय ने विधेयक पेश करते हुए यह कहा था कि इस विशिष्ट एकक में आर्थिक संकट के लिए मूल कारण कुप्रबन्ध और धनराशि का अन्य कार्यों में उपयोग किया जाना है और विधेयक में यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1971 से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई और वर्ष 1976 में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन अन्तिम रूप से मिल का अधिग्रहण किया गया। इसलिए, एक प्रश्न जिसकी जांच किये जाने की आवश्यकता है और जिसके बारे में, मुझे आशा है कि सरकार कुछ विशेष कार्यवाही करेगी कि क्या वजह है कि इतने विशाल औद्योगिक एकक है, जो अपनी धनराशि का अन्य कार्यों में उपयोग करते हैं, जो निर्भय होकर कुप्रबन्ध करते हैं और इसके बावजूद सरकार के विभिन्न संगठन इस कुप्रबन्ध पर और धनराशि के अन्यत्र अपयोग पर निगरानी रखने में असमर्थ हैं। निस्संदेह, कुप्रबन्ध और धनराशि का अन्यत्र उपयोग धोखाधड़ी के लिए मधुर अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह धोखाधड़ी के सिवाय और कुछ नहीं है। और बहुत से मामलों में—मैं इस समय उनमें से किसी मामले का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, मैं इसे आवश्यक भी नहीं समझता—उद्योगपति सरकार को बड़े पैमाने पर धोखा देते हैं, क्योंकि धनराशि अनिवार्यतः बैंकों से और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होती है और इस मामले में अन्तिम रूप से नुकसान उठाने वाला नागरिक और करदाता ही होता है, जबकि कुप्रबन्ध करने वाला उद्योगपति, धनराशि का अन्य कार्यों में उपयोग करने वाला उद्योगपति इस धन से पंचतारा होटलों में गुलछर्रे उड़ाता रहता है जो सरकार उसे उसके उद्योग में कुप्रबन्ध के लिए उपलब्ध करती है। यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसके बारे में किसी को, किसी के विरुद्ध आरोप लगाने की जरूरत हो। परन्तु मुझे विश्वास है कि हमें इन कम्पनियों के कुप्रबन्ध पर निगरानी रखने के लिए और उनके अन्दर आर्थिक संकट को रोकने के लिए वस्तुतः तरीके ढूंढने चाहिएं, जिससे कहीं पर भी जब खतरे की स्थिति उत्पन्न हो तो सरकार तत्काल कार्यवाही करने में समर्थ हो सके और इन विनाशकारी उद्योगपतियों, इन बेईमान उद्योगपतियों द्वारा बर्बाद किए जाने वाले सरकारी धन को बचाया जा सके। महोदय, मैं समझता हूं कि वह ऐसा करके देश के और सरकारी धनराशि दोनों के प्रति ही एक बड़ी सेवा होगी। इस विशेष उद्योग के मामले में, अर्थात पटसन उद्योग के मामले में, अब हम देश की विशालतम पटसन मिल का अधिग्रहण कर रहे हैं (और मुझे विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात पर गर्व है कि यह देश का सबसे बड़ी पटसन मिल है, विशेष रूप से उस कारखाने के कर्मचारियों को गर्व होना चाहिए—इस कारखाने में 12,000 श्रमिक काम कर रहे हैं)—दूसरे शब्दों में, अब सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है और मैं भी इसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा इस प्रस्ताव पर कार्यवाही करने में मेरा भी हाथ था, कि देश की सबसे बड़ी पटसन मिल का प्रबन्ध संभालने की क्षमता हम में है। अब प्रश्न यह उठता है कि उस क्षमता को, उस प्रबन्ध प्रतिभा को, केवल पटसन मिलों का ही प्रबन्ध संभालने के लिए उपयोग में क्यों लाया जाय, जबकि प्राइवेट मालिकों ने उनमें से सभी चीजों का शोषण करके

उन्हें रिक्त कर दिया हो ? आप आज इस मिल का अधिग्रहण कर रहे हैं। आप 6 या 8 अन्य मिलों का प्रबन्ध संभाल रहे हैं, कुछ का आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा और कुछ का आंशिक रूप से राज्य सरकार के सहयोग से और मुनाफा कमाने वाले कारखाने निजी क्षेत्र में हैं और घाटे में चल रहे मिलों का, जो कुप्रबन्ध के कारण और धनराशि का अन्य कार्यों में उपयोग करने के कारण घाटे में चल रहे हैं, सरकारी क्षेत्र द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। सबसे पहले, वे सभी व्यक्ति जो कुप्रबन्ध और इस धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी हैं—कभी भी कानूनी कार्यवाही की गिरफ्त में नहीं आ पाते, क्योंकि कानून उन्हें अभियोजित करने के लिए थोड़े ही बने हैं। कानून तो जेबकतरों पर अभियोजन कार्यवाही चलाने के लिए हैं। आप किसी की जेब काटकर पांच पैसा निकाल लें, संसद भवन के बाहर कोई भी व्यक्ति जेब काटकर पांच पैसे निकाले, तो उसे पकड़ लिया जायेगा और थाने में ले जाया जायेगा और अगर वह बहुत खुशकिस्मत नहीं है, तो उसे पीट-पीट कर मार डाला जायेगा। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। परन्तु, देश में ऐसे भी आदमी हैं, जो करोड़ों रुपये जेब काटकर ले लेते हैं। जैसा कि वर्तमान मामले में है और जैसाकि श्री डागा ने ठीक ही कहा है कि सैंकड़ों करोड़ रुपये इस समय देश में इस प्रकार लिया जा रहा है। मेरे विचार में, कुल धन राशि जो इस समय उन उद्योग पतियों के हाथों में है, जो आर्थिक संकट ग्रस्त उद्योगों का इस समय संचालन कर रहे हैं, या जिन्होंने स्वयं को आर्थिक संकटग्रस्त घोषित कर दिया है या वे उद्योग जो आर्थिक संकट ग्रस्त मिलों की सूची में है, करीब एक हजार करोड़ रु० बैठती है। वे मिलें, सभी प्रयोजनों के लिए जैसा कि मन्त्री महोदय ने स्वयं कहा है कि कुप्रबन्ध में और धन राशि का अन्य कार्यों में उपयोग करने में लगी है, जबकि उद्योग घाटे में चलता रहता है और वे पैसा बनाने में लगे रहते हैं, मैं मन्त्री महोदय के इस विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। जैसा कि मैंने कहा, यही वे व्यक्ति हैं, जो आये दिन फाइव स्टार होटलों में ठहरते हैं, इस धन को बर्बाद करते हैं या इस धन का उपयोग कर रहे हैं या इस धनराशि को खर्च कर रहे हैं। इसलिए, जब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हम इस मिल का अधिग्रहण कर रहे हैं, सरकार को यह प्रस्ताव प्रस्ताव पेश करना चाहिये कि समस्त पटसन उद्योग का अधिग्रहण किया जाय ? देश के इस विशालतम पटसन उद्योग का संचालन करने में हम जिस विशेषज्ञता और प्रबन्ध क्षमता का प्रदर्शन करेंगे, उसका निश्चित रूप से समस्त पटसन उद्योग का संचालन करने में उपयोग किया जा सकता है। आखिरकार, आज सरकार सबसे बड़ी कपड़ा मिल—राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मालिक है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम देश की 111 कपड़ा मिलों का संचालन कर रहा है, जिसमें वे छः मिलें शामिल नहीं हैं, जो स्वदेशी मिल्स से अधिग्रहीत की गई हैं। आज देश के संगठित मिल क्षेत्र में उत्पादित होने वाले कुल कपड़े में से 25% कपड़े का उत्पादन राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने विशेष रूप से विशेषज्ञता और प्रबन्ध प्रतिभा अर्जित कर ली है। अब राष्ट्रीय कपड़ा निगम देश का सबसे बड़ा कपड़ा मिल मालिक बन गया है, क्यों कि देश के सबसे बड़े कपड़ा मिल मालिक के रूप में आज उसके पास लगभग 1,50,000 कर्मचारी हैं। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की तरह हम राष्ट्रीय पटसन मिल निगम की स्थापना क्यों नहीं कर सकते ? इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे मे अपने और सरकार के विचारों से हमें अवगत करायें।

अब देश की सबसे बड़ी पटसन मिल का राष्ट्रीयकरण करने के लिए पहला कदम उठाया जा चुका है, मुझे आशा है कि सरकार का अगला अनिवार्य कदम समस्त पटसन उद्योग का

अधि-ग्रहण करने के बारे में होगा। जब मैं यह बात कह रहा हूं, तो मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहूंगा कि पटसन उद्योग आज भारी मुनाफा कमा रहा है। इसलिए निजी क्षेत्र के पटसन उद्योग को कुप्रबन्ध और धनराशि के अन्य कार्यों में उपयोग करने के माध्यम से भारी मुनाफा क्यों कमाते रहने दिया जाय और क्यों ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने दी जायें जबकि सरकार के पास उनके बीमार बच्चे रह जायं—यह एक ऐसी स्थिति है जो बिल्कुल वाहियात है। मुझे विश्वास है कि सरकार विधेयक पेश करेगी और एक निश्चित निर्णय करेगी।

श्रीमान् जी, वित्त मंत्री ने उस दिन बजट का उत्तर दिया था और उन्होंने यह कहा था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अब किस प्रकार विशेष रूप से जांच पड़ताल की जायगी। उनकी योजना आयोग के एक सदस्य द्वारा जांच पड़ताल की जाने वाली है। वह व्यक्ति सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की जांच-पड़ताल करने में कितना सक्षम है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में, मुझे विश्वास है कि सरकार किसी न किसी समय विचार करेगी। परन्तु मेरे विचार में उन्हें उस व्यक्ति की क्षमता के बारे में गहराई से जानकारी करनी होगी, जिसे सरकारी क्षेत्र के कारखानों की आर्थिक-संकटग्रस्तता की जांच करने के लिए कहा गया है। यह सर्वाधिक आर्थिक संकटग्रस्त कारखानों में से एक ऐसा कारखाना है जिसका वह सरकारी क्षेत्र के उद्यम के प्रधान के रूप में संचालन कर रहा था। उसकी मैं किसी अन्य समय चर्चा करूंगा, सम्भवतः उस समय, जबकि उद्योग मंत्रालय की मांगों पर सदन में चर्चा होगी। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकरण की चर्चा करते समय किसी अन्य समय सरकार को निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। प्रत्येक उद्यम की पृथक जांच करने के बाद सरकार को निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। यह एक अच्छी चीज है, बशर्ते कि आपके पास उसे करने के लिए अच्छे आदमी हों। सही काम को करने के लिए किसी गलत आदमी से कहने की अपेक्षा यह बेहतर होगा कि वह काम कतई न हो। परन्तु, जब सरकार ने यह निर्णय किया ही है जिसके अनुसार वे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकरण की जांच करने जा रहे हैं, तो प्राइवेट क्षेत्र के कम से कम 100 या 150 एककों के कार्यकरण की भी आप जांच क्यों नहीं करते कि उनका कार्यकरण कैसा है और वे किस प्रकार धनराशि का अन्यत्र उपयोग कर रही हैं और राजकोष को क्षति पहुंचा रही हैं। श्रमिकों को भी इसमें सम्मिलित करें तथा यदि आप चाहें तो योजना आयोग के अन्य सदस्य को मनोनीत करें अथवा कोई एजेंसी स्थापित करें। परन्तु यह कार्य अवश्य कर लिया जाना चाहिए क्योंकि कम्पनी का आर्थिक संकट ही वह प्रमुख कारण है जिसके लिए सदन में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। इसमें बहुत गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विषय में भी कुछ रचनात्मक कार्य अवश्य करेगी।

अन्त में एक अन्य मुद्दा और है। यह पटसन उत्पादकों से संबंधित है। पटसन उद्योग देश में सबसे बड़ा लाभ प्रदान करने वाला उद्योग है। पटसन उत्पादक, जोकि एक गरीब किसान है, हमारे देश के गरीब किसानों में सबसे गरीब है। यह स्थिति कब तक चलती रहेगी। बेशक श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय पटसन निगम स्थापित किया गया है। मेरे विचार से यह निगम भी आर्थिक रूप से संकट-ग्रस्त है। मुझे यह कहते हुए खेद है। यह सभी प्रकार के संकटों से ग्रसित है। चाहे वह पटसन निगम हो अथवा कोई अन्य एजेन्सी, मेरे विचार से यहां एजेंसी को स्थापित करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि पटसन उत्पादकों की

समस्याओं का पता लगाना है। पटसन उद्योग के लाभ का बड़ा हिस्सा पटसन उत्पादकों को अवश्य मिलना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस उद्योग की विभिन्न समस्याओं पर विचार करते समय सरकार पटसन उत्पादकों की ओर विशेष ध्यान देगी तथा इस उद्योग से प्राप्त लाभ को श्रमिकों, उपभोक्ताओं तथा प्रमुख रूप से पटसन उत्पादकों तक पहुंचाने के हर सम्भव प्रयास करेगी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आनन्द गोपाल मुखर्जी (आसनसोल) : टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को सरकारी अधिकार में लेने सम्बन्धी आपके प्रस्ताव का क्या हुआ ? आपने अपना विचार क्यों बदल लिया ?

श्री आर्जे फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : यदि मैं सरकार में होता तो आपके प्रश्न का उत्तर देता, बशर्ते कि आप यहां उपस्थित हों। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री राम गोपाल रेड्डी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय, श्री मुखर्जी ने एक कुशल चिकित्सक की भांति कम्पनी के आर्थिक संकट रूपी रोग का सही निदान करके इसका अधिग्रहण कर लिया है।

कुप्रबन्ध तथा धन का अन्य कारणों में उपयोग के अतिरिक्त पटसन उद्योग के आर्थिक संकट का प्रमुख कारण इस देश में पुरानी मशीनों का होना है। बांग्ला देश में सभी फैक्टरियां नई हैं, जोकि 1947 के बाद स्थापित की गई है। हमारा पटसन उद्योग सबसे पुराना है तथा दुर्भाग्यवश हमारे यहां की एक लागन एण्ड कम्पनी केवल पुराने प्रकार की मशीनों को बनाकर इस देश की मिलों को सप्लाई कर रही है, जिससे कि हमारे उद्योग पिछड़े हुए हैं।

सौभाग्य से, पहले जब मन्त्री महोदय सरकार में थे तब वह स्थानीय लोगों को पटसन मशीनों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया करते थे तथा अब हम अत्याधुनिक मशीनें प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे मशीनों के तेजी से निर्माण की व्यवस्था करवा कर इन्हें इन आर्थिक संकट से ग्रस्त मिलों को सप्लाई करवायें तथा हो सकता है कि निकट भविष्य में और भी अधिक मिलें आर्थिक संकट से ग्रस्त हो जायें। इन प्रकार की फैक्टरियों का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए तथा उद्योग के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस हेतु बैंकों द्वारा इन्हें दी गई धनराशि की निगरानी के लिए एक कम्पनी अवश्य होनी चाहिए ताकि ये मिलें इस धनराशि का सही उपयोग कर सकें। यदि कोई उद्योग धन का सही उपयोग नहीं कर पाता तो उस उद्योग को परिणामों की चिन्ता किए बगैर अविलम्ब सरकारी अधिकार में ले लेना चाहिए।

महोदय, बहुत सी फैक्टरियों ने पटसन उत्पादकों को उनका पैसा नहीं दिया है। भू-राजस्व वसूली अधिनियम के आधार पर पटसन उत्पादकों को उनका पैसा दिलवाना चाहिए ताकि वे भविष्य में पटसन का उत्पादन कर सकें। यदि पटसन उत्पादकों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया, तो हो सकता है कि पटसन का अकाल हो जाए तथा इससे उत्पादन में कमी होगी।

महोदय, इस मद से हमें बहुत सी विदेशी मुद्रा मिल रही है तथा हमें इस उद्योग के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए तथा मैं आशा करता हूं कि उद्योग में आर्थिक संकट के विस्तार को रोकने के लिए मन्त्री महोदय उचित समय में ठोस कदम उठाएंगे।

श्री प्रणब मुखर्जी : सभापति महोदय, चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं जिन्होने आम तौर पर इस इकाई के राष्ट्रीयकरण पर अपनी सहमति व्यक्त की है।

महोदय, कुछ बुनियादी बातें उठाई गई हैं तथा ऐसी ही एक बात श्री फर्नान्डीस ने उठाई है, जिन्हें सरकार में रहते हुए निजी क्षेत्र में कार्यरत हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठानों की बहुत सूक्ष्मता से पुनरीक्षा करने का अनुभव प्राप्त है। मैं उनकी बात से पूर्णतया सहमत हूं कि हमारे पास प्रबन्धकीय क्षमता विद्यमान है तथा वस्तुत: कभी-कभी हमें इस पर गर्व भी होता है। हमें सार्वजनिक क्षेत्र में आर्थिक संकट से ग्रस्त इकाइयों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में अपने किए गए कार्य पर गर्व अनुभव करना चाहिए। उन्होंने एन० टी० सी० तथा शायद उन सभी आर्थिक संकट से ग्रस्त इकाइयों का उल्लेख किया है, जिनको कि निजी मालिकों ने यह कह कर बन्द कर दिया था कि ये केवल कूड़ा-करकट है किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्धकगण इनकी स्थिति सुधारने में सफल हो गये तथा कम से कम आज हम यह कह सकते हैं कि धन प्रबन्धकों ने उन कम्पनियों के घाटे को कम कर दिया है, जोकि निजी प्रबन्धकों द्वारा पुर्ण रूप से समाप्त एवं उजाड़ दी गई थीं। अतएव, मैं उनकी इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि, यदि हम आर्थिक संकट से ग्रस्त तथा पूर्णतया बेकार सभी 117 कपड़ा-मिलों का प्रबन्ध सुचारु रूप से कर सकते हैं, तो हमारे पास अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के प्रबन्ध की भी प्रबन्धकीय क्षमता विद्यमान है। परन्तु वे स्वयं इस बात को जानते हैं कि प्रबन्धकीय क्षमता का अभाव ही वह एकमात्र कारण नहीं है, जिसकी वजह से हम राष्ट्रीयकरण का निर्णय नहीं ले रहे हैं, परन्तु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं, जिन्हें वे जानते हैं तथा जिनके परिणामस्वरूप इसको क्रियान्वित नहीं किया जा सका तथा वह स्वयं भी सरकार में रहते हुए इसको क्रियान्वित नहीं कर सके। राष्ट्रीयकरण के मामले तथा इसी प्रकार के अन्य उपाय मे मैं अभी कोई निर्णय सम्बन्धी घोषणा सदन में करने की स्थिति में नहीं हूं तथा न ही मैं निरेन घोष के सुझाव पर अपनी कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त कर सकता हूं। हमें निर्णय लेना है तथा इसके सम्बन्ध में हम घोषणा अचानक ही करेंगे। अतएव, पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण जैसे बड़े मसले के प्रश्न पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा परन्तु मैं श्री फर्नान्डीस तथा अन्य लोगों से सहमत हूं कि हमारे पास प्रबन्धकीय क्षमता विद्यमान है तथा हमारे पास अन्य क्षेत्रों के समान इस क्षेत्र का प्रबन्ध सम्भालने की भी कुशलता विद्यमान है।

उद्योग की रुग्णता के सम्बन्ध में, व्यवहार में दो राय नहीं है तथा मुझे विश्वास है कि इस सदन में प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि उद्योग की कोई इकाई रुग्ण हो जाती है किन्तु इस इकाई का स्वामी कभी बीमार नहीं होता। होता यह है कि उद्योग की इकाई पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। किन्तु इकाई का स्वामी समृद्ध होता चला जाता है। महोदय, ऐसी कौन सी निश्चित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम इस पर नियंत्रण कर सकें ? यह कहने का कोई लाभ नहीं कि आप इसे संकट ग्रस्त होने देते हैं ; उसके बाद आप सरकारी क्षेत्र से इसमें पैसा लगाते है तथा इन सब बातो के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा सदैव प्राप्त करने की स्थिति में

रहते हैं, विशेषरूप से संसद सदस्यों की आलोचना के शिकार भी होते हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कोई सरकार ऐसा करना नहीं चाहेगी। अतः इसके लिए हमें एक नीति तैयार करनी होगी जिसके जरिये हम कम से कम पहली अवस्था में ही उद्योग की रुग्णता का पता लगा सकें तथा सुधारात्मक, उपचारात्मक उपाय कर सकें।

अतः इस सम्बन्ध में कुछ उपाय शुरू किये गए थे। एक उपाय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिनिधित्व करने के सम्बन्ध में था। दुर्भाग्यवश हमने अपने अनुभव में यह पाया है कि यह उपाय बहुत पर्याप्त तथा प्रभावी नहीं है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा शेयरों पर नियंत्रण रखा जाता है ; इन संस्थाओं का प्रबन्ध बोर्ड में प्रतिनिधित्व होता है, कभी-कभी प्रबन्ध बोर्ड में इनका बहुमत होता है, किन्तु इतना होने के बावजूद, एक या दो व्यक्ति, जिन्हें कम्पनी निजी क्षेत्र के उद्योगों के मालिकों के हितों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी गई है, इस स्थिति में हैं कि जैसा वे चाहें वैसा करें। इसलिए हमें एक नीति अवश्य निर्धारित करनी चाहिए। हमें एक प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए, जिसके द्वारा हम इन इकाइयों पर जिन्हें सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा पहले से ही सहायता दी जाती है, प्रभावी नियंत्रण कर सकें।

अतः उद्योग की रुग्णता का शीघ्रातिशीघ्र पता लगाया जाना चाहिए, उसका निदान किया जाना चाहिए तथा उसके उचित उपचारात्मक उपाय किये जाने चाहिए।

माननीय सदस्य श्री डागा प्रतिभूत ऋणों के बारे में जानने के इच्छुक थे। इस सम्बन्ध में मैं उन्हें अधिग्रहण-पूर्व तथा अधिग्रहण के बादके आंकड़े दे सकता हूं।

अधिग्रहण-पूर्व की अवधि में प्रतिभूति ऋण की राशि 649.83 लाख रु० थी। अधिग्रहण पश्चात् की अवधि में यह राशि 679.64 लाख रु० थी। राष्ट्रीयकरण की तिथि को कम्पनी की आस्तियां इस प्रकार थी। स्थायी सम्पत्ति का शुद्ध ह्रास मूल्य 398 लाख रु० था तथा चालू आस्तियां 600 लाख थीं तथा इसका योग लगभग 10 करोड़ रु० था।

श्रीमती गीता मुखर्जी ने पूछा था :— इस इकाई का अधिग्रहण क्यों किया गया : जबकि यह कुछ लाभ अर्जित कर रहे थे ? उन्होंने नवम्बर, दिसम्बर तथा जनवरी के महीनों का उल्लेख किया है। यह सच है कि उन्होंने इन महीनों में कुछ लाभ अर्जित किया किन्तु पुनः अप्रैल में घेघाटे में चलने लगे। तथा जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि स्पष्टीकरण का मुख्य कारण यह था कि वित्तीय संस्थायें इन इकाइयों में नई पूंजी लगाने की स्थिति में नहीं थीं। इसमें 2 करोड़ रु० का ब्याज-मुक्त ऋण अन्तर्गस्त था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इस इकाई के पुनर्निर्माण के लिए निर्दिष्ट समस्त व्यवस्था पर भारी धनराशि खर्च होगी। सरकार को यह निर्णय करना है कि जब इसका पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किए बगैर इतनी बड़ी राशि का निवेश है तो क्या किया जाए। किन्तु मित्र श्री निरेन घोष को इसमें कोई तर्क दिखाई नहीं दिया है। दुर्भाग्यवश वे सभी बातों को इसमें शामिल कर लेते हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि : क्योंकि श्री रामनाथ गोयनका ने सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष के विरुद्ध एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाया है, यही कारण है कि हमने इसका स्पष्टीकरण किया है। महोदय, अपने भाषण की शुरुआत में ही, मैंने विस्तार से यह बताया था कि पिछली सरकार द्वारा की गई यह किस प्रकार

की न्यायोचित अनुवर्ती कार्यवाही थी। यहां तक कि, जैसा मैंने कहा है, तत्कालीन मंत्री ने स्वयं इसका समर्थन किया था। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और यदि संसद का सत्र चल रहा होता तो इसका राष्ट्रीयकरण हो गया होता। इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सका था क्योंकि लोकसभा अपने पूरे कार्यकाल तक नहीं चल सकी तथा यह भंग हो गई। जो स्थिति मैंने अभी-अभी बताई है, उससे यह देखा जा सकता है कि की गई यह कार्यवाही एक उचित प्रकार की कार्यवाही है तथा इस प्रकार की बातें कहते रहने का कोई लाभ नहीं है।

कार्यकुशलता तथा अक्षमता के सम्बन्ध में, मैं इस पहलू के बारे में कि वाणिज्य मंत्रालय सत्तारुढ़ दल के लिए धन एकत्रित करने का एक साधन था क्योंकि मेरे मित्र श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय ने इस मामले में उसका एक उपयुक्त उत्तर दे दिया है। मैं भी उसी राज्य से सम्बन्ध रखता हूं जिस राज्य से ये माननीय सदस्य आये हैं तथा मैं जानता हूं कि यह प्रक्रिया क्या है तथा कौन धन कमाता है। हमें इस पहलू पर नहीं जाना चाहिए (व्यवधान)। अक्षमता के सम्बन्ध में, केवल पटसन उद्योग क्षेत्र में ही नहीं अपितु पश्चिम बंगाल के प्रत्येक उद्योग क्षेत्र में सबसे बड़ी रुकावट विद्युत का अभाव है। अन्त के तीन महीनों में, यदि आप देखें तो आप पायेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में जहां तक विद्युत-निर्माण तथा वितरण का सम्बन्ध है, उसमें कम से कम मामूली सुधार हुआ है किन्तु जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, पिछले तीन वर्षों में कुछ भी नहीं किया गया है तथा यदि वे लोग आयें और व्यक्ति का नाम लेते हुए कार्यक्षमता की बात करें और कहें कि श्री बी० सी० मुखर्जी एक बेकार व्यक्ति है ..... (व्यवधान) हां, कुछ काम किया गया है, यह बद से बदतर हो गया है। एक दिन में 10-12 घण्टे बिजली बन्द रखने के स्थान पर हम आजकल 22 घण्टे बिजली बन्द रखनी पड़ती है। अतः कुछ काम किया गया है। यह इंगित करने का कि श्री 'एक्स' एक अक्षम अधिकारी हैं, कोई लाभ नहीं है। श्री 'एक्स' की नियुक्ति आपकी सरकार की सिफारिश पर की गई है। क्या आप यह जानते हैं ? श्री बी० सी० मुखर्जी आपके खाद्य सचिव थे तथा यह व्यक्ति इन अधिकारियों में से एक था जिन्हें 1969 में द्वितीय संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा उसकी काफी सराहना की गई थी (व्यवधान)। किसी व्यक्ति को नियुक्त करना ही होता है। मुझे प्रसन्नता होती यदि श्री निरेन घोष भारतीय पटसन निगम के प्रबन्ध को अच्छे ढ़ंग से चलाने का दायित्व लेने के लिए तैयार हो जाते, किन्तु इन कार्यालयों का प्रबन्ध सम्भालने के लिए हम उस राज्य सरकारों की सलाह लेते हैं जहां कहीं ये स्थिति हैं। वह राज्य सरकार जो आज पश्चिम बंगाल सरकार को चला रही है, हमारी पार्टी से सम्बद्ध नहीं है। उनके परामर्श से हमारा मार्गदर्शन होता है। यहां तक कि पिछली बार भी जब पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री यहां आये थे, मेरी उनके साथ बातचीत हुई थी तथा मैंने उनका सुझाव लेना चाहा था तथा उनसे कहा था कि जिस भी व्यक्ति के बारे में, वे यह महसूस करते हों कि वह इस इकाई का प्रबन्ध और अच्छे ढ़ंग से कर सकता है, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

कुछ कारणों तथा कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण भारतीय पटसन निगम की अपनी कुछ सीमायें हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं पटसन उत्पादकों को उनका न्यायोचित स्थान नहीं मिला है, उन्हें लाभप्रद मूल्य नहीं मिले हैं। इतना ही नहीं, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दिया गया है, जो उन्हें दिया जाना चाहिए। किन्तु इसके बारे में क्या प्रक्रिया होनी चाहिए तथा किस ढ़ंग से हम स्थिति में सुधार कर सकते हैं। अतः मैंने भारतीय पटसन निगम को यह सुझाव

दिया है कि वे भय की स्थिति उत्पन्न न करें कि जूट के मूल्यों में गिरावट आने वाली है। केवल इस बात का समर्थन करने से कि वे एकाधिकार खरीद करते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यदि आपके पास क्षमता है, आवश्यक आधारभूत ढांचा है, आपके पास एकाधिकार खरीद करने की क्षमता है, तो आप इस बारे में कार्यवाही करें, किन्तु इसमें समय लगता है .....(व्यवधान) अतः मैंने अन्य अवसरों पर सदन में सुझाव दिये हैं कि हम यह देखेंगे कि पटसन के मूल्यों में कमी न आये तथा पटसन उत्पादकों को उनके न्यायोचित स्थान से वंचित न किया जाए। कम से कम एक क्षेत्र में, हम औपचारिक रूप से वचनबद्ध है कि हम मूल्यों को कृषि मूल्य आयोग कराये निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं जाने देंगे.....(व्यवधान)।

श्री चौबे, आप भी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की स्थिति में नहीं थे। हमें वास्तविकता को समझना चाहिए। आपके पास क्षमता नहीं है, आपके पास आवश्यक आधारभूत ढांचा नहीं है, आपके पास आवश्यक भण्डारण क्षमता नहीं है और इसलिए हमें इन पहलुओं की ओर ध्यान नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि वहां किस प्रकार की व्यवस्था है, वहां पर किस प्रकार का प्रशासन है किंतु मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिला सकता हूं कि भारतीय पटसन निगम अपरिष्कृत पटसन की वसूली के लिए जो कुछ भी सम्भव होगा वह करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मूल्यों में एकदम गिरावट न आने पाए और उत्पादकों को कम से कम न्यूनतम लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो सके, मैं चाहता हूं कि उन्हें और अधिक मूल्य प्राप्त हो लेकिन कम से कम न्यूनतम लाभप्रद मूल्य तो सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए।

इस मुद्दे के बारे में कि क्या हमें अन्य अधिग्रहीत मिलों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, अर्थात क्या हम उनका राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं या हमें उनके लिये किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए,--ये सब सुझाव हैं। मैं माननीय सदस्यों से यह कह सकता हूं कि मिलों के सुधार करने के बारे में उनके द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों पर उचित ध्यान दिया जायेगा। लेकिन इन सुझावों की प्रवृत्ति इस प्रकार की है कि यदि हम किसी विशिष्ट यूनिट का राष्ट्रीयकरण करना भी चाहें तो उस स्थिति में भी मैं यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता हूं कि मैं 'क' या 'ख' यूनिट का राष्ट्रीयकरण करने जा रहा हूं। यह सम्भव नहीं है। लेकिन जहां तक इस अमुक यूनिट का सम्बंध है, मेरा विश्वास है कि इसे उपयोगी बनाने के लिये इसमें नये तरीके से रुपया लगाकर तथा आवश्यकताएं प्रदान कर ऐसा करना सम्बंध है।

आधुनिकीकरण के सम्बंध में भी स्थिति बड़ी हास्यजनक है। जो व्यक्ति गलत प्रकार के काम करते हैं उनके प्रति मुझे कोई सहानुभूति नहीं है। वस्तुतः मैंने भारतीय पटसन मिल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में उनकी खबर ली और उनसे कहा: "पटसन उद्योग आपके ही कारण इस स्थिति में पहुंचा है।" यहां भी इस वर्तमान स्थिति में पहुंचने का एक मुख्य कारण यह है कि सभी मशीनें पुरानी हो गयी हैं।

श्रीमान जी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कपड़ा उद्योग ने भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से आसान किस्तों पर ऋण लिया है। लेकिन पटसन उद्योग ने इस सुविधा का फायदा नहीं उठाया। इसलिये मैं श्री रेड्डी से पूर्णतया सहमत हूं कि जब तक हम अपनी पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक मशीनें नहीं लगाते और हम अपने उत्पाद मिश्र को नहीं बदलते ,तथा इसमें

विविधता नहीं लाते, तब तक अपनी परम्परा पर चल कर ही इस उद्योग को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनना तथा इसे ठीक प्रकार से चलाना सम्भव नहीं होगा। इस सम्बंध में कुछ प्रबंध किये गये हैं। वस्त्र उद्योग ने इसका भी फायदा उठाया है। इस उद्योग ने वर्ष 1976-77 के बजट में लागू किये गये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भी आसान किस्तों पर ऋण लिया है। लेकिन दुर्भाग्यवश, पटसन उद्योग में आसान किस्तों पर ऋण लेने का फायदा नहीं उठाया है। हमें यह देखना होगा कि यह उद्योग भी आसान किस्तों पर इस बैंक से ऋण ले और पटसन उद्योग का भी आधुनिकीकरण हो।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से इसका अनुमोदन करने का निवेदन करता हूं।

सभापति महोदय : क्या श्री शमन्ना इसका उत्तर देना चाहेंगे ?

श्री टी० आर० शमन्ना : सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा सांविधिक प्रस्ताव रखने का यह अर्थ नहीं है कि मैं पटसन मिल का अधिग्रहण किए जाने की योजना के पक्ष में नहीं हूं। इस सम्बन्ध में मेरा चिन्ता यहीं है कि आर्थिक संकट से ग्रस्त संस्थानों को अधिग्रहण करने तथा उन्हें जीवन देने का एकमात्र उपाय केवल उनका राष्ट्रीयकरण करना ही रह गया है। यहां मेरे कहने का यही अभिप्राय है एक अच्छी और बड़ी संस्था को नियंत्रण में लेने से पूर्व पूरी तैयारी नहीं की गयी तथा इसके लिये उचित आधार नहीं बनाया गया। मैंने सर्वप्रथम यह बात पूछी थी कि जिन व्यक्तियों ने सारी की सारी गडबड़ी की और इस उद्योग को इस स्थिति में लाये, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है। उनके विरुद्ध जो कुछ भी कार्यवाही की गयी है उसे यहां नहीं बताया गया है। दूसरी बात मैंने यह कही थी कि सरकार ने उनके प्रबंध को चार वर्ष पहले अधिग्रहीत कर लिया था। पिछले चार वर्षों में इस में क्या सुधार किया गया है ? यह यहां बताना आवश्यक था। एक बड़ी मिल का अधिग्रहण किया जाने वाला है। और अधिग्रहण किया जाने वाली यह पहली ही पटसन मिल है। और अन्य मिल भी अधिग्रहण किये जाने की स्थिति में हैं। अतः मैंने यह चाहा था कि सभी उचित व्यवस्थाएं की जायें तथा वहां सभी उचित प्रबंध किये जायें। यदि आर्थिक संकट से ग्रस्त किसी यूनिट को जीवन प्रदान करना है तो उसे उचित प्रकार से प्रबंध करना आवश्यक होगा। जो कुछ इस संबंध में किया गया है उसके बारे में यहां स्पष्ट रूप से नहीं बताया हैं। हमें यह देखना है कि संस्था अस्तित्व में बनी रहे और इसमें लाभ हो तथा यह उद्योग तथा श्रम की सेवा के लिये उपयुक्त बने। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा था। इस पर विचार किया जाये। मैं यही सब चाहता था। अब भी मेरा यही विचार है कि सरकार को इस प्रकार के संस्थानों का अधिग्रहण करने से पहले प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए जिससे मजबूत स्वस्थ, तथा उपयोगी संस्थान की स्थापना की जा सके। इस विचार से ही मैंने यह प्रस्ताव रखा था।

सभापति महोदय : अब मैं श्री टी० आर० शमन्ना के सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा नेशनल कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश,

1980 (1980 का अध्यादेश संख्या 4) जो राष्ट्रपति द्वारा 27 अप्रैल, 1980 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

समापति महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :—

"कि देश की अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं के लिये पटसन की महत्वपूर्ण वस्तुओं का विनिर्माण, उत्पादन, और वितरण जारी रखना, सुनिश्चित करके जन साधारण के हित साधन के लिये मैसर्स नेशनल कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण का और उससे सम्बंधित तथा उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समापति मोहदय : अब हम विधेयक पर खण्ड वार विचार करेंगे। खण्ड 2 से 35 तक का कोई संशोधन नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 35 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 से 35 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

समापति महोदय : अनुसूची में तीन संशोधन है—इनमें से दो संशोधन माननीय सदस्यों के हैं और एक संशोधन सरकार का है।

श्री निरेन घोष : मैं प्रस्ताव रखता हूं :

पृष्ठ 15 पंक्ति 45,—"निधि" के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"उपदान छुट्टी के लिये देय मजदूरी तथा कोई अन्य देय राशि जिसके लिए कर्मकार हकदार है।"

पृष्ठ 16 पंक्ति 8 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये

"तथा भारतीय पटसन निगम को देय ऋण की राशि"

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं प्रस्ताव रखता हूं :

पृष्ठ 16, पंक्ति 1,

"भारतीय जीवन बीमा निगम के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—"तथा कर्मचारियों को देय कोई अन्य धन राशि।"

वस्तुतः उपदान, छुट्टी मजदूरी, देय राशियां तथा अन्य राशियां जिनके मजदूर हकदार हैं के संशोधन के बारे में माननीय सदस्य यह प्रस्ताव रखना चाहते हैं। वस्तुतः जिस संशोधन का मैं प्रस्ताव रख रहा हूं उसमें सभी बातों को स्वीकार कर लिया गया है और मैंने सिर्फ इसे शब्दों में अन्तर करके प्रस्तुत किया है। यह इस प्रकार है "कर्मचारियों को कोई अन्य देय राशि"। भारतीय जीवन बीमा निगम के पश्चात मैं "कर्मचारियों को कोई अन्य देय राशि" शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। अतः आपने जो कुछ कहा उस उद्देश्य की इससे पूर्ति होगी, (व्यवधान) क्योंकि इसका कानूनी तौर से प्रारूप बनाया गया है। अतः उपदान छुट्टी मजदूरी देय राशि तथा अन्य राशि जिनके बारे में आपने बताया है इसमें सभी सम्मिलित हैं, मैंने इसे दूसरे तरीके से इन सब बातों को सम्मिलित करने के लिये रखा है। सरकार का उद्देश्य केवल यही देखना नहीं है कि यह इस प्रकार से हो, बल्कि यह भी कि कर्मचारियों को देय राशियों का उन्हें भुगतान भी किया जाये (व्यवधान) मुझे भी यह सुनिश्चत करना होगा।

श्री निरेन घोष : माननीय मन्त्री से इस बात पर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि वही अर्थ व्यक्त किया गया है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि वह यह स्पष्ट करे कि रिपोर्ट में भी कोई दूसरा अर्थ न निकाला जाये आयुक्त और मंत्रालय के बारे में यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए। तभी हम इसे स्वीकार कर सकते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक मेरे संशोधन का संबंध है, मैंने अध्यक्ष पीठ से इन बातों को छोड़कर अपना संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी थी। इसलिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया था। इसका अर्थ यह है कि आयुक्त ने यह स्वीकार कर लिया है कि कामगार जिसका अधिकारी होगा वह उसे दिया जायेगा।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। संशोधन के लिए नोटिस की अवधि होती है। मैं इस बात के लिए आग्रह नहीं कर रहा कि आपने उस अवधि पर जोर नहीं दिया है बल्कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब हम नोटिस दें, तो इससे भी समान औपचारिकता ही निभायी जाए। यही बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था।

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि यदि संशोधन बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो, तो किसी सदस्य के मामले में अपवाद हो सकता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री घोष, क्या आप इसे वापिस लेना चाहते है ?

श्री निरेन घोष : जी हां, यदि वे हमारे प्रयोजन को स्वीकार करें, तो मैं उसे वापिस ले लूंगा। यदि इससे हमारा प्रयोजन पूरा होता है, तो मैं इसे वापिस ले लूंगा।

सभापति महोदय : क्या सभा श्री घोष को अपना संशोधन संख्या 1 वापिस लेने की अनुमति देता है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ;

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

सभापति महोदय : क्या श्री निरेन घोष अपना संशोधन संख्या 2 भी वापिस ले रहे हैं ?

श्री निरेन घोष : मैंने केवल संशोधन संख्या 1 ही वापिस लिया है, मैं संशोधन संख्या 2 वापिस नहीं ले रहा हूं । वह उससे बिल्कुल भिन्न है ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने बताया है कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन उनके द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समान ही है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक संशोधन संख्या 1 का सम्बंध है, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है और उसे दुबारा तैयार किया गया है । जहां तक संशोधन सं० 2 का सम्बन्ध है

पृष्ठ 15, पंक्ति 8

अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"तथा भारतीय पटसन निगम को देय ऋण राशि ।" मैं स्वीकार करता हूं । हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि भारतीय पटसन निगम एक वाणिज्यिक संगठन है और उसे अन्य वाणिज्यिक संगठनों के समकक्ष ही रखा जाना चाहिए । मैं संशोधन सं० 2 को स्वीकार नहीं कर सकता और मैं इस संशोधन का विरोध कर रहा हूँ ।

सभापति महोदय : स्थिति इस प्रकार है—

श्री घोष, आपने सभा की अनुमति से संशोधन सं० 1 वापिस ले लिया है । जहां तक संशोधन संख्या 2 का सम्बन्ध है, आप चाहते हैं कि इसे सभा के समक्ष रखा जाए ।

श्री निरेन घोष : यदि यह कम्पनी भारतीय पटसन निगम के नियंत्रण में जाती है, तो एक करोड़ या 2 करोड़ रुपए जैसा कि विधेयक में उल्लिखित है भारतीय पटसन निगम को शायद यह राशि नहीं मिलेगी अथवा उसकी वसूली में बाधा डाली जायेगी । मैं चहाता हूं कि उस बाधा को हटाया जाये । वे मिल को कच्चा पटसन दें । उसके बदले में धन उनको देय हो जाए । भारतीय पटसन निगम को उस धनराशि वापिस मिलनी चाहिए । उन्हें उस धन से वंचित नहीं रखा जाना चाहिये जो उन्हें मिल से प्राप्त होनी चाहिये । इस संशोधन का यही प्रयोजन है ।

सभापति महोदय : संशोधन सं 2 माननीय मंत्री को स्वीकार्य नहीं है ।

श्री प्रणब मुखर्जी : इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । आप यह सुझाव देना चाहते हैं कि भारतीय खाद्य निगम को पृथक समझा जाना चाहिए । यह सरकारी क्षेत्र में हो सकता है,

किन्तु चूंकि भारतीय पटसन निगम एक वाणिज्यिक संगठन है, इसलिए इसे अन्य वाणिज्यिक संगठनों के समकक्ष रखा जाना चाहिए।

श्री निरेन घोष : ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री निरेन घोष तथा श्री दीनेन भट्टाचार्य द्वारा अनुसूची के लिए प्रस्तुत संशोधन सं० 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अनुसूची

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 16 पंक्ति 1

'भारतीय जीवन बीमा निगम' के पश्चात् "और कर्मचारियों को देय कोई अन्य राशि" अन्तःस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय मेरे विचार से पटसन उद्योग से सम्बंधित लोगों के विभिन्न वर्गों द्वारा पटसन उत्पादकों का जिस प्रकार शोषण किया जा रहा है, उसकी सभा

के सभी वर्ग भर्त्सना करते हैं, सभा के सभी वर्ग सर्वसम्मति से भर्त्सना करते हैं। लेकिन इसके साथ वे इसे रोकने के लिए उपाय का सुझाव देने के लिए एकमत नहीं है। अन्य बातों के साथ ही यह भी विवाद का विषय है कि पटसन निगम से यह अपेक्षा करने की बजाए कि वह ही समस्त पटसन की खरीद के लिए धन जमा करे, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि इस वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाया जाए जिसमें दलाल पटसन उत्पादकों से पटसन खरीद कर पटसन निगम को बेचते हैं, इसमें लगभग दर्जन शक्तिशाली पूंजीपति शामिल हैं जो या तो स्वयं पटसन मिलों के मालिक हैं या पटसन मिल मालिकों से सम्बद्ध हैं। वर्तमान व्यवस्था इन दलालों और फैक्टरी मालिकों के पक्ष में है और पटसन उत्पादकों के बहुत ज्यादा खिलाफ है। इसलिए इन सुझावों में से एक सुझाव यह है कि स्वय पटसन निगम को ही पटसन उत्पादकों से पटसन खरीदने की अनुमति दी जाए ताकि वह सीधे ही उसे मिल मालिकों को बेच सकें। मिल मालिकों को पटसन उत्पादकों से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष रूप से पटसन खरीदने न दिया जाए। मुझे नहीं मालूम कि ऐसी योजना को लागू करने में क्या प्रशासनिक कठिनाइयां हैं। सभव है कि पटसन निगम समस्त पटसन की खरीद के लिए उस समय पैसा न जुटा पाए जबकि माल बाजार में आ चुका हो। बाजार में एक साथ ही सारी पटसन न आ पाए इसके लिए व्यवस्था करनी होगी, किन्तु इससे उत्पादकों को पैसे की काफी तंगी हो जाती। यदि पटसन निगम और भारत सरकार तथा बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच आपसी सौहार्द-भाव होता और 'गोदाम निगम' के उपबन्धों को भी लागू किया जाता है और कुछ समय के लिए पटसन भंडारण में उत्पादकों की सहायता यह मानकर की जाती कि 'पटसन निगम' उनका पटसन खरीद लेगा और उसके लिए धन जुटाएगा ; तो उत्पादक तब तक अपना पटसन अपने पास रख पाते जब तक कि पटसन निगम उपयुक्त धनराशि जुटा कर खरीदने में समर्थ न हो जाता या मिल मालिक 'पटसन निगम' से उसे खरीदने में समर्थ नहीं हो जाते। कुछ इसी प्रकार की युक्ति सोचनी होगी और उसे कार्य रूप देना होगा अन्यथा उत्पादकों को बिल्कुल संरक्षण नहीं दिया जा सकता। यदि आप इसे इस प्रकार करना चाहते हैं, तो यह सोचना होगा कि उत्पादकों को किस प्रकार धनराशि अदा की जाएगी ? दक्षिण में एक प्रणाली पर विचार किया गया है, उत्पादकों को उनकी फसल के लिए धनराशि एक मुश्त नहीं वरन् 2 या तीन किस्तों में अदा करने के प्रस्ताव द्वारा जिसमें पहले 25%, उसके दो महीने बाद या जो भी अवधि हो उसके बाद 50% और अंततः 25% अदा करने का प्रस्ताव है, उसे लागू भी किया जा रहा है, किन्तु तम्बाकू के सम्बन्ध में इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। यदि वे भाण्डागार निगम और बैंकों की सहायता से ऐसा कर सकें तो भारत सरकार के लिए इन उत्पादकों को संरक्षण देना समव हो सकेगा। इस प्रकार की योजना को विस्तृत रूप में लागू करने के लिए उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार का सहयोग लेना होगा। अतः, मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस मामले की और गहराई में जाए, इस बारे में अध्ययन करे तथा सदन द्वारा स्वीकृत किए जाने के लिए उपयुक्त आर्थिक प्रस्तावों अथवा योजनाओं को सदन में प्रस्तुत करे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : वस्तुतः, मैं तृतीय पाठन की स्थिति में बोलना नहीं चाहता था लेकिन कुछ सदस्यों ने मुझे बोलने के लिए उकसाया है।

जहां तक विधेयक का संबंध है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं कि इस कम्पनी को अधिकार

में ले लिया जाए तथा इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए। लेकिन, मुझे एक आशंका है। अगर आप उद्देश्य और कारण बताने वाला विवरण देखें तो आपको पता लगेगा कि कम्पनी इसलिए ठप्प हुई क्योंकि पूंजी की कमी थी, संयंत्र और मशीनरी का रख-रखाव ठीक नहीं था, ब्याज का भार बहुत अधिक था, फालतू श्रमिकों के कारण वेतन बहुत अधिक देना पड़ता था। यही चिंता की बात है। जब सरकार कंपनी को हाथ में लेगी तो उस कंपनी, जिसका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, का कार्य भार नौकरशाहों के हाथ में चला जायेगा और ये फालतू मजदूरों की एक लम्बी सूची प्रस्तुत कर देंगे। सरकार का इस बारे में रुख क्या है? सरकार द्वारा कौन सी नीति अपनाई जाएगी? क्या वह स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकते कि वे श्रमिकों को जो कंपनी को अधिकार में लेते समय उसमें काम कर रहे थे, उसी कंपनी में कार्यरत रखा जायेगा और उनमें से किसी की भी छंटनी नहीं होगी चाहे कोई क्लर्क के पद पर काम कर रहा हो अथवा श्रमिक हो, किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा? यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में, आप श्री आनन्द गोपाल मुखर्जी को ** इतना ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं? हमारी पार्टी और हमारी सरकार, क्योंकि जनता पार्टी से हमारा गठबन्धन है फिर.....

सभापति महोदय : रिकार्ड में से 'फेलो' शब्द निकाल दिया जाएगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप 10 करोड़ रुपये उस व्यक्ति को दे रहे हैं जिसने इस कम्पनी को लूटा है, जो इस के कुप्रबन्ध के लिए जिम्मेदार है। यह हरजाना किसलिए दिया जा रहा है? क्या इसका कोई कारण है? यह स्पष्ट नहीं किया गया। अगर किसी डाकू या लूटेरे की सम्पत्ति को सरकार अपने अधिकार में कर लेती है, तो क्या उसे मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है? जहां वास्तव में हरजाना देना होता है, आप परवाह नहीं करते, वैसे यहां भी आपने परवाह नहीं की है। जिस श्रमिक ने अपनी जिन्दगी के 20 से 25 साल कम्पनी की सेवा में लगा दिये, उस के लिए आपने कोई हरजाना देने की बात नहीं की है। आपकी नीति उन श्रमिकों को किसी भी प्रकार का लाभ पहुंचाने की नहीं है, जिन्होंने आपके प्रबन्ध में काम किया है और अब भी कर रहे हैं।

सभापति महोदय : ऐसी स्थिति में हम केवल यही कह सकते हैं कि विधेयक क्यों पारित किया जाए अथवा पारित क्यों नहीं किया जाए। हम मन्त्री महोदय से नई जानकारी देने के लिए नहीं कह सकते। इस स्थिति में नहीं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्यों नहीं? अध्यक्ष के पद पर बैठते हुए, आप को यह सब जानना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी और श्री निरेन घोष ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि सरकार इन 62 जूट मिलों को अपने अधिकार में क्यों नहीं ले लेती? जूट मिलों के लिए यह बहुत अच्छा समय है। जूट मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का यह सबसे अच्छा अवसर है। अगर सरकार, उन को हाथ में लेकर, इन सभी एककों का कुशल प्रबंध चलाए तो मेरे ख्याल में सरकार जूट

**अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उत्पादकों तथा देश के उस भाग के लोगों के साथ वास्तव में न्याय करेगी। लेकिन सरकार इस बात से अपनी सदाशयता जाहिर करेगी कि वह बड़े उद्योगपतियों द्वारा की गई लूट और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या कलकत्ता में ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कलकत्ता ही क्यों ? आप अपने आन्ध्र प्रदेश में जाइए, वहां भी आप को ऐसे बहुत से मिल जाएंगे। (व्यवधान)। केवल कलकत्ता की ही बात क्यों करते हैं। यह मेरा नम्र निवेदन है। अपना भाषण पूरा करने से पहले, मैं आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय को याद दिलाना चाहता हूं.....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : .....रामनाथ गोएनका के बारे में। * * वही, जिन्हें कांग्रेस (आई) ने राज्य सभा की सदस्यता के लिए चुना है।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आपको यह याद रखना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया उस व्यक्ति का नाम मत लीजिए, जो सभा में अपने बचाव के लिए उसके उपस्थित न हो।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : लेकिन वह प्राप्त कैसे कर सका ? उसके समक्ष यह प्रस्ताव कैसे किया गया ?

सभापति महोदय : यह ठीक है। आपने अपनी बात कह दी है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उन्हें इस का जवाब देना होगा। उन्होंने उसे यह पुरस्कृत पद दिया है। (व्यवधान)। वह दामाद है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : मजदूरों के लगभग 180 करोड़ रु० बकाया वेतन का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, तो मैं जवाब दूंगा। उन का स्पष्टीकरण यह है कि .....

सभापति महोदय : नहीं। आप यह सब सदन से बाहर कह सकते हैं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : 1970 के बाद से यह दल पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल रहा और अब वह हम पर आक्षेप लगा रहा है। (व्यवधान)। इसी सरकार की वजह से, जूट श्रमिकों, कपड़ा उद्योग श्रमिको, इंजीनियरी और अन्य सभी श्रमिकों के वेतन में सबसे ज्यादा वृद्धि की गई तथा सरकार ने उन के साथ मानवीय व्यवहार किया। उन्हें इस का पता नहीं है।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, श्री दीनेन भट्टाचार्य ने दो बातें कही हैं।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : ये गैर-संसदीय बातें रिकार्ड में नहीं आएंगी।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, माननीय सदस्य श्री दीनेन भट्टाचार्य ने दो बातें कही हैं। पहली यह कि क्या सभी कर्मचारियों को उन की नौकरी का आश्वासन दिया जाएगा, मेरा अभिप्राय उन सभी कर्मचारियों से है, जो उस दिन जब राष्ट्रीयकरण हुआ था कम्पनी में काम कर रहे थे। महोदय, यह एक अनुभवी ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता है और इस सदन के एक पुराने सदस्य हैं क्या वह ऐसी किसी एक भी एकक का नाम बता सकते हैं, जहां राष्ट्रीयकरण के बाद लोगों को निकाल दिया गया हो ? अतः यह कोई प्रश्न नहीं है (व्यवधान)। यहां, मैं उन को आश्वासन दे सकता हूं कि श्रमिकों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।

इनका दूसरा प्रश्न हरजाना दिए जाने के बारे में है। अगर आपको किसी भी प्रकार का संदेह हो तो मैं आपको उनके लिए आश्वासन देने के लिए तैयार हूं। जो कम्पनी के राष्ट्रीयकरण किए जाने वाले दिन तक काम करते रहे थे। इससे पहले के लिए मैं किसी प्रकार का वचन नहीं दे सकता। (व्यवधान)। जहां तक क्षति पूर्ति करने के तरीके का संबंध है, क्या बिना क्षति-पूर्ति किए कोई कानून व्यवस्था बनाई जा सकती है ? ऐसा कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा। हमें यह करना ही होगा और यह राष्ट्रीयकरण विधेयक की सामान्य घोसत प्रणाली पर ही है।

महोदय, जहां तक प्रो० रंगा द्वारा उठाए गए प्रश्न का संबंध है, वास्तव में यह एक विशेष दल की एकाधिकारवादी खरीद ही है। और जैसा कि मैंने पहले कई बार, और वाद विवाद का जवाब देते हुए भी बताया है, भारतीय जूट निगम इस स्थिति में नहीं है। उन के पास इस के लिए आवश्यक आधार भूत ढांचा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नही हैं। लेकिन एक बात पर मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, और कह रहा हूं कि हमें यह देखना है कि वे कहां तक इस स्थिति में हैं। पिछले दो वर्षों का भण्डार वहां जमा है। हमें उन्हें 13 करोड़ रु० की आर्थिक सहायता देनी है और जैसे ही इस का प्रश्न आएगा, बहुत से सदस्य अवश्य ही यह कहेंगे : आप उस सरकारी उपक्रम को कैसे चला रहे हैं, जिसके लिए आपको 13 करोड़ रु० की आर्थिक सहायता देनी पड़ रही है, जबकि वे खरीदे हुए कच्चे पटसन का निपटा नहीं

**अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

सकते । यह सभी समस्याएं सामने हैं । लेकिन उन पर बहस करने का यह समय नहीं है । मैं तो केवल एक बात कह सकता हूँ । हमें यह देखना होगा कि हम उत्पादकों की किस प्रकार सहायता करें, जिससे कि मूल्य न गिरने पायें ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यद्यपि चर्चा समाप्त हो चुकी है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने "हरजाना" शब्द का प्रयोग किया है । संविधान (संशोधन) विधेयक के बाद, अगर आप "हरजाना" शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ होगा अर्जित संपति के बराबर अर्थात बाजार भाव पर ; अतः इस के स्थान पर "राशि" शब्द रखा जाए ।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं इसमें सुधार कर लेता हूं । उन्होंने मुझे शब्द की वैधानिक अर्थापत्ति के बारे में बताया, मैं उन का आभारी हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

धनबाद कोयलाखान क्षेत्रों में बहुत सी औद्योगिक इकाइयों के बंद होने का समाचार

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : सभापति महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में वक्तव्य दें :

"धनबाद कोयला खान क्षेत्र में बहुत सी औद्योगिक इकाइयों के बन्द हो जाने, जिसके कारण लगभग 10,000 कर्मकार बेरोजगार हो गए, के समाचार ।"

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : सरकार श्रम को सर्वाधिक महत्व केवल इसलिए नहीं देती कि.....

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण हिन्दी में दिया है और मंत्री महोदय हिन्दी अच्छी तरह से जानते हैं ।

श्री चरणजीत चानना : सरकार श्रम को केवल उत्पादन का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण ही नहीं अपितु वह उस के मानवीय पक्ष और श्रमिकों व उन के परिवार के कल्याण को ध्यान में रख कर इसे अत्यधिक महत्व देती है ।

सभापति महोदय : क्या आप इस में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं ?

श्री चरणजीत चानना : यह स्पष्ट नहीं है । मैं अंग्रेजी में पढ़ सकता हूं ।

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री को अंग्रेजी में विवरण पढ़ने के लिए आज्ञा देता हूं । अनुवाद व्यवस्था उपलब्ध है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : सरकार श्रम को केवल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण ही नहीं अपितु वह उसके मानवीय पक्ष और श्रमिकों व उनके परिवार के कल्याण को ध्यान में रख कर इसे अत्यधिक महत्व देती है । प्रधानमंत्री ने ट्रेड यूनियन नेताओं से हुए विचार विमर्श में भी श्रमिकों की भूमिका के बारे में सरकार की सकारात्मक स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

उद्योग मंत्रालय को बिहार राज्य सरकार से धनबाद के कोयला फील्ड क्षेत्र में 45 औद्योगिक एकक बन्द हो जाने के फलस्वरूप 10,000 से अधिक कर्मचारियों के बेरोजगार होने के संबंध में कोई लिखित सूचना नहीं मिली है ।

तथापि, बिहार सरकार से टेलीफोन पर मिली जानकारी के अनुसार 16 एकक जिनमें लगभग 7000 कर्मचारी कार्य कर रहे थे बन्द हो गए हैं किन्तु इनमें से दो एककों नामतः बेली रिफ्रेक्टरीज और मेसन सिरेमिक्स, जिनमें लगभग 2000 कर्मचारी हैं, को पुनः चालू करने के संबंध में समझौता हो गया है । एककों के बन्द होने संबंधी कारणों, एककों के सामने उपस्थित समस्याओं व राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित अतिरिक्त जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

इसके अलावा बिहार सरकार ने उस क्षेत्र में लगभग 136 एकक बन्द हो जाने के बारे में जून, 1979 में सूचना भेजी थी । इन एककों में लगभग 2400 के आसपास कर्मचारी कार्य कर रहे थे । रोजगार की दृष्टि से इनमें से अधिकांश एकक काफी छोटे थे तथा इनमें से सबसे बड़े एकक में लगभग 700 कर्मचारी कार्य कर रहे थे । बिहार सरकार इनमें से कुछ एककों को पुनः चालू करने की कोशिश में है और राज्य सरकार की एक विशेष समिति इस मामले पर विस्तार से विचार कर रही है ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, अभी उद्योग राज्य मंत्री जी ने बताया कि सरकार श्रम को केवल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण ही नहीं, अपितु वह उसके मानवीय पक्ष और श्रमिकों व उनके परिवार के कल्याण को ध्यान में रखकर इसे अत्यधिक महत्व देती है । ये सारे के सारे काम विपरीत दिशा में चले जा रहे हैं, न इससे श्रमिकों का कल्याण हो रहा है और न उत्पादन ही बढ़ रहा है ।

पुनः उन्होंने कहा है कि उद्योग मंत्रालय को बिहार राज्य सरकार से धनबाद के कोयला फील्ड क्षेत्र में 45 औद्योगिक एकक बन्द हो जाने के फलस्वरूप 10 हजार से अधिक कर्मचारियों के बेरोजगार होने के संबंध में कोई लिखित सूचना नहीं है, लेकिन ये आंशिक रूप में क्या मानते हैं...

सभापति महोदय : आप सवाल पूछिए ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : मैं उसी पर आ रहा हूं । उसी की भूमिका पर बोल रहा हूं, उसके बगैर सवाल बनता नहीं है ।

मैं यह कह रहा हूं कि 16 इकाई जिनमें लगभग 7 हजार कर्मचारी कार्य कर रहे थे, बन्द हो गए हैं । यानी, इसका मतलब यह कि आंशिक रूप से इसे सरकार मानती है । मैं सरकार

से यह पूछना चाहता हूँ कि श्रमिक विवादों के चलते और इस विवाद के चलते लाखों एवम् मध्यम श्रेणी के उद्योग बन्द हुए हैं और लगभग एक करोड़ रु० की क्षति हुई है।

(ख) क्या बन्द होने वाली सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई—कुमार धूवी इन्जीनियरिंग वर्क्स, जहां 3 हजार से भी अधिक व्यक्ति काम करते थे·····

क्या इस कारखाने के बन्द होने का मुख्य कारण श्रमिकों का केवल वेतन-भुगतान न होना था या इसके बन्द होने से सरकारी ऋण की लगभग 18 करोड़ रुपये की अदायगी रुक गई और इस के अतिरिक्त 1 करोड़ रुपया बिजली बिल तथा 87 लाख रुपया बिक्री-कर का सरकार का बकाया है ?

सभापति महोदय : इस में आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : मैं (क), (ख), (ग) के रूप में पूछ रहा हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : ऐसा बराबर होता रहा है। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं।

सभापति महोदय : आप जब उत्तर चाहते हैं, तो ऐसा प्रश्न पूछिये जिस पर डिस्कशन होता है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : (घ) बिहार सरकार ने इस क्षेत्र की लगभग 136 इकाइयां बन्द होने के बारे में जून, 1979 में सूचना दी थी। क्या ये इकाइयां भी इसी में शामिल हैं अथवा नहीं ? विशेष समिति से जांच करा कर क्या भारत सरकार तत्काल मजदूरों को राहत देगी और शीघ्र अत्यधिक उत्पादन करायेगी ?

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य ने धूवी इन्जीनियरिंग वर्क्स नामक एक निजी एकक के बारे में सदन को सूचना दी है कि इस एकक में 3000 श्रमिक हैं और वहां एक करोड़ रुपये की क्षति हुई है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस आधार पर ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मेरी सूचना के अनुसार इस एकक में श्रमिकों की संख्या 2400 है।

इस विशेष मामले में सबसे पहली बात यह है कि माननीय सदस्य ने इन एककों के बन्द होने के केवल ही कारण का अनुमान लगाया है। मैं इस विशेष मामले को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इसका मुख्य कारण श्रमिक अशांति या श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित रखना है। परन्तु, जैसाकि मैं अपने वक्तव्य में बता चुका हूं कि विस्तृत सूचना प्राप्त हुए बिना इन 16 एककों के बंद होने का कारण मैं नहीं बता सकता। विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है, इसकी प्राप्ति पर ही इन एककों के बंद होने के कारण बताये जा सकते है।

इसके बाद, माननीय सदस्य ने जून, 1979 के वक्तव्य का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने 136 एककों के बंद होने की बात कही है। वास्तव में, मैं इन 16 एककों की उन 136 एककों से तुलना नहीं कर सकता—पता नहीं ये 16 एकक इन 136 में शामिल हैं या इनके अतिरिक्त हैं। मैंने इन सभी एककों के बारे में विस्तृत सूचना मांगी है। यह सूचना प्राप्त होने पर ही मैं अपने माननीय मित्र के प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब भी हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखते हैं तो मंत्री महोदय के पास पूरी सूचना होनी चाहिए। परन्तु जब मंत्री महोदय यह कहें कि उन्हें पटना से टेलीफोन पर कुछ सूचना मिली है और पूरी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को मुल्तवी कर देना चाहिए और मंत्री महोदय को पूरी सूचना प्राप्त करने के लिए कहा जाए ताकि मामले की हमें पूरी जानकारी मिल सके। प्रत्येक वाक्य के बाद वे कह रहे हैं कि उनके पास पूरी सूचना नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए।

सभापति महोदय : नियम 197 के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा जा सकता है। माननीय सदस्य ने (क), (ख), (ग) और (घ) कहकर बहुत सारे प्रश्न पूछ डाले हैं। इन सब प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न नहीं बनता।

दूसरे, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पूरी बहस नहीं की जा सकती। जब सदन में उद्योग मंत्रालय श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस होने जा रही है तो इन सब बातों पर अब बहस करना जरूरी नहीं है।

अतः, मेरी यह व्यवस्था है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का आशय पूरी बहस करना नहीं है। आप सीधे प्रश्न कर सकते हैं और उनका सीधा उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका प्रश्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सीमा से बाहर है तो मंत्री महोदय कह सकते हैं कि उनके पास पूरी सूचना नहीं है और सदन को सूचना नहीं दी जा सकती। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो वह मंत्री महोदय से सदन के बाहर मिल सकते हैं। वह किसी दूसरे ढंग से सूचना प्राप्त कर सकते है।

श्री ए० के० राय : आपकी व्यवस्था के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जैसा-कि मैंने कहा है कि मंत्री महोदय से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्येक वाक्य के बाद यह कहें कि वह पूरी सूचना देने की स्थिति में नहीं हैं।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप चाहते हैं कि मंत्री आपकी इच्छा के अनुरूप उत्तर दें।

श्री ए० के० राय : ऐसी कोई बात नहीं है।

सभापति महोदय : मेरी व्यवस्था है कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी बिहार खनिज सम्पदा का भंडार है। यह अफसोस की बात है कि वहां दिसम्बर महीने से इतने मजदूर बेकार हैं। जिनमें वे मजदूर बेकार हैं उनमें से कई कारखानों के नाम अखबारों में छप चुके हैं जिनमें कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स भी शामिल है। उसके तीन हजार मजदूर बेकार हैं। झरिया फायर ब्रिक के पांच सौ, जामडीह इन्जीनियरिंग वर्क्स के पांच सौ, मैथन सेरामिक वर्क्स के छः सौ, धारी रिफ्रेक्ट्री के साढ़े छः सौ और बाराकर फैक्टरी के पांच सौ बेकार हैं। यह रिपोर्ट अखबारों में छपी है लेकिन मंत्री महोदय के पास यह रिपोर्ट नहीं है। इससे भी अफसोस की बात यह है कि बिहार सरकार भी इन्हें रिपोर्ट या खबर नहीं देती।

खैर तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां जो झगड़े चल रहे हैं और 45 कारखाने बंद हैं, मुख्य रूप से इन्जीनियरिंग और रिफ्रेक्ट्रीज, ये दो तरह के कारखाने जो हैं इनके बंद होने का

कारण क्या वहां के मजदूरों के लिए वेज बोर्ड नहीं लागू करना है ? वहां इनके लिए वेज बोर्ड बने हुए हैं फिर नये वेज बोर्ड बनाने की तैयारी चल रही है । लेकिन जो वेज बोर्ड बने हुए हैं उनके फैसले लागू नहीं किये जा रहे हैं । वह इसलिए नहीं किये जा रहे कि मालिक अपने मजदूरों की पूरी सूची नहीं रखते । दस प्रतिशत मजदूरों की सूची रखते हैं. बाकी को रजिस्टर पर दिखलाते ही नहीं । यह सारा घपला होता है । जब वहां वेज बोर्ड बना हुआ है तो मैं जानना चाहूंगा कि सरकार अब तक वेज बोर्ड को लागू करवाने में क्यों नाकामयाब रही ? लेबर डिपार्टमेंट ने कोशिश की । सुना है कि मंत्री महोदय जी को खबर नहीं है ।

सभापति महोदय : शास्त्री जी ऐसे नहीं पूछा जा सकता है । माफ करना यह बहुत डिटेल्ड है । इस प्रकार से कालिंग अटेंशन में प्रश्न नहीं किया जा सकता । मुझे बड़ा दुःख है । (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : तो किस तरह से पूछूं ?

सभापति महोदय : इस तरह से तो पूरा डिस्कशन हो जाता है, पूरी डिबेट हो जाती है ।

श्री रामावतार शास्त्री : यह तो एक नयी परिपाटी लागू की जा रही है ।

श्री रामविलास पासवान : पहली परिपाटी जो चली आ रही है उसके अनुसार 40 मिनट तो देने हैं ।

सभापति महोदय : आप बेशक इसके लिए रूल्ज चेंज कर लीजिए ।

श्री रामविलास पासवान : सवेरे बारह से एक बजे तक कालिंग अटेंशन चलता है । (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (उदीजी) : एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में साधारणतया आधा घन्टा लगता है परन्तु कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में 45 मिनट भी लगे हैं । यह एक स्वीकृत परिपाटी है ।

सभापति महोदय : इस संबंध में मैं विवाद पैदा करना नहीं चाहता, परन्तु कुछ और भी महत्वपूर्ण मामले हैं, जिन पर अभी चर्चा होनी है । (व्यवधान) तब, उस मामले, नियम बदल दिए जाने चाहिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : (व्यवधान) आपके कहने से मैं यहां नहीं आया हूं न आपके कहने से बोलने वाला हूं । आप कृपा कर सुन लें । इससे जल्दी हो जाएगा । अगर आप अशांति पैदा कीजिएगा तो इधर से भी अशांति होगी । अगर आप लोग बोलने में रुकावट डालते रहे तो हाउस नहीं चलेगा । यह बात साफ तौर पर समझ लीजिए । बहुत सफाई के साथ समझ लीजिये ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : हर चीज नियमों के अनुसार होनी चाहिए । आप नियम जानते हैं तो हम लोग जो बिना नियम जानने वाले आए हैं, उनको भी काम करने दीजिये । जिस तरह से आप बोल रहे हैं, इसको क्या आप अच्छा समझते हैं ···

श्री रामावतार शास्त्री : अच्छा नहीं समझते तब उनको बोलिये । ये नए आए हैं, इनको अभी तजुर्बा नहीं है, माफ करिये ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इसीलिये हम कह रहे हैं कि आप थोड़ा नियमों के अनुसार चलिये । आप ही नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम आपसे क्या सीख पाएंगे ?

श्री रामावतार शास्त्री : ऐसे लोगों को मैं बरदाश्त नहीं कर सकता हूं जो अनाप-शनाप रुकावटें डालना शुरू कर देते है । अगर आप यही चाहते हैं तो हो जाए, कोई बात नहीं है ।

सभापति महोदय : इनको मुझे एड्रैस करने दीजिये ।

श्री रामावतार शास्त्री : वह कहां एड्रैस कर रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : पहली दफा चुन कर आए है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे बोलने का अधिकार नही है और न इसका यह मतलब है कि मुझे कम समय मिलेगा और श्री रामावतार शास्त्री जो कई बार चुन कर आए हैं तो उनको अधिक समय मिलेगा या वह नियमों के विरुद्ध भी बोलेंगे । नियमों के अनुसार बोलें । गैर संसदीय भाषा का इस्तेमाल न करें । आप रोजाना की प्रोसीडिंग्ज को उठा कर देखें कि कितना इंटरवेंशन ये करते रहे हैं । कितनी बार श्री प्रणब कुमार मुखर्जी साहब की स्पीच में श्री घोष और श्री रामावतार शास्त्री ने इंटरवेंशन किया है । हम एक बार करते हैं तो ये नाराज हो जाते हैं । इतनी जल्दी इनको नाराज नहीं होना चाहिये ।

श्री रामावतार शास्त्री : आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हम भी यहां पर बोलने के लिए आए हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : बाधा डालने की कोशिश न करें । आप मुझे रोक नहीं सकते हैं । सभापति महोदय से बात कीजिये ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : ये जो आप धमकियां दे रहे हैं इन धमकियों में कोई नहीं आएगा ।

सभापति महोदय : आप बोलिये शास्त्री जी और इधर से जाने दीजिये यही अच्छा होगा। उधर से न जाएं । कृपया अपना दृष्टिकोण बदलिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : एक वामपंथी होने के कारण वे ऐसा कर सकते हैं ।

सभापति महोदय : असंसदीय भाषा या शब्द रिकार्ड नहीं किए जाएंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि वेज बोर्ड का जो फैसला है उसको लागू करवाने के लिए सरकार ने कौन सी कार्रवाई की है ?

क्या वहां की सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने कोई इनक्वायरी कमेटी बिठाई थी और उसके बाद मालिकों को यह आदेश दिया था कि आप कारखाने खोलिये और मालिकों ने कारखाने खोलने से इनकार कर दिया था ? इसके बारे में सरकार ने बाद में क्या कार्रवाई की ?

क्या सरकार ने कोई स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी जिसके चेयरमैन धनबाद के डिप्टी कमिश्नर थे और उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी थी और यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर कौन सी कार्रवाई की गई ?

क्या यह सच है कि मजदूर जो बेकार हैं उनकी मजदूरी का डेढ़ करोड़ रुपया बकाया पड़ा हुआ है ? अगर यह सच है तो सरकार ने मजदूरों की यह बकाया राशि दिलवाने के लिए कोई कार्रवाई की है ?

कारखाने खोले जाएं और दस हजार से ज्यादा मजदूर आगे भूखों न मरे, इसके लिए क्या सरकार ने कोई तरकीब सोची है और अगर सोची है तो मेहरबानी करके मंत्री जी बता दें ।

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य द्वारा पांच प्रश्न पूछे गए हैं । मैं इन्हें एक प्रश्न के पांच भाग कहता हूं नहीं तो उन्हें आपत्ति होगी । प्रश्न का संबंध है (1) उसमें उन्होंने एककों की पूरी जानकारी न देने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है । माननीय सदस्य कृपया इन एककों के नाम लिख लें । 16 एककों के बारे में मुझे इस प्रकार सूचना मिली है :—

		श्रमिकों की संख्या
1.	वैली रिफ्रेक्टरीज	1000
2.	मैसन सीरेमिक्स	1000
3.	चिरकुंडा रोलिंग मिल्स	उपलब्ध नहीं है
4.	कुमार धुवी इंजीनियरिंग वर्क्स	2400
5.	विनोद हार्ड कोक	100
6.	निरसा रिफ्रेक्टरीज	250
7.	बजना रिफ्रेक्टरीज	250
8.	बाराकर इंजीनियरिंग वर्क्स	600
9.	झरिया फायरब्रिक्स	500
10.	खडखडी फायरब्रिक्स	600
11.	जी. डी. इंजीनियरिंग वर्क्स	100
12.	जमदोबा इंजीनियरिंग वर्क्स	275
13.	लीडस रिफ्रेक्टरीज, मुगमा	150
14.	बिहार सीमेंट प्राडक्ट्स	25
15.	माडर्न रिफ्रेक्टरीज	100
16.	सेन गुप्ता रिफ्रेक्टरीज	150

बिहार सरकार से टेलीफोन पर मुझे उक्त सूचना मिली है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना मिलने के बाद मुझे जो समय मिला उस समय में टेलीफोन पर सूचना प्राप्त करने के अलावा और कोई

रास्ता नहीं था। मैंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि बिहार सरकार से और विस्तृत जानकारी मिलने की आशा है। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ इस अध्याय को समाप्त नहीं किया जा रहा है। यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है और इस पर हम आगे और अधिक ध्यान देंगे।

माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न वेतन बोर्ड के क्रियान्वयन के बारे में पूछा है और शायद वे एककवार पूरा ब्यौरा जानना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश यह प्रश्न श्रम मन्त्रालय से संबंधित है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से प्रत्यक्ष रूप में इसका कोई संबंध नहीं है। अतः इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य यह प्रश्न श्रम मन्त्रालय से पूछें।

श्रम संबंधी जांच समिति के बारे में मै पहले ही बता चुका हूं कि इनमें से कुछ एककों को पुनः चालू करने संबंधी प्रश्न बिहार सरकार के विचाराधीन है। यह बात 1979 की है। 1979 में यह समिति गठित की गई थी। यदि इस समिति ने कुछ कार्य किया तो केवल उसी अवधि के दौरान किया। मैंने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि इसकी जांच करके पता लगाया जाय कि इसने क्या काम किया और क्या नहीं किया। दूसरे सदन में एक प्रश्न उठाया गया था कि जिलाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाए। इस संबंध में हमने उनको लिख दिया है और मैं माननीय सदस्य की बेचैनी को समझता हूं। परन्तु कोई पूछताछ करने तथा धनबाद के माध्यम से पटना से या सीधे धनबाद से उसका उत्तर प्राप्त करने में समय तो लगेगा ही।

अब प्रश्न संख्या (4) और (5)—यदि माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति है तो मैं इसे (घ) और (ङ) कहता हूं—के बारे में बताता हूं। इस प्रश्न में बेरोजगार श्रमिकों तथा उनके 1.50 करोड़ रुपये वेतन की बकाया राशि की बात कही गई है। उन्होंने मुझे बताया है कि फैक्टरियां खोलने के लिए कहा गया था परन्तु ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको केवल यही बता सकता हूं कि ऐसे संकेत मिले हैं कि राज्य सरकार फैक्टरियों को खुलवाने का प्रयास कर रही है। ऐसी दो फैक्टरियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं जो खुल चुकी हैं। मैंने उनके नाम भी बताए हैं। मुख्य मंत्री ने मुझे बताया है कि तीसरी फैक्टरी को खुलवाने के लिए समझौते के प्रयास किए जा रहे है और इस संबन्ध में प्रबन्धक न्यायालय में चले गए हैं और चूंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे बताया है कि इसके लिए समझौते के प्रयास किए जा रहे हैं और बिहार सरकार से पूरी जानकारी प्राप्त होने की आशा है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है, सर्वप्रथम तो उन्हें इसमें प्रधान मंत्री को नहीं घसीटना चाहिए था, क्योंकि इसमें प्रधान मंत्री को कोई फंक्शन नहीं है। उन्होंने इस स्टेटमेंट में अननेसेसरिली लिख दिया है: "प्रधान मन्त्री ने ट्रेड यूनियन नेताओं से हुए विचार-विमर्श में भी श्रमिकों की भूमिका के बारे में सरकार की सकारात्मक स्थिति स्पष्ट कर दी है।" मैं समझता हूं कि सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि वह सकारात्मक स्थिति क्या है।

सब से बड़ी बात यह है कि मन्त्री महोदय ने कहा है कि उनको कोई जानकारी नहीं है, उन्हें कोई लिखित सूचना नहीं मिली है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। मैं आपको

बताना चाहता हूं कि 26 मार्च, 1980 को श्री शिबु सोरन ने जो अनस्टार्ड क्वेश्चन नम्बर 1699 पूछा था, उसका भाग (ए) इस प्रकार था :

"(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कुमारधुबी इंजीनियरिंग वर्क्स पिछले छः महीनों से बंद पड़ा हुआ है जिसके फलस्वरूप कारखाने के 5,000 कर्मचारियों को बिहार राज्य के धनबाद जिले में व्याप्त सूखे और अकाल के इन दिनों में अत्यधिक कठिनाई उठानी पड़ रही है ।" मिनिस्टर ने इसका रेप्लाई दिया : जी, हां । मैं समझता हूं कि इसमें यह जो लिखा है एवाउट 23,000 एंड नाट 5,000," यह मिसप्रिंट है । मंत्री महोदय इसको देख लें ।

प्रश्न का भाग (बी) यह था :

"क्या उन्हें पता है कि प्रबन्ध व्यवस्था को इलाहाबाद बैंक द्वारा अपने अधिकार में लिए जाने के लिए लम्बी बातचीत चली थी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से नया निदेशक बोर्ड बनाकर कारखाने को फिर चालू किया जा सके, यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

मिनिस्टर ने इसका भी रेप्लाई दिया : जी, हां । मैं बताना चाहता हूं कि अफ़सर लोग कितनी ग़लत बातें बताते हैं । मंत्री महोदय ने कहा है कि उनको जानकारी नहीं है ।

सभापति महोदय : आपका प्रश्न बहुत अहम है, लेकिन वह बहुत लम्बे प्रश्न में गुम हो जाता है और उसका उत्तर नहीं मिल पाता है ।

श्री राम विलास पासवान : मिनिस्टर साहब ने कहा कि कुमारधुबी सब से बड़ा यूनिट है, जिसमें सब से ज्यादा वर्कर्ज हैं, जो बेरोजगार हैं । लेकिन अब मंत्री महोदय यह जवाब देते हैं कि सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि सरकार को आज से नहीं, 26 मार्च, 1980 से सूचना है, जो कि मिनिस्टर साहब के जवाब से प्रकट है । इसीलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं ।

प्रश्न का भाग (डी) यह है :

"(क) क्या यह सच है कि कुमारधुबी इंजीनियरिंग वर्क्स एक सक्षम लाभप्रद कारखाना है जिसमें कीमती मशीनें लगी हुई हैं और इसलिए इसे बंद रखना राष्ट्रीय हानि है ;" इसके जवाब में मिनिस्टर ने कहा कि सरकार भी इस कम्पनी को आइडल नहीं रखना चाहती है ।

प्रश्न का भाग (ई) इस प्रकार है :

"यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने का विचार है; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इसके जवाब में मिनिस्टर ने कहा :

"(ङ) जी हां, यथासम्भव कम समय में ।

यह कुमारधूबी कारखाना सीधे भारत सरकार की जिम्मेदारी है । उसने दिसम्बर, 1979 को इस कारखाने को अपने हाथ में ले लिया था । मार्च 1980 में उसने कहा कि वह शार्ट्लिस्ट

पासिबल टाइम में सब जरूरी कार्यवाही करेगी । यदि अब भी वह कारखाना नहीं खुला है, तो इसके लिए कौन दोषी है ? भारत सरकार दोषी है या बिहार सरकार दोषी है ?

इसमें दो तरह के प्रश्न हैं । एक तो यह है कि सरकार जिस फैक्टरी का प्रबन्ध नहीं कर पाती है, उसके मजदूरों में असंतोष होता है कि हमसे डेली वेजिज पर काम कराया जाता है, ठीक मजदूरी नहीं दी जाती है । वहां दस हजार आदमी काम करते हैं, उनमें से एक हजार को पर्मानेंट किया जाता है और नौ हजार को ठेकेदार के मुंह में झोंक दिया जाता है, वह पैसा दे या न दे । अगर वे लोग आवाज उठाते हैं, तो धमकी दी जाती है कि हम फैक्टरी को बन्द कर देंगे ।

इसमें एक तो मैनेजमेंट की ** है और दूसरे सरकार की ** हैं, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि मैनेजमेंट की ** बारे में मंत्री महोदय क्या करने जा रहे हैं । छः महीने से जो फैक्टरी बन्द है, उसके लिए वह क्या करने जा रहे हैं ? मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में प्रधान मंत्री द्वारा सरकार की सकारात्मक स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने सरकार की क्या नीति स्पष्ट की है ।

श्री भगवान देव (अजमेर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ** शब्द का प्रयोग किया है । मुझे इस पर आपत्ति है । इसके बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री राम विलास पासवान : मैंने कहा है : 'मैनेजमेंट की **" । आप इसको देख लीजिए । अगर यह अनपार्लियामेंटरी है, तो हटा दीजिए ।

श्री भगवान देव : उन्होंने कहा है : "सरकार की**" । मुझे इसपर आपत्ति है । आप इस बारे में निर्णय दीजिए ।

सभापति महोदय : यह पार्लियामेंटरी है या अनपार्लियामेंटरी है, मैं अभी इसपर अपना विचार नहीं देना चाहता हूं । लेकिन मेरी दृष्टि से जहां तक हो सके, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए । लेकिन मैं देखूंगा कि ** या **अनपार्लियामेंटरी है या नहीं, अगर है, तो वह रिकार्ड में से निकाल दिया जायेगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : एक बार हाऊस आफ कामन्स में सरकार की नीतियों सम्बन्धी उत्तर देते हुए विंस्टन चर्चिल ने एटली से कहा था कि आपकी नीतियां मूर्खतापूर्ण तथा दिखावामात्र हैं इस संबंध में यह विनिर्णय दिया गया था कि जहां तक यह वित्त व्यवस्था से सम्बन्धित है यह असंसदीय नहीं है ।

आचार्य भगवान देव : मूर्खता की बात अलग है, यह ** का सवाल है । अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप को भी सुनना पड़ेगा, आप तैयार रहिए सुनने के लिए ।

सभापति महोदय : यह मुझे अभी मिला है कि विदेशी सरकार का **कहना और धोखेबाज कहना अनपार्लियामेंट्री माना गया है । तो हमारी सरकार को कहना भी अनपार्लियामेंट्री माना जायेगा, यह मेरी रूलिंग है और यह रिकार्ड से निकाल दिया जाए

व्यवधान

**अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

श्री चरणजीत चानना : मैं यह समझता हूँ कि माननीय सदस्य दैनिक समाचार पत्र पढ़ते हैं। और यदि ऐसा नहीं भी हो तो मैं सदन तथा माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के निदेशों से सरकार श्रमिकों के हितों को सर्वोच्च महत्व देती है। इसकी बिल्कुल अनदेखी नहीं की जाती है ।

दूसरे, माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में अपनी बात को स्वयं काटा है। उन्होंने कहा कि मैंने गलत बात कही है। जो मैंने कहा है उसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं। मैंने कहा था :—

'उद्योग मंत्रालय को बिहार राज्य सरकार से धनबाद के कोयला फील्ड क्षेत्र में 45 औद्योगिक एककों के बन्द हो जाने के फलस्वरूप 10,000 से अधिक कर्मचारियों के बेरोजगार होने के संबंध में कोई लिखित सूचना नहीं मिली है।"

दुर्भाग्यवश, माननीय सदस्य .....(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मार्च में आप ने जवाब कैसे दिया था ?

...व्यवधान...

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, उन का क्वेश्चन नहीं है, उन को कोई अधिकार नहीं है पूछने का.....

.. व्यवधान...

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जब मंत्री महोदय बोल रहे हैं तो ....व्यवधान...

श्री राम विलास पासवान : आप को अकल है या नहीं है ?.....(व्यवधान)..... ये जवाब दे रहे हैं ? मैं ने इन को किताब दिखायी, यह कोई मजाक है ? यह 26 मार्च का इन का जवाब दिया हुआ है और यह कहते हैं कि टेलीफोन पर मुझे मेसेज मिला है। कोई मज़ाक की चीज है ?

.....(व्यवधान).....

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, प्रश्न चाहे जिस माननीय सदस्य का हो .....(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : कालिंग अटेंशन में उस माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई नहीं बोल सकता। यह कालिंग अटेंशन की मर्यादा है। .....(व्यवधान).....

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, मेरा आप से निवेदन है कि प्रश्न चाहे जिस सदस्य का हो जब माननीय मन्त्री उत्तर देने के लिए खड़े होते हैं तो यह हमारा अधिकार है सदस्य को हैसियत से कि हम शांतिपूर्वक माहौल में उस जवाब को सुन सकें। श्री पासवान का यह कहना कि यह प्रश्न आप का नहीं है, आप को अकल है या नहीं है, अगर सदन इस तरह चलेगा, चन्द मुट्ठी भर लोग अपनी इच्छा के अनुसार गलत तरीके से .....(व्यवधान).....

इसलिए श्रीमन्, आप हमारे हितों के रक्षक हैं, कस्टोडियन हैं, आप हमारे हितों की रक्षा कीजिए, हमारे अधिकारों को बचाइए। ये लोग हमारे अधिकारों को लूटना चाहते हैं।

..... (व्यवधान).....

सभापति महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे शांत रहे जब प्रश्न पूछा जाता है और मन्त्री महोदय उस का उत्तर देते है तो प्रत्येक माननीय सदस्य की उत्तर को सुनने में रुचि होती है और प्रत्येक सदस्य को खड़े होकर यह कहने का अधिकार है कि उसे उत्तर सुनने दिया जाये । माननीय सदस्यों के खड़े होकर यह कहने में कि कृपया व्यवधान न डालें कोई गलती नहीं है ।

(व्यवधान)

इस के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को ज्यादा लम्बा न खींचे । हमें इस का उत्तर मिलने में रुचि है । इसलिये हमें उत्तर सुनने दिया जाये ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मुझे भी आप एक मिनट का समय दीजिए ।

मेरे तीन रेलिवेन्ट प्रश्न हैं । प्रधान मन्त्री का प्रश्न तो इसमें उत्पन्न नहीं होता था लेकिन मन्त्रीजी ने प्रधान मन्त्री का नाम लिया है "प्रधान मन्त्री ने ट्रेड यूनियन नेताओं से हुए विचार विमर्श में भी श्रमिकों की भूमिका के बारे में सरकार की सकारात्मक स्थिति स्पष्ट कर दी है ।" इसलिए यह हाउस एंटाइटिल्ड है यह जानने के लिये कि प्रधान मन्त्री ने क्या नीति घोषित कर दी है—इसका जवाब मन्त्री दें ।

दूसरी बात यह है कि यह मेरा जवाब नहीं है बल्कि चानना साहब का ही 26 मार्च का जवाब है । टेलीफोन के आधार पर तो जवाब दिया नहीं है । जब आपने लिखित जवाब दिया है तब आप कैसे कहते हैं कि टेलीफोन के आधार पर सूचना मिल रही है ।

सभापति जी, यह साधारण सी बात है कि यह बिहार का मामला है, पाण्डे जी यहां पर बैठे हैं, इन लोगों को इसकी जानकारी है । फिर ये लोग क्यों बोल रहे हैं ?

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय किस प्रकार से जवाब दें, इसके लिए न आप कह सकते हैं और न मैं कह सकता हूं, वे अपनी पद्धति से जवाब देंगे । कालिंग अटेंशन अर्जेन्ट मैटर के लिए होता है और इसकी इंफार्मेशन अर्जेन्टली मंगाई जाती है । एक छोटी सी इंफार्मेशन भी इतनी बड़ी हो सकती है कि वह पूरे प्रदेश से सम्बन्ध रखती हो और 24 घंटे में आप उसका उत्तर नहीं पा सकते हैं । इसलिए जैसा मैंने पहले कहा है, हम बजट डिस्कस कर रहे हैं । अगर यह इतनी अहम बात है तो इसको उस अवसर पर उठाया जा सकता है और उसका पूरा जवाब भी आपको मिल सकता है । मैं आप से विनती करूंगा, आपके इन्ट्रेस्ट में ताकि आपके प्रश्न का उत्तर मिल सके, आप कृपा करके शान्ति रखिये ।

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य मेरा उत्तर शांति से सुनें । वह केवल प्रश्न ही करना चाहते हैं । माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह मेरी बात सुनें । मैंने कहा था कि आपकी शंका 45 यूनिटों के संदर्भ में है जिन में से 16 यूनिटों के संदर्भ के बारे में मुझे सूचना मिल गयी है । उसमें यह एकक विशेष भी शामिल है । मैं उसी प्रश्न पर आ रहा हूं । कृपया शान्त रहें और मेरी बात सुनें । मैंने ध्यानाकर्षण नोटिस के उत्तर के वक्तव्य में यह उल्लेख किया था कि लगभग 45 यूनिटों को बन्द कर दिया गया है । हमने इस मामले को बिहार सरकार के साथ

उठाया तथा उनसे पूछा कि अब तक कितने यूनिटों को बन्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 16 यूनिटों को बन्द कर दिया गया है। मैंने 16 यूनिटों के नाम लिखें लेकिन इनमें इस यूनिट विशेष का नाम नहीं था। आपके ध्यानाकर्षण नोटिस केवल एक यूनिट बन्द होने से ही संबंधित नहीं है। मैंने आपको उस विशिष्ट यूनिट के बारे में भी उत्तर दे दिया है। मैंने आपको 16 यूनिटों की प्रति यूनिट कर्मचारियों की संख्या भी बता दी है।

आपका दूसरा प्रश्न कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स से संबंधित है। संसद में दिए गये मेरे उत्तर के बारे में है। मैं उस का उत्तर दूंगा। यदि कोई बात छूट जाए, तो आप व्यवधान डालने की बजाये मुझसे प्रश्न पूछ सकते है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप उत्तर को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके शासन काल के दौरान इस विशेष यूनिट के कार्य की जांच की जा रही थी। हमने अभी अभी 18 मार्च से इस की जाँच आरम्भ की है। जैसा कि आपने "यथासंभव कम से कम समय" शब्दों को ठीक ही पढ़ा है, यदि आप इसे अच्छी तरह समझते हैं तो यह सही शब्दावली है। लेकिन सरकार का आशय "यथासंभव कम से कम समय" को भी और अधिक कम करने का रहा है। जहां तक इलाहाबाद बैंक से प्राप्त सूचना का सम्बन्ध है यह सूचना बिहार राज्य सरकार से नहीं मिली बल्कि वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध करायी गयी है। हम सम्पूर्ण मामले की जाँच कर रहे हैं और हम इस मामले को एक महत्वपूर्ण मामला मान रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले इस सभा में निवेदन किया है कि हम इस सम्बन्ध में हर संभव प्रयास करेंगे। जिस किसी भी यूनिट में कुप्रबंध हुआ है, हम उस में सुधार की पूरी कोशिश करेंगे। इससे भी ज्यादा हम ऐसे मामलों को ज्यादा ठीक करने का प्रयास करेंगे जिन में जनता के धन दुरुपयोग के मामले अंतर्ग्रस्त है। इस सम्बन्ध में हम आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं और मैंने उपलब्ध जानकारी देने से इन्कार नहीं किया है। लेकिन यदि आपके पास इन 45 यूनिटों (जिन में यह विशेष यूनिट भी शामिल है) के किसी पहलू के सम्बन्ध में कोई मामला हो तो आप इसे मेरे पास भेज दें और मैं इसके सम्बन्ध में सभी स्त्रोतों से अपेक्षित आंकड़े एकत्र करूंगा तथा इसे सम्बन्धित मन्त्रालय को भेज दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न था कि प्रधान मंत्री ने श्रमिक नेताओं से क्या बात की है और मैनेजमेंट के द्वारा जो बात की जा रही है, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। मैनेजमेंट के द्वारा जो श्रमिकों को हैरास किया जा रहा है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है और प्राइम मिनिस्टर ने इस सम्बन्ध में क्या नीति की घोषणा की है ?

सभापति महोदय : उन्होंने आपको अपने कक्ष में चाय के लिए आमन्त्रित किया है।

श्री राम विलास पासवान : प्रधान मन्त्री ने ट्रेड यूनियनों के नेताओं से हुए विचार-विमर्श में श्रमिकों के बारे में सरकार की सकारात्मक स्थिति स्पष्ट कर दी है। क्या वह स्थिति सदन नहीं जान सकता है ?

सभापति महोदय : यह इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से नहीं किया गया है।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, हमें एक सूचना चाहिए कि क्या बिहार सरकार के यहां से इन्फार्मेशन आ जाने के बाद मंत्री महोदय सदन में स्टेटमेंट देंगे, जैसा उन्होंने कहा है ?

सभापति महोदय : अब सभा में मद संख्या 12, 13 तथा 14 पर एक साथ चर्चा की जाएगी ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न मद संख्या 14 के सम्बन्ध में है जिसे आपने मद संख्या 12 तथा 13 के साथ मिला दिया है । मद संख्या 14 श्री योगेन्द्र मकवाना जी द्वारा कानूनी प्रस्ताव रखने के सम्बन्ध में है । इस में यह कहा गया है :

"कि आवश्यक सेवाएं (असम) अध्यादेश 1980 (1980 की संख्या 2) की धारा 2 की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा असम सरकार के .....का अनुमोदन करती है ।"

जिस धारा के अन्तर्गत इस अधिसूचना को सभा के सामने प्रस्तुत किया जाना है वह इस प्रकार है । मैं अध्यादेश से पढ़ रहा हूं न कि विधेयक से । ...

"उपधारा (1) के खंड (ख) के उप खण्ड 14 के अन्तर्गत जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना को इस के जारी किये जाने के तुरन्त पश्चात् संसद को दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना किया जाएगा यदि संसद का सत्र चल रहा है । और यदि सत्र नहीं चल रहे हों तो आगामी सत्र के प्रथम दिन ही प्रस्तुत किया जाएगा तथा इन के सभा पटल पर रखे जाने के 40 दिन के बाद यह समाप्त हो जाएगा"

यह अधिसूचना 9 जून, 1980 को जब सभा का सत्र आरम्भ हुआ था सभा के पटल पर रखी जानी चाहिए थी । लेकिन यदि आप 9 जून, 1980 की कार्यवाही को देखें तो आपको पता लगेगा कि यह अधिसूचना सभा पटल पर नहीं रखी गयी थी । इसे 18 जून, 1980 को सभा के पटल पर रखा गया था तथा गृह राज्य मन्त्री श्री योगेन्द्र मकवाना, जिन्होंने इसे 18 जून, 1980 को सभापटल पर रखा गया था, ने इसे सभा पटल पर रखने से बड़ी होशियारी से काम किया । उन्होंने इस अधिसूचना को सभा पटल पर रखी जाने वाली अन्य अधिसूचनाओं के साथ मिला दिया । उन्होंने कहा : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित दस्तावेज रखता हूं :

"(1) धर्मार्थ धर्मस्व के कोषाध्यक्ष पंजाब (पुनर्निर्माण और पुनर्गठन) आदेश 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) मंत्री (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियमन 1980 के प्रारूप (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा,(3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 776 की एक प्रति जो दिनांक 9 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिस में दिनांक 21 अप्रैल, 1979 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 564 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(4) असम निवारक नजरबंदी अध्यादेश, 1980 (1980 की संख्या 3) की एक प्रति ।"

और अन्त में :—

"(5) (एक) असम राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 12 दिसम्बर, 1979 की उद्घोषण के खण्ड (ग) (3) के साथ पठित आवश्यक सेवाएं (असम) अध्यादेश, 1980 की धारा 2 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना की एक प्रति, जो दिनांक 7 अप्रैल, 1980 के असम राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिस के द्वारा कतिपय आवश्यक सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है।"

और फिर उन्होंने चालू सत्र के पहले दिन क्रमांक 5(1) पर उल्लिखित अधिसूचना को पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण भी दिया है।

यह अध्यादेश राष्ट्रपति ने 6 अप्रैल, 1980 को लागू किया था। यह सरकार के लिए अनिवार्य है कि यदि संसद का सत्र चल रहा हो तो अधिसूचना के जारी होते ही इसे संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखे और यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो उसे आगामी सत्र चालू होने के पहले दिन सभापटल पर रखे। जैसा कि मैंने कहा है यह एक अनिवार्यता है। मैं जानता हूं कि बहुत सी अधिसूचनाएं जारी जाती हैं। उदाहरणस्वरूप मंत्रियों के वेतन" से सम्बन्धित अधिसूचना तथा अन्य। इन अधिसूचनाओं के साथ आदेशात्मक तत्व नहीं है। सरकार उन्हें देर से प्रस्तुत कर सकती है या फिर वह चाहे तो उन्हें बिल्कुल ही प्रस्तुत न करे। अधिसूचनाएं हैं तो उनके प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें प्रस्तुत न भी किया जाये तो भी क्या है। धर्मस्व निधि, पंजाब के कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट की प्रति जैसी अधिसूचनाएं हो सकती हैं जिन्हें सभा पटल पर रखा जा सकता है और देर से भी रखा जा सकता है इसके संबंध में कोई भी व्यक्ति सभा में आकर कह सकता है:—इसके कुछ कारण थे। हमसे यह चूक हो गयी। हमें इसकी जानकारी नहीं थी। मंत्रालय में कोई व्यक्ति छुट्टी पर था। सरकार के पास इस बात को न्यायसंगत बताने के लिए कितने ही कारण क्यों न हो किन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि एक अधिसूचना जिसे सभा पटल पर एक नियत तिथि को रखा जाना चाहिये था, सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जा सका।

आवश्यक सेवाएं (असम) अध्यादेश जिस पर अब हम चर्चा कर रहे हैं एक गंभीर मामला है। राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया, अर्थात इधर 6 अप्रैल को यह अध्यादेश को प्रख्यापित किया जाता है, उधर 7 अप्रैल को अर्थात एक दिन के अन्दर ही असम सरकार हरकत में आ जाती है। इससे पता चलता है कि सरकार अध्यादेशों के प्रख्यापित करने में बहुत तेज है और वह उस अध्यादेश के अनुसार निर्णय लेने में भी बड़ी तेज है। लेकिन जब कानूनी जरूरतों को पूरा करने का प्रश्न उठता है, यहां मैं अध्यादेश की बात को ही दोहराता हूँ, जिसमें कहा गया है : प्रत्येक अधिसूचना सदन की दोनों सभाओं के सामने रखी जायेंगी तो कुछ नहीं होता। इससे क्या अर्थ निकलता है। सरकार शायद यह कह सकती है : हमने कुछ कारण बताये हैं। "सरकार ने जो भी कारण बताये हैं मेरी उनसे कुछ दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी केवल कानून से है। कानून कहता है कि इसे प्रस्तुत किया

जायेगा। मैं इस सभा के प्रक्रिया नियम का ही हवाला देता हूं, मैं निलम्बन के बारे में नियम 388 का हवाला दूंगा। यह इस प्रकार है :

"कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा।"

मैं केवल अपनी बात सिद्ध करने के लिये इस नियम का हवाला दे रहा हूं। दूसरे शब्दों में इस सभा द्वारा बनाये गए जिन नियमों के अंतर्गत इस सभा का कार्य-संचालन किया जाता है, यदि इन नियमों के लागू करने में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना होता है तो इस सभा को इस संबंध में निर्णय करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में किसी साधारण मामले में, किसी प्रक्रिया नियम, प्रक्रिया नियम में किसी परिवर्तन के लिए इस सभा द्वारा, जो कि सर्वोच्च संस्था है, इस पर बहुमत से निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। हम यहां कानून की ही तो बात कर रहे हैं। हम प्रक्रिया नियम की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक कानून पर विचार कर रहे हैं। जिसके सम्बन्ध में आज यहां शंका व्यक्त की जानी है। मेरा प्रस्ताव अभी नहीं आया है। इस पर सभा में आपत्ति उठाई जाने वाली है।

जहां तक स्वयं अध्यादेश का सम्बन्ध है, चूंकि राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा 6 अप्रैल को की थी, यह असम के मजदूरों तथा जनता पर लागू किया जा रहा है। इस कानून में आदेशात्मक व्यवस्था है जिसमें यह कहा गया है कि अधिसूचना को सभा पटल पर रखा जायेगा।

प्रश्न यह है कि यदि प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों तथा प्रक्रिया संबंधी मामलों में संशोधन करने के लिए सभा को सभी नियमों को निलम्बित करने की आवश्यकता पड़ती है तो उस स्थिति में असम आवश्यक सेवा अधिनियम की धारा (2) उपधारा (2) में विहित आदेशात्मक व्यवस्था को किसी भी तरह से टालने की कोई व्यवस्था नहीं है।

मैंने इस नियम और अध्यादेश को यह पता लगाने के लिए ध्यानपूर्वक और अच्छी तरह पढ़ा है कि क्या अध्यादेश में कोई ऐसा उपबंध है जिसमें मंत्री महोदय, गृह मंत्रालय के किसी अधिकारी इस सभा के प्रति उत्तरदायी किसी व्यक्ति द्वारा गलती किए जाने की स्थिति में मंत्री अथवा सरकार द्वारा उसको सुधारने की व्यवस्था हो। मैं बड़े आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में इस प्रकार की ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं की गयी है। जिसमें यह कहा गया हो कि यदि किसी मंत्री महोदय ने गलती की है और यह मानते हुए आदेशात्मक व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है कि सभा उसकी बात को अवश्य स्वीकार कर लेगी उस स्थिति में मंत्री महोदय को यहां आकर यह कहने की छूट है कि मुझे खेद है : मुझसे गलती हो गई है। "यदि मंत्री महोदय ने गलती की है। उस स्थिति में यह सभी भी यह कह सकती है : "हमें खेद है हम आपकी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।"

मद संख्या 14 के संबंध में मेरा विनम्र निवेदन है कि यह कानून के बिल्कुल परे है क्योंकि जब सरकार तथा मंत्री महोदय इस सभा के सत्र के प्रथम दिन अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में असफल रहे तो यह अधिसूचना व्यपगत हो गयी।

इस अधिसूचना की कोई वैधता नहीं है । उस कागज की भी वैधता नहीं है जिस पर इसे आज लिखा जाना है क्योंकि कानून के अनुसार आपको इसे प्रस्तुत करना चाहिए । इस अधिसूचना की वैधता इसे आपके द्वारा सभा के समक्ष प्रस्तुत करने पर आधारित थी । आप कोई कानून पारित नहीं कर सकते हैं । यह एक साधारण सी बात है । एयर लाइंस के टिकटों के मामले को ही लीजिए । एयर लाइंस यह अपेक्षा करती है कि विमान के प्रस्थान से पहले हर हालत में आप विमान क्षेत्र में अमुक समय पर पहुंच कर रिपोर्ट करें । यदि आप वहां पर नहीं पहुंचते हैं तो आपकी टिकट बेकार हो जाती है । आपकी टिकट का रुपया भी वापस नहीं मिलता है । यही स्थिति रेलवे में है, यही स्थिति सब जगह है । शपथ ग्रहण जैसी साधारण सी बात को ही ले लीजिये । संविधान अथवा कानून में यह व्यवस्था है कि किसी भी चुनाव लड़ने वाले सदस्य को संविधान के नाम पर शपथ ग्रहण करनी होगी । यदि मैं संविधान के नाम पर शपथ ग्रहण नहीं करता हूं तो मेरी सदस्यता को चुनौती ही नहीं दी जा सकेगी अपितु मैं सदस्य भी नहीं बन सकता हूं । यहां कानून की यह मांग है कि धारा 2 के अंतर्गत इस अधिसूचना को सभा का सत्र प्रारम्भ होने के पहले ही दिन सभा पटल पर रखा जाए । सभा का सत्र 9 जून से प्रारम्भ हुआ था । अधिसूचना को 9 जून को सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था । इस अधिसूचना की कानूनी तौर पर कोई वैधता नहीं है, यह अधिसूचना अधिकारातीत है । वस्तुतः यह इस सदन का अपमान ही है कि मंत्री महोदय ने उस दिन की कार्य सूची में इसको सम्मिलित किया । अतः इस संबंध में मेरा विनम्र निवेदन है कि आपको इसे बिल्कुल ही अधिकारातीत घोषित कर देना चाहिए तथा मद संख्या 12 तथा 13 पर ही आगे चर्चा की जाये ।

सभापति महोदय : इस सम्बन्ध में दो प्रश्न हैं एक तो यह है कि क्या सभापति किसी कानून और अध्यदेश को अधिकारातीत घोषित कर सकता है । दूसरे कि क्या आपके व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध इस अध्यादेश के इस सभा में चर्चा के लिए स्वीकार किया जाने से है । पहले प्रश्न के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : एक अधिसूचना है जिसे अब चर्चा के लिए शामिल किया गया है । इस सम्बन्ध में मेरा विनम्र निवेदन है कि इस अधिसूचना का कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि अध्यादेश की धारा 2, उपखण्ड (2) में यह अपेक्षा की गयी है कि इसे सभा पटल पर रखा जायेगा । यदि इसे सभा पटल पर नहीं रखा जाता है तो क्या होगा । यदि इसे सभा पटल पर नहीं रखा जाता है तो इसका अस्तित्व नहीं रहता । कानून में ऐसा कोई उपबंध नहीं है । मैंने इस सम्बन्ध में कानून में कोई विनिर्णय ढूंढने की कोशिश की है । इसीलिए इस सम्बन्ध में मैंने आपका विनिर्णय चाहा है । इसमें पक्षपात की कोई बात नहीं है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मैं इस प्रश्न पर निर्णय दूं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं आपका निर्णय चाहता हूं । मैं आपका आदेश चाहता हूं अधिकारातीत प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे आपके आदेश की आवश्यकता नहीं है । मैं इस विशिष्ट मामले में आपका निर्णय चाहता हूं ।

सभापति महोदय : मैं अपना निर्णय माननीय मंत्री महोदय की बात सुनने के पश्चात दूंगा। (व्यवधान)। यदि और आवश्यकता महसूस हुई तो मैं अधिक सदस्यों की बात भी सुनूंगा। मैं अपना निर्णय मंत्री महोदय की बात सुनने के बाद तुरन्त दे दूंगा। अब मंत्री महोदय अपनी बात कहें। इस व्यवस्था के प्रश्न का निर्णय करने के लिये मैं केवल अपेक्षित मदद ही लूंगा और सभी सदस्यों की बात नहीं सुनूंगा।

अब मन्त्री महोदय अपनी बात कहें (व्यवधान)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं इस बात से सहमत हूं कि इसे सभा पटल पर विलम्ब से रखा गया क्योंकि यह असम सरकार से देर से प्राप्त हुई थी। लेकिन इसे सभा पटल पर रखते समय विलम्ब के कारण बता दिये गये थे।

जार्ज फर्नान्डीस : मुझे यह पता नहीं है कि वे कारण क्या हैं। दूसरी बात यह है कि क्या कारणों के उस विवरण से यह व्यपगत होने से बच जाता है (व्यवधान)।

सभापति महोदय : इससे दो या तीन प्रश्न पैदा हुए हैं। जहां तक अध्यादेश की वैधता या अवैधता, अस्तित्व या अस्तित्व न होने का प्रश्न है सभापति को इस सम्बन्ध में अपना निर्णय देने का कोई हक नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायालय ही कोई निर्णय दे सकता है। इसलिए मैं उस प्रश्न पर अपना कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं। इसका निर्णय न्यायालय ही देगा। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हम इस अध्यादेश पर विचार करने की स्थिति में है जबकि इसे पहले दिन सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ध्यान रहे मैंने अध्यादेश कहा है अधिसूचना नहीं। मेरे पास तो यही सूचना है। मैं अपना पूर्ण निर्णय दे रहा हूं यह इस प्रकार है। आवश्यक सेवाएं (असम) अध्यादेश, 1980 की धारा 2 (1) (ख) (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना सत्र आरम्भ होने के पहले दिन संसद की दोनों सभाओं के सभा पटल पर रखना आवश्यक है।

असम के राज्यपाल द्वारा उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गयी अधिसूचना (संख्या पी० एल० ए०—334/80/7 दिनांक 7 अप्रैल, 1980) इसलिए सभा पटल पर नहीं रखी जा सकती थी क्योंकि वह सभा का सत्र आरम्भ होने के बाद प्राप्त हुई थी।

इसके अतिरिक्त अधिसूचना की हिन्दी प्रति राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई थी। यहां इसकी अंग्रेजी की प्रति का हिन्दी में अनुवाद किया गया तथा इस काम में भी छ मसय लकुग गया था। अब इस अधिसूचना को सभा के पटल पर रखा जा रहा है।

मैं केवल अपना निर्णय दे रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उन्होंने इसके अनुवाद में कितना समय लगाया।

सभापति महोदय : यह स्पष्टीकरण सरकार को सभा को देना है।

इस प्रश्न के लिए कि इसे सभा के पटल पर सभा की कार्यवाही आरम्भ होने के पहले दिन ही क्यों नहीं रखा गया, धारा 2 उपखंड (2) को सम्पूर्ण रूप से पढ़ना होगा और तभी सारी बातें स्पष्ट होंगी और मैं भी इस प्रश्न पर अपना निर्णय देने की स्थिति में होऊंगा।

"उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (XIV) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, तुरन्त संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो और यदि

वह सत्र में न हो तो उस सदन के आगामी सत्र के प्रारम्भ के प्रथम दिन रखी जायगी और ऐसी अधिसूचना यथा स्थिति इस प्रकार रखे जाने की तारीख से या संसद के पुनः समवेत होने से 40 दिन के अवसान पर तब के सिवाय प्रवर्तन में नहीं रह जाएगी, जबकि उस अधिसूचना के जारी किए जाने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा उस अवधि के अवसान के पूर्व पारित कर दिया जाए।"

तो इस उपखण्ड में 40 दिन महत्वपूर्ण हैं। चालीस दिन समाप्त होने से पूर्व इसे इस सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए तथा सदन को प्रत्येक सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार को उपलब्ध समय का अवसान हो गया है या नहीं। मेरे अनुसार समय का अभी अवसान नहीं हुआ है।

यह एक बिलकुल अलग बात है कि इसे सभा के प्रारम्भ होने के पहले दिन पटल पर नहीं रखा गया है बल्कि इसके बाद इसे स्पष्टीकरण के साथ रखा गया है और इस स्थिति में यह स्पष्टीकरण सभा को मान्य होगा या नहीं। लेकिन जहां तक इसके स्वीकार किये जाने या स्वीकार न किये जाने का प्रश्न है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पर यह सभा विचार कर सकती है।

एक और बात। मुझे बताया गया है कि सभा के पटल पर रखे जाने के समय ही इस पर आपत्ति की जानी चाहिए। मैं उस बात को कोई महत्व नहीं दे रहा हूं, लेकिन वह उचित समय था। मामले पर उसी समय निर्णय दिया जाना चाहिए था।

मैं इस बात पर इसलिये जोर दे रहा हूं कि चूंकि अभी 40 दिन समाप्त नहीं हुए हैं इसलिये अभी इस पर इस सभा में विचार करने में कोई कठिनाई नहीं है।

आवश्यक सेवाएं संधारण (असम) अध्यादेश को निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प
और
आवश्यक सेवाएं संधारण (असम) विधेयक
और
कुछ सेवाओं को आवश्यक सेवाएं घोषित करने सम्बंधी आसाम सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"यह सभा आवश्यक सेवाएं (असम) अध्यादेश, 1980 (1980 का अध्यादेश संख्या 2) जो राष्ट्रपति द्वारा 6 अप्रैल, 1980 को प्रख्यापित किया गया था, का निरनुमोदन करती है।"

इस चर्चा के प्रारम्भ होने से पहले, सभा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए उद्योग मंत्री महोदय को उस बैठक के बारे में बताना था जो प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पूर्व मजदूर संघों तथा इस प्रकार के अन्य संघों के नेताओं के साथ की थी, तथा इस सरकार को देश के मजदूरों के अधिकारों तथा समस्याओं का कितना ध्यान है। मेरे विचार से संगठित मजदूर वर्ग के आन्दोलन के साथ प्रधान मन्त्री जी की यह बैठक देश के मजदूर वर्ग को सख्ती से दबाने से पहले उन्हें असंवेदन शक्ति करने का एक प्रयास है। अब सरकार उन्हें सख्ती से दबाने की भी योजनाएं बना रही है। यदि देश के मजदूर वर्ग की जड़ों तथा आजादी पर प्रहार करने सम्बंधी कोई घृणित कानून है तो यह अध्यादेश और विधेयक जिसे अब कानून का रूप देने के लिये प्रस्तुत किया गया है, इसका उदाहरण है। वस्तुतः यदि कोई व्यक्ति इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों को पढ़े तो इसमें इस बात की झलक मिलेगी। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि यदि कोई व्यक्ति इनके उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पढ़े तो उसे पता लगेगा कि सरकार इस देश की संसद तथा मजदूर वर्ग की आंखों में किस प्रकार धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। इसमें कहा गया है :—

"असम में विदेशी राष्ट्रिकों के विवाद को लेकर जो जन आन्दोलन हुआ है उसका विघटनकारी तत्वों ने लाभ उठाकर, सामुदायिक जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाओं को बनाए रखने पर, विशेष रूप से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और वितरण पर, गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा है। आन्दोलन के परिणामस्वरूप; केन्द्रीय सरकार और असम सरकार के तथा केन्द्रीय और राज्यीय सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी अपने काम से बड़ी संख्या में और जान बूझ कर अनुपस्थित रहे। इस का प्रतिकूल प्रभाव माल और यात्रियों को रेल से लाने-ले जाने पर पड़ा है। संघ या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे किसी कानून के अभाव में जिसके अधीन असम में किसी आवश्यक सेवा में की जाने वाली हड़ताल को निषिद्ध किया जा सके, स्थानीय प्राधिकारी असम की इस विस्फोटक स्थिति से निपटने में बिलकुल असमर्थ रहे हैं। असम राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन है अतः राष्ट्रपति ने 6 अप्रैल, 1980 को आवश्यक सेवाएं (असम) अध्यादेश, 1980 प्रख्यापित किया था जिस में कुछ आवश्यक सेवाओं को विनिर्दिष्ट किया गया था। केन्द्रीय और राज्य सरकारों को असम राज्य में किसी आवश्यक सेवा में होने वाली हड़ताल को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान की गई थी, किन्तु अध्यादेश में ऐसी हड़तालों में भाग लेने और उसके लिए उकसाने तथा उसका वित्तपोषण करने वाले व्यक्तियों के लिए दण्ड का भी उपबन्ध किया गया था।"

अगले वाक्य में कहा गया है :

"असम में अभी भी आन्दोलन जारी है, अतः यह आवश्यक समझा गया है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर संसद द्वारा निर्मित अधिनियम लगाया जाए।"

इसलिए मैं समझता हूं कि प्रस्तुत विधान असम में विदेशी नागरिकों के सम्बन्ध में असम आन्दोलन से उत्पन्न असम की विशेष स्थिति से निपटने के लिए है। इस सम्बन्ध में मेरा पहला प्रश्न यह है कि

आपने यह कानून अध्यादेश के रूप में लागू किया और आपने इस अध्यादेश के आधार पर कुछ निर्णय भी लिये जिन पर मैंने कुछ समय पूर्व आपत्ति की थी, अर्थात 7 अप्रैल की अधिसूचना के सम्बन्ध में मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि उसने इस कानून का किस सीमा तक प्रयोग किया है। जैसाकि मंत्री महोदय ने अपने उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा था, यह कानून असम की राजनैतिक समस्या से निपटने के लिए है। तो आपने इस कानून का किस सीमा तक प्रयोग किया है ? आपने असम में हड़तालों पर नियंत्रण करने के लिए शक्ति का रास्ता अपनाया है। 6 या 7 अप्रैल को पहली अधिसूचना जारी करने के समय से अपको इन हड़तालों को रोकने में कितनी सफलता मिली है ? किन किन क्षेत्रों में सफलता मिली है। आप जिन बातों पर बंद लगाने जा रहे है, उन की एक लम्बी सूची है। इसी अध्यादेश के जारी हुए तीन महीने हो गये हैं। आपने इस दौरान क्या-क्या दंड दिये हैं ? आप किस प्रकार की कार्यवाही कर सके हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर सरकार से पाने का इच्छुक हूं क्योंकि इस सम्बन्ध में मेरा विनम्र निवेदन है कि इस का असम की राजनैतिक समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह कानून सरकार की सम्पूर्ण रणनीति का ही एक अंश है जिसके जरिये सरकार मजदूरों को झुकाना चाहती है। इस घृणित कानून को लागू करने के लिए आसाम की समस्या को एक बहाना बना लिया गया है। असम की समस्या बिलकुल राजनैतिक है। इस पर प्रधान मंत्री ने विरोधी दल के नेताओं के साथ बैठक की है। इस समस्या के ऊपर असम, बंगाल, अन्य राज्यों तथा इस सभा में भी काफी चर्चा हुई है। मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि असम आन्दोलन समाज के कुछ वर्गों की एक ऐसी स्थिति में फंसाने का सरकार का एक प्रयास है जहां वे कुछ भी करने की स्थिति में न रहे। क्योंकि सरकार का विचार है कि देश में ऐसी राजनैतिक पार्टियां भी हैं जिनके सत्ताधारी दल से विचार नहीं मिलते हैं लेकिन असम समस्या पर उन सबके एक मत है। क्या फिर हमारे यहां इस प्रकार का विधान हो सकता है जिस में यह कहा जाए कि यह केवल असम की स्थिति से निपटने के लिए है और फिर यह देखना कि क्या भारी समर्थन जुटाया जा सकता है ? मुझे पता है, इस प्रकार की धारणा का कुछ असर नहीं होगा। सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली इस नीति से किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इस के उद्देश्यों और लक्ष्यों को देखते हुए, जिसे सरकार कानून बनाना चाहती है, इस में असम की राजनीतिक स्थिति से निपटने के लिए कुछ भी नहीं है, यह तो केवल इस देश के श्रम जीवी लोगों के प्रति कार्यवाही करने के लिए है। अगर इस बारे में उन की कुछ आपत्तियां हैं, तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जब राष्ट्रपति द्वारा इस अध्यादेश की प्रख्यापना की गई, इसके तुरन्त बाद ही उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए भी इसी प्रकार के अध्यादेश क्यों प्रख्यापित किये गए ? मैं चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री चारों अध्यादेशों की तुलना करें। वास्तव में तो मैं इससे भी आगे कुछ पूछना चाहूंगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है कि मन्त्री महोदय यह कहें कि राज्य विधान सभा के बारे में हम हस्तक्षेप नहीं करते —वह ऐसा कहने के लिए स्वतंत्र हैं— लेकिन मैं एक ऐसे राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में जो दिल्ली से देश का प्रशासन चला रहा है तथा कर्नाटक प्रशासन से भी जो सम्बन्धित है, माननीय मन्त्री जी से मैं यह पूछना चाहूंगा— कि अब असम के लिए जो अध्यादेश आप लाए हैं, तथा कर्नाटक राज्य विधान सभा में, इस वर्ष 9 जून को जो विधान आप पास कराना चाहते थे, तथा जो उस के कुछ दिनों बाद पारित भी कर

दिया गया था, में क्या अन्तर है ? अगर आप इस प्रकार का विधेयक लाना चाहते हैं तो सरकार को यह कहने दीजिए : हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्रमिक वर्ग से निपटने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है ; राज्य का कोई भी साधन, उन्हें दबाने के लिए, इस देश के श्रमजीवी लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम यह कर रहे हैं। हमने कर्नाटक में एक विधान बनाया है। हमने उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए अध्यादेश जारी करवाये हैं। और अब हम यह, असम के लिए कर रहे है। सरकार के इरादे क्या हैं, वह ईमानदारी से हमें बताए तो सही कि वास्तव में वह जहां तक है। ठीक है, मुझे पता है कि महाराष्ट्र में कुछ हुआ है। अध्यादेश मई के मध्य में किसी समय जारी किया गया था। चुनाव हुए। सरकार बनाई गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस (आई) की ट्रेड यूनियन को छोडकर सभी ट्रेड यूनियनों ने, अपने राजनैतिक भेदों को भुला कर एक साथ, यह निर्णय लिया है कि जिस दिन विधान सभा की बैठक शुरू होगी उस दिन वे आधे दिन की हड़ताल करेंगे और जलूस में विधान सभा जाएंगे। जब सभी ट्रेड यूनियनों ने इकट्ठे होकर इस अध्यादेश, जिसका कानून बनाया जाना था, का विरोध किया, तो मुख्य मन्त्री अथवा महाराष्ट्र के नये नियुक्त मुख्य मन्त्री को एक घोषणा करनी पड़ी.....

उपाध्यक्ष महोदय : नए नियुक्त नहीं, नए चुने गए मुख्य मन्त्री कहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसे मैं सुधार लेता हूं। मैंने सोचा था कि उन्हें नियुक्त किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप का अभिप्राय है, राज्यपाल ने उन्हें नियुक्त किया था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने सोचा था कि आमतौर पर नियुक्तियां दिल्ली से ही की जाती हैं। यहां क्या होता है, यह जानना तो बहुत ही मुश्किल है। पैलेस तक हमारी पहुंच नहीं है।

अतः जब महाराष्ट्र में जब श्रमिक वर्ग ने कहा :

'अब बहुत हो चुका है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम जिस दिन विधान सभा आरंभ होगी, उस दिन आधे दिन की हड़ताल करेंगे', तो आप पीछे हट गए, आपने बहुत जल्दी ही इरादा छोड़ दिया। इस अध्यादेश को गुजरात में क्यों लागू किया गया, उड़ीसा में इसकी क्या आवश्यकता थी, कर्नाटक में क्या आवश्यकता थी, इसके लिए काफी औचित्य प्रस्तुत किए गए थे और महाराष्ट्र की बारी में भी उसी प्रकार का औचित्य प्रस्तुत किया गया। लेकिन जब कुपित श्रम वर्ग ने बम्बई और महाराष्ट्र में यह दलील दी कि : 'अब बहुत हो चुका है, इस घृणित कानून को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो सारी न्याय संगतता गायब हो गई। और यहां भी, स्पष्ट रूप से इस बात से फायदा उठाते हुए कि असम में एक विशेष प्रकार की स्थिति है, सरकार श्रमिक वर्ग विरोधी इस विधान को ला रही है ; और यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह निश्चित रूप से बड़े उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए किया जा रहा है, उन सभी बड़े उद्योगों के लिए किया जा रहा है जो श्रमिक वर्ग का शोषण करना चाहते हैं। जो इस देश के श्रमिक वर्ग के अधिकारों और विशेषाधिकारों को दबाना चाहते हैं।

महोदय, अब हम विधान की असलियत जानने का प्रयत्न करते हैं। यह विधान किस-लिए है। इसके अनुसार, यह आवश्यक सेवाओं के संबंध में है। वास्तव में, विधेयक में यह

कहा गया है : "कुछ आवश्यक सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए" यह प्रभाव डालने की कोशिश की गई कि समस्या छोटी, स्थानीय है और उस स्थानीय समस्या से हम, कुछेक आवश्यक सेवाएं बनाए रखते हुए निपटना चाहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आवश्यक सेवाएं क्या हैं। धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। इसमें सबसे पहले डाक-तार सेवा और रेलवे सेवा का नाम आता है। इसके पश्चात सामान के चढ़ाए जाने और उतारे जाने का जिक्र है। इसके बाद हवाई अड्डों और विमानों की चर्चा है, फिर सीमा शुल्क और रक्षा तथा इसके बाद यह कहा गया है :

> "किसी भी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के किसी भी अनुभाग में कोई सेवा, जिसके कार्यकरण से ऐसे स्थापना अथवा उपक्रम अथवा उसमें नियोजित कर्मचारियों की सुरक्षा निर्भर है।"

इसके बाद खाद्यान्न के क्रय, उत्पादन, भंडारण, प्रदाय या वितरण, सार्वजनिक सफाई और स्वच्छता, आती है, इसके बाद बैंकिंग, उसके बाद कोयले के उत्पादन, प्रदाय और वितरण, उसके बाद तेल शोधक कारखानों की बात आती है। इसके बाद यह कहा गया है :

> "संघ अथवा असम राज्य के कार्य कलापों से सम्बद्ध ऐसी कोई सेवा, जो पूर्वगामी उपखंड में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है"।

अतः, "कुछ आवश्यक सेवाओं" के बारे में, वर्तमान विधान अथवा अध्यादेश कुछेक आवश्यक सेवाओं से सम्बद्ध हैं, जिसकी शुरुआत रेलवे से होती है और यह 'संघ या असम राज्य के कार्य-कलापों से सम्बद्ध ऐसी कोई सेवा' तक पहुंच जाता है"। अगर यह वहां समाप्त हो गया होता, तो मैं कहता कि हां, कोई और भी बहुत आवश्यक हो सकता है, जिसे सरकार इस कानून में लाना चाहती है। लेकिन, असली परेशानी तो आखिरी उपबंध में है।

धारा 2 के उपखंड (xiv) में यह कहा गया है :

> "कोई अन्य सेवा जो ऐसे विषयों से सम्बद्ध है जिनके बारे में विधि बनाने की शक्ति संसद् या असम राज्य की विधान सभा को प्राप्त है और जिसे केन्द्रीय सरकार या असम सरकार, यह राय होने पर कि उसमें हड़ताल किसी लोकोपयोगी सेवा को बनाए रखने पर या लोक सुरक्षा पर या सामुदायिक जीवन के लिए, आवश्यक प्रदाय और सेवाओं को बनाए रखने पर, प्रतिकूल प्रभाव डालेगी या उसके परिणामस्वरूप समुदाय को बड़ी कठिनाई होगी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सेवा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित करे।"

मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें, इस बात से अवगत कराएं कि इसमें क्या छूट गया है, क्योंकि इसमें कहा गया है : 'कोई अन्य सेवा जो ऐसे विषयों से सम्बद्ध है जिनके बारे में विधि बनाने की शक्ति संसद या असम राज्य विधान सभा को प्राप्त है ....." असम राज्य की विधान सभा को दुकानों और स्थापनाओं की शर्तों को नियंत्रित करने के बारे में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, इससे एक नाई की दुकान भी इसके अन्तर्गत आ जाती है। अगर लोग नाई की दुकान पर रोज हजामत बनवाने जाते हैं और अगर किसी विशेष दिन यह नहीं खुलती.....

प्रो० मधु दण्डवते : नाई को तो सबसे आवश्यक, सिर का इलाज करना होता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : तकनीकी दृष्टि से, सरकार ने जो परिभाषा, इस विधान को देने की कोशिश की है, उसे किसी पर भी लागू किया जा सकता है। इसमें श्रमजीवी और गैर श्रमजीवी सभी लोग आ जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं हैं जिससे कि राज्य में किसी को भी इसके अन्तर्गत लाया न जा सके।

अतः, जनता को बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है, क्यों एक तरफ संसद को और दूसरी ओर श्रमिक वर्ग और नागरिकों को गुमराह किया जा रहा है। आप आवश्यक सेवा की सीधी-सादी यह परिभाषा कर सकते थे कि आवश्यक सेवा वह सेवा है, जिसके बारे में संसद, अथवा असम विधान सभा को कानून बनाने की शक्ति है। क्या संसद को रेलवे, सीमा-शुल्क, रक्षा और जो कुछ भी आपने (i) से (xiii) मद में कहा है, के बारे में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इतनी बड़ी सूची देने के बाद आप कह रहे हैं : कोई भी अन्य सेवा, जिसके बारे में संसद और राज्य विधान सभा को कानून बनाने की शक्ति और अधिकार प्राप्त है।

मुझे समझ नहीं आता कि किस प्रकार यह सरकार जनमत को चलाना या गुमराह करना चाहती है। मुझे पता है कि आप इस विधान को लाने में सक्षम हैं, मुझे यह जानकारी भी है कि इस सभा में आप को बहुमत प्राप्त है तथा आप इसे पारित करवा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : फिर, समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सच्चाई सच्चाई है। समय बेकार करने की इसमें क्या बात है ? बात यही है कि हमें जनता ने यहां निश्चित रूप से यह कहने के लिए भेजा है। यदि संसद की आपकी अवधारणा यही है कि आपका बहुमत है तथा इस बहुमत के आधार पर आपको किसी भी प्रकार के कानून बनाने की स्वतंत्रता है, यदि इस सामान्य सदन तथा इसकी महत्ता के बारे में आपकी यही विचारधारा है तो मुझे आप पर केवल तरस आता है।

माननीय सदस्य के इस व्यवधान पर कि "आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं ? हम जो भी कानून चाहेंगे, उसे बनाएंगे। आप जितना शोर मचाना चाहें, मचाइये" 'अपनी अप्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए इस शब्द के अतिरिक्त मैं अन्य किसी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। ये यही कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं आप से संरक्षण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप स्वयं महारथी हैं। आपको किसी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैं इस अध्यादेश के एक-दो अन्य पहलुओं पर चर्चा करूंगा। आसाम के प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक सेवाओं की परिभाषा के अन्तर्गत लाने में उनका क्या अभिप्राय है ? कृपया खण्ड 8 को देखें। इसके अनुसार :

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकेगा। जिसके

विरुद्ध युक्तियुक्त रूप से यह संदेह हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है।"

यह एक सामान्य व्यवस्था है। मैं चाहता हूं कि आप "युक्तियुक्त रूप से संदेह वाले व्यक्ति" जैसे शब्दों पर गौर करें। एक साधारण पुलिस का सिपाही इस युक्तियुक्त रूप से संदेह के आधार पर कि गोहाटी की सड़कों पर चहल-कदमी करने वाले व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वह उसे बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकता है। पुलिस को इस प्रकार का सामान्य अधिकार दिया गया है कि वह सड़कों पर चलने वाले व्यक्ति को युक्तियुक्त संदेह पर गिरफ्तार कर लें तथा संदेह की युक्तियुक्तता केवल इसी पर निर्भर करती है कि वह यह मान ले कि इस आदमी ने कोई अपराध किया है। यदि गिरफ्तार किये जाने वाला व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का विरोध करे तथा यह कहे कि वह श्रमिक नहीं है तथा उसने हड़ताल में भाग नहीं लिया है, पुलिस वाला कहेगा कि उसे विश्वास है कि उसने यह अपराध किया है तथा उसकी ही मर्जी चलेगी। इसके विरुद्ध कोई सुनवाई नहीं होगी, किसी को विरोध का अधिकार नहीं होगा। उस आदमी को अपने घर जाकर अपनी पत्नी तथा बच्चों से अथवा अपने वकील से मिलने नहीं दिया जायेगा। इस गिरफ्तारी के लिये किसी वारण्ट की आवश्यकता नहीं है। यदि श्री स्टीफन अज्ञात रूप से वहां की स्थिति की जांच करने के लिए वहां के बागानों में जाएं तथा इस बात से बेखबर कि स्टीफन केन्द्रीय संचार मंत्री हैं, जो कि असम की संचार संबन्धी कठिनाइयों की जांच के लिए अज्ञात रूप से यहां आए हैं, पुलिस वाला इन पर संदेह करता है कि इनका आचरण संदेहास्पद है तथा यह इन परिस्थितियों में लोगों को भड़का रहे हैं तो इस प्रकार से युक्तियुक्त संदेह के आधार पर पुलिस वाला अज्ञात रूप से गए हुए श्री स्टीफन को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकता है। ऐसी दण्ड प्रक्रिया संहिता को धिक्कार है, ऐसे कानून को धिक्कार है.....

श्री सी० एम० स्टीफन : कानून की यही तो खूबी है, कानून को किसी के प्रति भेदभाव नहीं बरतना चाहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : बेशक, मैं कानून के समक्ष समानता की बात को समझता हूं, जिसका श्री स्टीफन बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से समर्थन कर रहे हैं तथा मैं उनके इस समर्थन के बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं परन्तु मैं केवल एक चरम अवस्था के बारे में बताना चाहता हूं। बेशक, श्री स्टीफन वहां अज्ञात रूप से कभी नहीं जाएंगे तथा मैं जानता हूं कि उन्हें वहां इस प्रकार की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। श्री स्टीफन को मजदूर संघों का व्यापक अनुभव है। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि यह कानून क्या कुछ कर सकता है तथा एक साधारण पुलिसवाला यदि इस बात का संदेह करता है कि इस व्यक्ति ने कुछ गैर-कानूनी कार्य किया है, जिससे कि असम में आवश्यक सेवायें बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो वह किस प्रकार उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। हम विगत में ऐसे कानून के दुष्परिणामों को भुगत चुके हैं, जिसमें पुलिस को ऐसी सामान्य व्यवस्था के अन्तर्गत व्यापक अधिकार दिये गये थे तथा हमें पुनः ऐसी स्थिति को भुगतना पड़ेगा। असम की जनता तथा श्रमिक वर्ग को ऐसी ही स्थिति से गुजरना होगा।

खण्ड 9 को देखिये । इसमें क्या कहा गया है ? अपने युक्तियुक्त संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस का सिपाही खण्ड 9 के अंतर्गत उससे कैसा व्यवहार कर सकता है ? खंड 9 में कहा गया है :

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का संक्षिप्त विचारण, प्रथम वर्ग का कोई ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, जिसे समुचित सरकार इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त करे और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 तक (दोनों सहित) के उपबंध ऐसे विचारण को यावत्शक्य लागू होंगे : "

दूसरे शब्दों में, एक पुलिस वाला यदि यह संदेह करता है कि एक व्यक्ति ने अपराध किया है, तो वह उसे बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकता है, उसे अपने घर के लोगों को इस बारे में बताने का कोई अवसर दिये बगैर, उसे अपने आप को बिना वारण्ट के गिरफ्तारी के समय अपने वकील के पास जाने का अधिकार दिये बगैर दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार संक्षिप्त मुकदमें हेतु वह उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । एक पुलिस का सिपाही एक मजदूर को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जो संक्षिप्त मुकदमे के बाद उसे जेल भेज सकता है तथा इसमें उसे 6 महीने अथवा एक वर्ष की सजा हो सकती है तथा 2000 रु० का दण्ड तथा ऐसी ही अनेक सजाएं मिल सकती है । कानून में यही व्यवस्थायें की गई हैं ।

अन्त में, कानून के खंड 10 में, जो बाहर से अत्यंत अहानिकर खंड प्रतीत होता है, कहा गया है :

"इस अधिनियम के और उसके अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उपबंध, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।"

दूसरे शब्दों में, इस छोटे से विधान द्वारा संविधान, कानून, नियम प्रत्येक व्यवस्था को निरस्त कर दिया गया है तथा जनता से कहा गया है कि, सबसे पहली बात तो यह है कि हम बिना वारण्ट के गिरफ्तार करेंगे, दूसरे, हम संक्षिप्त मुकदमे चलायेंगे तथा तीसरे, जहां तक इस कानून के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है, हम सभी कानूनों को निरस्त करेंगे । कॉफी हाउस से लेकर अन्य सभी स्थानों पर, समाचार पत्रों से लेकर संसदीय 'लॉबी' में लोग इस बारे में चर्चा करने लगे हैं कि क्या हम पर एक और प्रायात् स्थिति लगाई जा रही है, क्या आने वाले समय में पुनः हमारे अधिकारों को हमसे छीन लिया जाएगा, क्या हमें फिर वही भुगतना होगा जो पहले भुगत चुके हैं । परन्तु मेरा विचार है कि इस प्रश्न पर चर्चा करने का समय व्यतीत हो चुका है क्योंकि इस विधान के द्वारा प्रायात् स्थिति की घोषणा की जा चुकी है । आप इस विधान के द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके संक्षिप्त मुकदमे में अपराधी सिद्ध करने की शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं तथा आप इस विधान के द्वारा जहां तक इस अधिनियम के अन्तर्गत लोगों को गिरफ्तार करके दण्डित करने का सम्बन्ध है, आप प्रत्येक कानून को निरस्त कर रहे हैं । इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कानून पर अब अमल नहीं किया जायेगा ।

बहुत से लोगों का कहना है कि हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं, बहुत लोगों का कहना था कि अभी कुछ समय लगेगा, अन्य का कहना था कि तीन महीने के अन्दर, बहुतों का कहना था कि 6 महीने के अन्दर हम उस स्थिति में पहुँच जायेंगे। अब तीन दिन बाद ही 6 महीने पूरे हो जायेंगे—तब इस विधान के द्वारा असाम की जनता पर पूर्ण आयात् स्थिति की घोषणा कर दी जाएगी ; केवल यही नहीं, पूरे देश में यही स्थिति लाने के लिये यह एक पूर्वाभ्यास है जब इस देश के श्रमिक वर्ग के लोगों के अधिकारों को छीन लिया जायेगा।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि देश में किसी व्यक्ति को यह नहीं कहना चाहिए कि यह केवल असम के श्रमिक वर्ग को दण्डित करने के लिए किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को यह भी नहीं समझना चाहिये कि यह केवल श्रमिक वर्ग को दण्डित करने का पूर्वाभ्यास है। नागरिक स्वतंत्रता तथा जनता के अधिकारों के समर्थक प्रत्येक भारतीय को यह समझना चाहिये कि न केवल इस देश में, अपितु, समस्त विश्व में फासिज्म इसी प्रकार से आरम्भ हुआ है तथा इस देश में पुनः यह शुरू हो चुका है।

अतएव मैं अपने संकल्प को इस सभा के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूं तथा यह अनुरोध करता हूं कि यह सभा इस अध्यादेश को कदापि स्वीकार न करे। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे भाषण में व्यवधान उपस्थित करना चाहा कि "हमारा बहुमत है तथा हम इसे लागू करेंगे", यदि इनकी यही धारणा है, मैं उन माननीय सदस्यों को यही कह रहा हूं कि जैसे उन्होंने इससे पहले इसी प्रकार के कानून बनाये, आयात् स्थिति लागू की थी तथा उसके नतीजे भोगे थे; मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि यदि इन्होंने अपने बहुमत के आधार पर इस विधान को लागू किया तो इन्हें पहले के समान स्थिति से निपटना पड़ेगा। मैं देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस विधान की प्रवृत्ति फासिस्ट विचारधारा की प्रवृत्ति है जिससे फासिस्ट व्यवस्था की शुरुआत की जा सकती है तथा मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस विधान को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाये। धन्यवाद।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया तो श्री स्टीफन को भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

संचार मंत्री श्री सी० एम० स्टीफन : मेरे बारे में आपका इतना असामाजिक निर्णय है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि असम में कुछ आवश्यक सेवाएं तथा असामान्य सामुदायिक जीवन बनाये रखने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीस की बात बड़ी शान्तिपूर्वक सुनी है और मेरा विचार है कि उनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। फिलहाल, असम में स्थिति बहुत गम्भीर है। असम में विदेशी नागरिकों के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन ने अब ऐसा रूप धारण कर लिया है कि वहां सारे काम-काज ठप्प पड़ गए हैं। आवश्यक सेवाएं ठप्प पड़ी हैं। सभी अत्यावश्यक वस्तुएं असम

नहीं पहुंच रही है। सरकारी कर्मचारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अतः सभी आवश्यक सेवायें ठप्प हो गयी हैं। मुख्यतया पेट्रोल उत्पादों को असम से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है जो बहुत-सी वस्तुयें हम असम भेजना चाहते हैं उनमें से अधिकांश को रास्ते में रोक लिया जाता है। अतः 6 अप्रैल, 1980 को असम के राज्यपाल ने आवश्यक सेवाएं बनाये रखने सम्बंधी (असम) अध्यादेश 1980 को जारी किया था। अब हम इसे कानून में बदलना चाहते हैं क्योंकि असम आंदोलन बहुत लम्बे अर्से, लगभग पिछले 1-1½ वर्ष से, चल रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यादेश को राज्यपाल ने नहीं बल्कि राष्ट्रपति ने जारी किया था।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मुझे खेद है। इसको राष्ट्रपति ने जारी किया था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस जानना चाहते हैं कि इस अध्यादेश के अंतर्गत क्या कार्यवाही की गई और कितने कर्मचारियों पर आरोप लगाये गये। आंदोलन में भाग लेने के कारण 131 राजपत्रित अधिकारी तथा 12 अराजपत्रित अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया।

जैसाकि मैंने शुरू में बताया है कि असम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा कानून जरूरी हो गया है। अतः मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। सदन से मेरा अनुरोध है कि जो कुछ मैंने कहा है उसे ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को पारित किया जाये।

मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

"कि आवश्यक सेवायें बनाये रखने सम्बन्धी (असम) अध्यादेश 1980 (1980 का संख्या 2) की धारा 2 की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा असम सरकार के राजनीतिक (क) विभाग की दिनांक 7 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या पीएलए—334/80/7 के, जिसके द्वारा जल तथा विद्युत के उत्पादन, संचय तथा वितरण से सम्बन्धित सेवाओं, जिनमें विद्युत (संदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत गठित असम राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन सेवायें भी शामिल हैं, को उक्त अध्यादेश के प्रयोजनार्थ आवश्यक सेवायें घोषित किया गया है, जारी किये जाने का अनुमोदन करती है।"

सभापति महोदय : आपने दोनों को एक साथ रख दिया।

श्री निरेन घोष (डमडम) : महोदय, मैं पूरी तरह विधेयक का विरोध करता हूँ।

यह सच है कि हमारा देश धीरे-धीरे, परन्तु निश्चित रूप से, अधिकारवादी शासन की ओर बढ़ रहा है। ऐसा मैंने क्यों कहा ? आपको याद होगा कि संसद के प्रथम सत्र में निवारक नजरबन्दी विधेयक पारित हुआ था। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह विधेयक पारित के बाद कितने बड़े लोगों को, चाहे वे उद्योग पति हैं, व्यापारी है या कुछ और हैं, इस कानून के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया और जेल भेजा गया। मैं छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं

क्योंकि उनके लिए किसी कानून की जरूरत नहीं होती। बड़े आदमी जो देश तथा देश की अर्थ व्यवस्था का संचालन करते हैं—उन्हें आपने छूआ तक नहीं है। फिर किस उद्देश्य से इस विधेयक को संसद के प्रथम सत्र में ही पारित कराया गया था। लगता है कि विरोधी दलों को दबाने और अधिकारवादी शासन चलाने के लिए यह उचित समय समझा गया था।

दूसरे, तब से बहुत बड़ी संख्या में उच्च अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं और उनके स्थान पर 'हां में हां मिलाने वालों' को नियुक्त कर दिया गया है और ये व्यक्ति किसी कारण, या कानून को जाने बिना आदेश चलायेंगे-उनका आदेश ही कानून है। इन नियुक्तियों में सेवा तथा वरिष्ठता के सभी मापदण्डों को ताक पर रख दिया गया। फलस्वरूप, देश में हिंसा बढ़ रही है। जैसाकि मेरे मित्र जार्ज फर्नान्डीस ने बताया है कि चुनावों की दौरान महाराष्ट्र, उड़ीसा, आदि में हम उस प्रकार के श्रमिक-विरोधी कानून देख चुके हैं। यह एक और उदाहरण हैं।

यह विधेयक केवल असम आंदोलन से निपटने के लिए नहीं रखा जा रहा है। क्या सरकार यह नहीं जानती कि इस समय असम सरकार आंदोलनकारियों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। पुलिस उनकी मदद कर रही है और आंदोलन के लिए उन्हें उत्तेजित कर रही है। क्या सरकार यह नहीं जानती कि जिलाधीश संग्राम परिषद के सदस्य हैं? सरकार सब जानती है। यदि आप इस बारे में गम्भीर हैं और इसके पीछे आपका कोई परोक्ष उद्देश्य नहीं है तो सर्वप्रथम आपको असम पुलिस को बैरकों में वापस भेजना चाहिये था। परन्तु उसी पुलिस को आप ये कठोर शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। और आपने केवल इतना ही कहा है कि 131 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। अतः विधेयक का उद्देश्य असम आंदोलन से निपटना नहीं है। देश में उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने के लिए देश के सामान्य नियम पर्याप्त हैं। यदि सरकार असम समस्या के प्रति गम्भीर है तो यह आंदोलन नौ महीने तक किस प्रकार चलता रहा? सरकार समझौते के प्रयास कर रही है। इस बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इस बारे में विरोधी दलों के भी अलग-अलग विचार हो सकते हैं। इस समय मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु मैं एक गम्भीर बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। कौन नहीं जानता कि अल्पसंख्यकों के एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर असम पुलिस ने गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप 51 व्यक्ति मारे गए जबकि आंदोलनकारियों को काबू करने के लिए उन्होंने केवल हवाई फायर किया। और इसी पुलिस को आप विशेष शक्तियां प्रदान करना चाहते हैं। मैं इसी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसाकि मेरे मित्र जार्ज फर्नान्डीस ने बताया कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करके बन्दी बना सकता है और उसके साथ जो चाहे वह कर सकता है। यह कौन नहीं जानता कि राज्यपाल श्री एल० पी० सिंह और मुख्य सचिव श्री परमशिवम् आन्दोलन-कारियों से मिले हुए हैं। क्या वहां भारत की कोई सरकार है या कहीं बाहर की? और आप राष्ट्रपति के आदेश से उस सरकार को ऐसी कठोर शक्तियां प्रदान करना चाहते हैं। यह केवल एक श्रमिक-विरोधी ही नहीं बल्कि एक काला विधेयक है, यह अधिकारवादी विधेयक है। निश्चित ही यह तानाशाही की ओर बढ़ता हुआ कदम है। और यही आप चाहते हैं।

यह कहा गया है कि तेल शोधक कारखानों में तेल का उत्पादन नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं कि बहुत से कर्मचारी जो काम करना चाहते हैं वे भय के वातावरण के कारण वे काम नहीं कर

रहे हैं। काम करने की उनकी इच्छा है परन्तु वे ऐसा नहीं कर सकते। क्यों ? क्योंकि सम्पूर्ण असम सरकार, प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका और कार्यकारी तंत्र इस आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। ऐसे वातावरण में कोई भी काम नहीं कर सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि यही लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। उक्त परिस्थितियों में यह बात समझ नहीं आती कि यह सरकार जो अपने आपको प्रजातांत्रिक बनाती है, जबकि वास्तव में यह लगभग एक अधिकारवादी सरकार है अथवा यह उस ओर बढने का प्रयास कर रही है, किस प्रकार ऐसा विधान बनाकर देश और जनता को धोखा दे सकती है जिसे कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, प्रजातांत्रिक तत्व, प्रगातिशील तत्व, चाहे वे किसी भी दल से संबधित हो, स्वीकार नहीं करेगा या उसको समर्थन नहीं देगा।

मैं यह बताना चाहूंगा कि तेल प्रतिष्ठान मे कितने कर्मचारी काम करते हैं। उनकी संख्या अधिक नहीं है। यदि सरकार या असम प्रशासन गंभीर होता तो सम्पूर्ण पाइप लाइन तथा तेल शोधन कारखाने पर घेरा डाल लिया गया होता तथा जो कर्मचारी काम करना चाहते वे काम करते और अन्य को बिना किसी प्रकार की हिंसा के पकड़ कर बन्द कर दिया जाता। यह किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिस भी स्थिति में हम हैं वह गंभीर स्थिति है और इस प्रकार की स्थिति में असम आंदोलन के प्रश्न के बारे में जो कुछ भी हमारे मतभेद हैं उनके संबध में मैंने जो कहा वे वास्तविक तथ्य हैं और मैं इस बात को जोर देकर कहता हूं कि जो भी तथ्य मैंने दिये हैं उनका कोई भी सरकारी प्रतिनिधि खंडन नहीं कर सकता है।

ऐसी स्थिति में हम वहां की पुलिस को कठोर उपाय करने के लिये यदि हथियार नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम जानते है कि वहां के पुलिस अधिकारी कैसे हैं। साधारण मामलों में भी, मैंने बताया असम की पुलिस कैसी है। असम प्रशासन असम आन्दोलन में भाग ले रहा है। हम इस प्रशासन के पुलिस अधिकारियों तथा किसी अन्य व्यक्ति को इस स्थिति में हथियार नहीं दे सकते हैं। हम अल्पमत के आधार पर देश के शासन को चला रहे हैं तथा हम देश की 25% प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व करते है। ऐसी स्थिति में सरकार के लिये आगे आकर हमारी स्वीकृति तथा सहमति प्राप्त करना और असम के मामले में इस प्रकार के कानून को लेकर आना ठीक नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है कि हम किसी भी प्रकार की स्थिति में असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र या देश के किसी भी भाग में नागरिकों की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं। यह विपक्ष को दबाने का भी एक प्रयास ही है। लेकिन आप शायद अपनी स्वप्नों की दुनिया में रह रहे हैं।

जैसा कि मैंने कहा देश की कुल जनता के केवल 25 प्रतिशत का ही आपने विश्वास प्राप्त किया है वह निराश तथा विभाजित हो सकती है लेकिन बढ़ती हुई मुद्रास्फीति असंतोष, आन्दोलनों तथा महज आंदोलनों के संबंध में आपको क्या कहना है। आप सोचते हैं कि आप इस स्थिति में सुरक्षित हैं ? मेरा विचार है कि आप सुरक्षित नहीं हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार किसी भी प्रकार की कार्यवाही से इस देश का और आगे शासन नहीं सम्भाल सकती हैं और न समस्याओं का समाधान कर सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार भारतीय जनता का विरोध करने वाले एक काले विधेयक को सभा में लाई हैं जो केवल मजदूर वर्ग ही के हितों के विरुद्ध नहीं हैं अपितु सरकार इसके द्वारा जनता के अधिकारों को पैरों तले रौंदना चाहती है

जिनके लिये हम केवल अंग्रेजों की जेलों में ही नहीं गये बल्कि आपके शासन काल में भी जेलों में गये हैं तथा जिनके लिये हमने अपना खून भी दिया है, जिनके लिये हमारी जानें भी गयी हैं तथा हमें कत्ल भी किया गया है। यह विधेयक ऐसी चीज है जिसे हम समझ नहीं सकते। हमने नागरिक स्वतंत्रता के लिये काम किया था तथा अपने प्रजातंत्र से अधिनायकवादी शासन को निकालने के लिये सब कुछ किया। यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। अतः किसी भी हालत में हम इस निष्ठुर विधेयक को अपनी सहमति नहीं दे सकते क्योंकि इससे मजदूर वर्ग की आवाज पर रोक लगेगी। इस प्रकार के कानून को 'मीसा' की तरह ही इस्तेमाल किया जायेगा। 'मीसा' के अन्तर्गत तो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गयी थी। हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। हम इस देश में प्रजातंत्र के मूल्यों का पोषण करना चाहते हैं और दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका विरोध करते हैं। हम ऐसी स्थिति पर पहुंच गए हैं और इसलिए मैं सरकार से कानून के इस भाग को इस स्मरणीय दिन वापस लेने की प्रार्थना करता हूं क्योंकि हमें यह विश्वास है कि पूरा विपक्ष इसका विरोध करने जा रहा है और मैं इस सरकार को यह भी बताना चाहता हूं कि इसका विरोध विपक्ष द्वारा इस सभा की चारदीवारी के भीतर ही नहीं बल्कि यहां से बाहर प्रदर्शनों आन्दोलनों तथा सत्याग्रह में भी किया जायेगा और जब तक हमारे अन्दर शक्ति रहेगी देश भर में इसके विरुद्ध जनता को जाग्रत करेंगे। प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाली सभी राजनैतिक पार्टियों से इसके लिये हम मिलने के लिए तैयार हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूरा विपक्ष कानून के इस भाग को मजदूर वर्ग के लिए एक धोखा मानता है। यह भारत विरोधी अधिनायकवादी कानून उन भयानक दिनों की चेतावनी देता है जो शायद इस देश के भविष्य में छिपे हैं। अन्त में मैं इस काले भारत विरोधी विधेयक का बिना किसी संकोच के विरोध करता हूं और फिर सरकार को चेतावनी देता हूं।

आपको धन्यवाद।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का पूरी तरह तथा तहे दिल से समर्थन करता हूं।

मैं असम का भाषायी अल्प संख्यक हूं और मैंने कुछ विपक्ष के नेताओं को जब असम की समस्या पर उत्तेजित होकर बोलते हुए सुना तो मुझे इससे दुःख हुआ कि हमें कुछ राजनैतिक दलों द्वारा उनके राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। श्री जार्ज फर्नान्डीस ने कहा है कि इस विधेयक का दुरुपयोग होगा। विशेष तौर से उन्होंने खंड 8 का उल्लेख किया जिसमें असम पुलिस के सहायक उप निरीक्षक को बहुत अधिकार दे दिया गया है। सत्ताधारी पार्टी का सदस्य होने के नाते मेरा विचार है कि यह असम आन्दोलन कर्ताओं के लिये एक सुरक्षा है। जैसा कि श्री निरेन घोष ने कहा। असम पुलिस आन्दोलन से इतनी जुड़ी हुई है कि मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि असम का कोई भी सहायक उप निरीक्षक भाषायी तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की भलाई और सुरक्षा के लिये विशिष्ट कानून का उपयोग नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति असम में वहां की समस्या को सुलझाने के लिये जा रहे हैं वे वास्तव में असम की जनता को उत्तेजित कर रहे हैं। वे वहां से सुरक्षित लौटकर देश के विभिन्न भागों में और यहां सदन में भी अनेक प्रकार के वक्तव्य देते हैं। वे उन व्यक्तियों का

इस्तेमाल कर रहे हैं जो आन्दोलनकर्ताओं को उत्तेजित कर रहे हैं। मेरा विचार है कि यह बात भी साबित हो गयी है कि असम पुलिस या असम सरकार उन समस्याओं के सुलझाने के पक्ष में नहीं है। मैं महान नेता श्री जार्ज फर्नान्डीस से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे मेरे जिले में मेरे नाम से आज शाम को ही एक तार भेजें क्योंकि उन्होंने खण्ड 1, 2, 3, या इस तरह अन्य खण्डों का विरोध किया है। फिर इस विषय में मुझे बतायें कि यह तार मेरे जिले में पांच दिनों में पहुंचता है या नहीं। क्यों ? क्योंकि मैं असम का एक भाषायी अल्पसंख्यक हूं। और मैं अपने राज्य की जनता के लिए एक भाषायी अल्पसंख्यक के रूप में बोल रहा हूं डाक अधिकारी जानबूझकर जनता की गतिविधियों में तोड फोड कर रहे हैं क्योंकि जनता प्रधान मन्त्री महोदय का समर्थन कर रही है और वह भाषायी अल्पसंख्यकों के मामले में प्रधान मन्त्री महोदय का जमकर साथ दे रही है। वह एक वैगन खाद्यान्न वहां भेजें। रेल मन्त्री महोदय उन्हें एक वैगन भेज दें। वह सिल्चर रेड क्रास के नाम मिजोरम एम० एन० आन्दोलन में सतायी हुई जनता के लिये एक वैगन खाद्यान्न भेजें। यदि यह वैगन वहां किसी भी स्थान पर दो महीने में भी पहुंच जाये तो मैं अपनी संसद के सदस्य की सीट से इस्तीफा दे दूंगा। यह वैगन उस स्थान पर इसलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि रेलवे के कुछ व्यक्ति जानबूझकर केन्द्रीय सरकार की दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। वे खाद्यान्न को मिजोरम, त्रिपुरा, कछार तथा अन्य स्थानों पर पहुंचने में रुकावट डालेंगे। श्री जार्ज फर्नान्डीस किराये पर जहाज लेकर वहां की यात्रा करें और वह गोहाटी में जहाज से उतरें। केन्द्रीय सरकार भी एक विमान उन्हें दे। यदि वे किसी बंद के दिन गोहाटी में विमान से उतरें तो उन्हें पता चलेगा कि उनका वहां कैसा स्वागत हुआ है। उनका वहां जनता मालाएं पहनाकर स्वागत नहीं करेगी। तब उन्हें पता लगेगा कि असम का आन्दोलन क्या है। श्रीमान जी, सदन में बात कहना बहुत आसान है। वह हमें कहते आये हैं। मुझे जनता ने चुनकर संसद में भेजा है और तब उन्होंने कहा यह मामूली आन्दोलन का अर्थ यह नहीं है कि आप तेल शोधक कारखानों से तेल का उत्पादन बंद करके प्रति दिन 3 करोड़ रुपये का नुकसान करें। इसके अतिरिक्त प्रति माह 200 करोड़ रुपये की आन्दोलन से राजकोष में हानि हो रही है। मैं जानता हूं कि कुछ वर्षों के बाद विपक्ष के सदस्य तेल शोधक कारखानों में बिल्कुल उत्पादन न होने पर भी उनके लिये रायल्टी की मांग करेंगे। मैं यह भी जानता हूं कि विपक्ष के सदस्य यह भी कहेंगे कि असम की अपेक्षा की गयी है तथा इस प्रकार की अन्य बातें भी कहेंगे। वे ये सभी बातें कहेंगे। लेकिन दोहरी बातों से काम नहीं हो सकता है। असम में आजकल सभी विकास कार्य ठप हो गया है। गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि इस आन्दोलन में 113 राजपत्रित अधिकारी शामिल थे और उन्हें मुअत्तिल किया गया था। इस आंदोलन में 200 से अधिक अराजपत्रित अधिकारी शामिल थे और उन्हें मुअत्तिल कर दिया गया था। इतने अधिक राजपत्रित अधिकारी इसमें शामिल थे। वहां लगभग प्रत्येक राजपत्रित अधिकारी इस आन्दोलन में शामिल है और उन्होंने इन श्रमिक संघ के मजदूरों को बहुत बुरी तरह भड़काया। हमारे देश के सभी नेता राष्ट्रीय चिन्तन की मुख्य धारा में उन्हें लाने में असमर्थ रहे हैं। अब श्री जार्ज फर्नान्डीस ने एक भी शब्द नहीं कहा ; देश को भारी हानि पहुंचाने वालों की उन्होंने निन्दा नहीं की। असम पुलिस द्वारा की गई राजनैतिक हत्या के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। दुलियाजन में ऑयल इंडिया के एक अधिकारी, श्री रोबिन मित्रा की हत्या की

गई थी। उनकी हत्या किसी आन्दोलनकारी या आल असम स्टूडेन्टस यूनियन द्वारा नहीं की गई। कुछ अधिकारियों ने, जो श्री रोबिन मित्रा को ऑयल इंडिया में खत्म कर देना चाहते थे, श्रमिक संघ के कार्यकर्ताओं के एक समूह को भड़काया था, क्योंकि वह वहां पर बहुत अच्छा और रचनात्मक कार्य कर रहे थे। और तब यह हुआ कि, उनकी बहुत निर्ममता से हत्या कर दी गई। उन्होंने इस बारे में कोई आपत्ति नहीं की। ना ही उन्होंने इस आन्दोलन और निर्मम हत्या की निन्दा ही की।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : हमने इसकी निन्दा की है।

श्री संतोष मोहन देव : आपने इसकी निन्दा नहीं की है, लेकिन आपने इसका आरोप ऑल असम स्टूडेन्ट्स यूनियन पर लगाने की कोशिश की है। दुर्भाग्यवश रॉबिन मित्रा श्रमिक संघ आंदोलन के शिकार हुए हैं। लेकिन आपके श्रमिक संघवादियों ने इसकी कभी निन्दा नहीं की और ना ही इसका कभी विरोध किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है यह विधेयक बहुत पहले ठीक प्रकार से पेश किया जाना चाहिए था। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस और श्री सिरेन घोष के इस कथन का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने पूछा कि आपने क्या कार्यवाही की है ? हमारी भी यही शिकायत है। यह विधेयक उन लोगों को नियंत्रित करने के लिए पेश किया जा रहा है, जो इस आंदोलन को भड़का रहे हैं, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अब समय आ गया है कि न केवल सभी सरकारी कर्मचारियों, सभी पुलिस कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए वरन उन सरकारी अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाये जो असम में राष्ट्रविरोधी कार्य कर रहे हैं। कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी बैंको, डाक सेवाओं, जीवन बीमा निगम, रेलवे और भारतीय उर्वरक निगम में कार्य कर रहे अपने भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग से जबर्दस्ती रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। सब जगह यही उनकी अतिरिक्त आय का साधन है। क्या माननीय मंत्री मुझे यह बतायेंगे कि असम में जून, 1979 से आज तक सरकारी कर्मचारियों की कितने दिन का वेतन काटा गया ? पहले तो 15 दिन का वेतन काटा गया था और फिर असम सरकार ने काटे गए 15 दिन के वेतन में से 10 दिन का वेतन अदा कर दिया था। क्या इससे यह सिद्ध होता कि असम में राष्ट्रपति शासन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ है ? केन्द्र असम राज्य में अन्य राज्यों के समान कार्य करने का प्रयत्न कर रहा है परन्तु आपको कछार, त्रिपुरा और मिजोरम की स्थिति की ओर ध्यान देना होगा। इन राज्यों की जनता को आवश्यक वस्तुयें भी उपलब्ध नहीं हैं। इन क्षेत्रों में माल, गाड़ियों और यातायात का आना-जाना बन्द है। यदि वहां 6 या 7 दिन तक आवश्यक वस्तुएं न पहुंची तो जनता तो जनता की क्या हालत होगी ? जब तक रेलों अथवा सड़क द्वारा वहां सामान नहीं भेजा जाता तब तक उस राज्य की जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और वहां का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा। जब तक उन लोगों को संरक्षण नहीं प्रदान किया जाता जो सरकार की मदद करना चाहते हैं, तब तक सरकार समस्या को हल करने और स्थिति का मुकाबला करने में असफल रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के खंड चौदह का श्री जार्ज फर्नान्डीस ने विरोध किया है और यह कहा है कि इस खंड का दुरुपयोग किया जायेगा। मुझे नहीं मालूम कि इससे उनका क्या तात्पर्य है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वह महानुभाव ने जो आये-दिन असम जाते रहते हैं, आज तक छात्रों से परीक्षा में बैठने के लिए नहीं कहा है, बल्कि उसकी बजाये वे उन्हें बहिष्कार करने के लिए भड़काते रहते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि गांवों और जिलों में गरीब जनता पर क्या बीत रही है। जैसा कि मैंने कहा कि यह आंदोलन शहरी लोगों के दिमाग की उपज है। शहरी क्षेत्रों के अधिकारियों को चाय उद्योग से या अन्य कर्मचारियों से जबरदस्ती चन्दा या दान मिलता रहता है। इस चन्दे व दान के बूते पर वे मजे उड़ा रहे हैं, उन्हें उन गरीब छात्रों की कोई चिन्ता नहीं है जिनका एक शैक्षिक वर्ष उनके आंदोलन के कारण बेकार हो गया है। इसके अतिरिक्त नेफा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और कछार के उन छात्रों का क्या होगा जिन्हें मैट्रिक और विश्वविद्यालय पूर्व पाठ्यक्रम आदि की परीक्षाएं देनी हैं। वह इस आंदोलन में सम्मिलित नहीं है और वे नियमित रूप से कक्षाओं में जा रहे हैं। उनका क्या होगा? श्री फर्नान्डीस ने कहा खंड चौदह का उल्लेख किया है और कहा है कि इसका उपयोग किसी अन्य सेवा के लिए किया जाना चाहिये जिसका अधिनियम में उल्लेख नहीं किया गया है। परन्तु इस खण्ड का आयोग विश्वविद्यालय और बोर्डों द्वारा परीक्षायें लेने के लिएभी किया जाना चाहिए। गोहाटी विश्वविद्यालय कोर्ट यह प्रस्ताव पास करने पर विचार कर रहा है कि एक शैक्षिक वर्ष व्यपगत माना जाए। यह बहुत खतरनाक कदम होगा और इससे उन लड़कों को नुकसान होगा जो नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में जा रहे हैं और जो विश्वविद्यालय और बोर्ड की विशेष परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। मंत्री महोदय, इस बारे में जांच करनी चाहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूं। कुछ नेता और कुछ संसद सदस्य अक्सर असम जाते रहे हैं। क्या वे समस्या हल करेंगे? मुझे इसमें शंका है। वह वहां के लोगों को उकसा रहे हैं। वे इस समस्या को बनाये रखना चाहते हैं जिससे कि केन्द्रीय सरकार कमजोर हो जाए। जब भी वे वहां जाते हैं यही कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार फिर से आपात् स्थिति लागू करने जा रही है। वे सोचते हैं कि यदि आपात् स्थिति दोबारा लग गई तो वे पुनः सत्ता में आ जायेंगे। मैं सोचता हूं कि यह गलती दोबारा नहीं की जायेगी। ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी और आपको दोबारा कभी सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आप बेहतर तरीके से सार्वजनिक कार्य कीजिए। श्री जार्ज फर्नान्डीस जैसे विपक्ष के नेता असम के समस्या को सुलझाने के लिए बिहार में सम्मेलन क्यों करते हैं। वह इसलिए कि वह बिहार की जनता को उकसा कर एक और आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। यह सम्मेलन असम में क्यों नहीं किया गया। यदि उनमें हिम्मत है तो वह गौहाटी में सम्मेलन करें; हम सभी वहां जा सकते हैं और जनता को यह बता सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। आपने पहले ही असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मनीपुर में आराजकता फैलाई हुई है, अब आप बिहार में भी ऐसी ही स्थिति पैदा करना चाहते हैं और फिर उड़ीसा में भी। यह आपकी राजनीति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं यह कहूंगा कि 'उन पर नजर रखी जाये'।

हम सभी पूर्वोत्तर राज्यों व अन्य स्थानों पर भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। यह काम राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ या भारतीय कम्युनिस्ट

पार्टी (मार्क्सवादी) का नहीं है, कुछ निराश राजनैतिक नेता इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं ; और कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्तियों और कुछ श्रमिक संघों को इस कारण आसानी से पैसा मिल रहा है। वे इस धन का दुरुपयोग समस्याएं पैदा करने के लिये कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत को इस उद्देश्य के लिए चुना गया है। मेरे विचार में, आल असम स्टूडेन्ट्स यूनियन, असम गण संग्राम परिषद और भारतीय कम्युनिस्ट दल, मार्क्सवादी के हमारे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीस के इशारों पर कार्य कर रहे हैं, और वह स्वयं त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मणिपुर के पृथकवादी तत्वों के इशारों पर नाच रहे हैं। आप कृपया यह देखें कि वह कितनी सार्वजनिक सभाएं कर रहे हैं, और कितनी युद्ध बैठकें कर रहे है। आप यह भी देख सकते हैं कि वह इस समस्या के समाधान के उद्देश्य से कितनी बार प्रधानमंत्री के पास जाते हैं।

श्री निरेन घोष, जो कुछ समय पूर्व बोले थे, ने यह तक दिया कि असम पुलिस को वापस बैरकों में भेज दिया जाना चाहिये और इसके स्थान पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सेना बुला ली जानी चाहिए। यह ठीक है, परन्तु एक बार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के आ जाने पर वे यह कहेंगे कि वे महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं और फिर यही बात वह सेना के लिए भी कहेंगे। कुछ राजनैतिक दल अब भी यह कह रहे हैं कि त्रिपुरा में सेना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस लड़कियों के साथ बलात्कार कर रही है। यही आवाज गौहाटी, त्रिपुरा, मनीपुर आदि में भी उठाई जा रही है। क्या यह सच हो सकता है ? मैं माननीय सदस्य को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत नाजुक क्षेत्र है। यह झूठा प्रचार वहां पहले से ही है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों को बचाने के लिए सेना को एक निश्चित भूमिका निभानी पड़ेगी और उसे इसमें शामिल करना पड़ेगा। भारतीय सेना संसार में सर्वोत्तम है। उनका मनोबल भी सबसे ऊंचा है। कुछ राजनैतिक दल यह धारणा बनाना चाह रहे हैं कि सेना का मनोबल टूट चुका है और एक समय ऐसा आयेगा जब विदेशी तत्व असम में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि सेना को कहना पड़ेगा कि "हम असम को नहीं सम्भाल सकते। मैं नहीं सोचता कि भारतीय सेना ऐसा करेगी परन्तु कुछ राजनैतिक दल सेना में पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता के प्रति बुरी भावना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं इस सभा में भारतीय सेना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का साधुवाद करता हूं। हमारे भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक बहुत सुरक्षित हैं। इसका श्रेय श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाता है, कुछ राजनैतिक दलों को जाता है जो देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए उनको समर्थन दे रहे हैं और सेना तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस उनकी सहायता कर रहा है।

मैं मानता हूं किसी जन आन्दोलन के विरुद्ध सेना तैनात करना बहुत अच्छी बात नहीं है। परन्तु विपक्षी दलों को यह सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मेरे क्षेत्र कछार जिले में 90 प्रतिशत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग हैं। मैं सम्बन्धित अधिकारी का नाम बताना नहीं चाहता परन्तु मैं एक घटना सुनाता हूं कि वहां क्या हुआ। वह सम्बन्धित अधिकारी मोटर साइकिल पर आ रहा था ; वह रुका, एक लड़के को पकड़ा और उसे पीटने लगा। उसने उस लड़के से पूछा कि उसे मोटर साइकिल पर आते देख कर वह सड़क से हट क्यों नहीं गया। उसने

सड़के से कहा : "तुम बंगाली हो, तुम इतना भी नहीं जानते ।" वह अधिकारी एक विशेष समुदाय से था जिसके बारे में माननीय सदस्य अनुमान लगा सकते हैं।

असम और अन्य क्षेत्रों में इन लोगों को कौन भड़का रहा है ? केवल इस प्रकार के राजनीतिज्ञ ही यह काम कर रहे हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था । ये लोग असम जाते हैं और कहते हैं : "प्रधान मंत्री इस समस्या को सुलझाने की स्थिति में नहीं हैं ; अब यह समस्या नहीं सुलझाई जा सकती । वे पहले से कहीं अधिक कमजोर हो गई हैं ; आप आंदोलन करते रहिए, आपकी 1951 वाली मांग मान ली जाएगी ।" छात्र कहते हैं : "नहीं 1951 को बदल देते हैं ।" वे कहते हैं : "नहीं ऐसा मत करना ।" तब तुम्हारा क्या भविष्य रहेगा । छात्रों का क्या भविष्य है ? उनकी कोई राजनैतिक महत्वाकांक्षा नहीं है । छात्रों ने यह वक्तव्य दिया था, "हम राज्य सभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को स्वीकार करते हैं ।" प्रश्न यह है कि उन्होंने अपना वक्तव्य क्यों बदला ? वे कौन लोग हैं जो आल असम स्टूडेन्ट्स यूनियन को इतनी जल्दी जल्दी अपना वक्तव्य बदलने के लिए उकसा रहे हैं ?

कुछ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं । इन्हीं अधिकारियों ने असम में स्वतंत्रता का अधिकतम लाभ उठाया है । इन 32 वर्षों में असम के विकास के लिए जो कुछ किया गया है, उसका लाभ इन्हीं को मिला है । इनमें से प्रत्येक अधिकारी के पास अपनी कमाई से बहुत अधिक मूल्य की सम्पत्ति है । कुछ के पास चाय के बागान है तो कुछ के पास प्रासाद जैसे घर हैं । और उनकी आय 6,000 से 10,000 रुपये प्रति माह है । एक पुलिस महानिरीक्षक श्रेणी का अधिकारी अमरीका गया ; और अब उसे असम का फिजो कहा जाता है । वह सरकारी सेवा में था । सरकार को इन बातों पर ध्यान देकर कार्यवाही करनी चाहिए ।

'मोरल री-आरमामेंट' के बारे में भी खबरें मिली हैं । यह अमरीका द्वारा प्रायोजित संगठन है । मैं श्री मकवाना से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात का पता लगाएं कि 1948 से अब तक कितने प्रोफेसर, डाक्टर और बुद्धिजीवी असम से अमरीका गए हैं और वापिस लौट कर आए हैं, वे क्यों गए थे और उनका क्या प्रयोजन था । उन्हें पता लगाना चाहिए कि एम० आर० ए० ने उनके नाम क्यों भेजे । एम० आर० ए० ने उनकी विचारधारा को बदलने के लिए उन्हें भेजा था । इस संगठन के कार्यकरण की जांच करनी चाहिए । गड़बडी फैलाने वाले अधिकांश लोगों का एम० आर० ए० से सम्बन्ध है ।

भारत धर्मनिरपेक्ष देश है । कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है : परन्तु असम, त्रिपुरा और मणिपुर में विदेशी मिशनरियों की गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए । अगर आप रेल मंत्री से पूछें तो वे कहेंगे : "आपने 400 वैगन मांगे थे ; मैंने 250 दे दिए हैं ।" इसी प्रकार भारतीय खाद्य निगम बताएगा : "आपने 6000 क्विंटल खाद्यान्न मांगा था ; हमने 3,000 क्विंटल दे दिया है ।" आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की यह स्थिति है । इसके विपरीत ये मिशनरी, हजारों रुपये का माल भाड़ा देकर, कलकत्ता से सिलचर, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम आदि स्थानों पर, ट्रकों में खाद्यान्न ले जाते हैं । वे गरीब लोगों से कहते हैं, "तुम्हारी सरकार है ; मगर वह सरकार तुम्हें चावल और चीनी नहीं दे सकती । हम दूसरे देशों से तुम्हारी सहायता

करने आए हैं। तुम ये चावल, आटा आदि हमसे मुफ्त में लो।" जिस आदमी को नियमित रूप से खाना नहीं मिलता, उसे जिससे एक हफ्ते के लिए मुफ्त में चावल आदि मिल रहा है अगर वह उन मिशनरियों के इशारे पर आन्दोलन करता है तो आप उसे कैसे दोष दे सकते हैं? इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। भारतीय मिशनरियों को यह काम संभालना चाहिए। विदेशी मिशनरियों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। मेरा ईसाई धर्म से कोई विरोध नहीं है; परन्तु पूर्वोत्तर प्रदेश में भारतीय मिशनरी होने चाहिए, विदेशी नहीं। कछार में एक प्रसिद्ध मिशनरी डाक्टर था; उसे भारत से बाहर खदेड़ दिया गया। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वह बंगला देश के मौलवी बाजार में है जो कि त्रिपुरा से केवल 50 किलोमीटर दूर है। गृह मंत्रालय इस डा० कोनिहर से परिचित है।

विपक्षी दल और श्रम संगठन लोगों को बता रहे हैं कि सरकार निरंकुशतावादी रवैया अपना रही है। परन्तु सरकार को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार का मुंह देख रहे हैं। इसलिए, कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। अन्यथा वह हालत आ जाएगी जब भूख किसी मर्यादा की चिन्ता नहीं करेगी और तब कुछ भी हो सकता है। वैसी ही परिस्थितियां बनती जा रही हैं। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार इस दिशा में कार्यवाही करेगी। उसे सभी पुलिस और सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है; परन्तु जो लोग गड़बड़ी फैला रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।

हमारे विपक्ष के साथी, बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। न्यायालय ने उन्हें रिहा कर दिया है। भारत सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती थी; उन्हें सताया नहीं जा रहा; वे सबके सामने हैं; इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि सरकार इस आंदोलन के विरुद्ध कुछ करने की चेष्टा कर रही है। प्रधान मंत्री अनेक बार कह चुकी हैं कि आल असम स्टूडेन्ट्स यूनियन का रवैया अब न्यायोचित है। वे समझौता करना चाहते हैं। गण संग्राम परिषद और पूर्वांचल परिषद के साथ सावधानी से काम लेना चाहिए।

इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए और भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए मैं गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह देखें कि देश के अन्य भागों में यह प्रवृत्तियां सिर न उठा सकें और यदि आवश्यक समझें, तो समय आ गया है कि इस गण संग्राम परिषद और पूर्वांचल परिषद को अवैध निकाय घोषित कर दिया जाए। यदि आप किसी व्यक्ति से कहें कि यह दीवार सफेद है और वह कहे कि नहीं, यह दीवार काली है तो आप ऐसे लोगों से गोल मेज़ वार्ता करके किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। उसका समय आ गया है। वर्ना, किसी भी निर्णय पर पहुंचने का अवसर हाथ से निकल जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय विपक्ष के सदस्यों और खास कर माननीय जार्जफर्नान्डीस साहब का भाषण सुनकर मुझे अक्सर इलाहाबादी का वह शेर याद आ रहा है—

वलवले उठते हैं दिल में देख कर उनका जमाल
होसले होते हैं पस्त उनकी नजर को देखकर।

श्रीमन् बड़ी मधुर भाषा में, बहुत प्रभावी ढंग से मजदूरों और श्रमिक वर्ग की बात उन्होंने कही है। उनके भाषण से ऐसा लगा कि श्रीमन्, मजदूरों पर उनकी बड़ी कृपा है। उन्होंने रेलवे की इतनी बड़ी हड़ताल करायी थी, मजदूरों को आंदोलन में लगाया गया था। तीन साल मंत्रिमंडल में रहने के बाद भी वे उन्हें नहीं भूले। फिर उनका नेतृत्व करने लगे हैं।

श्रीमन्, उन्होंने चूंकि मजदूरों की बात की है इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। अगर माननीय गृह मंत्री जी का उद्देश्य मजदूरों को दबाना है तो मैं श्रीमन् माननीय गृह मंत्री जी का उद्देश्य मजदूरों को दबाना है तो मैं श्रीमन् माननीय गृह मंत्रीजी से भी इत्तिफाक नहीं करूंगा और जार्ज फर्नान्डीस साहब की बात मुझे अच्छी लगेगी। लेकिन श्रीमन् जो कुछ वे कह रहे थे आखिर उसके पीछे नियत क्या है? उसका भी थोड़ा जायजा लेना पड़ेगा। श्रीमन् वे मजदूरों की हिमायत की बात कर रहे थे। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे उनकी बात नहीं कर रहे थे जो राष्ट्र विरोधी आन्दोलन चला रहे हैं, इस देश को खंडित करना चाहते हैं, इस देश के अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाना चाहते हैं? श्रीमन् उन्होंने मजदूरों और मजदूर वर्ग की बात की और मजदूरों के नाम पर उन्हें बचाने की बात की जिनके बारे में हमारे माननीय सदस्य श्री संतोष मोहन देव जी ने इतनी बातें यहां पर बतलायीं। चूंकि वे उसी इलाके के हैं इसलिए उन्होंने वहां की सारी तस्वीर को यहां रखा।

श्रीमन् यहां पर और बातों के साथ-साथ आपातकाल की बात भी की गयी और कहा गया है कि क्या यह सब कुछ फिर से आपातकाल की घोषणा करने के लिए हो रहा है। श्रीमन् आखिर आजादी से तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? कौन-सी आजादी वे चाहते हैं? वह आजादी चाहते हैं जिनमें उनके मंत्री रहते हुए स्वदेशी काटन मिल कानपुर के मजदूरों को अपनी मजदूरी मांगने का भी अधिकार नहीं था? उनके मंत्रित्वकाल में दो-सौ मजदूरों को गोली से उड़वा दिया गया। श्री जार्ज फर्नान्डीस कानपुर जा कर कहते हैं 12 मज़दूर मारे गये। श्रीमन् कानपुर मेरा चुनाव क्षेत्र है।(व्यवधान) मगर मुझे आपके ऊपर रहम आता है। मेरे पास बंगाल का वह पोस्टर मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर सांप और बंगाली को देखो तो पहले बंगाली को मारो। बंगाली को मारने वाले श्री जार्ज फर्नान्डीस को आप कामरेड कहते है, उनका समर्थन करते हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीस किन के हितों की रक्षा कर रहे हैं सदन में बैठ कर? वह तो कहते हैं कि बंगाली और सांप को देखो तो पहले बंगाली को मारो। यह इंडिया टुडे है। यह फोटो है औरतों की वैल फंड, वैल क्लैड। बड़े-बड़े अधिकारियों की बीवियां हैं। अच्छे कपड़े पहने हुई हैं। सामने इन्होंने तख्तियाँ लगा रखी हैं गेट आउट इंडियन डाग्ज़। श्री जार्ज फर्नान्डीस जाते हैं तो उनका स्वागत सत्कार होता है। इंडियन्ज को डाग्ज़ कहा जाता है और कहा जाता है यहां से चले जाओ। यह क्या कहते हैं ये जानें या वे जानें। लेकिन उनका स्वागत ये करती हैं और दूसरों को कहती हैं भारतीय कुत्तों बाहर जाओ। इससे ज्यादा शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती है। हिन्दुस्तान की अखंडता को तोड़ने की साज़िश करने वालों को सरकार कभी बरदाश्त नहीं कर सकती है। इस सुप्रीम हाउस में बैठ कर उनका समर्थन किया जाये, उनके समर्थन में बातें की जाये, इसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। उनकी दिलचस्पी किसी चीज में नहीं है, अल्पसख्यकों के हितों की रक्षा करने में भी नहीं है। उनकी दिलचस्पी किसी और चीज में है जो देव जी ने बतायी है।

दिलचस्पी इसमें है कि किस तरीके से सत्ता की कुर्सी पर पहुंचा जा सकता है, किस तरह देश में अशान्ति पैदा की जा सकती है, सत्ता तक पहुंचने के लिए लोगों को मरवाना पड़े तो कोई बात नहीं है, देश में मारकाट करवानी पड़े तो कोई बात नहीं है, तनाव पैदा करना पड़े कोई बात नहीं है, अशान्ति पैदा करनी पड़े कोई बात नहीं है, रेलों की पटड़ियां उखाड़नी पड़े, कोई बात नहीं है, पचासों एक्सीडेंट करवाने पड़े कोई बात नहीं है, डिनामाइट का इस्तेमाल करना पड़े कोई बात नहीं है लेकिन सत्ता की कुर्सी पर जैसे भी हो पहुंचा जाये । यह बड़े ही अफसोस की बात है। यह जो हमारी राजनीति की बीमारी है इसका मुकाबला किया जायेगा और हमारी सरकार कर भी रही है और मैं इसके लिए गृह मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं ।

वह कह रहे थे कि आजादी खत्म हो गई है मजदूरों की । मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी का मतलब क्या है, क्या अर्थ वह आजादी का लेते हैं, किस तरह की आजादी की वह बात कर रहे थे ? इन्सानों के समाज में जंगल की आजादी नहीं होती है । रेस्ट्रिक्शन के बगैर आजादी जंगल की आजादी होती है जहां शेर को आजादी है कि वह हिरण को खा जाए, भेड़िये को आजादी है कि वह बकरी को खा जाए । सभ्य समाज में आजादी का मतलब यह है कि मेरा हाथ वहाँ तक ही जाए जहाँ किसी दूसरे की नाक मेरे हाथ से न टकरा सके । यह वहां की आजादी है कि ऐसे लोगों को भड़काया जाए जो कम तादाद में हैं चाहे धार्मिक आधार पर या जबान के आधार पर और उनकी जिन्दगी मुश्किल कर दी जाए, उन लोगों को भड़काया जाए जिन लोगों की वजह से मुल्क को रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है । अर्थ विहीन आजादी हमको नहीं चाहिये, अर्थ युक्त आजादी चाहिए, मीनिंगफुल लिबर्टी चाहिये, ऐसी आजादी चाहिये जहां पर सिर्फ मजबूत आदमी को ही अधिकार न हो, जिसके हाथ में डिनामाइट हो उसी को अधिकार न हो कि वह जहां चाहे चला जाए बल्कि कमजोर आदमी को और बगैर डिनामाइट वाले को भी अधिकार हो कि वह जहां चाहे चला जाए ।

सरकार को चलाने के लिए कुछ तरीके हैं जो इस्तेमाल करने पड़ते हैं । सरकार चलानी हो तो सब को खुश नहीं रखा जा सकता । जो आदमी दूसरों की आजादी में खलल डालेगा, जो आदमी दूसरे के घर में घुस कर डाका डालेगा, चोरी करेगा, जो राष्ट्रीय रिसोर्सिस को बरबाद करने की कोशिश करेगा, जो देश को खंडित करने की कोशिश करेगा, उसे इन कामों को करने की आजादी नहीं दी जा सकती है, फिर चाहे वह नाराज हो या खुश हो ।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भारत की सभ्यता बड़ी पुरानी सभ्यता है । हमारे यहां एक किताब है जिस का दुनिया की तमाम जबानों में तर्जुमा हुआ है और वह है कौटिल्य का नीति शास्त्र । उस में यह है कि अगर किसी सरकार को, किसी राजा को, किसी शासन को अपराधी को दंड देने का अधिकार न हो, दंड देने की क्षमता शासन के अन्दर न हो तो ऐसा समाज मछलियों का समाज बन जाता है जहां बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं । अपने समाज को मछली का समाज हम हरगिज नहीं बनने देंगे । यह सभ्य समाज है, इन्सानों का का समाज है । हमने कुछ कानून, कुछ संविधान, कुछ मर्यादाएं अपनी मर्जी से स्वीकार की हैं

और उसी के अनुसार हम यहां बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि कानून सिर्फ होना ही नहीं चाहिये, कानून का सम्मान भी होना चाहिये।

श्रीमन्, मैं माननीय गृह-मंत्री से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अध्यादेश का इस्तेमाल कानून बनने के बाद केवल उनके ही खिलाफ नहीं होना चाहिये जो कानून को तोड़ते हैं, जो दूसरे की संवैधानिक आजादी से उसे वंचित करते हैं, जो दूसरों की जिन्दगी को मुश्किल करते हैं बल्कि इस कानून का इस्तेमाल उनके खिलाफ भी होना चाहिये जो उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाते हैं और उन्हीं के उकसाने पर आज असम में यह स्थिति पैदा हुई है।

आप आपात काल की और आजादी की बात करते हैं, हमने चुनाव में कहा था कि—वोट उन्हें, जो सरकार चला सकें। इस देश के लोग कमजोर नेतृत्व नहीं चाहते हैं, 3 साल का कमजोर नेतृत्व उन्होंने देख लिया है। उन्होंने उस नेतृत्व को वोट दिया है जो नेतृत्व, जो सरकार कानून को लागू कर सके, जिसके अन्दर यह ताकत हो कि कानून न सिर्फ बनाये बल्कि कानून का सम्मान भी करा सके और उस स्थिति को बहाल करने के लिए मुझे यकीन है कि यह कानून इसमें पूरी मदद करेगा।

अध्यापकों के लिए कह रहे हैं, तो इस बात की याद दिला रहे हैं कि इस कानून को मजदूर विरोधी, आजादी विरोधी वही कहते रहे हैं जो दो साल पहले इसी सदन में औद्योगिक सम्बन्धी अध्यादेश लेकर आये थे। उससे मजदूरों को कितनी सुरक्षा और कहां तक अधिकार थे, उससे मजदूरों को कितना काम करने की इजाजत मिलती थी, उसकी कल्पना ये खुद कर सकते हैं। मजदूरों ने उसका विरोध किया, सिर्फ मजदूरों ने नहीं किया, बल्कि पूरे देश की जनता ने उनका विरोध किया, उनके काम करने के तरीके का विरोध किया। इसलिये उन्हें इतनी जल्दी जाना पड़ गया।

अफसोस यह होता है, आज मैं लाइब्रेरी में देख रहा था, एक पत्र है "आर्गेनाइजर," दूसरा पत्र है "पांचजन्य"। उसकी पिछले दिनों की कुछ कापियां देख रहा था और मैं सोच रहा था जो कुछ उसमें लिखा था उसे देखकर, कि बंगाली की पवित्र भूमि में जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर आज जिन्दा होते और वह देखते कि उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग कैसे उन्हीं की भाषा बोलने वालों का कत्लेआम करवा रहे हैं असम में, तो शायद वह भी दोबारा उस पर सोचते कि किस तरह के लोग उनका नाम लेकर जमा हैं।

मैं देख रहा था, अगर आप सुनें तो मैं माननीय गृह-मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा, इसलिए कि शायद जो कुछ लिखा गया है, उस पर भी एक कानून लागू किया जा सके। कहा गया है—"असम विदेशी ताकतों के चुंगल में," एक जगह लिखा गया है—"असम टूटने के कगार पर," एक जगह लिखा गया है—"पूर्वोत्तर सीमा पर नये देश का खाका," यह आर्गेनाइजर और पांच जन्य में है। मैं तो समझता हूं कि शायद अब दिल्ली में यह कानून इतना प्रभावी है कि अगर दिल्ली में इस तरह असम आंदोलन की हिमायत के विपक्ष में बैठे हमारे सदस्य बयान दें, जिस तरह असम में हंगामा कराने वाले लोग इस सदन के बाहर भूख-हड़ताल पर बैठते हैं, उन्हें उकसाते हैं, अगर वह काम असम की सीमा में अब करें और इस कानून का अगर सही इस्तेमाल

हो तो शायद यह उन पर भी इस्तेमाल हो जाये । मैं तो शायद इसलिए कहता हूं कि यह ख्याल करते हैं कि यह विपक्ष के माननीय सदस्य हैं, इन पर किसी ऐसे कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिये । लेकिन इस सदन का सदस्य रहते हुए अगर मैं किसी अपराध में शामिल हो जाऊं तो क्या मेरे ऊपर दंड संहिता के कानून लागू नहीं होंगे ? अगर सदस्य रहते हुए माननीय जार्ज फ़र्नान्डीस या कोई दूसरे सदस्य आसाम की स्थिति को और विस्फोटक बनाने की कोशिश करें, तो यह कानून निश्चित तरीके से उनके खिलाफ़ भी लागू होना चाहिये ।

आखिर में, मैं आपको धन्यवाद देते हुए और गृह-मंत्री महोदय को बधाई देते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ क्योंकि यह एक क्रूर कानून है । मैं एक बात कहना चाहूँगा । यह एक अध्यादेश था जिसे आप कानून बना रहे हैं । इससे आपको क्या मिला है ? अब आपके पास असम की स्थिति का बहाना है । परन्तु गुजरात-महाराष्ट्र और उड़ीसा में ऐसे अध्यादेश जारी करने का क्या कारण है ? संसदीय चुनावों के चार महीनों के भीतर आप ऐसा विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके अंतर्गत आप बिना वारण्ट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं । आप एक क्रूर कानून बनाने वाले हैं । हमें इस बारे में बड़ी आंशका है कि सरकार क्या करने वाली है । धीरे-धीरे पूरे भारत में ऐसे कानून बनाने की प्रणाली बनती जा रही है । लगता है कि सरकार औपचारिक घोषणा के बिना आपातस्थिति लागू करने वाली है ।

उस दिन हमारी प्रधान मंत्री ने श्रम संगठनों की एक बैठक बुलाई । उन्होंने क्या कहा ? हड़तालों से दूर रहिए; हड़ताल मत कीजिए—ठीक है । श्रमिक मनोरंजन के लिए तो हड़ताल नहीं करते । श्रमिक वर्ग राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह समझता है । वही रेलगाड़ियां चलाते हैं ; वही उद्योग चलाते हैं, हमारे उपभोग की सभी वस्तुओं का यही उत्पादन करते हैं । श्रमिक वर्ग का 90 प्रतिशत पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी समझता है बशर्ते कि सत्ताधारी दल उनकी गतिविधियों में बाधा न डाले । उन्होंने यह नहीं बताया कि श्रमिक वर्ग की उचित मांगों का क्या होगा ; क्या उनकी मांगें पूरी की जाएंगी । उन्होंने केवल इतना कहा : हड़ताल से दूर रहिए ।

मेरे सामने बैठे साथी ने अल्पसंख्यकों का प्रश्न उठाया है । निस्संदेह असम मुसीबत में फँसा हुआ है । मगर इस समस्या की शुरुआत क्यों हुई । इसका कारण यह है कि लम्बे अर्से से असम के लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया । उस क्षेत्र के विकास में संतुलन न होने के कारण ऐसा हुआ । ऐसा असम के लोगों में पैदा किए गए असंतोष के कारण हुआ है, क्योंकि उनकी समस्याओं पर समुचित कार्यवाही नहीं की गई है, जैसाकि श्री निरेन घोष ने बताया है, बुजुर्आ सरकार अब हमारी समस्याओं का कभी भी समाधान नहीं कर सकती । इसका असम एक ज्वलंत उदाहरण है । समाजवादी संसार में बहुत से ऐसे देश हैं, जहां बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, किन्तु ऐसा पृथकतावादी आंदोलन कहीं भी सक्रिय नहीं है । ऐसा क्यों ? इसके दो कारण हैं—विकास में असंतुलन तथा असम के

युवा वर्ग और शिक्षित लोगों में व्याप्त असंतोष । इसके अलावा लोग देश को विभाजित करना चाहते हैं । काफी समय से वहां सी० आई० ए० के एजेंट काम कर रहे है । स्वाभाविक है, कि और अन्य एजेंट भी वहां काम कर रहे हैं । आपने उन्हें वहां काफी समय तक काम करने दिया है । यही पाप आपने किया है । आपने जो बोया अब उसी को ही आप काट रहे हैं ।

अल्पसंख्यकों की समस्या अत्यंत गंभीर समस्या है । बंगालियों और मुसलमानों पर आक्रमण किया जा रहा है । उनकी रक्षा की जानी चाहिए । किन्तु, कैसे ? मैं सत्ताधारी दल के अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि अप्रैल, 1980 से अध्यादेश के माध्यम से आपके पास यह निष्ठुर शक्ति थी । क्या आप इसे रोक सके ? आप ऐसा नहीं कर सके । यह निष्फल प्रयास रहा । चूंकि यह अध्यादेश निरर्थक हो गया है इसलिए इसे अधिनियम का रूप देकर आप कैसे अच्छे परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं ? आप उस समय इसका उपयोग नहीं कर सके और अब भी प्रकट कारणों आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, मेरे विचार से आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, आप इसका उपयोग कर भी नहीं सके क्योंकि स्थिति भी ऐसी ही थी । असम की स्थिति का कैसे मुकाबला किया जाए ? असम की स्थिति का मुकाबला उसी विधि से किया जा सकता है जैसा कि हमारे दल भा० क० पा०, भा०क०पा० (मा०) अथवा यहां तक कि कांग्रेस (आई०) ने भी कहा है कि इसे राजनीतिक ढंग से सुलझाया जाना चाहिए । इसका बात-चीत के माध्यम से समाधान किया जाना चाहिए । असमवासियों की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनकी वास्तविक शिकायतों की जांच की जानी चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से समस्या के समाधान के लिए वातावरण तैयार किया जाना चाहिए । ऐसे कानून बना कर आप असम में पृथकतावादी तत्वों को उकसा रहे हैं जो असम के लोगों को भारत से पृथक होने के लिए भड़काएंगे, इस कानून से पृथकतावादियों के समक्ष यही सिद्ध होगा कि भारत सरकार बातचीत से समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है, वरन उनका दमन करना चाहती है, इसलिए पृथकतावादी लोग असम के लोगों को बातचीत करने से मना कर रहे हैं । सावधान ! इस कानून से केवल ऐसी ही स्थिति पैदा हो सकती है । इससे इसे कमजोर करने में कोई मदद नहीं मिलेगी, जिसकी इस समय बहुत आवश्यकता है ।

अन्त में मैं एक और बात कहना चाहूँगा । भोजन का स्वाद तो चख कर ही बताया जा सकता है । आपने विधेयक असम समस्या का समाधान करने की सदाशयता से ही प्रस्तुत किया है, किन्तु आप हमें सन्तुष्ट करने में असफल रहे हैं । पिछले कई वर्षों में मजदूर संघ आन्दोलन, श्रमिक वर्ग आंदोलन और प्रजातांत्रिक आंदोलनों के बारे में हमारा क्या अनुभव रहा है ? आपने जब भी कोई कानून बनाया या अधिनियम पारित किये उसका उपयोग सबसे पहले आपने श्रमिक वर्ग आंदोलन, प्रजातांत्रिक आंदोलन और अन्य प्रगतिशील आंदोलनों के विरुद्ध ही किया । इस-लिए हमें इसी बात की आशंका है कि आप इस विधि का भी श्रमिक वर्ग के विरुद्ध ही उपयोग करेंगे ।

श्री बीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : दुरुपयोग ।

श्री नारायण चौबे : यह दुरुपयोग नहीं है । इसका प्रयोग ये केवल इस प्रयोजन के लिये करेंगे । यह एक उप-उत्पाद नहीं है । यह इस अधिनियम का उत्पाद है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : श्रमिक वर्ग ने हमें निर्वाचित किया है।

श्री नारायण चौबे : उन्होंने कल आप को चुना था, किन्तु आप यदि इसी तरह काम करते रहें तो वे कल आपको नहीं चुनेंगे। इस बात का ध्यान रखें। (व्यवधान) सत्ताधारी दल से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको भी यही सोचना चाहिए कि असम, नागालैंड, मिजोरम, मनिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में स्थिति पर राजनीतिक स्तर पर समझौता होना चाहिए। यदि आप इस पर राजनीतिक ढंग से समझौता करना चाहते हैं, तो धर्म निरपेक्षता, समाजवादी, प्रजातांत्रिक आदि ताकतें खूब स्वस्थ होनी चाहिएं ताकि वे असम में स्थिति का बेहतर ढंग से सामना कर सकें। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में हमने 17 मई को हड़ताल और बंगला बंध की घोषणा की थी, वह किसलिए ? आपकी कांग्रेस (आई) के लोगों ने असम को भेजी जाने वाली सामग्री को रोकना चाहा था, वे चाहते थे कि वे लोग भोजन, नमक और तेल प्राप्त न कर पाएं। प० बंगाल में वाम पंथी दल यह नहीं चाहता था कि असमवासी भूखों मरें, और मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेस (आई०) सहित समूचे बंगाल ने इस बंध का समर्थन किया और बंगला बंध हुआ और इससे स्थिति का सामना करने के लिए संघर्षरत जनता, प्रजातांत्रिक जनता, धर्म निरपेक्ष जनता और समाजवादी जनता का नैतिक बल बढ़ा। ऐसे अधिनियमों, जैसा कि आप इस समय पारित करने जा रहे हैं, से यदि आप असम में श्रमिक वर्ग का दमन करना चाहते हैं, तो आप असम में प्रजातंत्र का गला दबाएंगे, और आप इस प्रकार समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। यह आग में घी का काम करेगा। आप इस प्रकार न तो समस्या का समाधान कर सकते हैं और न ही उससे कोई फायदा उठा सकते हैं। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस विधेयक को वापस ले लें और इस बात पर ध्यान दे कि राष्ट्रवादी असमवासियों को यह विश्वास हो जाये कि भारत सरकार उनका गला दबाना नहीं चाहती और न ही उनका दमन करना चाहती है वरन् वह स्थिति को बातचीत से सुलझाना चाहती है। अतः मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप इस विधेयक को वापिस ले लें, जो कि बहुत कठोर है और श्रमिक वर्ग के खिलाफ है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री पी० ए० संगमा (तुरा) : मैं माननीय सदस्य श्री फर्नान्डीज के संकल्प का विरोध करता हूं तथा माननीय मंत्री श्री मकवाना द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि विदेशी राष्ट्रिकों के बारे में असमवासियों की समुचित भावनाओं और आकांक्षाओं से पूरी तरह सहमत हूं। यह विषय केवल असम तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह समस्त उत्तर-पूर्व क्षेत्र से संबंधित है। अतः मैं जानता हूं कि उस क्षेत्र के लोग वस्तुतः क्या महसूस कर रहे हैं। किन्तु उस क्षेत्र के लोगों की वास्तविक चिंता को समझते हुए असम में आंदोलन के नेताओं को मैं यह अवश्य बताना चाहता हूं कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है, और इस आंदोलन को जारी रखने से जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसीलिए उन्हें अब इसका समाधान ढूंढने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिये।

दूसरे पक्ष के श्री फर्नान्डीज और अन्य मित्रों ने इस विधेयक का विरोध किया है। मेरे माननीय मित्र श्री संतोष मोहन देव ने उनके प्रति काफी कठोर रुख अपनाया है। मैं उनसे यह

अनुरोध करना चाहूंगा कि वे क्योंकि इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं केवल इसी कारण उनके प्रति इतना कठोर रुख न अपनाएं। संभवतः इसका कारण यही है कि शायद वे यह नहीं जानते कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र में क्या हो रहा है।

असम में लगभग नौ महीने से जारी आंदोलन का न केवल असम पर वरन् पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा है। सभा को याद होगा कि सत्र के पहले दिन ही मैं ने उन कठिनाइयों के बारे में बताया था जिन्हें वहां की जनता सहन कर रही है। श्री संतोष ने यह बताने के लिए कि लोग किस प्रकार कष्ट झेल रहे हैं, काफी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आप श्रमिक वर्ग की बात कर रहे हैं। इस विधेयक का उनसे बिल्कुल भी सम्बन्ध नहीं है। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों और भूख से त्रस्त लोगों से संबंधित है, और आप श्रमिक वर्ग के लिए वकालत कर रहे हैं। वहां श्रमिक वर्ग को कठिनाई नहीं हो रही हैं, वहां तो सामान्य लोगों को कठिनाई हो रही है। वहां चावल नहीं है, संचार के साधनों का अभाव है, आवश्यक वस्तुओं का अभाव है। लोगों का सामान्य जीवन बिल्कुल ठप्प और अस्त-व्यस्त हो गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप केवल श्रमिक वर्ग की ही बात क्यों करते हैं, जब कि आज हम पूरी जनता के लिए चिंतित हैं केवल श्रमिक वर्ग के लिए नहीं। (व्यवधान)

क्या आप को मालूम है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे अनेक स्थान हैं जहां यदि आप एक साबुन भी खरीदना चाहें तो बाजार पहुंचने के लिए आपको दो दिन पैदल चलना पड़ता है। क्या आप जानते हैं पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए लोगों को वहाँ सात-सात दिन पैदल चलना पड़ता है? क्या आप कभी उत्तर पूर्व क्षेत्र में गए हैं, क्या आप ने कभी वहां के लोगों को जाना है, क्या आपने वहां के पहाड़ी इलाकों को देखा है, क्या यह महसूस किया है कि किस तरह का कठिन जीवन वे लोग जी रहे है? आप ऐसी स्थिति में श्रमिक वर्ग की बात कर रहे हैं जब कि लोग भूख से मर रहे हैं, और जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस आंदोलन के कारण सब कुछ ठप्प हो गया है। कल से फिर वहां रेल सेवा बन्द हो जायेगी। आप नहीं जानते। मैं आपको इसकी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपको हमारे क्षेत्र की जानकारी लेनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कितने लोग फंसे पड़े हैं? एक श्रमण दल के 35 लड़के मेरे घर पर हैं। वे वहां फंसे हुए हैं क्योंकि असम में बंध के कारण वे अपने घर नहीं लौट सकते। वहां पर लोगों में गंभीर रूप से बीमार होने पर भी पूर्ण अव्यवस्था के कारण उसे अस्पतालों में नहीं लाया जा सकता। क्या आप उनकी वास्तविक परेशानियों को जानते हैं? वे कई दिनों से भूखे मर रहे हैं। हजारों विद्यार्थियों की एक वर्ष की पढाई बेकार हो गयी हैं। इंजीनियरी चिकित्सा तथा अन्य क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों का जो एक वर्ष बरबाद हुआ है, क्या हम उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं? इस वर्ष ऐसा कोई कालेज नहीं है, जहाँ हम अपने विद्यार्थियों को भेज सकें। हम भारत सरकार को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे विद्यार्थियों को, उनमें से अधिक से अधिक को, पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर दाखिला दिलाया जाये; आन्दोलन के कारण मैडीकल कालेज बंद हो गये हैं। आप किस प्रकार से समाज का निर्माण करना चाहते हैं? कुछ दिन पहले एक माननीय असमी व्यक्ति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिणाम को घोषित किये जाने के बाद मुझे टेलीफोन पर बताया कि इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक भी असमी छात्र उत्तीर्ण नहीं हुआ है। असमी व्यक्ति

बुद्धिमान होते हैं। पिछले कई वर्षों में बहुत से असमी व्यक्तियों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तीर्ण की हैं। वास्तव में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में असमी सुशिक्षित व्यक्ति सेवारत हैं, लेकिन इस बार कोई भी असमी व्यक्ति उत्तीर्ण नहीं हुआ है क्योंकि कोई भी परीक्षा में नहीं बैठा है। क्या हम इस प्रकार से समाज का निर्माण करेंगे ?

एक माननीय सदस्य : यह सरकार से पूछिये जो 30 वर्षों से शासन चला रही है।

श्री पी० ए० संगमा : इसीलिए सरकार वहां के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है। श्रमिक वर्ग के नाम पर यह कहा जाता है कि यह विधेयक जनविरोधी है।

एक माननीय सदस्य : क्या इससे असम से भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी मिल जायेंगे ?

श्री पी० ए० संगमा : जी हाँ, मिलेंगे। फर्नान्डीस जी ने कहा : "पता नहीं सरकार कैसे चल रही है।" यह इस देश के लोगों ने समझ लिया है। आप नहीं जानते थे कि सरकार कैसे चलायी जाये। आपको पांच वर्ष के लिए सत्ता सौंपी गयी थी, लेकिन लोगों ने आपको इसके पहले ही सत्ता से हटा दिया। यदि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में जीवन सामान्य बनाना चाहते हैं, यदि आप देश के शेष भाग से अलग-अलग पड़ गये उन व्यक्तियों की सेवा करना चाहते हैं जिन्हें जीवन की न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं से वंचित कर दिया गया है, तो उसके लिए यह विधेयक बहुत जरूरी है। पिछली रात को मेरे पास बहुत से टेलीफोन आये कि हम अपने क्षेत्र से देश के अन्य भागों को कोयला भेजने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह न्यू बोंगईगांव में जमा हुआ पड़ा है—क्यों कि वैगन उपलब्ध नहीं हैं। इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के मेरे एक साथी ने बताया कि इमारती लकड़ी और प्लाईवुड के निर्यात पर आश्रित व्यक्ति ढुलाई-व्यवस्था के अभाव में इन वस्तुओं का निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि हमारे क्षेत्र में जो कुछ भी आता है, असम के रास्ते से होकर आता है। अतः भूखों मर रहे लोगों को बचाने के लिए यह विधेयक बहुत जरूरी है और मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मुझे जो बातें कहनी थीं, मैंने पिछले वाद-विवाद में कह दी है। यह मैं हमेशा कहता रहा हूं। वहां के लोगों की जीवन की मौजूदा परिस्थितियों, उनकी अत्यधिक गरीबी और वहां पर विद्यमान आवश्यक वस्तुओं के अभाव को ध्यान में रखते हुए, लोगों की मदद के लिए यह विधेयक लाया गया है। मुझे नहीं कि पता श्री फर्नान्डीस ने किस आधार पर इसे जन विरोधी कहा है। लोगों को मदद, उनके लिए खाद्यान्न और पीने के पानी जैसी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इन शब्दों में विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : उपाध्यक्ष महोदय, असम समस्या अक्तूबर, 1979 में ही सामने आ गयी थी। देश व्यापी मांग के बावजूद 9 महीने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है।

सरकार यह विधेयक आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने, आवश्यक सेवाएं तथा कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए लायी है। विभिन्न विभागों में कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार करने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। सभा के सभी पक्षों के सदस्यों

ने यह कहा है कि असम में विदेशी नागरिकों की समस्या का समुचित समाधान खोजने में सरकार देर लगा रही है। सरकार से यह अनुरोध भी किया गया कि असम आन्दोलन को उकसाने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। इस समस्या को हल करने के कार्य में सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। यही कारण है कि असम में सामान्य स्थिति लाने के लिए सरकार पिछले महीनों में क्रमशः कार्यवाही कर रही है।

असम-समस्या का जहां तक संबंध है, यहां हमारे साथियों ने असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़ेपन उनकी आवश्यकताओं तथा जीवन-यापन स्थितियों और अन्य बातों का जिक्र किया है। लेकिन सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से, वहां जो कुछ हो रहा है, वह मात्र असम की ही समस्या नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है। यह देशकी अखण्डता का मामला है और पूरे देश के सामने चुनौती है। अतः, सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए और वहां सामान्य स्थिति पैदा करने के लिए कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। इसके लिए ही सरकार ने यह विधेयक सभा में उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है। मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं.....

एक माननीय सदस्य : सर्वाधिक स्वामीभक्त विपक्ष।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप इसका विरोध कर सकते है तो वह समर्थन भी कर सकते हैं।

श्री सी० टी० दण्डापाणि : इसका सीधा-सादा कारण यह है कि इस विधेयक में विपक्ष की मांग भी अन्तर्विष्ट है। उदाहरण के लिए, हमारे मित्रों के पक्ष के बहुत से व्यक्तियों ने...

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सौरमपुर) : मित्रों का पक्ष वह है, यह नहीं।

श्री सी० टी० दन्डपाणि : उन्होंने विदेशी नागरिकों को निकालने की अपील सरकार से की है। असम-आन्दोलन में विदेशी नागरिक हैं।

एक माननीय सदस्य : आप को बहुत शीघ्र छोड़ दिया जायेगा।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : विदेशी नागरिकों को निकालने की मांग यहां हमारे मित्रों ने की थी।

खण्ड 6 में यही कहा गया है :

> "यदि कोई व्यक्ति, ऐसी हड़ताल के लिए जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, अन्य व्यक्तियों को उकसायेगा या उसमें भाग लेने के लिए उद्दीप्त करेगा, या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कार्य करेगा तो वह कारावास से दण्डनीय होगा।"

विदेशी नागरिकों का जहां तक सम्बन्ध है, यह कहा गया है कि वे असम में आन्दोलन को उकसा रहे हैं। खण्ड 7 में यही कहा गया है :

> "यदि कोई व्यक्ति जानते हुए ऐसी हड़ताल को, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, अग्रसर करने में या उसके समर्थन में धन व्यय या प्रदाय करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, ...खण्डनीय होगा।"

यह तर्क दिया गया है कि वहां विदेशी नागरिक मौजूद हैं।

एक माननीय सदस्य : विदेशी कौन है ? क्या आप इस शब्द को परिभाषित कर सकते हैं ?

श्री सी० टी० दण्डपाणि : असमी लोग कहते हैं कि बंगाली विदेशी हैं। मैं इसे मानूं या न मानूं, असमी लोग ऐसा कहते हैं ; यह मैं नहीं कह रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : इसके बाद आप यह कहेंगे कि आर्य विदेशी हैं।

श्री० सी० टी० दण्डपाणि : ऐसा ज्योति बसु कहते हैं, हम नहीं। मुख्य मन्त्री ज्योति बसु ने कहा कि यहां तमिल और द्राविड़ ही रहें, बाकी लोग निकाल दिये जायें। हम ऐसा नहीं मानते।

अतः सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह यह विधेयक लाये।

दूसरे, पेट्रोलियम की सप्लाई का जहां तक सम्बन्ध है, सरकार को कई करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसलिए यह विधान बनाना बहुत जरूरी है।

यहां कुछ मित्रों ने कहा कि सरकार श्रमिक वर्ग के दमन के लिए यह विधेयक लाना चाहती है। साथ ही, एक अन्य तर्क यह दिया गया कि किसी भी प्रकार की हड़ताल या आंदोलन से निपटने के लिए सामान्य कानून काफी है। अतः दो बातें कही गयी हैं जिनमें से एक यह कि यह विधेयक नहीं लाया जाना चाहिए क्योंकि सामान्य कानून काफी है।

तीसरा तर्क यह है कि केन्द्रीय सरकार श्रमिक वर्ग का दमन करना चाहती है और एक प्रकार की तानाशाही स्थापित करना चाहती है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि सरकार का उद्देश्य श्रमिक वर्ग का दमन करना है, जैसा कि हमारे मित्र मानते हैं, तो सरकार श्रमिक वर्ग का दमन पहले ही विद्यमान कानूनों से कर सकती है और इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्रमिक वर्ग का दमन करने का कोई इरादा नहीं है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। परसों हमने अपने वित्त मन्त्री के साथ नेयवेली लिगनाइट कारपोरेशन में चल रहे आंदोलन और हड़ताल के बारे में मुलाकात की। एक संयुक्त समिति बनायी गयी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जनता पार्टी आदि सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। उसमें द्रविड़ मुनेत्र कषगम के लोग ज्यादा थे। इस मामले में मैंने अपने दल का प्रतिनिधित्व किया। हड़ताल चल रही थी लेकिन बाद में ऊर्जा मंत्री श्री चौधरी के कहने पर समाप्त कर दी गयी। श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधियों को दिल्ली लाया गया और उनके साथ विचार विमर्श किया गया। हमारे वित्त मंत्री और ऊर्जा मन्त्री ने उदारतापूर्वक श्रमिक वर्ग द्वारा रखी गयी सभी मांगें स्वीकार कर लीं। यदि केन्द्रीय सरकार श्रमिक वर्ग के खिलाफ होती तो कर्मचारियों के अनुरोध को अस्वीकार कर देती, लेकिन उन्होंने मांगें स्वीकार कर लीं। वहां सभी मजदूर संघ नेता अथवा प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्हें हवाई जहाज की टिकटें दी गयीं और कल उन्हें दिल्ली से मद्रास वापस भेज दिया गया। कर्मचारियों ने जो मांगा था, उससे ज्यादा उन्हें दे दिया गया। अतः यह सरकार कामगार वर्ग के विरुद्ध नहीं है।

श्री समर मुखर्जी : यह संयुक्त समिति की वजह से है। यह एक साधारण सी बात है; जिसे आप नहीं समझते। श्रमिक वर्ग के हड़ताल रूपी शस्त्र में इतनी ताकत है कि उन्हें उनकी मांगें माननी पड़ी। अगर उन में एकता नहीं होती तो उन की कोई भी मांग नहीं मानी गई होती।

श्री सी० टी० दण्डपाणी : मैं आपको नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। 1974 में किसी राजनीतिक दल की सहायता लिये बिना ही द्रमुक ने अकेले ही अपनी मांगें मनवा की। सामान्यतः सीपीएम किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करती .....

उपाध्यक्ष महोदय : हमें अगले विषय पर भी बात करनी है : आप कल जारी रख सकते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : श्री मगन भाई बरोट की ओर से मैं, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 134/80-सीमाशुल्क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 3 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति तथा हेसियत पर आधारित पटसन के विशेष उत्पादों को भारत से निर्यात के समय, उनपर लगने वाले सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक टिप्पणी सभा पटल पर रखता हूँ। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 993/80)

आधे घन्टे की चर्चा

स्वतंत्रता सेनानियों को अतिरिक्त सुविधाएं

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं 11जून के अतारांकित प्रश्न संख्या 364 के उत्तर से उत्पन्न प्रश्नों के बारे में चर्चा उठा रहा हूं। जिस प्रश्न की मैंने चर्चा की है वह प्रश्न मेरे ही नाम से था। इस प्रश्न के पहले मैंने 7 अप्रैल 1980 को प्रधान मन्त्री जी को एक पत्र लिखा था और उस में स्वतंत्रता सेनानियों की कठिनाइयों के बारे में, उनकी दिक्कतों के बारे में तेरह सूत्री मांग पत्र रखा था। उसी मांग पत्र के बारे में यह 11 जून का प्रश्न था। उसी प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह चर्चा शुरू कर रहा हूं।

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानियां कीं, जिस प्रकार से देश को आजाद करवाने में अपना सर्वस्व न्योछावर किया, वह जग जाहिर है और उसी का प्रताप है कि हम और आप यहां स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र संसद में बहस मुबाहिसा कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की कठिनाइयों के बारे में देश में तथा दोनों सदनों में बरसों से सवाल उठते रहे हैं जिस के परिणाम स्वरूप 1972 में भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना चालू की...

श्री मूलचन्द डागा : कांग्रेस ने की थी।

श्री रामावतार शास्त्री : लेकिन इसके लिए बहुत आन्दोलन करना पड़ा था और हाउस के बाहर भी करना पड़ा था। आपने मजबूर हो कर या सहमत हो कर इसको चालू किया।

इस योजना के तहत दो सौ रुपये की पैंशन प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी को दी जाती है। सरकार का जो उत्तर मेरे प्रश्न संख्या 1099 के सिलसिले में 19 मार्च को आया है उस में बताया गया है कि पैंशन पाने वाले सेनानियों की संख्या उस समय 1 लाख 17 हजार 925 थी और जिन की दरख्वास्ते नामंजूर कर दी गई, उनकी संख्या 94 हजार 451 थी। आज उनकी संख्या क्या है मुझे मालूम नहीं है। प्रायः सभी स्वतंत्रता सेनानी बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़ापे में जो कठिनाइयां किसी के साथ होती है वे इन सेनानियों के साथ भी हैं। तो इन कठिनाइयों को देखते हुए अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन ने 8-सूत्री मांग-पत्र भारत सरकार के सामने रखा और स्वतंत्रता सेनानी संगठन की तरफ से प्रधान मन्त्री और गृह-मन्त्री से हमारा प्रतिनिधि-मंडल भी मिला और उनके सामने 8 मांगें रखीं। 8 मांगों में से कुछ महत्वपूर्ण मांगें मैं बताना चाहता हूं जो कि सरकार के पास हैं।

पहली मांग है कि जनता शासन के दौरान स्थगित की गई स्वतंत्रता सेनानियों की पैंशन को बहाल किया जाये।

यह ठीक है कि जनता पार्टी की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी विरोधी नीति अपनाई थी, जिसका समर्थन कोई नहीं कर सकता और मैं उसका विरोधी हूं।

एक माननीय सदस्य : आपकी मदद थी, उनके साथ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप यह नहीं जानते, आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिये। आपको यही खबर नहीं है कि सी० पी० आई० कभी भी जनता पार्टी की सरकार के समर्थन में नहीं थी।

एक माननीय सदस्य : आप अभी भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, हाऊ मैन आई...

दूसरी मांग यह है कि स्वतंत्रता सेनानी पैंशन योजना को सांविधिक मान्यता दी जाये।

तीसरी मांग है कि इस योजना का नाम बदलकर सम्मान पैंशन योजना रखा जाये। क्योंकि जनरल पैंशन बहुत तरह के लोग पाते हैं, दोनों पैंशनों को एक तरह से मिला देना उचित नहीं है। दोनों में फर्क होना चाहिये। इससे आप उन सेनानियों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी शानदार भूमिका अदा की है। इसलिए उस पैंशन में और इसमें फर्क होना चाहिये।

चौथी बात है कि पैंशन की राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह की जाये, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। सन् 1972 की तुलना में आज महंगाई काफी आगे बढ़ गई है।

पांचवीं मांग है कि 5000 रुपये जिनकी वार्षिक आय हो, उनको स्वतंत्रता सेनानी पैंशन की राशि नहीं मिलेगी, इस बारे में हमारा संगठन चाहता है कि इस शर्त को हटा दिया जाये। कोई आमदनी की सीमा नहीं रहनी चाहिये। बहुत से सेनानी अभी भी कई कैटेगरी के बचे हुए हैं, उनको भी स्वतंत्रता सेनानी माना जाये। कुछ जाली सेनानी भी हैं, उनके बारे में आप जांच कर सकते हैं। जांच-पड़ताल करने के बाद कार्यवाही करनी चाहिये। इसमें बड़ा गड़-बड़झाला है, जिसको चाहा पैंशन बन्द कर दी। अगर भ्रष्टाचार का शिकार वह सेनानी नहीं

हुआ, घूस नहीं दिया तो उसको पेंशन बन्द हो जाती है। बहुत सारे हमारे सेनानी ऐसे हैं, जिन्होंने अन्डर-ग्राउन्ड रहकर देश की सेवा की हैं, लेकिन उनके पास कोई रिकार्ड नहीं है। हमारे संगठन ने मांग की है कि अगर राष्ट्रीय नेता उसे प्रमाण-पत्र देते हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिये और ऐसे लोगों को भी पेंशन देने की बात पर विचार करना चाहिये। यह मांगें हमने रखी थीं।

इसका जवाब 19 मार्च को हमारे ही प्रश्न के जवाब में तारांकित प्रश्न सं० 124 में दिया गया कि उपर्युक्त जो 8 मांगें संगठन की हैं, उन पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र निर्णय लिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि शीघ्र का क्या अर्थ होता है ? मार्च का जवाब है और अब हम जुलाई में प्रवेश कर गये हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी सदन के सामने यह रखें कि इन मांगों के बारे में सरकार ने अब तक क्या विचार किया है।

हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हमारे दोनों सदनों में स्वतंत्रता सेनानी सांसदों की संख्या 103 हैं। हमारे प्रधान मंत्री को यह सूची दी है और उनसे निवेदन किया है कि वह इन सदस्यों में से एक कमेटी बना दें और सरकार वाली स्वतंत्रता-सेनानियों के सवाल और दूसरे सवालों के बारे में इस कमेटी की राय से निर्णय ले। यह ठीक है कि सरकार के दफ्तरों में भ्रष्टाचार है, चाहे वह दिल्ली का दफ्तर हो और चाहे बिहार का दफ्तर हो। भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। सरकार कहती है कि कोई उदाहरण बताओ। हम उदाहरण तो बहुत दे चुके हैं। मैं बता सकता हूं कि बिहार में कुछ अधिकारियों ने स्वतंत्रता-सेनानियों से घूस ले कर चार चार मकान बनवा लिये हैं। उनके एक हजार, दो हजार रुपये की घूस ली जाती है— पांच सौ रुपये से कम नहीं लिये जाते हैं। बेचारे सेनानी गरीब है। वे अपनी गरज में आ कर पैसा भी दे देते हैं। इन बातों की रोकथाम होनी चाहिए।

मैंने 7 अप्रैल को प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें इन आठ मांगों समेत और तेरह मांगों का जिक्र किया है। उसीके जवाब के आधार पर हमने यह बहस शुरू की है। सरकार ने हमारे संगठन की आठ-सूत्री मांग पर विचार कर लिया होगा। मेरी चिट्ठी में जो तेरह-सूत्री मांग का जिक्र है, उसने उस पर भी विचार किया होगा। हम जानना चाहते हैं कि सरकार इस सिलसिले में क्या करना चाहती है। क्या वह पांच हजार रुपये की आय की सीमा को समाप्त करना चाहती है या नहीं ? क्या वह 200 रुपये की राशि को बढ़ाना चाहती है या नहीं ? क्या वह स्वतंत्रता-सेनानियों को आयकर से मुक्त करने का विचार रखती है या नहीं ?

जहां तक औरतों का सम्बन्ध है, अगर किसी स्वतंत्रता-सेनानी की मृत्यु हो जाये, तो उसकी पत्नी को केवल 100 रुपये दिये जाते हैं, जबकि उस स्वतंत्रता-सेनानी को 200 रुपये दिये जाते थे। यह विभेद क्यों है ? औरतों को तो ज्यादा राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी आवश्यकतायें ज्यादा होती हैं। क्या सरकार औरतों को भी उनके मर्दों के बराबर पेंशन देने के लिए तैयार है ?

गांधी-इर्विन समझौते के जमाने के बहुत से सेनानी हैं जिन्होंने पांच महीने तक सजा काटी है, उन्हें तो पेन्शन दी जाती है। लेकिन कई लोग जेल में तीन, चार या साढ़े चार महीने तक रहने के बाद गांधी-इर्विन समझौते के फलस्वरूप जेल से रिहा हुए थे। इसमें उनका कुसूर नहीं

है। उन्हें क्यों दंडित किया जाता है ? हम लोगों की मांग है कि उन तमाम लोगों को पेन्शन देनी चाहिए, अगर वे सही सेननी हैं, तो। हमारा संगठन नाली स्वतंत्रता-सेनानियों के विरुद्ध है। इस बारे में ठीक तरह से जांच की जाये और जो पकड़ा जाये, उसको सजा दी जाये। उसकी सिफ़ारिश करने वाले को भी सजा दी जाये। उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सच्चे स्वतंत्रता-सेनानियों के साथ ठीक व्यवहार होना चाहिए।

जब वे लोग दफ्तरों में जाते हैं, तो उन्हें लांछित और अपमानित किया जाता है। वे लोग हमारी रास्ट्रीय निधि है। जितने दिन वे ज़िन्दा रहेंगे, देश उनसे प्रेरणा ले कर आगे के कर्त्तव्यों को निर्धारित करता रहेगा, उनसे स्वतंत्रता को बचा कर रखने की प्रेरणा लेगा।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सब मांगों के बारे में सरकार का क्या विचार है और इस सिलसिले में वह क्या कार्यवाही करना चाहती है। जिन लोगों की पेन्शन जनता पार्टी की सरकार के ज़माने में बन्द कर दी गई थी, उनके बारे में वह क्या करना चाहती है ? क्या उसने ताम्रपत्र देने का निश्चय किया है या नहीं, जिसे जनता पार्टी सरकार ने बन्द कर दिया था ? मैं इन सवालों का जवाब चाहता हूं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री रामावतार शास्त्री जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह योजना 15 अगस्त, 1972 को प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा उस समय आरम्भ की गई थी, जब वह उस समय भी प्रधान मंत्री थी। उन्होंने यह योजना इसलिए शुरू की क्योंकि उनके दिल में समस्त स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सहानुभूति की भावना ही नहीं अपितु उनके भी प्रति प्यार और आदर की भावनाएं भी हैं।

श्री हरिनाथ मिश्र : वह स्वयं भी एक स्वतंत्रता सेनानी है.....

श्री योगेन्द्र मकवाना : जैसा कि मैंने कहा है, वह स्वतंत्रता सेनानियों का अत्यधिक सम्मान करती हैं और इसीलिए उन्होंने यह योजना शुरू की। मैं आपसे इस बात में भी सहमत हूं कि जनता पार्टी ने इस स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना को बन्द किया था ; कुछ समय के लिये कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन बन्द कर दी गई थी। जब से हमने कार्य-भार संभाला, उनके निर्देशानुसार हमने उनको पुनः पेंशन दी है जिन की पेंशन रोक दी गई थीं। बहुत से मामलों में हमने पुनः विचार किया है। ऐसे बहुत से मामले हैं, जिनके बारे में इस समय हम पुनर्विचार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर उपलब्ध हो तो आप संख्या बताएं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं आगे चल कर बताऊंगा। अन्य मामलों में भी, जहां भी हमें उनसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, हम उन पर पुनर्विचार कर रहे हैं।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अनुसार, जीवित स्वतंत्रता सेनानी को 200 रु० प्रति मास और अगर स्वतंत्रता सेनानी का स्वर्गवास हो चुका हो तो उसकी विधवा पत्नी को 100 रु० प्रति मास देने की व्यवस्था है। इन्हें दी जाने वाली परिवार पेंशन के मामले में प्रत्येक अविवाहित लड़की के लिए 50 रु० प्रति मास अलग से देने की मंजूरी दी गई है लेकिन कुल पारिवारिक पेंशन 200 रु० प्रति मास से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की समस्याओं से पूरी तरह से अवगत है। उनकी 200 रु० मासिक पेंशन को बढ़ाये जाने के प्रश्न पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। 5000 रु० की वार्षिक आय सीमा को हटाये जाने, जिसे कि 1972 में लगाया गया था, पर भी हम विचार कर रहे हैं। इस प्रकार की योजनाओं को स्वीकार करने के कारण भारी आवर्ती खर्चे तथा इस योजना के कारण बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिये अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने की कठिनाई की वजह से निर्णय लेने में कुछ देरी हो गयी है। इन दोनो मामलों, जिनकी वजह से स्वतंत्रता सेनानी क्षुब्ध हैं, के बारे में सरकार, जल्दी से जल्दी निर्णय लेने का हर सम्भव प्रयास करेगी।

माननीय सदस्य द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गये अपने पत्र में जिन 13 मांगों को रखा गया है, सरकार ने उन पर पूरा ध्यान दिया है। जैसा कि माननीय सदस्य को पता भी है, गृह-मंत्री ने पहले ही उन्हें 13-6-1980 को जवाब दे दिया था। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन द्वारा फरवरी, 1980 में पेश की गई मांगों पर भी सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार किया है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, दो प्रमुख मांगों पर विचार किया जा रहा है। जहां तक अन्य मांगों का सम्बन्ध है, सरकार निम्न मांगों के लिए सहमत नहीं है :

(क) पेंशन योजना को सांविधिक मान्यता ;

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों को कर-मुक्त पेंशन ;

(ग) सैनिक विद्रोह में झेले गये कष्टों को स्वतंत्रता संघर्ष के मांग के रूप में मान्यता।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा प्रधान मंत्री को लिखे गए उनके पत्र में उठाई गई अन्य बातों का सवाल है मैं यहां नम्बरवार स्थिति स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा ;

(i) गांधी-इर्विन समझौते के अंतर्गत रिहा किए गए व्यक्तियों को पेंशन।

6 महीने या इससे अधिक सजा पर एक महीने की सजा माफ करने की छूट दी गई है। इसमें और ज्यादा छूट देना सम्भव नहीं है।

(ii) स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय विधान का बनाया जाना।

सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की अपनी योजनायें हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई विधान बनाना आवश्यक नहीं समझा गया।

(iii) बन्द की गई पेंशन का फिर से दिया जाना :

पेंशन का दिया जाना वैध कारणों से बन्द किया गया था तथा सम्बद्ध व्यक्तियों के अपनी स्थिति स्पष्ट करने तथा और अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है इसके प्राप्त होने पर उनके मामलों पर फिर से विचार किया जाता है और पात्र मामलों में पेंशन बहाल की जाती है।

(iv) स्वतंत्रता सेनानियों के जाली मामलों की पड़ताल :

शिकायतों की राज्य सरकारों से पड़ताल कराने में इस समय तथा राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही पेंशन मंजूर करने का वर्तमान तरीका पर्याप्त प्रतीत होता है।

(v) आवेदन के लिए अन्तिम तारीख का बढ़ाया जाना।

इस पर सहमति देना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि यह योजना पिछले लगभग 8 वर्षों से चली आ रही है तथा लोगों को पहले आवेदन करने का पर्याप्त अवसर मिल चुका है।

श्री रामावतार शास्त्री : 31 मार्च, 1974 तक ही समय था। आप 8 साल छोड़ रहे है।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : : (Vi) ताम्र पत्रों का दिया जाना :

ताम्र पत्र दिए जाने की योजना को जारी रखने का निर्णय किया गया है।

(Vii) स्वतंत्रता सेनानियों की परिचायिका (हूजहू) का प्रकाशन :
इस समय इस प्रकार की सूची संकलित करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

(Viii) स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा एक वर्ष में एक बार ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण : इस कार्य पर अत्यधिक व्यय होने के कारण इस मांग पर विचार करना सम्भव नहीं।

(X) भ्रष्टाचार को रोकना :

सामान्य किस्म की और अस्पष्ट शिकायतों पर कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

तब उन्होंने योजना को नया नाम देने की चर्चा की। यह निर्णय किया गया है कि योजना का नाम बदल कर "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना" रखा जाए। इस नाम का सुझाव अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन ने दिया था।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं इसका अर्थ नहीं समझ सकता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना का अर्थ है "स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना"। अतः अधिकांश मांगों पर विचार किया गया है और जैसा मैंने कहा है इसमें कुछ वित्तीय उलझनें हैं। हमें इन्हें वित्त मंत्रालय को भेजना होगा और मंत्रिमंडल के सामने

भी रखना होगा। अतः मैंने माननीय सदस्य को उत्तर दे दिया है कि यह विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में यथा-शीघ्र निर्णय लिया जायेगा। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा, आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं। चर्चा सायं 6.30 बजे से पूर्व समाप्त हो जानी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री जी ने यह आश्वासन दे दिया था कि स्वतंत्रता सेनानियों की कमेटी ही इन मांगों पर विचार करेगी उसके बाद यह निर्णय लेने के पहले उस कमेटी को न बुलाकर और इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग न देकर आपने आगे के लिए यह रास्ता खोल दिया है कि स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन, कोई नयी पार्टी की सरकार आकर चाहे तो उसको बन्द कर दे। जब आप मानते हैं कि इसको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन देना चाहिए और स्वतंत्रता सेनानियों की कमेटी बुलाकर, जो भी निर्णय वे लें उसको मानना चाहिए और स्वतंत्रता सेनानियों की कमेटी को ही मौका देना चाहिए कि किसी दरख्वास्त को वे ले सकें और अपना निर्णय दे सकें तो जो कोई करप्शन है या नहीं यह आप उनके ऊपर ही छोड़ दें। स्टैट्यूटरी रिकग्निशन न देने का मतलब यही है कि अभी भी आप इस बात को खुला रखना चाहते हैं कि आगे कोई चाहे तो इसको बन्द कर दे। मैं जानना चाहता हूं आप कौन सी तारीख तक निर्णय ले लेंगे ? फिक्स्ड डेट आप बतायें कि इस डेट तक आप निर्णय ले लेंगे।

श्री निरेन घोष : मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो सरकार से इस कारण कुछ भी स्वीकार करले कि मैंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उन्होंने मुझे ताम्रपत्र दिया परन्तु मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। परन्तु जो लोग यह पेंशन योजना चाहते हैं मैं उनकी वकालत करना चाहूंगा। हमारा दिल्ली कार्यालय काफी पहले से हमें कहता आ रहा है कि हमारी (एस० ए० सी०) सिफारिश यदि दिल्ली में 30-4-79 तक नहीं पहुँच जाती तो राजनैतिक पेंशन स्वीकार नहीं की जाएगी। दिल्ली कार्यालय ने उन आवेदनों के मामले में भी, जो 31-3- 1974 तक राईटर्स बिल्डिंग में प्राप्त हो चुके थे, यही शर्त लागू करने का अनुरोध किया है। परन्तु इन मामलों से संबंधित समिति शायद इन्हें आप तक 30-4-1979 को नहीं भेज सकी। इन मामलों में बहुत परेशानी हो रही है। मुझे आशा है आप इन पर विचार करेंगे। कुछ मामलों में बिमारी की वजह से विलम्ब हुआ है और जिन्हें डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर माफ किया जा सकता है। 4999/- रु० से अधिक वार्षिक आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में इस विलम्ब को भी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत किए जाने पर माफ कर दिया जाना चाहिए। अनपढ़ लोगों, जिन्हें योजना की जानकारी नहीं है, द्वारा हुए विलम्ब को भी माफ कर दिया जाना चाहिए। इन बातों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

मेरे क्षेत्र में बहुत से लोग बंगला देश से आए हैं। वे एक दूसरे से अलग हो गए हैं। उनके लिए सह-बन्दी प्रमाण पत्र प्राप्त करना बहुत कठिन हैं जो एक ही जेल में कैदी थे। उनके लिए भी कोई हल ढूंढना चाहिए।

1947 से पहले की ट्रेड यूनियनों और किसान आन्दोलनों में भाग लेने वाले लोग इस योजना के अन्तर्गत पेन्शन के पात्र थे परन्तु बाद में न जाने क्यों इस योजना का समाप्त कर दिया गया। उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए। इसे भी साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष का एक भाग माना जाना चाहिए।

यदि कुछ लोग अभी भी बंगला देश में रह गए हैं और उन्हें फिर कभी यदि किसी भी वजह से बंगला देश से बाहर निकाल दिया जाता है तो आपको उनके मामलों पर भी उचित समय पर विचार करना चाहिए और उनके मामलों को व्यपगत नहीं माना जाना चाहिए।

मुझे मालूम हुआ है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा दिए गए सह-कैदी प्रमाण पत्र भी स्वीकार नहीं किए जाते है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

आखिर में यह कहना चाहूंगा कि विद्रोह के कई मामले भी है। यह सब विद्रोह हुए थे। कुछ मामले है आर० आई० एन०' चन्दर सिंह घरवाल का मामला, 21 सेन्ट्रल इण्डिया हौर्स, एम्पटी लोडिंग एण्ड अनलोडिंग के मामला स्यूज रिवोल्ट 1943, मद्रास में 1943 में हुआ आर्टिलरी आर्मी रिवोल्ट, हांग-कांग मे हुआ स्टील हैलमेट मामला इन सभी मामलों पर आप को विचार करना चाहिए।

अन्त में आपसे यह जो मांग की गई है कि आप यह राशि 200 से 500 कर दें उस पर मैं पुनः बता देता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : श्री डागा ने मुद्दा उठाया है कि इस योजना को सांविधानिक दर्जा दिया जाए। मैं यह बताना चाहूंगा कि इस योजना को लागू करते समय भी इस प्रश्न पर पूरी तौर से विचार किया गया है। तत्कालीन मंत्री श्री के० सी० पन्त ने परामर्श दात्री समिति की बैठक में कहा था कि हम इस योजना की शुरुआत तो करें। क्योंकि इस प्रकार की योजना की क्रियान्विति में हमें बहुत ढील मिली हुई है। यदि विधान होगा तो नियम और विनियम होंगे और इसके परिणाम स्वरूप सत्यापन कार्य और कड़ा होगा तथा योजना के कार्यान्वयन में और बहुत औपचारिकताए आएंगी। (व्यवधान)·····यदि आप सांविधानिक समर्थन दे देंगे तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सरकारी योजना बन कर रह जाएगी। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कम क्यों करना चाहते हैं? हम उन्हें यह पेन्शन ससम्मान देना चाहते हैं। हम उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समतुल्य नहीं लाना चाहते। (व्यवधान) उन्होंने देश की सेवा की है और यह योजना उनको सम्मानित करने के लिए है। हमें उनका स्तर सरकारी कर्मचारियों के बराबर नहीं करना। अतः सांविधानिक समर्थन नहीं दिया गया। (व्यवधान)। जहां तक तिथि का प्रश्न है मैं कोई निश्चित तारीख नहीं दे सकता क्यों कि बहुत सी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। कुछ प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जो अधूरे होते हैं। बहुत से मामलों में यदि आप चाहें, तो मैं उनकी संख्या बता सकता हूं उन्होंने केवल इतना लिखा है, "मैं एक स्वतंत्रता सेनानी हूं, कृपया मुझे स्वतंत्रता सेनानी पेन्शन दी जाए"। इन आवेदनों के आधार पर ही कैसे पेन्शन दी जा सकती है? (व्यवधान)। यह कोई ढंग नहीं है। उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी हैं। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : आप जो राशि बढाना चाहते हैं मैं उसकी निश्चित तारीख जानना चाहता हूं। यह राशि आप किस तारीख से बढ़ाएंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह भी मेरे अधिकार में नहीं है। यह वित्त मंत्रालय के पास है। मैंने इसे उसके पास भेजा हुआ है। जहां तक वित्तीय आवश्यकताओं का प्रश्न है, हमें इसे वित्त मत्रालय के पास भेजना पड़ता है। हमने इसे वित्त मंत्रालय के पास भेजा है। बाद में यह मंत्रिमंडल के पास जाएगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं कह नहीं सकता। यह मंत्रालय मेरा नहीं है। मैं वित्त मंत्रालय के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं कैसे बता सकता हूँ। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं तिथि निर्धारित नहीं कर सकता। श्री डागा के यही दो प्रश्न है।

अब श्री निरेन घोष के प्रश्नों के बारे में है। उन्होंने कहा है कि आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि बढ़ाई जानी चाहिए। यह योजना पिछले आठ वर्षों से लागू है।

श्री रामावतार शास्त्री : परन्तु अन्तिम तिथि तो 31 मार्च, 1974 थी (व्यवधान)।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : स्वतंत्रता सेनानियों की समिति गठित करने के बारे में क्या हुआ और क्या समिति इस बारे में विचार कर रही है और आपने सझाव देगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने श्री डागा के सुझाव को नोट कर लिया है और

प्रो० एन० जी० रंगा : प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि संसद सदस्यों में से स्वतंत्रता सेनानियों का एक पेनल बनाया जाएगा जो सरकार की सहायता करेगा। (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : प्रो० रंगा, प्रधान मंत्री जी ने बहुत सी बातें कही हैं और हम उन्हें पूरा कर रहे हैं। हम प्रधान मंत्री जी के निदेशानुसार ही कार्य कर रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : नहीं, नहीं। प्रधान मंत्री एक ऐसा पेनल बनाने को सहमत हो गई हैं और आप ऐसे प्रस्तावों से सहमत नहीं हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने यह कहा है कि मैंने सुझाव नोट कर लिया है। इस का यह अर्थ नहीं हैं कि इसे रद्द कर दिया गया है। प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं। जहां तक विद्रोहियों का प्रश्न है .....(व्यवधान)

श्री निरेन घोष (दमदम) : कई कारणों से, जैसे राज्य सरकारों द्वारा इन आवेदनों की जांच के कारण से आवेदन पत्र आपके पास विलम्ब से पहुंच सकते हैं। केवल इसी कारण आपको इन्हें अस्वीकार नही करना चाहिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यदि यह केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वह तिथि मानी पाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार ने जिस तारीख को आवेदन प्राप्त किया होगा उसे ध्यान में रखा जाएगा। अब यह बात खत्म होती है। आधे घन्टे की चर्चा समाप्त होती है। सभा स्थगित होती है।

6.33 मिनट म०प०—तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 4 जुलाई, 1980/13 आषाढ़, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रण : सबीना प्रिंटिंग प्रेस, फरीदाबाद